एम एम टी सी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

57वाँ वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

श्रेष्ठता और विजन के साथ नेतृत्व

एमएमटीसी एक नजर में

विषय सूची

कारपोरेट मिशन/कारपोरेट उद्देश्य	02
अध्यक्ष का वक्तव्य	03–05
निदेशक मंडल	06
निदेशकों की रिपोर्ट	08–15
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	16–21
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट	22–25
कारपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट	26–39
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एमएमटीसी व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	40–47
सचिवीय लेखापरीक्षको की रिपोर्ट तथा प्रबंधन का उत्तर	56–61
सीएंडएजी की टिप्पणियां	64–69
दशक पर एक नजर	70–79
सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधन का उत्तर	80–94
एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण	95–145
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर वित्तीय विवरण	147–172
समेकित वित्तीय विवरण	173–242
लेखा परीक्षक	243
एमएमटीसी बैंकर्स	244

कॉरपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनी एवं एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी का लक्ष्य है कि अपने शेयरहोल्डरों, ग्राहकों, आपमर्तिकारों, कर्मचारियों और समाज की संपूर्ण संतुष्टि के साथ साथ अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता द्वारा सतत एवं व्यवहार्य वृद्धि दर प्राप्त करते हुए अपनी स्थिति को और बेहतर बनाए।

कंपनी के उद्देश्य

विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार(बल्क) के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित कर नियोजित पूंजी से मिलने वाले रिटर्न में सुधार करना

खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातु जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थान को बनाए रखना

व्यवसायिक और दक्षता के साथ सभी श्रेणी के लिए उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करना

मध्यम एवं लघु स्तर के उद्योगों को सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाना

वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर कारगर व्यवस्था स्थापित करना

व्यापार संबंधी संरचना के विकास को प्रोन्नत करना

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारक,

मुझे लगभग सात महीने पहले आपकी कंपनी के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मैं आपकी कंपनी की 57वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप महामारी के इस दौर में अपने परिवार सहित ठीक होने के साथ सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। कोविड–19 महामारी ने हमारे जीवन में अप्रत्याशित रूप से प्रभावित किया है और नए तरीके से सामान्य जीवन की उत्पति की है। कोविड–19 के कारण आर्थिक रूप से हानि होने के साथ–साथ आर्थिक रूप से ही नहीं अपितु चिकित्सीय रूप में भी असर हुआ है। तथापि, हमारे लचीलेपन के कारण मुझे पूरा विश्वास है कि हम अंततः इस संकट से उभरकर और अधिक मजबूत और समझदार बनेंगें।

इससे पहले कि मैं अपने भाषण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करूँ, मैं विश्व को सुरक्षित और उपयुक्त जगह बनाने के लिए महामारी का मुकाबला करने वाले प्रत्येक आपातकालीन कर्मियों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ।

पूरे विश्व में व्यवसाय को बढाने के लिए आपकी कंपनी के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी के प्रबंधन ने सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और अपने वित्तीय साधनों से ही अपने कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम संभव चिकित्सा और लाजिस्टक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, 2019 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2.9 प्रतिशत थी जो 2008–09 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अब तक की सबसे धीमी वृद्धि है। भय की स्थिति में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय और भू–राजनीतिक तनाव का सहारा लेने के बावजूद इसका प्रभाव बढ़ा ही है।

2020 का आउटलुक उदासीन रहा है। अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक जून 2020 के संस्करण में आईएमएफ ने लगभग 5% संकुचन का अनुमान लगाया है। लेकिन 2021 में प्रभावी टीकाकरण की आशा के साथ यह उम्मीद की जा रही है कि 2021 में आर्थिक गतिविधियां आरंभ होंगी लेकिन विश्व को एक नए रूप में सामान्य तौर पर समायोजित करने की जरूरत है। हमारा देश इस वैश्विक रूझान से अछूता नहीं है। तथापि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में वापसी के अच्छे आसार नजर आ रहे हैं, फिर भी महामारी के प्रभाव को हमें साझा करने की आवश्यकता है।

2019–20 के दौरान कंपनी का निष्पादन

अब मैं वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी के निष्पादन की मुख्य विशेषताएओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपने कंपनी के आडिट आंकड़े देखे होंगें, आपकी कंपनी ने कुछ बाधाओं जैसे :– यूरिया की औसत कीमत में गिरावट, कोल इंडिया द्वारा घरेलू आपूर्ति में वृद्धि के कारण सरकारी बिजली संयंत्रों के लिए स्टीम कोल का आयात घटने लौह अयस्क खनन पर प्रतिबंध और कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर निरंतर प्रतिबंध आदि के बावजूद 2019–20 के दौरान 24056.05 करोड़ रुपये का व्यापार किया। बहुत से मामलों में वर्ष 2019–20 बिल्कुल अलग रहा है।

कंपनी ने 2019–20 के दौरान 227.11 करोड़ रूपये की निवल हानि बुक की है, जो वास्तव में जेवी कंपनी – एनआईएनएल से अर्जित ब्याज का कई वर्षों से ब्याज का भुगतान नही होने के कारण है और

इसके बाद एनआईएनएल का संचालन पूरी तरह बंद होने के कारण लेखों में इसका प्रावधान करना आवश्यक था। कंपनी एनआईएनएल को दी गई वित्तीय सहायता पर 2018–19 तक उपार्जन आधार पर ब्याज को शामिल कर रही थी। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जब एनआईएनएल संयंत्र के संचालन को एनआईएनएल के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं के कारण बंद कर दिया गया था, आपकी कंपनी ने वित्तीय नियमों के अनुसार बकाया का प्रावधान किया। पूर्व–उपार्जित आय जिसे एनआईएनएल के खातों में शामिल किया गया था उनकी वसूली कंपनी की बिक्री आय से की जायेगी। सरकार ने एनआईएनएल के विनिवेश को मंजूरी दे दी है क्योंकि एनआईएनएल को लगभग एक दशक से हानि हो रही है और पिछले कुछ वर्षों में यह एक नकारात्मक नेटवर्थ वाली कंपनी बन गई है।

एमएमटीसी ने 2019–20 में बैंक से अब तक का सबसे अधिक ऋण लेकर असाधारण रूप से अधिक ऋण एक्सपोजर भी किया है – कुछ ऐसा जिसने इसे अपनी सीमा तक वित्तीय रूप से सीमित कर दिया है। कंपनी को आशा है कि इन ऋणों का भुगतान एनआईएनएल की विनिवेश बिक्री से कर दिया जायगा। यह एमएमटीसी के लिए परीक्षा की घड़ी है जिसके लिए आपकी कंपनी स्थिति ठीक करने का प्रयास कर रही है।

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनैशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) जिसे कमोडिटी में व्यापार के लिए दक्षिण–पूर्व एशियाई बाजार का दोहन करने के लिए स्थापित किया था, ने स्वयं को सिंगापुर में एक विश्वसनीय और सम्मानित व्यापारिक संगठन के रूप में स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सहायक कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के 154.12 मिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 333.60 मिलियन यूएस डॉलर का बिक्री कारोबार किया है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एमटीपीएल ने 2018–19 के 0.27 मिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 0.97 मिलियन यूएस डॉलर का निवल लाभ कमाया।

जैसा कि मैंने बताया कि सरकार ने संयुक्त उद्यम कंपनी एनएनएल के विनिवेश के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें चार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम जैसेः एमएमटीसी, एनएमडीसी, भेल और मेकॉन और ओडिशा सरकार की दो कंपनियां–ओएमसी और आईपीआईसीओएल प्रमुख शेयरधारक हैं। सरकार ने एनआईएनएल के विनिवेश का फैसला डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (डीआईपीएम) के जरिए लिया है। डीआईपीएम ने एनआईएनएल के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के शुरू में सितंबर 2020 तक पूरी होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड–19 के कारण अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण इसमें देरी हो गई है। अब अगले वित्तीय वर्ष तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। आशा करते हैं आपकी कंपनी अपनी हानि की भरपाई एनआईएनएल के विनिवेश से प्राप्त आय से अपने मूल्य की पर्याप्त रूप से वसूली करने में सफल होंगें।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया के मैसर्स एंग्लो कोल के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित हमारे पक्ष में दिये गये निर्णय को अलग रखा है। एमएमटीसी पर संभावित प्रभाव काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि विवाद के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तमाम तरह के कानूनी सहारा लिये जा रहे हैं और शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए हमारी लीगल टीम श्रेष्ठ विकल्पों की तलाश करने में जुटी है।

उम्मीद की किरण केवल आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल) से आई है जिसकी स्थापना सिंगापुर में कमोडिटी के व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार का दोहन करने के लिए की गई थी। एमटीपीएल ने सिंगापुर में एक विश्वसनीय और सम्मानित व्यापार संगठन के रूप में खुद को स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सहायक कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 154.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बिक्री कारोबार की तुलना में 333.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एमटीपीएल का शुद्ध लाभ 0.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2018–19 के दौरान यह अर्जन 0.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

अन्य संयुक्त उद्यमों / परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं :

जैसा कि आप जानते हैं, आपकी कंपनी ने मुक्त बाजार वातावरण में उभर रहे नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए पीपीपी मार्ग के तहत कई संयुक्त उद्यमों को प्रोन्नत किया है। मैं आपके साथ इन पहलों की कुछ मुख्य बातें शेयर करूंगाः–

- पैम्प स्विट्जरलैंड के साथ स्थापित जेवी एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2019–20 के दौरान 100.63 करोड़ रुपये के कर पश्चात लाभ के साथ 34,569.28 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जिसे कोविड–19 महामारी, कस्टम ड्यूटी आदि से संबंधित मुद्दों के कारण 47.02 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
- आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान बीएसई लिमिटेड से 2 रुपये के अंकित मूल्य के 17 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का कुल लाभांश मिला है जिसमें आपकी कंपनी के पास 38,961 इक्विटी शेयर हैं।

एमएमटीसी के परिचालन में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं :

(क) एनआईएनएल में विनिवेश और अन्य हानि वाली संयुक्त उपक्रमों जैसे – एसआईओटीएल, आईसीईएक्स और एफटीडब्लयूजेड परियोजनाओं से अलग होना। जबकि आपकी कंपनी ने इन संयुक्त उपक्रमों से बाहर होने का निर्णय पहले ही ले लिया है, कोविड–19 के परिणास्वरूप निवेश की वसूली मूल्य प्रभावित हो सकता है।

(ख) कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करना और कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को उप–क्षेत्रीय कार्यालयों में परिवर्तित करना जिससे इन स्थानों द्वारा किए गए स्थापना और प्रशासनिक खर्चों में कमी आएगी।

(ग) स्थापन लागत को कम करने के लिए सरप्लस कर्मचारियों में कटौती करने के लिए 2019–20 के दौरान वीआरएस लाई गई थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान भी कर्मचारियों को और तर्कसंगत बनाने और स्थापना और प्रशासनिक खर्चों कम करने तथा उपरिव्यय को प्रबंधकीय स्तर पर लाने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान अन्य वीआरएस लाने का प्रस्ताव है। यह आपकी कंपनी के लंबे समय तक बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

एमएमटीसी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लक्ष्य प्रत्येक स्टेकहोल्डर – हमारे ग्राहक, निवेशक, वेंडर–साझेदार, समुदाय और जिन देशों की सरकारें जिनके साथ हम काम करते हैं , उनके लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। हमारा मानना है कि निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने और इसको बनाए रखने के लिए ठोस कॉर्पोरेट गवर्नेंस अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारी संस्कृति, हमारी नीतियों, स्टेकहोल्डरों के साथ हमारे संबंधों और मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे कि सभी सांविधिक कारपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अक्षरशः पालन किया जा रहा है।

मानव संसाधन

मानव संसाधन किसी भी संस्था की रीढ़ होता है। एमएमटीसी में विभिन्न प्रकार के अपेक्षित कौशल के साथ नैतिकता से लैस कार्य–संस्कृति निर्मित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। 31 मार्च 2020 तक बोर्ड स्तर के कार्यकारी निदेशकों सहित एमएमटीसी में कुल 794 कार्मिक थे जिनकी संख्या 30 नवंबर 2020 को 730 रह गई है, जिनमें 339 अधिकारी और 391 कर्मचारी शामिल हैं। इसमें पूर्व मिटको भी शामिल है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

एमएमटीसी द्वारा अपनाए गये कारपोरेट सामाजिक दायित्व और केयरिंग फिलॉसफी, साझाकरण पर निरंतर फोकस करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई के दिशा–निर्देशों के अंर्तगत लागू विनियमों के अनुसार कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के मद्देनजर वर्ष 2019–20 में स्वास्थ्य–सुरक्षा, शिक्षा का प्रसार और पोषण, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियान और कौशल विकास की गतिविधियों के लिए 1.73 करोड़ रूपये आवंटित किये गये। एमएमटीसी ने वर्ष 2019–20 के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व के आवंटित बजट में से 53 लाख रूपये का योगदान कोविड–19 महामारी लड़ने के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में दिया।

भविष्य में संभावनाएँ

आपकी कंपनी नीतिगत व्यवसाय, लाभकारी प्रतिफल और सतत लागत सुधार को ध्यान में रखकर संचालन कर रही है। ऐसा लगता है कि परीक्षा की इस घड़ी में कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता है और खर्चों में कमी करने तथा इसके पिछले व्यर्थ निवेश की भरपाई के लिए दूरदर्शिता से उत्पादन लगात में कमी करके और एनआईएनएल में विनिवेश प्रक्रिया में अपने दावों को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी सक्रियता को बढ़ाना होगा।

आभार

मैं बोर्ड की तरफ से शेयरधारकों के प्रति आभार एवं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आपने कंपनी में अपना मजबूत और ठोस विश्वास जताया है। अब एमएमटीसी एक नई उंचाई की ओर अग्रसर है और मैं इस प्रयास में आपके सतत् सहयोग की आशा करता हूँ।

अंत में, मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से केन्द्र सरकार के विभागों के प्रति आपकी कंपनी के प्रयासों में उनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस अवसर पर अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों, व्यवसायिक सहयोगियों और अन्य स्टेकहोल्डरों को कंपनी के साथ अपने आत्मीय संबंधों और एमएमटीसी के विकासशील प्रयासों और मजबूती में सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

धन्यवाद। जय हिंद।

संजय चड्ढा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
24.12.2020

निदेशक मंडल

वेद प्रकाश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(29.02.2020 तक)

सुधांशु पांडे
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(1.3.2020 से 13.05.2020 तक)

संजय चड्ढा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(14.05.2020 से)

सरकार द्वारा नामित निदेशकगण

सुनील कुमार
विशेष सचिव
(21.01.2020)

डॉ. एस.सी. पांडेय
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
(30.6.2019 तक)

शशांक प्रिय
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
(19.8.2019 से)

दर्पण जैन
संयुक्त सचिव
(29.01.2020 से 10.02.2020 तक)

श्यामल मिश्रा
संयुक्त सचिव
(24.02.2019 से)

फंक्शनल निदेशकगण

अश्वनी सोंधी
निदेशक (विपणन)

उमेश शर्मा
निदेशक (वित्त)
(31.05.2020 तक)

जे. रवि शंकर
निदेशक (विपणन)

आर.आर. सिन्हा
निदेशक (कार्मिक)
(19.06.2019 से)

के.के. गुप्ता
निदेशक (वित्त)
(01.06.2020 से)

नॉन–ऑफिशियल अंशकालीन (स्वतंत्र) निदेशक

आर. आनंद
(14.06.2019 तक)

बी.के. शुक्ला
(14.06.2019 तक)

रजनीश गोयंका
(26.01.2020 तक)

डॉ जयंत दासगुप्ता
(26.01.2020 तक)

आर.आर. जडेजा
(26.01.2020 तक)

मंजूनाथ जी.

डॉ.स्वाधीनता कृष्णा
(24.01.2020 से)

वरिष्ठ अधिकारी

बीर सिंह नेगी, आईडीएएस

संजय कौल

अंजना सिंह

एन. बालाजी

अश्विनी कपूर

बी.एन. दास

अरूण रोजारियो

रवि किशोर

अरूण चन्द्रा

सूरज मोदी

सुब्रता साहा

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्य
एमएमटीसी लिमिटेड,
नई दिल्ली।

देवियों और सज्जनों,

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्पादन की 57वीं वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अंकेक्षित लेखा विवरण तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

परिचालन परिणाम

आपकी कंपनी, जो भारत की अग्रणी व्यापारिक कंपनियों में से एक है, ने गत वर्ष के 28,292.82 करोड़ रुपये के कुल कारोबार की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान 24,056.05 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया। इस व्यावसायिक कारोबार में 1802.22 करोड़ रुपये का निर्यात, 19,073.47 करोड़ रुपये का आयात तथा 3,180.36 करोड़ रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। पिछले वर्ष के 81.43 करोड़ रूपये के निवल लाभ की तुलना में कंपनी को चालू वित्त वर्ष में 227.11 करोड़ रूपये की हानि हुई। शुद्ध नुकसान मुख्य रूप से एनआईएनएल को 252.18 करोड़ रूपये अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज आय की गैर प्राप्यता के कारण है।

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

	(करोड रू)	(करोड रू)
	2019-20	2018-19
उत्पादों की बिक्री	**24,051.99**	28,288.27
सेवाओं की बिक्री	**4.06**	4.55
अन्य व्यापार अर्जन*	**78.93**	686.62
प्रचालन से प्राप्त कुल राजस्व	**24,134.98**	28,979.44
बिक्री लागत	**181.22**	257.60
प्रचालन से प्राप्त सकल लाभ	**32.19**	234.42
जोड़ें : लाभांश एवं अन्य आय	**250.84**	275.91
घटाएं : स्थापना एवं प्रशासनिक उपरिव्यय आदि	**0.34**	1.06
घटाएं : बट्टे खाते में डाले गए/समाप्त किए गए ऋण/दावे	**0.49**	15.96
घटाएं : संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों/निवेशों के लिए प्रावधान	**(38.26)**	199.16
ब्याज, मूल्यह्रास, उऋणता खर्च एवं करों से पूर्व लाभ	**139.00**	65.27-
जोड़ें : अर्जित ब्याज (निवल)(वित्तीय लागत घटाकर निवल अर्जित ब्याज)	**(177.26)**	133.89
मूल्यह्रास, उऋणता खर्च व करों से पूर्व लाभ	**5.65**	5.54
घटाएं : मूल्यह्रास एवं उऋणता खर्च	**44.32**	9.76
घटाएं : असाधारण मदें	**(227.23)**	118.59
करों से पूर्व लाभ	**(0.12)**	32.39
घटाएं : वर्तमान करों के लिए प्रावधान	**-**	4.77
घटाएं : आस्थगित करों के लिए प्रावधान	**(227.11)**	81.43
कर पश्चात लाभ	**755.28**	721.67
जोड़ें : पूर्व वर्ष से आगे लाया गया शेष		
शेष		
अन्य व्यापक आय की मदें जिन्हें रिटेंड किए गए अर्जन में सीधे तौर पर ले लिया गया	**-**	(1.65)
कर घटाकर पोस्ट एम्प्लायमेंट लाभ की देयता का पुनर्मूल्यांकन	**(3.09)**	-
लाभांश एवं लाभांश कर	**(54.25)**	(36.17)
उपयोग		
सामान्य रिजर्व	**(10.00)**	(10.00)
आगे ले जाने के लिए छोड़ा गया शेष	**460.83**	755.28

आपकी कंपनी के विभिन्न व्यवसाय समूहों का कार्यनिष्पादन संलग्न प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट में दर्शाया गया है जो इस रिपोर्ट का एक अंग है।

इक्विटी शेयर पूंजी और लाभांश

वर्ष के दौरान कंपनी की इक्विटी पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 31.3.2020 को कंपनी की 150 करोड़ रुपये की प्रदत्त इक्विटी में 1/– रूप्ये अंकित मूल्य के 150 करोड़ इक्विटी शेयरों शामिल हैं। निदेशक मंडल ने वर्तमान तरलता संकट, इसकी दिन–प्रतिदिन की कार्यशील र्ष 2019–20 के पूंजी की आवश्यकता के लिए बैंकों से पर्याप्त धनराशि उधार लेने में कठिनाई और पिछले वित्त वर्ष के दौरान 81.43 करोड़ रूप्ये के निवल लाभ की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी को 227.11 करोड़ रू. का घाटा होने के कारण किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है। निवल हानि मुख्य रूप से एनआईएनएल को 252.18 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज आय को शामिल नहीं करने के कारण हुई है। इसके अलावा, वित्त लागत भी 2018–19 के दौरान रु 65.27 करोड़ से बढ़कर 2019–20 में रु 3939 करोड़ हो गई है, जो मुख्य रूप से बैंक उधारी में वृद्धि के कारण है।

रिजर्व

1 अप्रैल, 2019 को आपकी कंपनी के रिजर्व और अधिशेष में 1342.25 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। 31 मार्च, 2020 तक आपकी कंपनी के ''रिजर्व व अधिशेष'' में 1057.80 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध है।

विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम

2019–20 के दौरान आपकी कंपनी का विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गमन निम्नानुसार हैः–

	अर्जन (करोड़ रूपये)		निर्गमन (करोड़ रूपये)
निर्यात	1802.22	आयात	18382.52
अन्य	–	अन्य	75.75
कुल	1802.22	कुल	18458.27

अवार्ड व रैंकिंग

- 2016–17 के दौरान सरणीकृत श्रेणी के तहत खनिजों के उच्चतम निर्यातक के लिए लगातार 26 वीं बार कैपेक्सिल अवार्ड मिला।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ''सर्वाधिक ग्राहकों को गोल्ड की सप्लाई करने वाली बेस्ट एजेंसी'' के लिए जेम्स एंड ज्वैलरी अवार्ड
- आईआईजीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2019 – वर्ष 2018–19 की सर्वश्रेष्ठ पीएसयू नामित एजेंसी।
- उत्पाद समूह–बेसिक आयरन एंड स्टील विशाल प्रतिष्ठान का वर्ष 2017–18 के लिए इंजीनियरिंग निर्यात एंव संर्वधन परिषद द्वारा स्टार परफार्मर का अवार्ड
- पीएसयू में सर्वश्रेष्ठ इनडोर काउंसल के लिए इंडियन कॉरपोरेट काउंसिल एसोसिएशन ;आईसीसीएद्ध एक्सीलेंस अवार्ड 2019।
- वर्ष 2019 के दौरान मिनिरत्न और अन्य श्रेणी में रिक्गनिशन आफ विप्स (पब्लिक सेक्टर में महिला) एक्टिविटी पुरस्कार।

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा.लि सिंगापुर (एमटीपीएल) अक्टूबर, 1994 में निगमित हुई थी जिसका उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य के वैश्वीकरण/ उदारीकरणका लाभ उठाना था ताकि पूर्व एशियन बाजार में वस्तुओं के व्यापार कर सके। यह कंपनी अभी कमोडिटी का व्यापार कर रही है और इसने अपने आपको सिंगापुर में एक विश्वसनीय और सम्मानित व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित कर लिया है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एमटीपीएल ने पिछले वित्त वर्ष के 154.12 मिलियन यूएस डालर की तुलना में 333.60 मिलियन डालर का बिक्री कारोबार किया । वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एमटीपीएल का निवल लाभ 0.97 मिलियन डालर रहा जबकि 2018–19 में 0.27 मिलियन डालर था। 31 मार्च 2020 को एमटीपीएल की नेट वर्थ 13.26 मिलियन डालर थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार, एमटीपीएल के निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न हैं।

एमएमटीसी की प्रोन्नत परियोजना– नीलाचल निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

आपकी कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की स्थापना की – 1.1 मिलियन टन क्षमता का एक लौह और इस्पात संयंत्र, 0.8 मिलियन टन कोक ओवन और कैप्टिव पावर प्लांट के साथ गौण उत्पाद इकाई द्वारा, ओडिशा सरकार और अन्य के साथ संयुक्त रूप से की गई थी। भारत सरकार ने संयुक्त उद्यम कंपनी एनएनएल के विनिवेश के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसमें चार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम यानी एमएमटीसी, एनएमडीसी, भेल और मेकॉन और ओडिशा सरकार की दो कंपनियां यानी ओएमसी और आईसीआईसीओएल शेयरधारक हैं । सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भारी कर्ज उबारने के लिए एनएनएल के विनिवेश का फैसला लिया है। तदनुसार, वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपी,,म) ने पारदर्शी तरीके से एनएनएल के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के शुरू में सितंबर 2020 तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड–19 के कारण अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, अब इसे दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है, इसमें सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है ।

परियोजनाएं/संयुक्त उपक्रम

मुक्त बाजार के वातावरण में उभर रहे नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए, आपकी कंपनी ने पहले के वर्षों में सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल के बाद कई संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा दिया है। पिछले वर्षों में स्थापित किए गए ऐसे जेवी की वर्तमान स्थिति पर एक संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई हैः

(i) अभी आपकी कंपनी के पास दिनांक 31.3.2020 तक भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) में 6ः इक्विटी पूंजी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईसीईएक्स ने 2018–19 के दौरान 2851.97 लाख रूपये की तुलना में 2272.58 लाख रुपये (31.12.2019 को) की निवल लाभ (हानि) की सूचना दी है। एसईसीसी रेगुलेशन, 2018 के रेगुलेशन 17, और एसईबीआई परिपत्र दिनांक 26 नवंबर, 2015 के अनुसार, एमएमटीसी को आईसीईएक्स में इक्विटी होल्डिंग को 6% से घटाकर 5% करना अपेक्षित है और एमएमटीसी आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी को कम करने की प्रक्रिया में है। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में 6% एमएमटीसी की इक्विटी के विनिवेश के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित किया है।

(ii) आपकी कंपनी ने "यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड" के नाम और शैली के तहत करेंसी फ़्यूचर्स एक्सचेंज की इक्विटी में भाग लिया था, जिसे "बीएसई लिमिटेड" (बीएसई) में मिला दिया गया था, बीएसई में आपकी कंपनी के पास 2 रुपये प्रत्येक के 38,961 इक्विटी शेयर हैं। वर्ष के दौरान बीएसई ने 173.67 करोड़ रू. का पीएटी अर्जित किया और 2/–रूप्ये प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर प्रति 17/– रू. के लाभांश का भुगतान किया।

(iii) एमएमटीसी–पीएएमपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पीएएमपी स्विट्जरलैंड के सहयोग से मेडालियन निर्माण इकाई के लिए संयुक्त उद्यम में एमएमटीसी की 26% इक्विटी पार्टनर के रूप में भागीदारी है। इसने 2019–20 के दौरान 34,569.28 करोड़ रू. की कुल आय अर्जित की है और इस पर 100.63 करोड़ रू.का कर के बाद लाभ हुआ है। एमएमटीसी एंड पीएएमपी इंडिया प्रा. लिमिटेड सोने और चांदी की भारत की पहली एलबीएमए से मान्यता प्राप्त रिफाइनरी है। जेवी कंपनी ने 2019–20 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

(iv) जेवी कंपनी – मै.सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड(एसआईओटीएल) कर्नाटक राज्य में बेल्लारी–होस्पेट सेक्टर से निर्यात के लिए लौह अयस्क की अनुपलब्धता और खनन/राज्य सरकार द्वारा निर्यात के लिए आयरन ओर के आवागमन पर प्रतिबंध के कारण वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं कर सकी। लौह अयस्क के निर्यात के अनिश्चित भविष्य और निर्मित बुनियादी ढांचे के उपयोग के मद्देनजर कामराजार पोर्ट ट्रस्ट (पूर्ववर्ती एननोर पोर्ट ट्रस्ट) ने सुविधा में संशोधन के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से इस सुविधा को प्रदान करने का निर्णय लिया ताकि आम उपयोगकर्ता कोयला भी हैंडल किया जा सके। चूंकि कोयले का एममएटीसी के मौजूदा कारोबार के साथ तालमेल नहीं है, इसलिए एममएटीसी बोर्ड ने जेवी से बाहर निकलने का फैसला किया था। एमएमटीसी ने ए एसआईओटीएल जेवी में अपनी संपूर्ण 26% इक्विटी की बिक्री के लिए खुली निविदा के माध्यम से बोलियां आमंत्रित कीं, हालांकि इसका कोई उत्तर नही मिला। इस बीच, एसआईओटीएल के शेयरधारकों के समझौते में "पहले इनकार के अधिकार" के अनुसार, सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, (एसआईओटीएल के प्रमुख प्रमोटर) ने एमएमटीसी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य पर एमएमटीसी की इक्विटी खरीदने की पेशकश की जिसे एमएमटीसी बोर्ड ने स्वीकार करने का फैसला किया है। वर्तमान में एसआईटीसीएल में एममएटीसी की 26% इक्विटी को एएसआईओटीएल सिकाल लोजिस्टक लिमिटेड को बेचने के लिए प्रक्रिया जारी है।

(v) टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड – खनन, अन्वेषण और संबद्ध गतिविधियों के लिए मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड और आपकी कंपनी का संयक्त उपकम(जेवी) है। हालांकि, जेवी कंपनी की स्थापना के बाद से कोई व्यवसाय उत्पन्न नही को पाया था, अतः एमएमटीसी बोर्ड ने जेवी कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ आवश्यक दस्तावेज दायर करने के लिए मंजूरी दे दी है ताकि आरओसी के रिकॉर्ड से जेवी कंपनी का नाम 'स्ट्राइक ऑफ' किया जा सके। तदनुसार, वर्ष के दौरान जेवी की अंतिम बैलेंस शीट तैयार की गई और सभी दस्तावेज आरओसी को प्रस्तुत किए गए हैं और आरओसी द्वारा 'स्ट्राइक ऑफ' की प्रक्रिया चल रही है।

(vi) भारत में मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए, एमएमटीसी और आईएल एंडएफएस ने भारत में कुछ चयनित स्थानों पर 2004–05 में एएसपीवी की स्थापना की और इक्विटी 50% (एमएमटीसी) और 50% (आईएल एंड एफएस) के साथ एक जेवी कंपनी (फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड) का गठन किया।)एफटीडब्ल्यूपीएल के एफटीडब्ल्यूजेड को विकसित करने के लिए दो 100% स्वामित्व वाली कंपनियों कांडला (कांडला फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड) और हल्दिया (हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड) का गठन किया गया। वर्तमान में जेवी की इक्विटी संरचना 50:50 है। प्रवर्तकों की वित्तीय स्थिति और कांडला परियोजना के विकास के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता के मद्देनजर, जेवी ने 2019 में रणनीतिक निवेशक को शामिल करने के लिए आरएफपी को आमंत्रित किया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हल्दिया के बारे में, प्रोजेक्ट एसपीवी को दिसंबर 2013 में हस्ताक्षरित हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचडीए) के साथ लीज एग्रीमेंट के तहत 90 वर्षों की लीज पर 197 एकड़ जमीन का आवंटन हुआ। हालांकि, एचडीए के खिलाफ 2015 में किसानों द्वारा दायर रिट याचिका में अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती दी गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भूमि के विकास पर रोक लगा दी और अथक प्रयासों के बावजूद, भूमि का उपयोग अपने इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सका। आर्थिक स्थितियों, व्यापार हित में कमी और लंबे समय तक मुकदमेबाजी को देखते हुए, जेवी के प्रमोटर्स ने कांडला और हल्दिया में दोनों परियोजनाओं से बाहर निकलने का फैसला किया और तदनुसार जेवी ने संबंधित प्राधिकरण को जमीन सौंप दी।

(vii) कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में मार्च, 2007 में एमएमटीसी द्वारा शुरू की गई 25 पवन ऊर्जा जनरेटर के साथ 15 मेगावाट क्षमता वाली पवन चक्की परियोजना ने कर्नाटक राज्य की ऊर्जा जरूरतों के कुछ भाग को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। परियोजना से उत्पादित बिजली एचईएससीओएम को बेची जाती है। 2019–20 के दौरान इस परियोजना का कारोबार 3.27 करोड़ रुपये था।

औद्योगिक संबंध और मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान कंपनी में सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए थे। वर्ष के दौरान किसी भी औद्योगिक अशांति के कारण कोई मानव दिन नहीं खोया गया। इसके अलावा, कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सूचना/विचारों को साझा करने के लिए फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन/कर्मचारी संघों/एससी और एसटी संघों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

31 मार्च, 2020 तक कंपनी की कुल कार्मिक 794 थी जिसमें 4 बोर्ड स्तर के अधिकारी, 1 सीवीओ, 357 अधिकारी और 356 कर्मचारी शामिल थे। कार्मिकों में पूर्ववर्ती माईका ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के 1 अधिकारी और 75 कर्मचारी/कामगार भी शामिल हैं, जिनका बीआईएफआर के आदेशों के अनुसार आपकी कंपनी के साथ विलय कर दिया गया था। कार्मिकों में कुल कर्मचारियों का 20.78% (165 कर्मचारी) महिला कर्मचारी; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) क्रमशः 21.54% (171 कर्मचारी), 9.57% (76 कर्मचारी), 11.46% (91 कर्मचारी) और 2.64% (21 कर्मचारी) का समग्र प्रतिनिधित्व है। सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है।

प्रशिक्षण एवं विकास

लगातार बदलते व्यापारिक परिदृश्य में कर्मचारियों के कौशल को और बढ़ाने/अपग्रेड करने के लिए कंपनी की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष के दौरान 352 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। यह इन–हाउस संकाय के साथ–साथ प्रसिद्ध संस्थानों/संगठनों के बाहरी संसाधन व्यक्तियों के सहयोग से आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया था। आयोजित प्रशिक्षण कौशल में राजभाषा अधिनियम (राजभाषा) और एमओयू मापदंडों के कार्यान्वयन के तहत अनुपालन को पूरा करने के अलावा उत्कृष्टता केंद्रों (आईआईएफटी) में आयोजित ईडीपी सहित कार्यात्मक और प्रेक्टिकल प्रशिक्षण दोनों शामिल थे । प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला (एससी–51, एसटी–28 और महिला–161) का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। मैन डेज के लिहाज से इस तरह का प्रशिक्षण वर्ष 2019–20 के दौरान 543 प्रशिक्षण मानव दिवसों के लगभग होता है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

एमएमटीसी भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2019–20 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। कंपनी के रोजमर्रा के काम में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाओं, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण, हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपर्युक्त गतिविधियों के परिणामस्वरूप, दिन–प्रतिदिन के सरकारी कार्यों में हिंदी के उपयोग में काफी वृद्धि देखी गई है।

वर्ष 2019–20 के दौरान एमएमटीसी के कारपोरेट कार्यालय को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रख्यात संगठन विश्व हिंदी परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। चेन्नई और विशाखापत्तनम क्षेत्रीय कार्यालयों को भी हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उनके संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा सम्मानित किया गया है। एमएमटीसी की हिंदी वेबसाइट को नियमित आधार पर अंग्रेजी के साथ अपडेट किया गया है। इसके अलावा एमएमटीसी द्वारा नियमित रूप से एक हिंदी त्रैमासिक पत्रिका मणिकाचन प्रकाशित की जा रही है।

सर्तकता

आपकी कंपनी की सतर्कता विंग ने मूल्य आधारित व्यावसायिक प्रथाओं से उपजी सद्भावना और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए निवारक सतर्कता पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यह निवारक सतर्कता, प्रणाली/प्रक्रियात्मक सुधार, एक पेशेवर तरह से व्यवस्थित, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संगठन के रूप में कंपनी को मजबूत बनाने के लिए संगठन के भीतर आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कदम व्यवहार को सुनिश्चित करता है । इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए आवश्यक निवारक सतर्कता उपायों और प्रणालीगत सुधार पर जोर देना है । वर्ष के दौरान सतर्कता प्रभाग ने सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को उचित अभिरक्षा और बीजी के अद्तन रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए। वर्ष के दौरान सतर्कता प्रभाग ने 17 शिकायतों पर कार्रवाई की। इन 17 शिकायतों में से 16 शिकायतों का निस्तारण कर शेष एक शिकायत पर कार्रवाई चल रही है। सतर्कता प्रभाग ने 8 अधिकारियों से जुड़े 2 विभागीय कार्यवाही के मामलों को भी निपटाया, जिनमें से 5 अधिकारियों से जुड़े एक मामले को दूसरे चरण की सलाह लेने के लिए सीवीसी को भेजा गया है। वर्ष के दौरान सतर्कता अधिकारियों द्वारा 179 निरीक्षण और गैर–सतर्कता अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में 63 निरीक्षण किए गए। इस पर कारपोरेट कार्यालय में कार्रवाई की गई और जहां भी आवश्यकता हो, उचित कार्रवाई की गई। कारपोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न प्रभागों द्वारा जारी निविदाओं का सीटीई की श्रेणी का निरीक्षण भी किया गया और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कमियों को सूचित किया गया।

सतर्कता प्रभाग ने 28.10.2019 से 02.11.2019 तक एमएमटीसी के विभिन्न कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्षेत्रीय कार्यालयों में नए तैनात सतर्कता अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि उन्हें अवगत कराया जा सके कि सतर्कता कार्य को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कैसे निपटा जाए ।

सर्तकता तंत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के बोर्ड ने 2014 में 'सर्तकता तंत्र' पर एक योजना शुरू की है। सर्तकता तंत्र की स्थापना निदेशकों और कर्मचारियों के लिए की गई है ताकि वे अपनी वास्तविक परेशानियों को बता सकें। किसी भी कर्मचारी/निदेशक से यदि कोई परेशानी हैं तो वह लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को संबोधित करेगा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। यह तंत्र पहले से लागू व्हिसल ब्लोअर नीति के अलावा है।

सत्यनिष्ठा समझौता

सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, इक्विटी और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उठाए गए कदमों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में सत्यनिष्ठा संधि को बढ़ावा दिया जाता है। आपकी कंपनी ने बोलीदाताओं के बीच पारदर्शिता/इक्विटी को बढ़ावा देने और कंपनी द्वारा आयोजित व्यापार में भ्रष्ट प्रथाओं की किसी भी संभावना को रोकने के लिए भी इसे लागू किया है। श्री बाल राज, आईटीएस (सेवानिवृत्त), को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्वीकार्य विकास

एमएमटीसी की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियम, 2014 के अनुरूप है। इसके अलावा, आपकी कंपनी के वार्षिक सीएसआर कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा जारी आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा क्षेत्रों में समग्र विकास सूचकांक (ओडीआई) को बढ़ावा देने के लिए डीपीई और एनआईटीआई आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत पूरा किए जाने वाले अनिवार्य अनुपालन को भी कवर कर रहे हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची–VII के दायरे में, नई सीएसआर नीति को द्विभाषी रूप में एमएमटीसी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है।

सीएसआर नियमों के अनुपालन में और वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर और निरंतरता के लिए उठाये कदमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने के प्रयास में 1.73 करोड़ रूपये का आबंटन विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने के लिए किया गया था, जो पिछले तीन साल के औसत शुद्ध लाभ के 2% के बराबर थी।

सीएसआर के तहत 2019–20 के दौरान आबंटित वार्षिक बजट निधि को जिन विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रदान किया गया है, वे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए, (डीपीई का वार्षिक थीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स), स्वच्छ भारत अभियान , स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। (एनएमसीजी), और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–सातवीं के अनुसार कौशल विकास और अन्य गतिविधियां से संबंधित हैं। आकांक्षी जिलों में सीएसआर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डीपीई दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एमएमटीसी ने जिला प्रशासन, बारां (राजस्थान) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिला अस्पताल में प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य (एमसीएच) वार्ड के वेटिंग हॉल के निर्माण के लिए नीति आयोग द्वारा अधिसूचित एक आकांक्षी जिले में यह परियोजना निर्माणाधीन है। देश के आहवान पर कंपनी ने कोविड–19 के विरूद्ध लड़ाई में सहायता के लिए पीएम केयर्स फंड में अपने सीएसआर बजट में से 53 लाख रूपये का योगदान दिया है। एमएमटीसी ने वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा के लिए विशाखापटनम में आयोजित सबओर्डिनेट लेजिस्लेशन आफ राज्यसभा की संसदीय समिति की बैठकों में भी सफलतापूर्वक उत्तर दिया है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आपकी कंपनी पब्लिक डोमेन में वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर रही है।

कारपोरेट गवरनेंस

आपकी कंपनी निरंतर कॉर्पोरेट गवरनेंस कार्यप्रणाली के प्रति सतत विकास, इसको अपनाने और समर्पण में अपने दृढ़ विश्वास को दोहराती है। इसके अंत में, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित मानदंड, 2015 और सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के लिए लागू दिशानिर्देश इस संबंध में ठोस रूप से लागू किए जा रहे हैं। तथापि 31.3.2020 को अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों की नियुक्ति अभी तक सरकार द्वारा नहीं की गई है।

कॉर्पोरेट गवरनेंस पर एक अलग रिपोर्ट के साथ मेसर्स जेके गुप्ता एंड एसोसिएट्स (सीपी नं. 2448) के प्रमाण पत्र संलग्न है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। यह प्रमाणपत्र सूचीयन विनियमों में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवरनेंस से संबंधित शर्तों के अनुपालन के बारे में है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कंपनी ने सीपीएसई के लिए लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित सीजी मानदंडों का अनुपालन किया है और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवरनेंस के दिशानिर्देशों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

आचार संहिता

लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 15 (5) के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए लागू आचार संहिता आपकी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। मार्च 31, 2020 को समस्त बोर्ड सदस्य व वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने, जिन पर यह संहिता लागू है, 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए इसके अनुपालन की पुष्टि की है । बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा किए गए आचार संहिता के अनुपालन के बारे में घोषणा नीचे गई हैरू

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट गवरनेंस पर डीपीई के दिशानिर्देश के तहत के अनुसार घोषणा

"बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए ' व्यापार आचरण और आचार संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।"

हस्ता./ –
संजय चड्ढा
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

व्यापार दायित्व रिपोर्ट

आपकी कंपनी ने सेबी (सूचीयन और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम, 2015 के विनियमन 34 (2) के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट तैयार की है। सेबी द्वारा सुझाए गए ढांचे और सिद्धांतों से सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना है। उक्त संलग्न व्यापार दायित्वरिपोर्ट वार्षिक, वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सूक्ष्म, भारत सरकार के लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति (पीपीपी) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा माल और सेवाओं की कुल खरीद में से न्यूनतम 25% हिस्सा/एमएसई से किया जाना है। राजपत्र अधिसूचना दिनांक 09.11.2018 के अनुसार एमएसई से वार्षिक खरीद के 25% लक्ष्य में एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 5% वार्षिक खरीद का उप–लक्ष्य और उपरोक्त 25% आरक्षण के तहत एमएसई के स्वामित्व वाली महिलाओं के लिए अतिरिक्त 3% आरक्षण लागू है।एमएसएमईएस अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई मंत्रालय के साथ पंजीकृत फर्मों को वरीयता दी जाएगी।

सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसरण में वर्ष 2019–20 के दौरान, प्रशासनिक जरूरतों के लिए एमएमटीसी ने 17.36 करोड़ रू. की कुल वार्षिक खरीद की, जिसमें से 13.09 करोड रू. (अर्थात 75.40%) की वस्तुएं और सेवाएँ एमएसई से खरीदी गई। इन एमएसई में एससी/एसटी उद्यमी के स्वामित्व वाले 0.46 करोड़ रू. (अर्थात् 3.58%), और 0.094 करोड़ रू. (0.72%)महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई शामिल हैं। कार्य आदेशों के सफल निष्पादन पर एमएसई को समय पर भुगतान जारी किए गए थे ।

सार्वजनिक जमा योजना

1 अप्रैल 2019 को कोई बकाया सार्वजनिक जमा नही थे और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी सार्वजनिक जमा आमंत्रित/स्वीकार नहीं किया ।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक रिटर्न का सार निर्धारित प्रपत्र–एमजीटी –9 में प्रस्तुत किया गया है और इसके साथ ही इसका विवरण भी दिया गया है। वार्षिक रिटर्न का सार कंपनी की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाता है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के लिए प्रबंधन के जवाब के साथ–साथ वर्ष 2019–20 के लिए वैधानिक लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत कंपनी के स्टैंडअलोन खातों पर सी एंड एजी के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की अिप्पणियों पर सी एंड एजी से 8.10.2020 का पत्र प्राप्त के साथ संलग्न प्रबंधन का जवाब भी दिया गया है। 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित खातों पर भारत के सी एंड एजी की "शून्य" टिप्पणी दिनांक 9.10.2020 का पत्र संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के नियम 9 (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के अनुसरण में, आपकी कंपनी ने मैसर्स जे के गुप्ता एंड एसोसिएटस कंपनी सचिव, नई दिल्ली को 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सचिवीय आडिट करने के लिए सेवाएं ली। सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब के साथ सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म एमआर –3 में)। इसके साथ संलग्न है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कवर किए गए निवेश, ऋण और गारंटियों के विवरण नोट 6ए , 6सी, 11.34 और 36 में दिए गए हैं जो वित्तीय विवरणों का भाग हैं। कंपनी ने 1425 करोड रुपये की सीमा तक कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं को बढ़ाया है और व्यापार से संबंधित वित्तीय सुविधाओं के साथ जेवी कंपनी मेसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 2019–20 के दौरान दिन–प्रतिदिन की परिचालन गतिविधियों के लिए रु.1796 करोड़ की सीमा तक बढाया जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा विधिवत स्वीकृत थी।

संबंधित पार्टी लेनदेन

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी लेनदेन व्यापार के साधारण तरीके से किये गये थे। ऑडिट समिति ने 2019–20 के दौरान किए गए लेन–देन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान किया। ऐसे संबंधित पार्टी लेन–देन के लिए एजीएम में बोर्ड और शेयरधारकों की मंजूरी ली गई थी। इंड एस–24 के तहत आवश्यकतानुसार उपयुक्त खुलासे वित्तीय विवरणों के लिए नोट 42 के नोट में किए गए हैं। लेनदेन का विवरण फॉर्म एओसी –2 में प्रदान किया जाता है जो कि उसके साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संबंधित पार्टी लेन–देन पर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर निम्न लिंक पर अपलोड किया गया है:– http://mmtclimited.com/ files/related%20party%20transaction%20policy%20eng.pdf

जोखिम प्रबंधन नीति

निदेशक मंडल ने जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दे दी क्योंकि आपकी कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय से जुड़े विभिन्न जोखिमों की देखभाल के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा इसकी विधिवत सिफारिश की गई थी। कंपनी द्वारा संचालित व्यापार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का विवरण और कंपनी द्वारा इसके जोखिम प्रबंधन को प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रदान किया जाता है, जो इसके साथ संलग्न है। इसके अलावा, कंपनी ने नियंत्रण को लागू करने और कंपनी में धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने में सहायता करने के लिए फ्रॉड प्रिवेंशन पॉलिसी लागू की है। नीति नियंत्रण के विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपकर लगातार कानूनी और नैतिक संगठनात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने का इरादा रखती है, और संदिग्ध धोखाधड़ी व्यवहार की जांच की रिपोर्टिंग और आचरण के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है।

कंपनी अस्थिर वस्तुओं/बाजार की स्थिति में जोखिम नहीं लेती है। आम तौर पर, यह केवल ईएमडी के माध्यम से उचित मार्जिन मनी द्वारा समर्थित पुष्ट आदेशों के खिलाफ खरीदारी करता है। एमएमटीसी निधियों से जुड़े लेनदेन के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय फारवर्ड के लिए दिशानिर्देश निर्धारित हैं।

ऊर्जा का संरक्षण

वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी के माईका समूह में कोई गतिविधि नहीं थी। इसलिए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के 8 (3) के नियम के अनुसार, कंपनी के पास इस शीर्ष के तहत रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के साथ पठित नियम 5 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014, के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक के अनुपात में औसत कर्मचारी के पारिश्रमिक के विवरण का खुलासा करना आवश्यक है और निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का खुलासा निदेशकों की रिपोर्ट में समय–समय पर करना आवश्यक है। हालांकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी गई है। इसलिए, ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है। ।

निदेशक दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक का कथन है कि:

क) वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय दिए और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में तथा 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए एक उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

घ) निदेशकों ने गोईंग कंसर्न आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया था।

ड़) आपकी कंपनी के निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा था और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

च) निदेशकों ने उचित प्रणाली सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परामर्श किया था और यह ऐसी व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थी ।

कार्यस्थल (यात्रा, प्रसार और पुनर्वित्त) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का खुलासा

कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नीति है। कार्पोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की गई है। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में प्राप्त शिकायतों का निवारण, सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के तहत आते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसका निस्तारण वर्ष के दौरान किया गया था।

जानकारी के तहत सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम :

एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में आपकी कंपनी ने आरटीआई अधिनियम '2005 के तहत विभिन्न अनुपालनों का जवाब दिया है। वर्ष के दौरान कुल 66 आरटीआई आवेदन सीधे/धारा(3) के तहत सभी आरटीआई प्राप्त हुए हैं। नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए), पारदर्शिता अधिकारी, मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)/नोडल सीपीआईओ, सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) आदि का विवरण सार्वजनिक डोमेन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। एक बार में कुल 13 अपील प्राप्त हुए थे और सभी का निपटारा किया गया है और 2 की 2 अपील प्राप्त की और सीआईसी के परामार्श से जवाब दिया जा रहा है। सभी चार त्रैमासिक (ऑनलाइन) रिपोर्ट सीआईसी के डिजिटल सार्वजनिक इंटरफ़ेस पर फाईल किए गए हैं। आपकी कंपनी ने आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद पहली बार, सेक्शन–4 में निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में सार्वजनिक डोमेन (https: www.mmtclimited.com) पर किए जाने वाले स्वैच्छिक प्रकटीकरण का 'स्व–मूल्यांकन ऑडिट' भी किया है। आरटीआई अधिनियम 2005 और उसी को सीआईसी द्वारा तीसरे पक्ष के ऑडिट और अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

निदेशक मंडल

1 अप्रेल, 2019 के बाद से अपनी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है :–

निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि / समाप्ति	नियुक्ति / समाप्ति
श्री आर.आनंद	अंशकालिक नॉन–आफिसियल निदेशक	14.06.2019	समाप्ति
श्री बी.के.शुक्ला	अंशकालिक नॉन–आफिसियल निदेशक	14.06.2019	समाप्ति
श्री आर.आर.सिन्हा	निदेशक (कार्मिक)	19.06.2019	नियुक्ति
डॉ. एस.सी. पांडे	सरकारी नामित निदेशक	30.06.2019	समाप्ति
श्री शशांक प्रिया	सरकारी नामित निदेशक	19.08.2019	नियुक्ति
श्री सुनील कुमार	सरकारी नामित निदेशक	21.01.2020	समाप्ति
डा.(श्रीमती) स्वाधीनता कृष्णा	अंशकालिक नॉन–आफिसियल निदेशक	24.01.2020	नियुक्ति
डा.जयंत दासगुप्ता	अंशकालिक नॉन–आफिसियल निदेशक	26.01.2020	समाप्ति
श्री रजनीश गोयनका	अंशकालिक नॉन–आफिसियल निदेशक	26.01.2020	समाप्ति
श्री आर.आर. जडेजा	अंशकालिक नॉन–आफिसियल निदेशक	26.01.2020	समाप्ति
श्री दर्पण जैन	सरकारी नामित निदेशक	29.01.2020 10.02.2020	नियुक्ति समाप्ति
श्री श्यामल मिश्रा	सरकारी नामित निदेशक	24.02.2020	नियुक्ति
श्री वेद प्रकाश	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	29.02.2020	समाप्ति
श्री सुधांशु पांडे	सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	01.03.2020 13.05.2020	नियुक्ति समाप्ति
श्री उमेश शर्मा	निदेशक(वित्त)	31.05.2020	समाप्ति
श्री संजय चड्ढा	सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	14.05.2020	नियुक्ति
श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक(वित्त)	01.06.2020	नियुक्ति

01.04.2019 के बाद बोर्ड में नहीं रहे निदेशकों द्वारा उनकी सराहनीय सेवाओं के योगदान के लिए बोर्ड अपनी सराहना रिकार्ड करता है। बोर्ड श्री श्यामल मिश्रा, डॉ.(श्रीमती) स्वाधीनता कृष्णा, श्री संजय चड्ढा और श्री कपिल कुमार गुप्ता का भी स्वागत करता है और यह विश्वास व्यक्त करता है कि कंपनी को उनके समृद्ध और विविध अनुभव से अत्यधिक लाभ होगा।

निदेशकों के रोटेशनल रिटायरमेंट के संबंध में कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल के अनुच्छेद 87 (4) (ए) के प्रावधानों के अनुसार, श्री जे. रवि शंकर , निदेशक (विपणन) एजीएम में रिटायर होंगे और पात्र होने के नाते फिर से नियुक्ति के लिए पेशकश करेंगें।

आभार

आपके निदेशकगण सभी स्टेकहोल्डर्स–शेयरहोल्डर्स, वाणिज्य विभाग, सभी सरकारी एजेंसियों, आरबीआई और अन्य बैंकों, रेलवे, कस्टम्स, पोर्ट, ग्राहकों, आपूर्तिकारों और अन्य व्यवसायी भागीदारों के प्रति उनके द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए सर्वोत्तम समर्थन एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रयासों, कठिन परिश्रम तथा कंपनी की प्रगति में उनके द्वारा दिए गए निरंतर योगदान की भी सराहना करते हैं।

बोर्ड के आदेश द्वारा

(संजय चड्ढा)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबरः 00752363

दिनांक : 01.12.2020

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 2019–20

वैश्विक व्यापार व विकास का सिंहावलोकन

विश्व व्यापारिक व्यापार 2020 में 13% से 32% के बीच घटने की उम्मीद है क्योंकि कोविड–19 महामारी ने दुनिया भर में सामान्य आर्थिक गतिविधि और जीवन को बाधित किया है। जून 2020 में प्रकाशित अंकटाड से आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में व्यापार में 5% की गिरावट आई है और दूसरी तिमाही के लिए 27% की गिरावट और 2020 के लिए 20% वार्षिक गिरावट की की ओर इशारा किया है।

यद्यपि 2019 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात का मूल्य 2% बढ़कर 6.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, 2019 में विश्वक व्यापार निर्यात का डालर मूल्य 3% गिरकर 18.89 ट्रिनियन अमेरिकी डॉलर रह गया है।

लगभग सभी क्षेत्रों में 2020 में व्यापार के क्षेत्र में दोहरे अंक की गिरावट का अनुमान है तथा उत्तरी अमेरिका और एशिया से निर्यात सर्वाधिक प्रभावित रहा है। परिवहन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण सेवा व्यापार सबसे सीधे प्रभावित हो सकता है। वैश्विक व्यापार प्रवाह अमेरिका और चीन के बीच तथा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापारिक तनाव के कारण बड़े पैमाने पर धीमा होकर पीछे रह गया है।

वर्ष 2020 के लिए डब्यूटीओ ने अक्तूबर 2019 में 2.7%, वैश्विक व्यापार वृद्धि की भविष्यवाणी की थी, लेकिन मंदी की आशंका को देखते हुए इसका और धीमा होने का अनुमान था। 2021 में व्यापार में सुधार की उम्मीद है, लेकिन यह प्रकोप की अवधि और दुनिया भर में नीति प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है।

2019–20 के दौरान भारत के विकास का सिंहावलोकन

विश्व बैंक की व्यापार रैंकिंग में 2018 में भारत 77वाँ स्थान पर था जो 2019 में सुधार करके 63 पर पहुंच गया। निवेश और खपत को बढ़ावा देने के लिए 2019–20 के दौरान किए गए सुधारों में इंसोलवैंसी एंड दिवालियापन कोड (आईबीसी) के तहत इंसोल्वैंसी प्रक्रिया तेज करना, क्रेडिट में ढील शामिल है। शेष रूप से तनाव ग्रसित रियल एस्टेट और एनबीएफसी क्षेत्रों के लिए और वित्त वर्ष 2020–25 की अवधि के लिए नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर का शुभारंभ ।

निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न उपाय जिसमें निर्यात उत्पाद पर शुल्क या करों के छूट के लिए नई योजना, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लिए पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल, प्राथमिकता–क्षेत्र के तहत निर्यात ऋण के रूप में 36,000 करोड़ से 68,000 करोड़ (भारतीय मुद्रा दर) की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान, और रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, योग और पर्यटन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई ब्याज सब्वेंशन स्कीम में संशोधन के परिचालन संबंधी कठिनाईयों को और कम करने और कम लागत पर क्रेडिट तक पहुंच में सुधार करने के लिए मंजूरी दी गई थी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विनिर्मित उत्पोदों के लिए भारत का निर्यात 13.4% और कुल व्यापार में 10.9% बढ़ा है। विनिर्मित उत्पााद के लिए आयात में 12.7% और कुल माल के लिए 8.6% की वृद्धि हुई। विनिर्मित उत्पादों और कुल माल के लिए व्यापार अधिशेष में क्रमश% 0.7% और 2.3% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है ।

देश के व्यापार और बाहरी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडा है और साथ ही प्रति व्यक्ति आय में विस्तार भी हुआ। 2019–20 में मौजूदा कीमतों पर भारत की जीडीपी 203.85 लाख रूपये (अमेरिकी डालर 2.91 ट्रिलियन) तक पहुंचने का अनुमान था। हालांकि वैश्विक निर्माण, व्यापार और मांग के कमजोर माहौल के बीच, वित्तीय वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर 5% से भी कम है। पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष के दौरान भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ा ।

2020–21 के लिए अनुमान

वर्ष 2020–21 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.0% से 6.5% की सीमा तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन कोविड–19 का प्रभाव से अर्थव्यवस्था में सुधार में बाधा डाल सकता है। वर्ष 2020–21 में आर्थिक उत्पादन की दर 3.2% कम होने की संभावना है, क्योंकि महामारी ने इसे पूरी तरह से प्रभावित किया है। विश्व बैंक को उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 3.1% की वृद्धि के साथ मामूली बढ़त हासिल कर सकती है जबकि पहले 6.1% वृद्धि का अनुमान किया गया था।

हालांकि, भारत अभी भी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्लेयरों में से एक के रूप में जाना जाता है और वैश्विक मोर्चे पर हाल के घटनाक्रम, व्यापार का विस्तार करने और निर्यात चलित माडल का पालन करने का अवसर प्रदान करते हैं। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ करार व्यापार सौदों पर काम करना, निर्यात के लिए एक प्रोत्साहन देना भारत सरकार के लिए एक महत्व पूर्ण जनादेश है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार ''मेड इन इंडिया'' में दुनिया के लिए भारत में एसेम्बल करके, भारत 2025 तक अपने निर्यात हिस्सेदारी को लगभग 3.5 तक बढ़ा सकता है और उस समय तक रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकेंगे।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एमएसएमई क्षेत्र को सबसे बड़ा बजट आवंटन के साथ खातों की ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की पहल की और कार्यशील पूंजी ऋण के लिए एमएसएमई उद्यमियों को अधीनस्थ ऋण प्रदान करने की योजना, यह क्षेत्र समावेशी विकास, निर्यात व्यापार और रोजगार सृजन के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को सहायता देने में भी सक्षम होने की उम्मीद है।

वर्ष 2019–20 में एमएमटीसी वित्तीय समीक्षा पुनरावलोकन

उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य की पृष्ठभूमि में आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 28,292.82 करोड़ रूपये टर्नओवर की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान 24,056.05 करोड़ रूपये के कारोबार किया। इस कारोबार में 1,802.22 करोड़ रुपये का निर्यात, 19,073.47 करोड़ रुपये का आयात और 3,180.31 करोड़ रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है।

यह प्रदर्शन विभिन्न बाधाओं जैसे कि यूरिया की औसत कीमत में गिरावट, कोल इंडिया द्वारा घरेलू आपूर्ति बढ़ने के कारण सरकारी बिजली संयंत्रों के लिए भाप कोयले का आयात कम होने, कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर जारी प्रतिबंध, गोवा, ओडिशा में लौह अयस्क खनन

पर प्रतिबंध और एनआईएएल की क्षमता के कम उपयोग के कारण व्यापार क्षेत्रों के पारंपरिक स्पेक्ट्रम यानी कोकिंग कोल, पिग आयरन आदि की अनुपलब्धता और बाद में गर्म धातु के उत्पादन को रोकने के बावजूद भी है। आपकी कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए 81.43 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में 227.11 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ।

फंड का स्रोत एवं उपयोग

31 मार्च, 2020 को कंपनी की निधियों के स्रोत में शेयरधारकों की निधि शामिल है, जो 1184.15 करोड रूपये है, जिसमें क्रमशः 150 करोड रूपये की इक्विटी शेयर पूंजी और 217.35 करोड रूपये की गैर–चालू और 5178.67 करोड रूपये की चालू देनदारियां शामिल हैं। अन्य बातों के साथ, 31 मार्च, 2020 को, गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों 377.98 करोड रूपये, वर्तमान परिसंपत्तियां 5735.32 करोड रूपये की तथा 466.97 करोड रूपये की संपत्ति को ब्रिक्री में इन फंडों को आबंटित किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया

एमएमटीसी में, दिन–प्रतिदिन मामलों को परिभाषित ''शक्तियों के प्रत्यायोजन'' के अनुसार, विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर संचलित किया जाता है। निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विस्तार से निदेशक मंडल द्वारा गठित संबंधित निदेशकों की समिति द्वारा सचेतक निर्णयों पर पहुंचने के लिए प्रमुख मुददों पर चर्चा की जाती है जिसका विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिया गया है।

एमएमटीसी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं, जो अपने विविध कार्यों के अनुरूप है। कंपनी के पास एक आंतरिक ऑडिट डिवीजन है, जो बाहरी ऑडिटिंग कार्यों के साथ समन्वय करके आंतरिक ऑडिट को संचालन करती है। क्षेत्रीय कार्यालयों में लेन–देन के समवर्ती लेखा–परीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, परंतु पूर्व वर्षों के लिए बुलियन लेन–देन के लिए विशेष ऑडिट, ऑडिटर्स द्वारा रिपोर्टिंग, आदि को अलग रख गया है।

इसके लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एमएमटीसी के विभिन्न, व्यापारों के लिए एक परिभाषित आंतरिक लेखा–परीक्षा मैनुअल लेखा नियमावली, कारपोरेट जोखिम प्रबंधन नीति और व्यवसाय–सह–नियंत्रण मैनुअल को विभिन्न व्यापार को संचालित करने के लिए व्यापार प्रस्ताव और नियमित एसओपी आंतरिक नियंत्रण तंत्र, जोखिम मूल्यांकन का ध्यान रखा गया है।

निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति, कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों/आंतरिक लेखा–परीक्षकों से नियमति रूप से मुलाकात करते है ताकि वित्तीय रिपोर्टों पर उनके टिप्पणियों और विचारों को निर्धारित किया जा सके। प्रबंधन द्वारा लेखा–परीक्षा समिति के निर्देशों सख्ती से लागू किया जाता है।

सहायक कंपनी

वस्तुओं के व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार को दोहन करने के लिए आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल), सिंगापुर, कमोडिटी में व्यापार कर रही है और इसने सिंगापुर में खुद को एक विश्वरसनीय और प्रतिष्ठित व्यापारिक संगठन के रूप में स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एमटीपीएल ने पिछले वर्ष के दौरान 134.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 333.60 मिलियन डॉलर का बिक्री कारोबार किया जो 100 प्रतिशत की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एमटीपीएल का शुद्ध लाभ 0.97 मिलियन अमेरिकी डालर रहा जबकि 2018–19 के दौरान यह अमेरिकी 0.27 मिलियन था। 31 मार्च 2020 को एमटीपीएल की नेट वर्थ 13.26 मिलियन अमेरिकी डालर थी। इसकी स्थापना के बाद से एमटीपीएल द्वारा कुल 18.04 मिलियन अमेरिकी डालर लाभांश घोषित किया है।

वर्ष 2018–19 के लिए व्यवसाय समूह–वार समीक्षा

खनिज

आपकी कंपनी का खनिज समूह पांच दशक से अधिक अवधि के लिए लौह–अयस्क व्यापार में अग्रणी भूमिका निभाता है। पिछले दशक में, एमएमटीसी ने वैश्विक पोर्टफोलियों में खनिज पोर्टफोलियों, गतिशील और विवेकपूर्ण रणनीतियों को समेकित करके बाजार की सीमाओं के लिए , इसकी अवसंरचना सुविधाओं का विस्तार करते हुए और इसकी व्यापार प्रतिबद्धताओं को अत्यंत सावधानी से और महत्व देते हुए कडी प्रतिस्पर्धा का सामना किया तथा साथ ही सेवा और उत्पादों की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा। समूह मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पंर्धा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

एमएमटीसी ने खनिजों के मूल्य संवर्धन हेतु विशेष जोर दिया है। एमएमटीसी ने 1.1 मिलियन टीपीए नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल), मुख्य. रूप से एमएमटीसी हाई ग्रेड द्वारा व्यवस्थित विभिन्नआ प्रकार के खनिजों के 2.2 मिलियन टन से अधिक सालाना खपत रखी है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी के खनिजों के समूह ने 1714.65 करोड रूपये का कारोबार हासिल किया, जिसमें लौह अयस्क के मूल्य निर्धारण में 1602.32 करोड रूपये क्रोम अयस्क और क्रोम कॉंसेन्ट्रेट का निर्यात 73.55 करोड रूपये और मैगनीज अयस्क का निर्यात, 9.31 करोड़ रुपये का मैंगनीज अयस्क/ऑक्साइड निर्यात, 19.75 करोड़ रुपये के लौह अयस्क/लघु खनिजों की घरेलू बिक्री और डोलोमाइट, फेरो सिलिकॉन की क्रमशः रु.2.61 और रूपये 3.55 करोड़ की घरेलू बिक्री शामिल है। इस समूह के मुख्य घटक हैं:

(i) लौह अयस्क

भारत सरकार की वर्तमान एक्जिम पॉलिसी (2015–20) के अनुसार, अब 31.03.2021 तक विस्तारित, एमएमटीसी लिमिटेड ग्रेड एफई 64% और उससे अधिक के लिए लौह अयस्क के निर्यात के लिए नामित राज्य व्यापार उद्यम है। लौह अयस्क लौह और इस्पात बनाने के लिए मूल कच्चा माल है।

हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्कों में सबसे प्रमुख हैं। हेमटिट को इसकी उच्च श्रेणी की गुणवत्ता और ढेलेदार प्रकृति के कारण सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क माना जाता है।

अतीत में सीमित घरेलू मांग के कारण, भारतीय लौह अयस्क उद्योग हमेशा निर्यात उन्मुख था। देश में उत्पादित लौह अयस्क का अधिकांश देश में स्टील की मांग इस प्रकार गोवा/रेडी मूल के लौह अयस्क को छोड़कर कनालाईज्ड एजेंसी, एमएमटीसी के माध्यम से निर्यात किया गया था। बेलारी–होस्पेट क्षेत्र का लौह अयस्क उद्योग 1956 के आसपास विकसित किया गया था ताकि निर्यात मांग को पूरा किया जा सके।

यह केवल तभी था जब चीनी मांग 2000 के बाद से बढ़ने लगी थी कि 2009–10 में लौह अयस्क निर्यात और उत्पादन भी धीरे–धीरे बढ़ने लगी जब तक कि उत्पादन 201.85 मिलियन टन था और निर्यात 101.52 मिलियन टन। निर्यात और उत्पादन इसके बाद विशेष रूप से 2011–12 से फिसलने लगे जब निर्यात शुल्क 2018–19 में 5% से 30% तक बढ़ा, घरेलू खपत 159.94 मिलियन टन थी जबकि निर्यात 16.20 मिलियन टन और उत्पादन 206.44 मिलियन टन था।

लौह अयस्क खनन पर प्रतिबंधों की निरंतरता और बेल्लारी–होस्पेट सेक्टर से निर्यात के लिए संचालन पर प्रतिबंध, पूर्वी क्षेत्र से निर्यात का विनियमन, भारतीय मूल अयस्क के अप्रतिस्पर्धी एफओबी बिक्री मूल्य अन्य अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं यानी ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील (खाते पर) निर्यात शुल्क), अंतर्राष्ट्रीय/स्पॉट बाजार में लौह अयस्क की मांग/कीमतें, चीनी इस्पात मिलों के साथ उच्च लौह अयस्क इन्वेट्री, चीनी अर्थव्यवस्था की सामान्य मंदी, अयस्क की घरेलू मांग में सापेक्ष मूल्य वृद्धि आदि का 2019–20 के दौरान लौह अयस्क के निर्यात पर प्रभाव जारी रहा। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, एमएमटीसी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान खनिजों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। एमएमटीसी ने कई दशकों में जापानी और दक्षिण कोरियाई बाजारों में लौह अयस्क के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में खुद को स्थापित किया है और यह पोर्टफोलियो आपकी कंपनी के लिए स्थिर व्यवसाय लाता रहेगा।

वर्ष के दौरान, लंबी अवधि के समझौतों (एलटीए) के तहत लौह अयस्क (लम्पस् और फाईन) की आपूर्ति जापानी स्टील मिल्स (जेएसएम) और पोस्को, दक्षिण कोरिया में जारी रही। यह समझौता भारत को अपने अयस्कों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को सुरक्षित करने में सक्षम करेगा और खनन, लॉजिस्टिक और संबंधित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा।

हालांकि, भविष्य में घरेलू इस्पात उत्पादन में वृद्धि के साथ और जैसा कि समग्र इस्पात नीति में अनुमान लगाया गया है कि लौह अयस्क निर्यात की मांग कम प्राथमिकता पर होगी। चीन को छोड़कर सभी प्रमुख लौह अयस्क आयात करने वाले देशों ने स्टील की कम मांग के कारण अपने लौह अयस्क का दोहन कम कर दिया है।

(ii) क्रोम अयस्क

एक्जिम पॉलिसी के अनुसार, क्रोम अयस्क/कॉन्सेंट्रेट का निर्यात एमएमटीसी के माध्यम से कैनालाईज किया गया है, जबकि आयात ओजीएल के अंतर्गत होता है। निर्यात के लिए एमएमटीसी को दी जाने वाली सामग्री वाणिज्यिक खदान मालिकों और प्रोसेसरों द्वारा दी जाती है। भारत के अधिकांश ज्ञात क्रोमाइट के कुल भंडार 344 मैट्रीक टन में से अधिकतर के भंडार सुकिंडा घाटी, जाजपुर जिला, ओडिशा में है। स्थानीय उत्पादन का 90% से अधिक का उपभोग फेरो क्रोम उद्योग द्वारा किया जाता है, जिससे निर्यात के लिए बहुत थोड़ी मात्रा निकलती है। निर्यात के लिए 3 लाख मेट्रिक टन की 30% वार्षिक सीलिंग का निर्यात शुल्क है।

(iii) मैंगनीज अयस्क

एक्जिम पॉलिसी के अनुसार, मैंगनीज अयस्क का निर्यात एमएमटीसी के माध्यम से कैनालाईज किया गया है है, जबकि आयात ओजीएल के अंतर्गत रखा जाता है। हालाँकि, एमओआईएल, भारत सरकार का एक उपक्रम अपनी खानों से खनन किए गए मैंगनीज अयस्क का सीधे निर्यात कर सकता है या एमएमटीसी के माध्यम से कर सकता है। भारत में 475 मैट्रीक टन का अनुमानित भंडार है, लेकिन वार्षिक उत्पादन 2.4 मैट्रीक टन के आसपास है। भारत में मैंगनीज की वार्षिक खपत लगभग 5 मैट्रिक टन है। में लम्पी (दानेदार) अयस्क की अच्छी मांग है और लगभग सभी अयस्क का उपभोग घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है। एक खदान मालिक द्वारा एमएमटीसी को निम्न श्रेणी के मैंगनीज अयस्क, जिसकी कोई घरेलू मांग नहीं है, को निर्यात के लिए प्रदान किया जाता है। इस सामग्री का उपयोग केवल चीनी खरीदारों द्वारा किया जाता है।

समूह की चुनौतियां भारत में इस्पात उत्पादन/खपत में वृद्धि है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग से लौह अयस्क, क्रोम अयस्क और मैंगनीज अयस्क की अधिक मांग होगी और भविष्य में निर्यात के लिए इन उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है।

कीमती धातु, रत्न और आभूषण

रत्न और आभूषण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7 प्रतिशत और भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में 16 प्रतिशत का योगदान देता है। भारत में रत्न और आभूषण उद्योग दुनिया में सबसे बड़े में से एक है, जो वैश्विक आभूषण की खपत में 29% का योगदान देता है। रत्न और आभूषण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जन (एफईई) का जरिया है। भारत वैश्विक स्तर पर सोने का सबसे बड़ा खरीदार है।

आपकी कंपनी बुलियन ट्रेड में अग्रणी है और 1988 से सोने का आयात कर रही है। यह तीन दशकों से अधिक समय से एक नामित एजेंसी के रूप में सराफा के प्रमुख आयातकों में से एक रहा है और भारत के सभी प्रमुख आभूषण विनिर्माण हब को कवर करते हुए नियंत्रित और निगरानी तरीके से पैन इंडिया के आधार पर निर्यातकों / घरेलू अंत उपयोगकर्ता को बुलियन की आपूर्ति कर रहा है। एमएमटीसी ने प्रतिस्पर्धी बाजार में सोने और चांदी की आपूर्ति के लिए घरेलू बाजार और निर्यातकों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में लंदन मार्केट एसोसिएशन (स्टड।) द्वारा अनुमोदित विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौता किया है।

2019–20 की अंतिम तिमाही में कोविड–19 के प्रभाव के कारण, बुलियन की कीमतों और रुपये में उतार–चढ़ाव के संदर्भ में उच्च अस्थिर बाजार के बावजूद, और आपकी कंपनी के

कीमती धातु समूह ने 8304.86 करोड़ रुपये का सकल कारोबार किया, जो कंपनी द्वारा हासिल कुल कारोबार का लगभग 34% का योगदान है। इस समूह के कारोबार में 7072.39 करोड़ रुपये के सोने और चांदी का आयात और 1232.47 करोड़ रुपये का घरेलू व्यापार शामिल था।

एमएमटीसी भारत में सोने और चांदी की वस्तुओं के लिए संगठित खुदरा बाजार की अवधारणा को शुरू करने के लिए सरकारी उपक्रम के रूप में पहला संगठन है और अभी भी उसी दिशा में काम कर रहा है। एमएमटीसी न केवल सोने के आयात के माध्यम से छोटे/मध्यम/बड़े सरर्फा खुदरा विक्रेताओं को पूरा करता है बल्कि संस्थागत खरीदारों, कॉर्पोरेट ग्राहकों और भारतीय घरेलू ग्राहकों को एमएमटीसी के इन–हाउस प्रोडक्शन के माध्यम से सोने/चांदी के पदक और साँची चांदी के सामानों के माध्यम से अपने वितरण चैनल का उपयोग करके शोरूम, प्रमुख प्रदर्शनी, फ्रेंचाइजी सरकार/अर्ध सरकारी संस्थानों जैसे फुलकारी/राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ आदि के साथ संबंध स्थापित करती है।

भारत सरकार ने एमएमटीसी लिमिटेड को इंडियन गोल्ड कॉइन लॉन्च करने और उसकी मार्केटिंग करने के लिए निर्देशित किया, जो 24 कैरेट शुद्धता, 999 शुद्धता का है, जिसे स्वर्ण मुद्रीकरण योजना और मेक इन इंडिया दोनों को बढ़ावा देने के लिए 2015–16 के दौरान लॉन्च किया गया था। आपकी कंपनी ने अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न बैंकों के साथ वितरण नेटवर्क स्थापित कर घरेलू बाजार में आईजीसी को बेचकर 21.70 करोड़ रू.का कारोबार हासिल किया है।

आपकी कंपनी ई नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कस्टम अधिकारियों और मंदिर ट्रस्टों को उनके साथ सोने/चांदी की बिक्री में सुविधा प्रदान करती है। एमएमटीसी–पेम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड और पेम्प एसए, स्विट्जरलैंड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी, दुनिया की सबसे उन्नत कीमती धातु प्रसंस्करण सुविधा संचालित करती है। एमपीआईपीएल उत्पाद उत्कृष्टता, ग्राहक सेवा, पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा के लिए नए वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए सोना और चांदी के लिए मान्यता प्राप्त भारत की पहली और एकमात्र एलबीएमए गुड डिलीवरी रिफाइनरी है। संयुक्त उद्यम ने रु. 34,512.63 करोड़ का कारोबार और इस अवधि के दौरान रु. 100.63 करोड़ का लाभ (कर के बाद) प्राप्त किया।

वित्त वर्ष 2019–2020 की अंतिम तिमाही में कोविड–19 का प्रकोप, वैश्विक स्तर पर सोना सहित सभी परिसंपत्ति वर्ग को प्रभावित करने वाले, अभूतपूर्व स्तर पर हुआ है। अस्थिरता के बावजूद, सोना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले परिसंपत्ति वर्गों में से एक है.

धातु

आपकी कंपनी के धातु समूह ने 2019–20 के दौरान 829.12 करोड़ रुपये का बिक्री कारोबार हासिल किया है, जिसमें पिग आयरन (76.21 करोड़ रुपये) का निर्यात, बिल्ट्स (32.73 रुपये), 0.82 करोड़ रुपये का स्लैग, जस्ता, निकेल के साथ गैर लौह धातुओं का आयात शामिल है। कोबाल्ट और टिन आदि का मूल्य 156.90 करोड़ रुपये और घरेलू व्यापार 562.36 करोड़ रुपये है।

घरेलू अलौह धातु उद्योग मोटे तौर पर बेस अलौह धातुओं, लघु धातुओं और फेरो मिश्रित धातुओ तथा विदेशी व्यापारियों के निर्माताओं से बना है। भारत एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में, घरेलू निर्माताओं ने कई स्टॉक बिंदुओं के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार किया है और इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम किया है। फेरो सिलिकॉन, फेरो मैंगनीज और हाई कार्बन फेरो क्रोम जैसे फेरो मिश्रित धातुओ के निर्माताओं ने पिछले कुछ दशकों में संचालन का विस्तार किया है। ये निर्माता जिन्होंने शुरू में स्टील प्लांटों के आसपास सहायक उद्योगों के रूप में शुरुआत की थी, वे अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजारों में आगे बढ़ गए हैं।

भारत के आयात बाजार में भारत से बाहर के यूरोप और एशिया स्थित बड़ी बहुराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनियों का वर्चस्व है। दुनिया के सबसे बड़े जिंस व्यापारी भारतीय बाजार में सक्रिय हैं। छोटे एलएमई व्यापारिक घरानों और व्यापारिक कंपनियों ने भी भारत में ग्राहक आधार बनाए हैं। अधिकांश आयातित सामग्री सीधे विदेशी व्यापारियों द्वारा भारत में अपने ग्राहकों को या हाईसीज के आधार पर बेची जाती है। कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक और लीड बाजारों में, व्यापारियों को घरेलू उत्पादकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। निकेल, टिन और गौण धातु खंड में, विदेशी व्यापारियों / उत्पादकों का एक प्रमुख स्थान है क्योंकि इन धातुओं का घरेलू उत्पादन लगभग शून्य है।

एमएमटीसी के आपूर्तिकर्ता आधार में सभी आधारभूत और छोटी धातुओं के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता शामिल हैं और इसमें व्यापार के स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे और आयुध कारखानों के साथ संबंध हैं।

विभिन्न व्यापारिक समझौतों के तहत अलौह धातु व्यापार के अवसर विदेशी आपूर्तिकर्ता और गैर–लौह धातुओं की बिक्री और एशियाई देशों से प्राप्त मिश्रित धातुओं की बिक्री के साथ अलौह धातु के व्यापक बिक्री नेटवर्क के माध्यम से अलौह धातु और छोटी धातुओं की बिक्री होती है।इस कढ़ी में, माध्यमिक और रिसाईकल्ड धातुओं के घरेलू उत्पादन में वृद्धि और ग्राहकों द्वारा द्वितीय शोधन और गलाने वाले कारखानों की स्थापना, शामिल है और पिछले पांच वर्षों में तांबे, एल्यूमीनियम, सीसा और जस्ता जैसे घरेलू धातुओं के उत्पादन में वृद्धि ने बाजार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है।

वर्ष के दौरान समूह ने 76.31 करोड़ रुपये के पिग आयरन, 32.73 करोड़ रुपये के बिल्लेट और 0.82 करोड़ रुपये के स्लैग का निर्यात किया है। स्टील उत्पादों जैसे पिग आयरन, स्लैग, बिल्ट्स आदि का घरेलू व्यापार 557.40 करोड़ रुपये का था। पिग आयरन का उत्पादन एमएमटीसी के ओडिशा सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया एमएमटीसी–एनआईएनएल दूसरा सबसे बड़ा पिग आयरन निर्यातक है। एमएमटीसी थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे विदेशी बाजार को पूरा करता है और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे उभरते बाजारों में प्रवेश किया है। हालाँकि, एनआईएनएल परिचालनों के बंद होने के कारण व्यवसाय सेगमेंट अस्तित्व में नहीं रहेगा।

पूरी दुनिया में स्टील सेक्टर में मंदी ने इंडियन पिग आयरन एक्सपोर्ट्स को काफी हद तक प्रभावित किया है। वर्ष के दौरान बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, समूह ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका ग्राहक आधार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए बढ़ा है।

कृषि उत्पाद

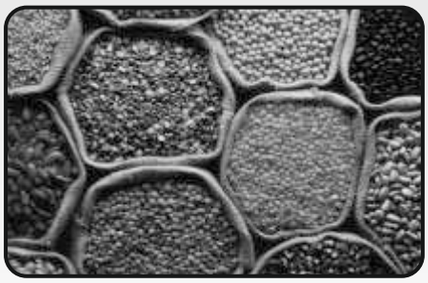

आपकी कंपनी के एग्रो समूह ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 756.45 करोड़ रू. का टर्नओवर प्राप्त किया, जिसमें 96.05 करोड़ रू.का प्याज का आयात और रु. 0.24 करोड़ का अन्य दाल और खाद्य तेल का घरेलू व्यापार रूपये 660.16 करोड़ शामिल था।

एमएमटीसी लगभग अढ़ाई दशक से कृषि जिंसों के भी कारोबार में सक्रिय है, सोयाबीन के तेल के निर्यात के लिए सोयाबीन प्रसंस्करण के तत्कालीन सनराईज खंड और घरेलू बाजार में कच्चे सोया तेल की बिक्री के साथ शुरू हुआ। चावल, गेहूं और चीनी जैसे अनाज के निर्यात और आयात के अवसर भी सरकारी खाते पर या वाणिज्यिक आधार पर उपलब्ध थे। सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत, एमएमटीसी ने इस वर्ष प्याज में दालों के आयात के लिए एक आधारभूत भूमिका निभाई है। 2019–20 की अंतिम तिमाही के दौरान, जब प्याज की घरेलू कीमतों में शायद सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई, तो एमएमटीसी को प्याज आयात करने के लिए कहा गया। वैश्विक कमी और वैश्विक बाजार में सामग्री की खरीदारी करने वाले कई देशों के बावजूद, एमएमटीसी बहुत कम समय में लगभग 36,000 मीट्रिक टन प्याज का आयात कर सकता था। लगभग 25 स्थानों पर कार्गो को संभालने के लिए एमएमटीसी ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तैनात रखा। कोरोना वायरस के प्रकोप और परिणामी पूर्ण लॉक डाउन के बावजूद, दिल्ली, मुंबई और अन्य स्थानों पर एमएमटीसी के अधिकारियों ने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए लगभग चौबीसों घंटे काम किया।

एमएमटीसी नियमित रूप से आरबीडी पाम तेल और दालों की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों के निविदाओं में भी भाग ले रहा है। एमएमटीसी राज्य सरकार के विभागों को पामोलियन की निरंतर आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने में सफलतापूर्वक लगा हुआ है।

घरेलू उत्पादन के आधार पर, निर्यात के लिए या आयात के लिए अवसर उभरते हैं। कुछ एग्रो कमोडिटीज में बहुत अधिक अस्थिरता अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट में मूल्य प्रवृत्ति के आधार पर है, और मुद्रा दर में उतार–चढ़ाव एक तरफ एग्रो कमोडिटीज व्यवसाय के लिए खतरा पैदा करते हैं तथा सूखे, खराब मानसून जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों का जोखिम भी होता है।

विश्व स्तर पर, कोविद–19 दुनिया के सभी देशों में फैलने के कारण, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। यह समूह इस विकास का अपवाद नहीं है।

कृषि वस्तुओं के लिए 2020–21 के लिए आउटलुक जी से जी व्यापार में वृद्धि के माध्यम से उत्पन्न हो सकता है क्योंकि देश लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। सरकारी शाखा के रूप में एमएमटीसी की इस व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

व्यावसायिक वॉल्यूम जोड़ने के लिए, समूह काउंटर–ट्रेड अवसरों पर काम कर रहा है। इसी तरह पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय गैर–बासमती चावल के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। समूह पीडीएस प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए उपभोक्ता पैक में आरबीडी पाम तेल की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों के निविदाओं में लगातार भाग ले रहा है। एमएमटीसी मक्का और खाद्य तेल के आयात के अवसरों की तलाश में है और चावल के निर्यात के अवसरों की भी खोज कर रहा है।

उर्वरक एवं रसायन

एमएमटीसी लिमिटेड भारत में उर्वरकों के प्रमुख आयातकों में से एक है। यह समाप्त, मध्यवर्ती और कच्चे उर्वरकों के आयात में लगा हुआ है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग की ओर से एमएमटीसी यूरिया का आयात करता है। एमएमटीसी सेल और एमएमटीसी के बीच किये एमओयू के आधार पर सेल, आरएसपी के लिए सल्फर का भी आयात करता है। एमएमटीसी अन्य उर्वरक उत्पादों में भी व्यापार करता है। अपने अंतिम ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर डीएपी, एमओपी आदि उर्वरक उत्पादों का भी आयात करता है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, फर्टिलाइजर डिवीजन ने सरकारी खाते में से 11100.10 करोड़ रुपये के कारोबार में योगदान दिया है, जिसमें लगभग 5.61 मिलियन टन यूरिया से 11090.57 करोड़ रूपये का आयात किया गया है। 6.24 करोड़, उर्वरक का घरेलू व्यापार 3.2 करोड़ रू. था। मिट्टी की नाइट्रोजन पोषक आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरिया प्रमुख उर्वरकों में से एक है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, एमएमटीसी के यूरिया आयात में देश की आयात आवश्यकता का लगभग 75% हिस्सा था। एमएमटीसी के यूरिया आयात का हिस्सा संभवतः डीओएफ द्वारा पैनल में एक और एसईएल को शामिल करने के कारण नीचे आ सकता है।

भारत के लिए 2020–21 के लिए अनुमान मानसून पर निर्भर करेगा और पूर्वानुमान के अनुसार, बारिश सामान्य होने की उम्मीद है। कोविद–19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था एक चुनौती का सामना कर रही है। हालांकि, सभी प्रमुख उर्वरकों की वैश्विक मांग और आपूर्ति की स्थिति कमोबेश स्थिर रहने की उम्मीद है। मौजूदा उत्पाद लाइन में व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, अर्थात् सरकारी खाते पर यूरिया का आयात और व्यापार के लिए नए उर्वरक उत्पादों की आक्रामक रूप से खोज करना। 2020–21 के लिए लक्ष्य प्राप्त करने की कार्य योजना में उर्वरक विभाग की ओर से आवश्यक मात्रा में यूरिया का आयात शामिल है और कच्चे माल के मध्यवर्ती और तैयार उर्वरकों के आयात पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

कोयला और हाइड्रोकार्बन

आपकी कंपनी के कोयला और हाइड्रोकार्बन समूह ने 1337.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जिसमें 645.63 करोड़ रुपये के कोकिंग कोल का आयात और 692.02 करोड़ रुपये के हाइड्रोकार्बन का घरेलू व्यापार शामिल है। इस समूह द्वारा उत्पाद स्टीम कोल और कोकिंग कोल हैं।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। यह संसाधनों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह 2019 में लगभग 197 मिलियन टन आयात के साथ कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। भारत सरकार देश में घरेलू कोयले की खपत का एक–चौथाई हिस्सा आयात करता है। सरकार का जोर देसी कोयला उत्पादन को बढ़ावा देकर कोयला आयात पर देश की निर्भरता को कम करने का है। घरेलू उत्पादन का 90 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उत्पादकों से आता है जबकि केवल 10% का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है।

वर्तमान आयात नीति के अनुसार, कोयले को खुले तौर पर उपभोक्ताओं द्वारा उनकी जरूरतों को देखते हुए खुले आम लाइसेंस के तहत आयात किया जा सकता है। आयातित भाप कोयला क्षेत्र में निजी व्यापारियों का वर्चस्व है। स्टीम कोल के लिए, एमएमटीसी ने मुख्य रूप से आवश्यकताओं के लिए खानपान पर ध्यान दिया है। तटीय क्षेत्र के कई पावर प्लांट आयातित कोयले को अधिक किफायती पाते हैं और स्वदेशी कोयले के साथ मिश्रित करने के लिए उपयुक्त गुणवत्ता उन्हें आयातित कोयले के लिए अधिक निर्भर बनाती है। एमएमटीसी पावर यूटिलिटीज के सीमित और खुले टेंडरों में भाग लेकर पावर प्लांटों को स्टीम कोयले की आपूर्ति कर रहा है। हालाँकि, एमएमटीसी भारत में सीमेंट, स्पंज आयरन इकाइयों और कैप्टिव पावर प्लांटों को आयातित स्टीम कोयले की आपूर्ति करने के अवसर की परिकल्पना कर रहा है ताकि अधिक से अधिक व्यापार उत्पन्न किया जा सके।

2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को 211 करोड़ रूपये मूल्य के 3.0 लाख मैट्रिक टन आयातित भाप कोयले की आपूर्ति की।

एमएमटीसी कोकिंग कोल, नॉन–कोकिंग (स्टीम) कोयला, कम राख धातुकर्म कोक, नेफ्था आदि की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। वर्तमान में घरेलू बाजार में कोकिंग कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है, जो आगे व्यापक होने की संभावना है। एमएमटीसी ने अपनी श्रट कंपनी – नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, डबरी, उड़ीसा के लिए नियमित आधार पर कोकिंग कोक का आयात किया। संयुक्त उद्यम के तहत स्थापित हमारे इस्पात संयंत्र की बढ़ती कोकिंग कोल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एमएमटीसी एलटीए आपूर्तिकर्ताओं से कोकिंग कोयले की आपूर्ति का आयात कर रहा है। एमएमटीसी फंड इनफ्लो उत्पन्न करने के लिए भारत में स्टील उद्योग के कुछ थोक खरीदारों को नियमित रूप स लेम कोक और नट कोक बेच रहा है। हालांकि, एनआईएनएल स्टील प्लांट के संचालन को रोकने के परिणामस्वरूप, चालू वित्त वर्ष के दौरान कोकिंग कोल के आयात में काफी कमी आई है।

माईका

जैसा कि पहले के वर्षों में बताया गया है, माईका डिवीजन का संचालन 2002–03 से रुक गया है। कोडरमा जिले के अब्रखनगर में स्थित भूमि का उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

सामान्य व्यापार

आपकी कंपनी के जनरल ट्रेड ग्रुप ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 13.22 करोड़ का कारोबार हासिल किया। समूह ने राजस्व खुफिया निदेशालय से प्राप्त आवंटन के आधार पर लाल सैंडर्स के निर्यात को अंतिम रूप दिया, जिसका मूल्य वर्ष 2019–20 के दौरान 7 करोड़ 18 लाख रुपये था।

समूह द्वारा दो नई उत्पाद लाइनें यानी सिल्वर मिश्र का आयात और बिटुमेन इमल्शन की घरेलू आपूर्ति को जोड़ा गया।

कर्नाटक के गजेन्द्रगढ़ में पवन फार्म से उत्पन्न पवन ऊर्जा की बिक्री ने 3.27 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके अलावा विंड मिल गतिविधि से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट की बिक्री के माध्यम से 0.07 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। परियोजना से उत्पन्न बिजली हैसकॉम को बेची जाती है। यह परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है और इसने कर्नाटक राज्य की ऊर्जा जरूरतों के कुछ हिस्से को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है।

सचेतक कथन

कंपनी के अनुमानों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाले प्रबंधन चर्चाओं और विश्लेषण में कथन लागू कानूनों और नियमों के अर्थ के भीतर "आगे की ओर देखने वाले बयान" हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित से अलग–अलग हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो कंपनी के संचालन में अंतर कर सकते हैं, उनमें घरेलू और विदेशी बाजारों में मांग/आपूर्ति और मूल्य की स्थिति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थिति शामिल है जिसमें कंपनी संचालित होती है, सरकारी नियमों/नीतियों, कर कानूनों, अन्य विधियों और अन्य आकस्मिक कारकों में परिवर्तन।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट– 2019–20

1. कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर.) नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा दें, जिसमें इस नीति के तहत चलाई जाने वाली परियोजना अथवा कार्यक्रम, सीएसआर नीति एवं परियोजना अथवा कार्यक्रम से संबंधित वेब–लिंक का संदर्भ शामिल है।

एमएमटीसी लिमिटेड ने निरंतर एक अच्छे कारपोरेट नागरिक की भूमिका निभाई है और आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से एक सतत तरीके से व्यापार संचालित कर कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तौर तरीकों की दिशा में गहरी प्रतिबद्धता दर्शाई है। सीएसआर. गतिविधियों के बारे में किसी आधिकारिक अनुदेश के न होते हुए भी एमएमटीसी लिमिटेड ने काफी समय पहले सितंबर, 2006 में सीएसआर को एक नीतिगत पहल के रूप में अपनाया था। यह पहल प्रभावी तौर पर 2007–08 में प्रारंभ की गई और सीएसआर गतिविधियां चलाने के लिए गत वर्ष के रिटेनएबल लाभ की एक प्रतिशत राशि आवंटित की गई थी। इस पहल के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य–देखभाल पर विशेष बल दिया गया था तथा कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन और सामुदायिक गतिविधियां चलाने के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत प्रदान करने पर जोर दिया गया।

लोक उद्यम विभाग(डीपीई) ने वर्ष 2010 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर अपनाने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए थे। एमएमटीसी लिमिटेड ने इन दिशा–निर्देशों को अपनाते हुए तदनुसार अपनी सीएसआर नीति का पुनर्निर्धारण किया। इसके बाद, डीपीई ने नवंबर, 2011 तथा अप्रैल, 2013 में इस संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए, जिन्हें एमएमटीसी ने विधिवत तरीके से अपना लिया था।

एमएमटीसी लिमिटेड की सीएसआर नीति अब कंपनी अधिनियम की धारा 135 तथा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के नियमों के अनुसार हैं। कंपनी के सीएसआर प्रोजेक्ट्स कंपनी अधिनियम की धारा 135 की शर्तों के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। नई सीएसआर नीति एमएमटीसी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए 1.73 करोड. रुपए की राशि आवंटित की गई थी जो कि पिछले तीन वर्षों के कंपनी के निवल लाभ के औसत का 2 प्रतिशत है।

डीपीई और नीति आयोग के विभिन्न निर्देशों की पृष्ठभूमि में वर्ष 2019–20 के दौरान आबंटित वार्षिक सीएसआर बजटरी निधि, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 7 के अनुसार हैल्थकेयर, शिक्षा व पोषण की प्रोन्नति (एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्टस के लिए जो वार्षिक विषय है) स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन(एनएमसीजी) व कौशल विकास व अन्य गतिविधियों जैसे प्रमुख विभिन्न परियोजनाओं के कार्यक्रमों के लिए नियत है!

एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सीएसआर गतिविधियों की प्रोन्नति पर, डीपीई और नीति आयोग के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल में प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य(एमसीएच) वार्ड के लिए प्रतीक्षालय निर्माण के लिए, एमएमटीसी ने जिला प्रशासन, बारा (राजस्थान) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसे नीति आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है! वर्तमान में यह परियोजना निर्माणाधीन है। इसके अलावा राष्ट्र के आहवान पर एमएमटीसी ने कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड.ाई में मदद करने के लिए अपने सीएसआर बजट से पीएम केयर्स फंड के लिए 53 लाख रूपये का योगदान दिया है! हांलांकि यह राशि 2020–21 के दौरान जारी की गई है। एमएमटीसी ने 2019–20 के दौरान विशाखापटनम और हैदराबाद में आयोजित कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की राज्यसभा की समीक्षा के अधीनस्थ विधान पर दो (2) संसदीय समिति को सफलतापूर्वक जवाब दिया है! एमएमटीसी निष्ठापूर्वक वार्षिक शिकायत रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में, कंपनी अधिनियम प्रावधानों के अनुरूप दाखिल कर रहा है, जब से सीएसआर नियमों को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रस्थापित किया गया था।

डीपीई के दिसम्बर 2018 के दिशा निर्देशों, विषयगत कार्यक्रमों और आकांक्षात्मक जिलों में वार्षिक सीएसआर बजट के 60 प्रतिशत के आबंटन को प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। जिला अस्पताल, बारा में (52.72 लाख रूपये) एमसीएच इकाई के लिए प्रतीक्षालय के निर्माण और पीएम केयर्स फंड (53 लाख रूपये)में योगदान के साथ वार्षिक थीम में 60 प्रतिशत सीएसआर का निवेश करने की इस शर्त को पूरा किया गया है क्योंकि दोनों स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के व्यय है।

2. सी.एस.आर. समिति की संरचना

वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशकों की सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :–

- श्री रजनीश गोयनका, नॉन आफिसियल अंशकालिक निदेशक – अध्यक्ष
- डॉ.जयंत दासगुप्ता, नॉन आफिसियल अंशकालिक निदेशक – सदस्य
- श्री वेद प्रकाश, सीएमडी – सदस्य
- श्री आर आर सिन्हा, निदेशक (कार्मिक) – सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ

सीएसआर बजट का पता लगाने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार औसत निवल लाभ की गणना की गई।

पिछले तीन वर्षों–2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 का शुद्ध लाभ क्रमशः रू 81.23 करोड़, रू 59.13 करोड़ तथा रू 118.59 करोड़ था।

इस प्रकार पिछले तीन वर्षों का निवल औसत लाभ 86.32 करोड़ रुपए बनता है।

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद–3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)

कम्पनी के पिछले तीन वर्षों के निवल औसत लाभ की दो प्रतिशत राशि 1.73 करोड. (173 लाख रूपये) थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2017–18 (1.18 लाख रूपय) और 2018–19 (2.63 लाख रूप्ये) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान खर्च के लिए उपलब्ध कुल सीएसआर फंड 176.81 लाख रूपये था।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर हुए व्यय का विवरण

(क) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि :

वर्ष 2019–20 के दौरान कुल आबंटित राशि 176.81 लाख रू में से 80.35 लाख रू की राशि खर्च की गई।

(ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई है तो :

खर्च न की गई राशि 96.46 लाख रू थी।

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का तरीका नीचे दिया गया है :

विवरण अनुलग्नक–1 में दिया गया है।

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत शुद्ध लाभ की दो प्रतिशत राशि या उसके किसी हिस्से का व्यय करने में विफल रहती है तो कंपनी अपनी निदेशक मंडल की रिपोर्ट में इस राशि का व्यय न करने का कारण बताएगी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों को आकांक्षी जिलों और अन्य स्थानों में लागू करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा 173 लाख रूप्ये की राशि स्वीकृत की गई थी। कार्यान्वयन भागीदारों/एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कंपनी की सीएसआर नीति, डीपीई व नीति आयोग दिशा निर्देशों के अनुसार संपूर्ण बजट राशि आबंटित की गई है। एमएमटीसी की स्वीकृत सीएसआर नीति की धारा 4(क) के संदर्भ में, लधु अवधि सीएसआर परियोजनाओं को दो वर्षो के भीतर कार्यान्वित किया जाना है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर योजना के संदर्भ में, राजस्थान में एसिपरेशनल जिला, बारा में प्रमुख सीएसआर निर्माण परियोजना को जिला अधिकारियों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के बाद ही अंतिम रूप दिया जा सकता है और उनके साथ केवल जनवरी 2019 के महीने में एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसके बाद भारत सरकार द्वारा लागू कोविड–19 महामारी और राष्ट्रीय तालाबंदी के कारण, परियोजना को आगे की प्रगति, निर्माण श्रम की अनुपल्बधता के कारण ठप हो गई। लॉकडाउन के हटने के बाद ही परियोजना शुरू की जा सकती थी। इस प्रकार 2020–21 में कार्य प्रगति पर है और पूरा होने के कगार पर है। इसके अलावा कौशल विकास परियोजना और वंचित बच्चों के लिए दी जा रही शैक्षिक गतिविधियों को लॉकडाउन के कारण बीच में ही रोक दिया गया। सरकार द्वारा निदेश जारी करने के बाद ये कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। इसके अलावा बोर्ड ने अन्य सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है जिसे लॉकडाउन आदेश लागू होने के कारण लागू नहीं किया जा सका। तथापि कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्र के आहवान पर इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित सीएसआर फंड को अप्रैल 2020 के महीने में पुनः आबंटित और पीएम केयर्स फंड में स्थानांतरित कर दिया गया था।

तदनुसार विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए प्रगति के रूप में 96.46 लाख रूपये की लागत, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के तहत है, उसी को वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सीएसआर नीति व कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
एमएमटीसी लिमिटेड

सीएसआर समिति के अध्यक्ष

वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि के तरीके का विवरण नीचे दिया गया है:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.सं.	**पहचान की गई सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि**	**सेक्टर जिसे परियोजना कवर करती है**	**परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य तथा जिले का नाम जिसमें परियोजना चलाई**	**परियोजना अथवा कार्यक्रम वार परिव्यय (बजट राशि) (लाख रूपये में)**	**परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष (1) परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे तौर पर किया गया खर्च (लाख रूपये में)**	**रिपोर्टिंग अवधि तक खर्च की गई समग्र राशि (लाख रूपये में)**	**खर्च की गई : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से**
1.	बरां आकांक्षी जिले में जिला अस्पताल में प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य वार्ड(एमसीएच) के लिए प्रतिक्षा हाल का निर्माण	हेल्थकेयर	बारां, राजस्थान	52.72	15.82	15.82	कार्यान्वयन एजेंसी: जिला कलेक्टर (डीसी), बारां के अंतर्गत सीएचएंडएमओ खर्च न की गई राशि 2020–21 के दौरान जारी की जायेगी क्योंकि परियोजना अभी चल रही है
2.	पीएम–केयर फंड की फंड उपलब्ध कराना	हेल्थकेयर	–	53.00	0	0	कार्यान्वयन एजेंसी: पीएम–केयर फंड यह राशि 2020–21 के दौरान जारी की गई
3.	स्वच्छ भारत कोष को फंड उपलब्ध कराना	स्वच्छ भारत मिशन	–	15.00	15.00	15.00	कार्यान्वयन एजेंसी : स्वच्छ भारत कोष
4.	क्लीन गंगा कोष को फंड उपलब्ध कराना	स्वच्छ भारत मिशन	–	15.00	15.00	15.00	कार्यान्वयन एजेंसी : नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा
5.	राष्ट्रीय खेल विकास फंड को फंड उपलब्ध कराना	खेलों का प्रोन्नयन	–	10.00	10.00	10.00	कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय खेल विकास फंड
6.	बीपीएल लोगों के लिए विपत्ति में राहत	समाज कल्याण	वाराणासी–उत्तर प्रदेश	8.80	8.80	8.80	कार्यान्वयन एजेंसी : मोदी चेरिटेबल एजेंसी, एनजीओ
7.	अति. लागत – कालाहांडी आकांक्षी जिले में लेबर रूम का निर्माण (परियोजना 2018–19 से)	हैल्थकेयर	कालाहांडी, उड़िसा	8.51	8.51	8.51	सीधे

8.	वंचित बच्चों के लिए शिक्षा कार्यकलापें के लिए	शिक्षा का प्रोन्नयन	दिल्ली	5.32	2.08	2.08	कार्यान्वयन एजेंसी : सीकेएस फाउंडेशन एनजीओ। चूंकि परियोजना का काम जारी है अतः खर्च न की गई शेष राशि को वर्ष 2020–21 में जारी किया जाएगा।
9.	अलाभप्रद सामाजिक समूहों(महिला, दलित व वचित बच्चों) के लिए (i)पोशाक एवं डेस बनाना(कटिंग एवं टेलरिंग) और (ii) ब्यूटीशियन (ब्यूटी एंड वेलनेश का कौशल विकास प्रशिक्षण देना	कौशल विकास एवं आजीविका	दिल्ली	5.00	2.00	2.00	कार्यान्वयन एजेंसी : सीकेएस फाउंडेशन एनजीओ। चूंकि परियोजना का काम जारी है अतः खर्च न की गई शेष राशि को वर्ष 2020–21 में जारी किया जाएगा।
10.	चैन्नई में सरकारी आईटीआई में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना	शिक्षा को प्रोत्साहन	चेन्नै, तमिलनाडु	3.31	3.14	3.14	प्रत्यक्ष।
11.	शेष अनआबंटित फंड	अनूसूची–VII	–	0.15	0	0	2020–21 में उपयोग किया जायेगा।
		कुल		**176.81**	**80.35**	**80.35**	

एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेंस

एमएमटीसी पारदर्शिता के सर्वोच्च स्तर, विश्वास, सत्यनिष्ठा, कार्यनिष्पादन अभिमुखता, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक दायित्व, नैतिक व्यवसाय प्रथाओं और स्व–अनुशासन संहिता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता के अनुपालन के माध्यम से स्वस्थ कारपोरेट गवर्नेंस नियमों के सिद्धांत को प्रोन्नत तथा सशक्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है ताकि स्टेकहोल्डरों यथा – निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों अथवा सामान्य समुदाय का निरंतर मूल्यवर्धन होता रहे।

सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशंस तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए जारी दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार नीचे एक रिपोर्ट दी गई है जो निदेशक रिपोर्ट का एक भाग है। इसके अलावा कारपोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र भी शामिल किया गया है।

निदेशक मंडल

एमएमटीसी के निदेशक मंडल में कार्यकारी व गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। इस रिपोर्ट को जारी किए जाने की तिथि को निदेशक मडंल में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, दो पूर्णकालिक निदेशक(विपणन), एक पूर्णकालिक निदेशक(कार्मिक), एक पूर्णकालिक निदेशक(वित्त) सरकार द्वारा नामित दो अशंकालिक निदेशक तथा दो गैर–सरकारी अंशकालिक(स्वतंत्र) निदेशक हैं। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों में एमएमटीसी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशक क्रमवार रिटायर होते रहते हैं और प्रतिवर्ष कम से कम एक तिहाई रिटायर होते हैं तथा पात्र होने पर पुनः नियुक्ति पाते हैं।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा फंक्शनल निदेशकों के मामले में निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक के पारिश्रमिक प्राप्त करने तथा स्वतन्त्र निदेशकों के मामलों में सिटिंग फीस के अतिरिक्त कंपनी के साथ अथवा इसके प्रोमोटर्स व इसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई विशेष आर्थिक संबंध अथवा लेनदेन नहीं रखते हैं जो निदेशक मंडल के विचार से निदेशकों के निर्णय की स्वायत्तता को प्रभावित कर सके।

वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी : –

क्र. स.	निदेशक का नाम	कार्यकारी / गैर–कार्यकारी	धारित पद	31.03.2020 को निदेशक मंडलों में डायरेक्टरशिप की संख्या	31 मार्च 2020 को बोर्ड समितियों की संख्या जिसके सदस्य / अध्यक्ष है*
1	श्री वेद प्रकाश (29.02.2020 तक)	कार्यकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
2	श्री अश्विनी सोंधी	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	निदेशक–3	शून्य
3	श्री उमेश शर्मा (31.05.2020 तक)	कार्यकारी	निदेशक (वित्त)	निदेशक–5	सदस्य 1
4	श्री जे रवि शंकर	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	निदेशक–5	शून्य
5	श्री आर. आर. सिन्हा (19.06.2019 से प्रभावी)	कार्यकारी	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक–1	शून्य
6	श्री आर आनंद (14.06.2019 तक)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
7	श्री बी.के. शुक्ला (14.06.2019 तक)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
8	श्री रजनीश गोयंका (26.01.2020 तक)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
9	डॉ जयन्त दासगुप्ता (26.01.2020 तक)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
10	श्री आर.आर. जड़ेजा (26.01.2020 तक)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
11	श्री जी. मंजूनाथ	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	अध्यक्ष – 1
12	डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा (24.01.2020 से प्रभावी)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	सदस्य 1 अध्यक्ष – 1
13	डॉ. एस. सी. पाण्डे (30.06.2019 तक)	गैर कार्यकारी	सरकार नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
14	श्री शशांक प्रिया (19.08.2019 से प्रभावी)	गैर कार्यकारी	सरकार नामित निदेशक	निदेशक – 6	सदस्य – 3 अध्यक्ष – 1

15	श्री दर्पण जैन (29.1.20 से 10.02.20)	गैर कार्यकारी	सरकार नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
16	श्री श्यामल मिश्रा (24.02.2020 से प्रभावी)	गैर कार्यकारी	सरकार नामित निदेशक	निदेशक – 1	शून्य
17	श्री सुधांशु पांडे (01.03.2020 से प्रभावी)	गैर कार्यकारी	सरकार नामित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक– 2	अध्यक्ष – 1 सदस्य 1
18	श्री सुनिल कुमार (21.1.2020 तक)	गैर कार्यकारी	सरकार नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं

*केवल लेखा परीक्षा समिति तथा अन्य सार्वजनिकों कंपनी के स्टेकहोल्डर्स की रिलेशनशिप समिति पर विचार किया गया है।
लागू नहीं – चूंकि इन निदेशकों की कंपनी मंडल से समयावधि समाप्त होना है अतः 31..03.2020 को इनकी परिसमाप्ति उपलब्ध नहीं है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन (01.04.2019 से)

निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख / कार्यकाल की समाप्ति	परिवर्तन का विवरण
श्री आर आनंद	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	14.06.2019	कार्यकाल की समाप्ति
श्री बी.के.शुक्ला	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	14.06.2019	कार्यकाल की समाप्ति
श्री आर. आर. सिन्हा	कार्यकारी नदेशक (कार्मिक)	21.06.2019	नियुक्ति
डॉ. एस. सी. पाण्डेय	सरकार द्वारा नामित निदेशक	30.06.2019	कार्यकाल की समाप्ति
श्री शशांक प्रिया	सरकार द्वारा नामित निदेशक	19.08.2019	नियुक्ति
श्री सुनील कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक	21.01.2020	कार्यकाल की समाप्ति
डॉ.(सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	24.01.2020	नियुक्ति
श्री रजनीश गोयंका	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	28.01.2020	कार्यकाल की समाप्ति
डॉ जयन्त दासगुप्ता	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	28.01.2020	कार्यकाल की समाप्ति
श्री आर.आर. जड़ेजा	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल	28.01.2020	कार्यकाल की समाप्ति
श्री दर्पण जैन	सरकार द्वारा नामित निदेशक	29.01.2020 / 10.02.2020	नियुक्ति / कार्यकाल की समाप्ति
श्री श्यामल मिश्रा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	24.02.2020	नियुक्ति
श्री वेद प्रकाश	कार्यकारी (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	29.02.2020	कार्यकाल की समाप्ति
श्री सुधांशु पांडे	सरकार द्वारा नामित निदेशक	01.03.2020 / 13.05.2020	नियुक्ति / कार्यकाल की समाप्ति
श्री संजय चड्ढा	अप्रनि (अतिरिक्त प्रभार)	14.05.2020	नियुक्ति
श्री उमेश शर्मा	कार्यकारी (निदेशक – वित्त)	31.05.2020	कार्यकाल की समाप्ति
श्री कपिल कुमार गुप्ता	कार्यकारी (निदेशक – वित्त)	01.06.2020	नियुक्ति

निदेशकों का पारिश्रमिक

एमएमटीसी भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। अन्य बातों के साथ–साथ इन पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक, संबंधित नियुक्ति आदेश / वेतन निर्धारण आदेशों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के सेवाकाल या अधिवर्षिता आयु पूरी करने की तिथि तक अथवा सरकार के अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त किये जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार नियुक्त निदेशक किसी भी प्रकार की नोटिस अवधि / सेवरेंस फीस के पात्र नहीं होते हैं। निदेशक मंडल के फंक्शनल सदस्य लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन पाने के पात्र हैं। नॉन–आफिसियल अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक बोर्ड / बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए रु.15,000 / – की दर से सिटिंग फीस का भुगतान पाने के पात्र हैं। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं था।

वर्ष 2019–20 के दौरान सीएमडी सहित प्रत्येक फंक्शनल निदेशक को भुगतान किये गये पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है :–

निदेशक का नाम	वेतन तथा लाभ	वर्ष 2019–20* के दौरान कार्य–निष्पादन से जुड़ा वेतन	बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन सिवरेंस फीस	दिनांक 31.03.2020 को एममएटीसी के धारित शेयरों की संख्या
कार्यकारी निदेशक				
श्री वेद प्रकाश	5518458	89078	शून्य	15
श्री आर. आर. सिन्हा	2750160	लागू नहीं	शून्य	शून्य
श्री अश्वनी सोंधी	3501529	72820	शून्य	750
श्री उमेश शर्मा	3859065	65720	शून्य	शून्य
श्री जे. रवि शंकर	3526309	48077	शून्य	शून्य

*ऊपर दर्शाये गये पीआरपी के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2018–19 से संबंधित है जिनका वित्तीय वर्ष 2019–20 में तदर्थ(एडहॉक) आधार पर भुगतान किया गया।

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित की जाती हैं तथा उनके आयोजन की तिथि का निर्णय पर्याप्त समय रहते लिया जाता है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। बोर्ड की बैठकों का संचालन निर्धारित कार्य–सूची के अनुसार होता है तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी मामले को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। सभी मुख्य मुद्दों से संबंधित, अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य–सूची दस्तावेज सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि बोर्ड सूचनापरक तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की नौ बैठकें हुई, जो दिनांक 15.05.2019, 30.05.2019, 27.06.2019, 14.08.2019, 12.09.2019, 13.11.2019, 31.01.2020, 14.02.2020 तथा 24.03.2020 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की इन बैठकों तथा 30 सितम्बर, 2019 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक से संबंधित निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	निदेशक का नाम	बोर्ड की उस अवधि में हुई बैठकों की संख्या जिसके दौरान बोर्ड के निदेशक थे	बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	दिनांक 30.09.2018 को आयोजित गत वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
(क)	**फंक्शनल निदेशक**			
	श्री वेद प्रकाश	8	8	हां
	श्री सुधांशु पांडे	1	1	एन आर
	श्री अश्वनी सोंधी	9	9	हां
	श्री जे. रवि शंकर	9	9	हां
	श्री उमेश शर्मा	9	9	हां
	श्री आर. आर. सिन्हा	7	5	हां
(ख)	**अंशकालिक पदेन निदेशक (सरकार द्वारा नामित)**			
	श्री सुनील कुमार	6	3	नहीं
	डॉ. एस सी पाण्डेय	3	2	एन आर
	श्री सशांक प्रिया	6	5	नहीं
	श्री दर्पण जैन	1	1	एन आर
	श्री श्यामल मिश्रा	1	1	एन आर
(ग)	**गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक**			
	श्री आर. आनंद	2	2	एन आर
	श्री बी. के. शुक्ला	2	1	एन आर
	श्री रजनीश गोयनका	6	6	हां
	श्री आर. आर. जड़ेजा	6	6	हां
	डॉ. जयंत दासगुप्ता	6	5	हां
	श्री जी. मंजूनाथ	9	8	नहीं
	डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा	3	2	एन आर

स्वतन्त्र निदेशकों की अलग बैठक

सेबी के (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम 2015, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नॉन–आफिसियल निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिका के बारे में डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की शर्तों के अनुसार दिनांक 13.11.2019 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में तत्कालीन सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने वित्तीय वर्ष में होने वाली पहली बोर्ड की बैठक में इस बात की घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6), सिक्यूरीटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस तथा डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम 2015 तथा कारपोरेट गवर्नेंस के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने के मानदण्डों को पूरा करते हैं।

कंपनी के व्यवसाय से परिचित होने तथा उनके द्वारा प्रभावी ढंग से काम करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा समय–समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी नामित किया जाता है । इन कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन का विवरण http://mmtclimited.com/pages/display/294-training-programme-for-directors पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों के कार्यनिश्पादन का मूल्यांकन

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 के परिपत्र द्वारा सरकारी कंपनियों को धारा 178(2) के प्रावधानों से छूट प्राप्त हो गई है। इसके प्रावधानों में निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति तथा नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन का तरीका बताया गया है। सेबी (एलओडीआर) के तहत भी इसी प्रकार की छूट अपेक्षित है। एमसीए के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार सरकारी कंपनियों को

धारा 134(3)(पी) से भी छूट दी गई है। इस धारा के अनुसार बोर्ड तथा इसकी समितियों/संबंधित निदेशक को बोर्ड रिपोर्ट में अपने कार्य निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके का उल्लेख करना होता है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अपने तरीके के अनुसार मूल्यांकन किया गया हो। इस संबंध में डीपीई ने फंक्शनल निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्याकंन का तंत्र निर्धारित कर दिया है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन की शुरुआत कर दी है।

उल्लेखनीय है कि एमएमटीसी प्रत्येक वर्ष भारत सरकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के साथ एमओयू हस्ताक्षर करती है जिसमें कंपनी के लिए मुख्य कार्यनिष्पादन पैरामीटर्स दिए जाते हैं। एमओयू के लक्ष्य कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग होते हैं तथा इन्हें सभी निदेशकों के मूल्यांकन में शामिल किया जाता है। एमओयू में वित्तीय लक्ष्य, लागत कटौती लक्ष्य, सामुदायिक विकास एवं अन्य संबंधित कारक सहित सभी परिचालन तथा कार्यनिष्पादन के पैरामीटर्स कवर होते हैं। डीपीई वार्षिक आधार पर भारत सरकार के साथ हुए एमओयू से तुलना करते हुए कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है।

बोर्ड की समितियां

कंपनी के मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, अतिशीघ्र आधार पर विचार–विमर्श करने तथा निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल ने विभिन्न भूमिकाओं, जवाबदेही तथा प्राधिकारों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

1. निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति
2. नामांकन व पारिश्रमिक निदेशक समिति
3. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति
4 शेयर ट्रांसफर समिति
5 कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति
6 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति
7. सीएसआर तथा सतत विकास पर निदेशकों की समिति
8 निदेशको की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी
9. निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति

1. निदेशकों की लेखा–परीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति में दिनांक 31.03.2020 को दो अंशकालीन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक तथा एक अंशकालिक (सरकार द्वारा नामित) निदेशक हैं। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखा–परीक्षा कार्यों का निरीक्षण, अति महत्वपूर्ण जॉच की पुनरीक्षा, लेखा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान करना इसके प्रमुख कार्य हैं। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकारों में कंपनी अधिनियम 2013 तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस तथा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स), विनियम 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वर्ष 2019–20 में समिति की चार बैठकें आयोजित हुईं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1.	30.05.2019	डॉ. जयन्त दासगुप्ता	श्री आर आनन्द
2.	14.08.2019	श्री रजनीश गोयनका श्री आर. आर. सिन्हा	श्री आर. आर. जड़ेजा
3.	13.11.2019	श्री रजनीश गोयनका श्री आर. आर. सिन्हा	डॉ. जयन्त दासगुप्ता
4.	14.02.2020	श्री जी. मंजूनाथ	डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा

लेखापरीक्षा समिति के विचार विमर्श में सहायता हेतु कंपनी के अन्य फंक्शनल निदेशक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक भी उपरोक्त बैठकों में उपस्थित रहे। उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

यह भी पुष्टि की जाती है कि लेखा परीक्षा समिति की ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं थी जिसे बोर्ड ने स्वीकार न किया हो ।

2. निदेशकों की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कंपनीज एक्त, 2013 के प्रावधानों और सूचीबद्ध विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुसरण में निदेशको की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में अंशकालीन नॉन आफिसिएल(स्वतंत्र) निदेशक सुश्री स्वाधीनता कृष्णा अध्यक्ष तथा अंशकालीन नॉन आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशक श्री सशांक प्रिया 31.03.2020 को इसके सदस्य हैं। समिति डीपीई दिशा–निर्देशों, दिनांक 26 नवंबर 2008 के पार्ट डी की अनुसूची में सूचीबद्ध निर्देश के तहत कर्तव्यों और शक्ति प्रयोग करती है। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान समिति की एक बैठक हुईं जिनका विवरण नीचे दिया गया है :–

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	25.01.2020	श्री जी. मंजूनाथ श्री आर आर जडेजा	श्री रजनीश गोयनका

बैठक के मिनट्स निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

3. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित स्टेक होल्डर्स संबंध समिति की संरचना में 31.03.2020 को श्रीमती स्वाधीनता कृष्णा, अंशकालीन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक इसके अध्यक्ष हैं, श्री उमेश शर्मा, निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमएमटीसी इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। समिति शेयरधारकों दूसरे निवेशकों की शिकायतों के समाधान के शीघ्र निपटान पर विचार और देखरेख करती है। वर्ष 2019–20 के दौरान इस समिति की एक बैठक हुई, जिसका विवरण नीचे है :–

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	13.11.2019	श्री वेद प्रकाश श्री उमेश शर्मा	डॉ. जयंत दासगुप्ता

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निवेशकों से प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है :–

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2020 को लंबित शिकायतों की संख्या
27	27	0

4. शेयर ट्रांसफर समिति

निदेशक मंडल द्वारा शेयर ट्रांसफर समिति गठित की गई है जिसमें एमएमटीसी के सभी फंक्शनल निदेशक इसके सदस्य हैं तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। समिति ने फिजीकल शेयर ट्रांसफर, रिमैट्रलाइजेशन तथा डिमैट्रलाइजेशन इत्यादि के अनुरोध पर शीघ्र विचार करके अपना अनुमोदन प्रदान करती है। वर्ष 2019–20 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

5 कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

बोर्ड ने कार्मिक नीतियों की निदेशक समिति का गठन किया है जिसमें अंशकालीन नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा इसके अध्यक्ष, अंशकालीन नॉन–आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक श्री जी. मंजूनाथ तथा एमएमटीसी के निदेशक(विपणन) श्री अश्वनी सोंधी इसके सदस्य हैं। यह समिति सेवा नियमों तथा अन्य कार्मिक नीतियों में परिवर्तन/बनाने पर विचार करने तथा उनके अनुमोदन की सिफारिश निदेशक मंडल को करती है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान दिनांक 24.07.2019 तथा 4.12.2019 को इस समिति की बैठकें आयोजित की गई तथा इन बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

6 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति

निवेशों/विनिवेशों पर विचार करने तथा अनुमोदन की सिफारिश करने, मौलिक मानदंडों/चार्टर/समझौते और उनमें निदेशक मंडल द्वारा किसी परिवर्तन की स्वीकृति और कार्यशील प्रबंधन के साथ पुनरीक्षा करने तथा एमएमटीसी के निवेश के संबंध में रणनीतिक मामलों पर सलाह देने और एमएमटीसी परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों/विदेशी कार्यालयों/सहायक कंपनियों के लिए निदेशक मंडल ने ''सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों'' के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया है।

31.03.2020 को एमएमटीसी के सीएमडी श्री वेद प्रकाश इस समिति के अध्यक्ष तथा अंशकालीन नॉन आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक, डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा, श्री अश्वनी सोंधी, निदेशक(विपणन) तथा श्री जे. रवि शंकर, निदेशक(विपणन) इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गईं।

7. सीएसआर एवं सतत विकास पर निदेशकों की समिति

कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों तथा डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों की देखरेख तथा नियंत्रण हेतु समिति गठित की गई। 31.03.2020 को समिति की संरचना में श्री मंजूनाथ जी, अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक नॉन–ऑफिसयल (स्वतंत्र) निदेशक के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (का) इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान इस समिति की नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक बैठक बुलाई गई :–

क्र.सं.	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	09.08.2019	श्री आर. आर. सिन्हा डॉ. जयंत दास गुप्ता	श्री रजनीश गोयंका

इस बैठक के मिनट्स निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

8. निदेशकों की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी

निदेशक मंडल द्वारा गठित निदेशकों की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी में एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष, सभी फंक्शनल निदेशक समिति के सदस्य तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में शामिल हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013/अन्य विधिक प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्ट, निदेशक मंडल की बैठक में विचार एवं निर्णय लिए जाने वाले मामलों और/अन्य शेयरधारकों तथा अन्य विनिर्दिष्ट मामलों और बोर्ड द्वारा निर्णय अथवा विचारार्थ आरक्षित मामलों और एमएमटीसी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 99 के अधीन निदेशक मंडल द्वारा गठित किसी अन्य समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को छोड़कर समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के उपर सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान समिति की सत्ताइस बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

9. निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के सभी फंक्शनल निदेशकों को सदस्य के रूप में तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल करते हुए अगस्त 2016 में निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई। यह समिति लिस्टिंग एग्रीमेंट तथा समय–समय पर संशोधित कानून के अन्य प्रावधानों में विनिर्दिष्ट भूमिका के तहत कार्य करेगी। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव रहेंगे। वर्ष 2019–20 के दौरान इस समिति की नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक बैठक बुलाई गई :–

क्र.सं.	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	28.11.2019	श्री अश्वनी सोंधी श्री उमेश शर्मा श्री जे. रवि शंकर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (श्री वेद प्रकाश)

आम सभा बैठकें

कंपनी की आम सभा बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय निकटवर्ती स्थान पर आयोजित की जाती हैं। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी बैठकों के विवरण नीचे दिये गए हैं :–

बैठक का प्रकार	तारीख व समय	पारित विशेष संकल्प
54वीं वार्षिक आम बैठक	26.09.2017 को 1100 बजे	शून्य
55वीं वार्षिक आम बैठक	28.09.2018 को 1100 बजे	शून्य
56वीं वार्षिक आम बैठक	30.09.2019 को 1130 बजे	शून्य

प्रकटन

ए) निदेशक मण्डल के किसी भी सदस्य का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नही है।

बी) विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों के बीच कोई लेनदेन नहीं हुआ है अर्थात कंपनी का अपने प्रोमोर्ट्स, निदेशकों अथवा प्रबंधन, सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ ऐसी कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेन–देन नहीं हुआ है जिससे कंपनी के हित प्रभावित होने की शंका हो। ''संबंधित पक्ष लेन–देन'' के अन्य विवरण वार्षिक रिपोर्ट में लेखों के भाग के नोट्स में प्रकट किये गये हैं।

सी) कंपनी ने इम्पलाइज स्टॉक आप्शन स्कीम को नहीं अपनाया है।

डी) कंपनी ने ''व्हिसल ब्लोअर पालिसी'' तैयार की है जिसे एमएमटीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

ई) कंपनी ने एक विजिल मैकेनिजम तैयार किया है जिसे कंपनी की वेवसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

एफ) कंपनी सेबी (एलओडीआर), 2015 दिशा निर्देशों, 2015 कंपनी एक्ट 2013 और रिपोर्ट में रेखांकित को छोड़कर डीपीई, भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के कारपोरेट गर्वनेंस के दिशा–निर्देशों का व्यापकता से पालन किया है।

जी) कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकार का या किसी अन्य पूंजीबाजार से संबंधित मामले में इनके द्वारा कंपनी पर विगत तीन वर्षों के दौरान कोई जुर्माना या आक्षेप नहीं लगाया गया।

एच) सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 की अनुसूची V का भाग सी के खंड 9 (एन) के अनुसरण में, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–सी पर सूचीबद्ध अस्तित्व के द्वारा वस्तु जोखिम दिए गए हैं।

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियमों 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत आवश्यक कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीएफओ द्वारा हस्ताक्षरित 30 मई 2019 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया और उक्त कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में अनुलग्न (अनुलग्नक–ए) किया गया है।

सूचना के साधन

कंपनी के तिमाही, अर्ध–वार्षिक अनअंकेक्षित परिणामों को संबंधित अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर तथा कम्पनी के वार्षिक अंकेक्षित परिणामों को 60 दिनों के भीतर घोषित किया जाता है, जिन्हें प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तथा कंपनी की वेबसाइट www.mmtclimited.com पर अपलोड किया जाता है।

शेयरधारकों की सूचना

(ए) वार्षिक आम बैठकः

कंपनी की 57 वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियों विजुअल साधन (ओएवीएम) द्वारा निर्धारित है।

(बी) वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय कैलेंडर

प्रथम तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 14.09.2020 को घोषित किया गया। ।

द्वितीय तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 13.11.2020 को घोषित किया गया।

तृतीय तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 14.02.2021 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

चतुर्थ तिमाही परिणाम(अंकेक्षित) तथा वर्ष 2020–21 के वार्षिक अंकेक्षित परिणाम दिनांक 30.05.2021 को या इससे पूर्व लिस्टिंग एग्रीमेंट के वर्तमान लागू प्रावधानों के अनुसार घोषित किए जाएंगे।

(सी) बुक क्लोजर की तिथियां

दिनांक 17.12.2020 से दिनांक 24.12.2020 तक शेयर अन्तरण पुस्तिकाओं तथा सदस्यों के रजिस्टर को बंद रखा जाएगा। (वार्षिक आम बैठक के लिए दोनों दिन शामिल हैं)

(डी) लाभांश भुगतान

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण इस प्रकार है:–

वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19
दर	30 प्रतिशत	30 प्रतिशत	30 प्रतिशत
दिनांक	17.10.2017	20.10.2018	18.10.2019

(ई) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता: कंपनी के शेयर बीएसई तथा एनएसई में सूचीबद्ध हैं। दोनों स्टॉक एक्स्चेंजों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

(एफ) बाजार–मूल्य डाटा: वर्ष 2019–20 के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज/एनएसई पर उद्धृत/व्यापार किए गए एमएमटीसी के स्क्रिप का माहवार बाजार भाव आंकड़ा नीचे दिया जा रहा है:

महीना	अधिकतम (रू.)	न्यूनतम (रू.)	महीना	अधिकतम (रू.)	न्यूनतम (रू.)
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज			**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज**		
अप्रैल 2019	29.65	25.95	अप्रैल 2019	29.60	25.95
मई 2019	28.05	23.75	मई 2019	28.10	23.70
जून 2019	26.70	22.30	जून 2019	26.70	22.30
जुलाई 2019	25.25	19.30	जुलाई 2019	25.25	19.35
अगस्त 2019	21.45	17.30	अगस्त 2019	21.40	17.20
सितंबर 2019	26.50	15.95	सितंबर 2019	26.55	16.00
अक्तूबर 2019	19.55	14.00	अक्तूबर 2019	19.55	14.15
नवंबर 2019	20.00	17.40	नवंबर 2019	19.95	17.30
दिसंबर 2019	22.75	17.40	दिसंबर 2019	22.90	17.30
जनवरी 2020	24.35	18.50	जनवरी 2020	24.35	18.45
फरवरी 2020	22.50	17.00	फरवरी 2020	22.50	17.00
मार्च 2020	18.00	09.90	मार्च 2020	17.85	09.90

(जी) रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए): मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020 को दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से डिमैटरियलाइज्ड तथा फिजिकल दोनों प्रकार के शेयरों के लिए कंपनी का रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नियुक्त किया गया है।

(एच) शेयरों का डिमैटरियलाइजेशन: सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा आईएसआईएन संख्या: आईएनई123एफ01029 के साथ, एमएमटीसी लिमिटेड के शेयर डिमैटरियलाइज्ड रूप में व्यापार करने हेतु स्वीकृत सिक्यूरिटी के रूप में स्वीकार किए गए।

31 मार्च, 2020 को एमएमटीसी लिमिटेड के 1/– रुपए प्रतिशेयर के अंकित मूल्य की दर से 150 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 1348903143 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं और 151096857 शेयर डिमैटरियलाइज्ड रूप में अन्य के पास हैं, और केवल 2831 शेयर फिजिकल रूप में हैं।

(आई) शेयर अंतरण पद्धति: कंपनी के शेयरों का ट्रांसफर इनके प्रस्तुत किए जाने पर मानक अवधि के भीतर हो जाता है। डिमैटरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध शेयरों का अन्तरण डिपाजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा इलेक्ट्रोनिक फार्म में प्रोसेस तथा अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 31.03.2020 को शेयर अन्तरण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। शेयर अंतरण तथा निवेश संबंधी सभी मामले आरटीए कार्यालय अर्थात एमसीएस लिमिटेड द्वारा देखे तथा प्रोसेस किए जाते हैं। शेयरधारक अंतरण डीड तथा अन्य किसी दस्तावेजों इत्यादि को एमएमटीसी लिमिटेड के आरटीए कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा करा सकते हैं।

(जे) दिनांक 31.03.2020 को शेयर होल्डिंग का वितरण : दिनांक 31.3.2020 की शेयरहोल्डिंग के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है :–

श्रेणी कोड	शेयरहोल्डर की श्रेणी	शेयरहोल्डर्स की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की संख्या की शेयर–होल्डिंग प्रतिशत में
(ए)	**प्रोमोटर तथा प्रोमोटर ग्रुप की शेयरहाल्डिंग**			
(i)	केंद्र सरकार	**1**	**1348903143**	**89.927**
(बी)	पब्लिक शेयरहोल्डिंग			
(ए)	केंद्र सरकार / राज्य सरकार	**1**	**10264**	**0.001**
(बी)	म्युचुअल फंड्स / ए आई एफ	**3**	**653906**	**0.044**
(सी)	वित्तीय संस्थान / बैंक	**3**	**390945**	**0.026**
(डी)	बीमा कंपनीज	**6**	**60025104**	**4.002**
(ई)	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	**5**	**1043808**	**0.070**
	गैर–संस्थान			
(ए)	कारपोरेट निकाय	**565**	**6274386**	**0.418**
(बी)	व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 2 लाख रूपए तक है	**109362**	**78928068**	**5.262**
(सी)	व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 2 लाख रूपए से अधिक है	**6**	**1606442**	**0.107**
(डी)	ट्रस्ट तथा फाउंडेशन	**6**	**19200**	**.001**
(ई)	नॉन रेजिडेंट व्यक्ति	**1064**	**2091234**	**0.139**
(एफ)	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	**3**	**53500**	**0.004**
	कुल	**111025**	**1500000000**	**100**

टिप्पणी : कोई भी जीडीआर / एडीआर / वॉरन्ट / परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

(के) 31.03.2020 को 10 सबसे बड़े शेयरधारक

क्र.सं.	नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	50909511	3.394
2	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3682471	0.245
3	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया	2760000	0.184
4	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी	1712446	0.114
5	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	675268	0.045
6	एमवी एससीआईएफ, मारीशस	657168	0.043
7	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	639672	0.043
8	एक्सिस बैंक लिमिटेड	394188	0.026
9	केनरा बैंक	387178	0.026
10	रविकुमार रामकिशोर सनवल्का	296000	0.011

(एल) 31.03.2020 को शेयरहोल्डिंग का वितरण

श्रेणी (शेयर)	शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत
1-500	12483498	0.8322	86916	74.6297
501-1000	10392991	0.6929	13582	11.6621
1001-2000	12309641	0.8206	8322	7.1456
2001-3000	7937447	0.5292	3052	2.6206
3001-4000	3976756	0.2651	1112	0.9548
4001-5000	4343838	0.2896	942	0.8088
5001-10000	10850133	0.7233	1502	1.2897
10001-50000	17686388	1.1791	924	0.7934
50001-100000	5408542	0.3606	78	0.067
	1414610766	94.3074	33	0.0283
कुल	**1500000000**	100	116463	100

(एम) 31.03.2020 को शेयरधारकों का भौगोलिक वितरण

क्र. सं.	शहर	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1	दिल्ली	13355	11.47	1357871893	90.5
2	चण्डीगढ़	410	0.3520	264639	0.018
3	कानपुर	770	0.6612	496739	0.033
4	जयपुर	2243	1.926	1556256	0.104
5	अहमदाबाद	6486	5.569	4993854	0.333
6	मुंबई	12946	11.12	73615520	4.91
7	नागपुर	589	0.5057	318484	0.021
8	हैदराबाद	2726	2.341	2865970	0.191
9	बंगलूरू	3435	2.949	2639488	0.176
10	चेन्नई	3001	2.577	7288429	0.486
11	त्रिवेन्द्रम	175	0.1503	96928	0.006
12	कोलकाता	4051	3.478	4362307	0.291
13	भुवनेश्वर	328	0.2816	203701	0.014
14	गुवाहाटी	271	0.2327	349953	0.023
15	पटना	535	0.4594	313808	0.021
16	अन्य	65142	55.927	42762031	2.854

(एन) शेयरधारकों/अन्य निवेशकों की शिकायतें : –

शेयरधारकों/अन्य निवेशक अपनी शिकायत कम्पनी सचिव को ई–मेल आईडी ganarayanan@mmtclimited.com पर भेज सकते हैं।

(ओ) पत्राचार का पता : बोर्ड सचिवालय, एमएमटीसी लिमिटेड, कोर –1, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 फोन संख्या : 011–24361889 ई–मेल : ganarayanan@mmtclimited.com

कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–क

सेबी के विनियमन 17 (8) के प्रावधानों (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के प्रावधान के अनुसार, इसके द्वारा यह प्रमाणित है कि:

क) 31.03.2020 को समाप्त हुए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की गई है और यह हमारी जानकारी और विश्वास से :

i) इन विवरणों में कोई ठोस रूप से असत्य कथन शामिल नहीं है और नही किसी भी भौतिक तथ्य को छोडा गया हैं या ऐसे विवरणों को शामिल किया गया है जो भ्रामक हो सकते हैं।

ii) ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में है।

ख) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा उस वर्ष के दौरान कोई लेन–देन नहीं किया गया है जो कंपनी की आचार संहिता के साथ धोखाधडी, अवैध या उल्लंघन है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को इस तरह के आंतरिक नियंत्रणों की संरचना, संचालन में कमियों, यदि कोई हो, से अवगत कराया है ,, जिसके बारे में हम जागरूक हों और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने कदम उठाए हैं या प्रयास किया है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है:

i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों में इसका खुलासा किया गया है, तथा

iii) बड़ी धोखाधडी के उदाहरण, जिनके बारे में हम जागरूक हो गए हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रंबधन या एक कर्मचारी, यदि कोई हो, की भागीदारी है।

हस्ता/–
(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

हस्ता/–
(संजय चड्ढा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कारपोरेट गवरनेंस रिपोर्ट का अनुलग्नक–बी
एमएमटीसी लिमिटेड की लाभांश वितरण नीति

I पृष्टभूमि

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भारत में लिस्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 43 ए, जो बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध संस्थाओं (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को गणना) के लिए लाभांश वितरण नीति तैयार कराती है, जिसे उनकी वार्षिक रिपोर्ट में और उनके वेबसाइटों में प्रकट की जानी होती है।

चूंकि 31 मार्च, 2016 के मापदंड के अनुसार एमएमटीसी शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में से है, इसलिए लाभांश वितरण नीति तैयार की गई है।

II नीतिगत ढांचा

नीति को मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त विभाग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन'' के लिए जारी दिशानिर्देशों, सेबी और प्रयोज्य सीमा तक लागू अन्य दिशानिर्देश के आधार पर लिया गया है।

III विचारनीय कारक

एमएमटीसी लगातार लाभांश का भुगतान कर रहा है और सभी हितधारकों को अनवरत मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया जाता है। लाभांश की सिफारिश बोर्ड के विवेकाधिकार पर है। बोर्ड अंतरिम लाभांश भी घोषित कर सकता है।

डिविडेंड पे–आउट के संबंध में निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि यह कंपनी के शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाने वाले लाभ की राशि को उसके भरण–पोषण और विकास योजनाओं के लिए आंतरिक आय–बचत की तैनाती की आवश्यकता के साथ संतुलित करता है। आमतौर पर लाभांश की सिफारिश ध घोषणा करने से पहले जिन कारकों पर विचार किया जाता है, वे इस प्रकार हैं:

ए. परिस्थितियां जिनके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।

लाभांश के लिए कोई भी सिफारिश करने से पहले बोर्ड द्वारा आमतौर पर जिन कारकों पर विचार किया जा सकता है, उनमें शामिल हैं भविष्य के पूंजीगत व्यय की योजना, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति सहित लाभांश पर कर, इसके अलावा भी समय–समय पर लागू होने वाले दिशानिर्देश।

बी. लाभांश घोषित करते समय वित्तीय पैरामीटर पर विचार किया जाएगा

सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होने के नाते, कंपनी ''सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग'' पर डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है।

भारत सरकार ने दिनांक 27.05.2016 को प्रत्येक सीपीएसई को पीएटी के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का 30% या निवल मूल्य का 5% जो भी उच्चतर कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमन्य अधिकतम लाभांश के अधीन हो का भुगतान करना अनिवार्य किया है।

बहरहाल, कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह जिस अधिनियम के तहत स्थापित है, उसके अधीन अनुमन्य अधिकतम लाभांश का भुगतान करे, जब तक कि मामले दर मामले पर निम्नलिखित वित्तीय मानदंडों पर विचार करने के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के स्तर पर कम लाभांश भुगतान को न्यायसंगत न ठहराया जाए।

(i) निवल मूल्य और ऋण लेने की क्षमता

(ii) दीर्घकालिक उधार

(iii) सीएपीईएक्स / व्यापार विस्तार की जरूरत

(iv) सीएपीईएक्स की जरूरतों के अनुरूप आगे लाभ उठाने के लिए लाभ का प्रतिधारण तथा

(v) नकद और बैंक बैलेंस।

सी. आंतरिक और बाहरी कारक जिन्हें लाभांश की घोषणा के लिए विचारनीय माना जाएगा

सी.1 आंतरिक कारक

कंपनी के नेट वर्थ

डीआईपीएएम, सरकार द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भारत का, प्रत्येक सीपीएसई, पीएटी के 30% या निवल मूल्य के 5% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगा, जो भी अतिरिक्त कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमन्य अधिकतम लाभांश के अधीन है। सरकारी कंपनी होने के नाते, एमएमटीसी को इन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

उपरोक्त मापदंडों के अलावा, कंपनी विभिन्न अन्य आंतरिक कारकों पर भी विचार कर सकती है, जो अन्य बातों के साथ शामिल हैं।

- मौजूदा व्यवसायों की वर्तमान और भविष्य की पूंजी की आवश्यकताएं
- कंपनी के सहायक / सहयोगियों में अतिरिक्त निवेश
- कोई अन्य कारक जिसे बोर्ड उचित समझे।

सी.2 बाहरी कारक

सी.2.1 आर्थिक माहौल

अनिश्चित या मंदी की आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों के मामले में, कंपनी भविष्य के अप–डाउन को बनाए रखने के लिए मुनाफे के बड़े हिस्से को प्रतिधारण रखने का प्रयास करेगी।

सी.2.3 वैधानिक प्रावधान और दिशानिर्देश

कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करेगी। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी भारत सरकार या किसी अन्य वैधानिक निकायों द्वारा लाभांश घोषणा के संबंध में समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी। ।

डी. प्रतिधारित आय का उपयोग

कंपनी विभिन्न वस्तुओं के व्यापार में लगी हुई है और कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की लाइन में विविधीकरण उपायों के हिस्सा के रूप में संयुक्त उद्यम बना सकती है। प्रतिधारित कमाई को कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में विस्तृत रूप से वर्णित कंपनी की उद्देश्यों के लाईन के अनुरूप अभिनियोजित किए जाएँगे, जो कंपनी के व्यवसायिक विकास और संचालन में वृद्धि करेगा।

ई. विभिन्न वर्गों के शेयरों के संबंध में अपनाए जाने वाले पैरामीटर

रिकॉर्ड तिथि पर, कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। चूंकि कंपनी ने समान वोटिंग अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग जारी किया है, इसलिए कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। किसी भी नए वर्ग के शेयरों के जारी होने के समय की प्रकृति और दिशा–निर्देशों के आधार पर इस नीति को संशोधित किया जाएगा।

अन्य प्रावधान

किसी भी वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम आदि में किसी भी उत्तरवर्ती परिवर्तन के मामले में, जो इस नीति में किसी भी प्रावधान को उनके साथ असंगत बनाता है, तो नीति के तहत वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम आदि के प्रावधान प्रबल होंगे।

सीएमडी नीति में किसी भी मामूली संशोधन / विचलन को मंजूरी देने के लिए अधिकृत है और इस नीति के संबंध में किसी भी व्याख्या के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

****

कारपोरेट गवरनेंस रिपोर्ट का अनुलग्नक–सी

1. जोखिम प्रबंधन नीति : कंपनी के व्यवसाय से जुड़े विभिन्न जोखिमों से निपटने के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा विधिवत स्वीकृति मिलने के बाद निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन नीति का अनुमोदन करता है ।
2. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सामना किये गये कमोडिटी जोखिम और कमोडिटी की सूचीबद्ध कंपनी का एक्सपोजर
3. भारतीय रुपये में कमोडिटी के लिए सूचीबद्ध इन्टाइटी का कुल एक्सपोजर और (ख) विभिन्न कमोडिटिज के लिए सूचीबद्ध इन्टाइटी का एक्सपोजर

31.03.2020 को

कमोडिटी का नाम	विशेष कमोडिटी के लिए भारतीय रू. में एक्सपोजर	विशेष कमोडिटी के लिए कि.ग्रा. मात्रा में एक्सपोजर	कमोडिटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से ऐसे हैज्ड एक्सपोजर का %				
			घरेलू बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	एक्सचेंज	ओटीसी	एक्सचेंज	
सोना	42.09	98	-	100%	-	-	100%
सिल्वर	9.24	2340	-	46%	-	-	46%

टिप्पणी :

1. सिल्वर हेजिंग अक्टूबर 2018 से आरंभ हुई।
2. सिल्वर की की आरंभिक स्थिति 2743.09 कि.ग्रा. है।
3. निगम ने कमोडिटी जोखिम का सामना किया।

   मूल्य में बदलाव का जोखिम कमोडिटी एक्सचेंज में शामिल है, लेकिन पाइंट सं. 2 में दी गई सिल्वर की मात्रा इससे अलग हैं।

J. K. Gupta & Associates
(Company Secretaries)
256 & 257, Vardhman City Center 2,
Near Shakti Nagar Railway Under Bridge,
Gulabi Bagh, Delhi- 110052

Tel : +91-11-23644449
+91-11-23654449
+91-11-23644447
Fax : +91-11-23644448
Mobile : +91-9810043622
Website : www.jkgupta.com
E-mail : jitesh@jkgupta.com

कारपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में
एमएमटीसी सदस्य

1. हमने 31 मार्च 2020 को एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है। यह जांच सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन 2015 (इसके बाद इसे लिस्टिंग रेग्युलेशन कहा गया है) रेग्युलेशन 17 से 27 तथा लोक विभाग द्वारा केन्द्रीय लोक उद्यम क्षेत्र (इसके बाद इसे कारपोरेट गवर्नेंस डीपीई दिशानिर्देश कहा गया) के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के दिशा निर्देशों में अनुबंध है।

2. कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी समीक्षा में कंपनी द्वारा उक्त विनियमों में अनुबंध कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के साथ कारपोरेअ गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाऐं तथा इसका अनुपालन शामिल है। यह न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही इन पर अपना मत प्रकट करना है।

3. हमारे विचार से तथा हमें मिली सूचना, हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमें दिए गए रिप्रेजेंटेशन के अनुसार तथा निदेशकों व प्रबंधन द्वारा दिए गए रिप्रेजेंटेशन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपरोक्त लिस्टिंग रेग्यूलेशन्स, उनमें उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को छोडकर, लागू शर्तों का अनुपालन करते हुए, कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है:

क. कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या की नियुक्ति के संबंध में केन्द्रीय लोक उद्यम क्षेत्र के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 ओर सिक्युरिटिज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग आब्लीगेशन्स और डिस्कॉलोजर रिक्वायरमेंट) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) का अनुपालन

ख. कंपनी के बोर्ड में फंक्शनल निदेशकों की आवश्यक संख्या की नियुक्ति के संबंध में केन्द्रीय लोक उद्यम क्षेत्र के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 ओर सिक्युरिटिज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग आब्लीगेशन्स और डिस्कॉलोजर रिक्वायरमेंट) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ए) का अनुपालन

हमारा यह भी कहना है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यावहारिकता और न ही ऐसी किसी दक्षता या कार्यसाधकता के लिए है ऐसा आश्वासन है जिसमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा कंपनी का कामकाज किया जाता है।

कृते जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स

जितेश गुप्ता
एफसीएस संख्या : 3978
सी.पी.संख्या : 2448
यूडीआईएन : एफ003978बी000939649

स्थान : नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2019–20

कंपनी के विषय में

एमएमटीसी श्रेणी–I का मिनी रत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो 1963 में निगमित हुआ था। यह देश की सबसे बड़ी अतंर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनियों में से एक है जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003 में है। भारत के प्रमुख शहरों एवं बंदरगाहों पर कंपनी के 09 क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर है।

खनिजों का निर्यात और कीमती धातु, अलौह धातु, उर्वरक, कृषि उत्पाद, कोल व हाइड्रोकार्बन का आयात तथा सांची ब्रांड के चांदी के उत्पादों, इंडिया गोल्ड कॉयन, गोल्ड मैडालियन इत्यादि का घरेलू बिक्री कंपनी के प्रमुख कार्यकलाप हैं। एमएमटीसी इंजीनियरिंग उत्पादों का भी व्यवसाय करती है तथा स्टील रिटेलिंग, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग तथा कमोडिटी एक्सचेंज के संयुक्त उद्यमों में भागीदारी है।

कंपनी के व्यापारिक कार्यकलाप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट के देशों में फैले हुए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला उपक्रम है जिसे निर्यात में अपने दीर्घकालिक योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 'फाईव स्टार एक्सपोर्ट हाउस' का दर्जा दिया गया।

मुक्त वातावरण में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने के उदेद्श्य से एमएमटीसी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप(पीपीपी) के रूट को अपनाते हुए नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड, टी एम माइनिंग कम्पनी लिमिटेड, सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. तथा इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड आदि जैसे विभिन्न संयुक्त उपक्रमों को प्रोन्नत किया है।

कारपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी एवं एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी का लक्ष्य है कि अपने शेयरहोल्डरों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज की संपूर्ण संतुष्टि के साथ–साथ अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता द्वारा टिकाऊ एवं व्यवहार्य वृद्धि दर प्राप्त करते हुए अपनी स्थिति को और बेहतर बनाए।

कारपोरेट उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार (बल्क) के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थपित कर नियोजित पूंजी से मिलने वाले रिर्टन में सुधार करना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थाान को बनाए रखना।
- व्यापार संबंधी संरचना के विकास को प्रोन्नत करना।
- मध्यम एवं लघु स्तर के उद्योगों को सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता व कुशलता के साथ उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करना।
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाना।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट – वित्त वर्ष 2019–20

2012 में आई भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड(सेबी) लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 55 के अनुसार बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वार्षिक व्यवसाय रिपोर्ट (बीबीआर) जारी करना आवश्यक हो गया है।

खण्ड एः कंपनी के बारे में सूचना

1. कंपनी का कारपोरेट आईडेंटिटी नम्बर (सीआईएन)
   एल 51909डीएल1963जी01004033
2. कंपनी का नाम
   एमएमटीसी लिमिटेड
3. पंजीकृत पता
   कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स 7, इंस्टीटयूशनल एरिया, लोदी रोड
   नई दिल्ली – 110003
4. वेबसाइट
   www.mmtclimited.com
5. ई मेल आईडी
   mmtc@mmtclimited.com

6. रिपोर्ट किया गया वित्त वर्ष
   2019–20
7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोडवार)
   ट्रेडिंग
8. तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका कंपनी निर्माण करती है या उपलब्ध कराती है। (तुलन पत्र के अनुसार)
   (i) यूरिया
   (ii) बुलियन
   (iii) लौह अयस्क
9. ऐसे स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाती हैं
   (i) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण दें)
   1 सिंगापुर में एक सहायक कंपनी
   (ii) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या
   भारत में 09 क्षेत्रीय कार्यालय
10. कंपनी द्वारा जिन बाजारों में आपूर्ति की जाती है – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय
    एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका

खण्ड बी : कंपनी के वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (आइएनआर)	150 करोड़
2.	कुल कारोबार(आईएनआर)	24,056.05 करोड़
3.	करोपरांत कुल लाभ 2019–20 (आईएनआर)	(227.11) करोड़
4.	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल बजटीय व्यय (प्रतिशत)	वर्ष 2019–20 के दौरान 173 लाख रुपए की राशि सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित की गई जोकि पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत के बराबर थी।
5.	उपर्युक्त 4 में से जिन कार्यकलापों पर खर्च किया गया उसकी सूची।	कंपनी अधिनियम की धारा VII के अनुसार सीएसआर के अंतर्गत 2019–20 के दौरान वार्षिक बजट निधि विविध योजनाओं और कार्यक्रमों मुख्य रूप से स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा और पोषण को बढ़ावा देने (अंकेक्षित जिलों के विकास के लिए लोक उद्यम विभाग वार्षिक थीम), स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय अभियान और कौशल विकास एवं अन्य गतिविधियों में आवंटित किया गया। अंकेक्षित जिलों में सीएसआर गतिविधियों को बढ़ावा के डीपीई दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग द्वारा अधिसूचित अंकेक्षित जिला बरान (राजस्थान) के जिला प्रशासन के साथ जिला अस्पताल में जच्चा एवं बच्चा स्वास्थ्य (एमसीएच) वार्ड में प्रतीक्षालय निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। परियोजना प्रगति पर है। आगे, राष्ट्र के आह्वान पर, एमएमटीसी ने सीएसआर बजट से रूपये 53 लाख का योगदान प्रधानमंत्री निधि में कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए योगदान दिया है।

खण्ड सी : अन्य विवरण

1 **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?**

जी हां, एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (विदेश में सहायक कंपनी)

क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या बताएं।

– नहीं

2. **क्या कोई अन्य व्यक्ति (उदाहरणार्थ आपूर्तिकर्त्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेते हैं ? यदि हां तो उक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता को इंगित करें (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत तक, 60 प्रतिशत से अधिक)**

– नहीं

खण्ड डी : बीआर सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

क. वर्ष 2019–20 के लिए बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

- डीआईएन संख्या – 08487833
- नाम – श्री राजीव रंजन सिन्हा
- पदनाम – निदेशक(कार्मिक)

ख. बीआर प्रमुख का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू है)	
2.	नाम	संजय कौल
3.	पदनाम	मुख्य महाप्रबंधक(कार्मिक)
4.	टेलीफोन नं.	011–24360365
5.	ई–मेल आईडी	skaul@mmtclimited.com

2. सिद्धांतवार (एनवीजी अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हॉ/नहीं में उत्तर दें)

सिद्धांत 1	नीतिपरक, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से बिजनेस संचालित किया जाना चाहिए।
सिद्धांत 2	बिजनेस को ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए जो सुरक्षित होने के साथ–साथ अपने जीवन चक्र के दौरान स्थाई बनी रहें।
सिद्धांत 3	बिजनेस सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोन्नत करता हो।
सिद्धांत 4	बिजनेस को सभी स्टेकहोल्डर्स, विशेषकर पिछड़े कमजोर एवं अधिकारहीन आदि के हितों के प्रति संवेदनशील एवं जवाबदेह होना चाहिए।
सिद्धांत 5	बिजनेस को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए एवं उन्हें प्रोन्नत करना चाहिए।
सिद्धांत 6	बिजनेस पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा करे तथा इसे बचाने के लिए प्रयास करें।
सिद्धांत 7	जनता एवं नियामक नीतियों को प्रभावित करते समय बिजनेस को जिम्मेदार तरीके से कार्य करना चाहिए।
सिद्धांत 8	बिजनेस समावेशी एवं समान विकास को प्रोन्नत करता हो।
सिद्धांत 9	बिजनेस अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारी से व्यवहार करते हुए उन्हें सम्मान देता हो।

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास..... के लिए नीति/नीतियां है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2	क्या पालिसी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श करके बनाई गई है ?	हां		हां	हां	हां			हां	
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार है यदि हां तो स्पष्ट करें (50 शब्दों में)	नहीं		नहीं	हां	हां			हां	
4	क्या बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है? यदि हां तो क्या यह एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां		हां	हां	हां			हां	
5	नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए क्या कंपनी में निदेशक मण्डल/ निदेशक/कर्मचारी की निर्दिष्ट समिति हैं?	हां		हां	हां	हां			हां	
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं?	www.mmtclimited.com		www.mmtclimited.com						
7.	क्या नीति की सूचना आंतरिक व बाह्य सभी स्टेकहोल्डरों को औपचारिक रूप से दी गई है ?	हां		हां	हां	हां			हां	
8.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों को लागू करने के लिए इन हाउस स्ट्रक्चर है?	हां		हां	हां	हां			हां	
9.	क्या कंपनी में स्टेकहोल्डरों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत को दूर करने के लिए कोई शिकायत निवारण व्यवस्था है?	हां		हां	हां	हां			हां	

10.	क्या कंपनी ने इस नीति को सुचारू रूप से काम करने के लिए किसी आंतरिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आडिट / मूल्यांकन करवाया है?	हां		हां		हां				

2ए. यदि क्र.सं. 1 के लिए किसी भी सिद्धान्त का उत्तर नहीं में है तो कृपया उल्लेख करें कि उत्तर नहीं क्यों है : (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है									
2	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह निर्धारित सिद्धांतों पर बनाई गई नीतियों को बनाकर लागू कर सके							✓		
3	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय अथवा श्रम शक्ति के स्रोत उपलब्ध नहीं है									
4	ऐसा अगले छः महीनों में कर लेने की योजना है									
5	ऐसा अगले एक वर्ष में कर लेने की योजना है									
6	अन्य कोई कारण (कृपया उल्लेख करें)									

3. बीआर से संबंधित सुशासन (गवर्नेंस)

कृपया यह बताएं कि निदेशक मंडल, बोर्ड समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किस अंतराल पर कंपनी की बीआर परफारमेंस का जायजा लेते हैं। 3 मास की अवधि में, 3–6 मास की अवधि में, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से ज्यादा की अवधि में?

एमएमटीसी का बोर्ड नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में बैठक करता है। बोर्ड की बैठकों में स्ट्रक्चर्ड एजेंडा पर चर्चा होती है। सभी बड़े मामलों के लिए विस्तृत एजेंडा अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पहले से ही जारी कर दिए जाते हैं जिससे कि बोर्ड मामले पर समुचित तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

कंपनी के मामलों पर शीघ्र विचारार्थ तथा सही दिशा में निर्णय लेने के लिए बोर्ड ने विशेष भूमिका, दायित्व तथा शक्तियों से निहित विभिन्न समितियों का गठन किया है। शीर्ष प्रबंधन प्रत्येक तिमाही में होने वाली बैठक में संगठन के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा करता है। वर्ष 2019–20 के दौरान एमएमटीसी के प्रबंधतंत्र ने निम्नलिखित पर विचार विमर्श एवं समीक्षा की :

- कारपोरेट योजना / एमओसी एण्ड आई के साथ मसौदा एमओयू
- एचआर से संबंधित मामले / वेतन संशोधन / सक्सेशन प्लान
- संयुक्त उद्यमों में निवेश
- एनआईएनएल से संबंधित मामले
- वार्षिक बजट
- शेयर मूल्य तथा एमएमटीसी का शेयरधारिता पैटर्न
- अधिशेष निधियों के उपयोग की स्थिति
- वित्तीय विवरणों / परिणामों को मंजूरी
- वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर / बीबीआर पर वार्षिक रिपोर्ट
- कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन

क्या कंपनी बीआर अथवा सस्टेनेबलटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कौन सा हाइपर लिंक उपलब्ध है? यह रिपोर्ट कितने अंतराल पर प्रकाशित की जाती है?

सेबी के आदेश (मैनडेट) के अनुसार मार्केट कैपिटल के आधार पर 500 शीर्ष कंपनियों को बीआरआर तैयार करनी होती है। एमएमटीसी टॉप 100 सूचीगत कंपनियों में नही होने के बावजूद वर्ष 2012–13 से बीआरआर नियमित रूप से प्रकाशित कर रही है। बीआरआर वार्षिक रिपोर्ट का भाग होती है तथा इसे आफिसियल वेबसाइट www.mmtclimited.com पर देखा जा सकता है।

संगठन यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क (यूएनजीसीएन) का सदस्य भी है तथा वार्षिक आधार पर कम्यूनिकेशन ऑन प्रोग्रेस (सीओपी) प्रस्तुत करता है। यह यूएनजीसी की वेबसाइट पर हमारे सभी स्टेकहोल्डरों के लिए उपलब्ध है।

खण्ड ई – सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 – व्यवसाय नैतिकता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही की नीतियों पर आधारित हो।

1. **क्या नैतिकता, रिश्वत तथा भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को ही कवर करती है?**

जी हां। कंपनी का नैतिक आचार–व्यवहार विभिन्न नीति पहलों में परिलक्षित होता है। यद्यपि कर्मचारी आचरण, अनुशासन व अपील नियमों के अधीन संगठन के सभी स्तर के कर्मचारी आते हैं फिर भी वरिष्ठ प्रबंधन (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) के आचरण को संचालित करने के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबधन के लिए व्यापारिक आचार एवं नीतियों की संहिता के रूप में अलग से दिशा निर्देश हैं। इसके अतिरिक्त, नीतिगत बिजनेस, पालिसियों जैसे सत्यनिष्ठा समझौता, पैक्ट, व्हिसल ब्लोअर पालिसी तथा सिटीजन चार्टर लागू किए गए हैं।

क्या यह ग्रुप / संयुक्त उद्यम / सप्लायरों / ठेकेदारों / एनजीओ / अन्य पर भी लागू होता है ?

जी हां, सत्यनिष्ठा समझौता निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य के खरीद संबंधी टेंडरों के लिए अपनाया गया है, सिटीजन चार्टर के दायरे में वेंडर, क्रेता, सप्लायर, ठेकेदार आदि आते हैं जबकि आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) तथा व्हिसल ब्लोअर नीतियां और आडिट कमेटी सतर्कता तंत्र केवल कंपनी के कर्मचारियों के लिए है। सीवीसी दिशा–निर्देशो के क्रम में स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईईएमएस) के साथ संलग्न है और निवारक सतर्कता उपायों को अपनाई है।

2. **पिछले वित्त वर्ष में स्टेकहोल्डरों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उनमें से कितने प्रतिशत का निपटान प्रबंधतंत्र द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया? यदि कुछ है तो उसका 50 शब्दों में ब्यौरा दें।**

स्टेकहोल्डरों की शिकायत मिलने पर कंपनी की शिकायत निवारण नीति के अनुसार तुरंत निवारण किया जाता है। यह नीति पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। पूरे वर्ष में कर्मचारी / वेंडर संबंधी अधिकतर शिकायतों का संतोषपूर्वक निवारण कर दिया गया। सीपीग्राम पोर्टल पर दर्ज शिकायत का निवारण किया जाता है और इन शिकायतों में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर समय सीमा के अंदर ऑनलाइन फाइल किए जाते हैं। अन्य सभी लंबित मामले विचाराधीन हैं और उनके संतोषजनक समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सिद्धांत 2 – व्यापार ऐसा माल तथा सेवाएं प्रदान करें जो कि सुरक्षित तथा अपने जीवन चक्र में टिकाऊ हों।

एमएमटीसी मुख्यतः ट्रेडिंग कारोबार में होने के साथ–साथ स्वर्ण एवं चांदी के विभिन्न मूल्यवर्गों के मेडालियन का निर्माण भी करती है। एमएमटीसी जिन उत्पादों में ट्रेड करती है उनकी श्रेष्ठ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ–साथ बीआईएस के अनुरूप मेडालियन के निर्माण को भी सुनिश्चित करती है।

सिद्धांत 3 – व्यापार कर्मचारियों के हितों का उन्नयन करने वाला हो।

1. **कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं**

दिनांक 31.3.2020 को कुल कर्मचारी संख्या 794 (निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों सहित) है।

2. **कृपया अस्थायी / ठेके पर / कैजुअल आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

विभिन्न एजेंसियों / सोसाइटियों से कुल 266 कर्मचारी ठेके पर रखे गए हैं।

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

कुल स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 165है।

4. **कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या 21 है।

5. **क्या आपके संगठन में प्रबंधतंत्र द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है।**

जी हां ।

6. **इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में स्थायी कर्मचारियों की सदस्यता का क्या प्रतिशत है ?**

100 प्रतिशत

7. **कृपया पिछले वित्त वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें तथा इस वित्त वर्ष में लम्बित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।**

क्रम संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष में प्राप्त शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मजदूरी / जबरन मजदूरी / अनैच्छिक मजदूरी	0	0
2.	यौन उत्पीड़न	1	0
3.	पक्षपाती रोजगार	0	0

8. **पिछले वर्ष में आपके निम्नलिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा व कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया?**

निरंतर बदलते व्यापारिक परिदृश्य में कर्मचारियों के कौशल के विकास / उन्नयन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस / इन हाउस कायक्रमों में 352(44.33:)कर्मचारियों को कार्यात्मक / व्यवहारिक कौशल और कंपनी के अन्य कार्यक्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए कुल अधिकारियों / कर्मचारियों में से 51(14.49 प्रतिशत) एससी वर्ग, 28(7.59 प्रतिशत) एसटी वर्ग के थे तथा 161(45.74 प्रतिशत) महिला अधिकारी / कर्मचारी थे। श्रम दिवसों के अनुसार वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 543 श्रम दिवसों का प्रशिक्षण दिया गया ।

सिद्धांत 4 – व्यापार में सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों का, विशेषकर उनका जो कि सुविधाहीन, असुरक्षित तथा जो हाशिए पर हैं, का सम्मान करते हुए जवाबदेह होना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों को मैप कर लिया है? हां/नहीं**

   जी हां, कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में विभिन्न समूह के स्टेकहोल्डर्स की पहचान की है और उनके साथ संपर्क बनाया है। आंतरिक स्टेकहोल्डर्स में कर्मचारी, शेयरहोल्डर्स तथा बाहरी में ग्राहक, समुदाय इत्यादि शामिल हैं।

2. **उपरोक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है?**

   जी हां। संगठन ने समुदाय के असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है तथा सीएसआर गतिविधियों द्वारा इनसे संपर्क बनाया है।

3. **क्या कंपनी द्वारा सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों के साथ संपर्क बनाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं? यदि हां तो इसका पचास या अधिक शब्दों में ब्यौरा दें।**

   जी हां, समावेशी विकास को प्रोन्नत करने के लिए एमएमटीसी द्वारा एससी/एसटी/ ओबीसी/पीडब्ल्यूडी(विकलांग व्यक्ति)/भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेशों तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। शिकायतों के पंजीकरण के लिए प्रभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत रजिस्टर भी बनाए गए हैं। एससी/एसटी कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए भी पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को ऐसे कार्य दिए जाते हैं जो वे दक्षतापूर्ण तरीके से कर सकें। पहिया कुर्सी(व्हील चेयर) का प्रयोग करने वाले पी डब्ल्यूडी कर्मचारियों के सहज आवागमन के लिए कारपोरेट कार्यालय के मुख्य गेट पर एक स्थायी ढाल रास्ता(रैम्प) बनाया गया है।

   कार्यालय भवन में मंजिलों की उदघोषण के लिए श्रव्य सूचक हैं। इनमें से कुछ में मंजिलों के लिए ब्रेल सिम्बल बटन हैं।

   इसके अतिरिक्त, सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डर्स को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों को नियोजित किया जाता है। स्थानीय सरकारी निकायों तथा क्षेत्र में कार्यरत एनजीओज़ के सहयोग से ऐसे स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर कार्य किया जाता है।

सिद्धांत 5.व्यवसाय में मानव अधिकारों का सम्मान तथा इन्हें प्रोन्नत किया जाना चाहिए।

1. **क्या कंपनी की मानव अधिकार नीति केवल कंपनी तक ही सीमित है या इसमें ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य भी शामिल हैं?**

   इस समय कंपनी में मानव अधिकारों की कोई विशिष्ट नीति नहीं है।

   कंपनी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कंपैक्ट नेटवर्क(यूएनजीसीएल) की सदस्य है और कम्युनिकेशन ऑन प्रोग्रेस(सीओपी) पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह यूएनजीसी की वेबसाइट पर सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए उपलब्ध है।

   तथापि, एक सरकारी कंपनी होने के कारण एमएमटीसी भारत के संविधान जिसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का संकल्प है तथा जिसमें विश्वव्यापी मूल मानवाधिकार घोषणा में निदेशित मानव अधिकार महत्ता भी शामिल है, के प्रति निष्ठावान है। एमएमटीसी अपने कार्यस्थलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानव अधिकारों का सम्मान कर उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित करती है कि इसके कर्मचारी मूलभूत मानव अधिकार प्राप्त करें। एमएमटीसी में कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ''सहायता'' के नाम से 03 स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था है। एमएमटीसी की प्रबंधन व्यवस्था में स्वास्थ्य, सुरक्षा, निवास तथा शिक्षा के लिए प्रावधान है। इन सभी को सर्वांगीण रूप से सुनिश्चित करने के लिए एमएमटीसी में पूरी व्यवस्था की गई है।

2. **पिछले वित्त वर्ष में कितने स्टेकहोल्डरों से शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इनमें से प्रबंधतंत्र द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक निवारण किया गया?**

   वर्ष के दौरान कुल 56 जन शिकायतें मिली और तथा इन सभी का संतोषजनक निपटान कर दिया गया। (100%)

सिद्धांत 6–व्यवसाय में पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा इसके पुनः स्थापित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

क्योंकि विनिर्माण एमएमटीसी का मुख्य कार्यकलाप नहीं हैं अतः इस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता।

1. **क्या नियम 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी में ही लागू होती है या फिर यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओज/अन्य पर भी लागू है?**

   संगठन में पर्यावरण के बारे में लिखित में कोई नीति नहीं है। तथापि, यूएन ग्लोबल काम्पैक्ट का सदस्य होने के नाते कंपनी पर्यावरणीय रूप से जवाबदेह तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. **जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्वि (ग्लोबल वार्मिंग) आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मामलो के समाधान के लिए क्या कंपनी ने कोई रणनीति बनाई है/उपाय किए हैं ? यदि उत्तर हां है, तो कृपया वेब पेज आदि के हाईपरलिंक बताएं।**

   यद्यपि विनिर्माण एमएमटीसी की प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है, फिर भी खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जनजाति क्षेत्रों में विकास तथा प्रचालन क्षेत्रों तथा इसके आसपास के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए और अपने सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से सतत पहलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्व है। इसके अतिरिक्त यूएन ग्लोबल काम्पैक्ट के लिए सीओपी द्वारा अपनी विभिन्न पहलों के विषय में संस्थान नियमित रूप से सूचित करता है।

3. **क्या कंपनी संभावी पर्यावरण जोखिमों को पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है? हां/नहीं**

यद्यपि संगठन सीधे किसी विनिर्माण से नहीं जुड़ा है, तथापि यह पर्यावरण के प्रति जवाबदेह तरीके से काम करता है। एमएमटीसी लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करती है। जिसके अनुसार पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित परियोजनाओं की पहचान किए जाने के साथ–साथ उनका कार्यान्वयन भी किया जाता है।

4. **क्या कंपनी में क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है? यदि ऐसा है तो पचास या अधिक शब्दों में उसका विवरण दें। इसके अतिरिक्त यदि उत्तर हां है तो यह भी बताएं कि क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई है ?**

जी नहीं ।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा आदि के लिए कोई अन्य कदम उठाए है? हां/नहीं । यदि हां है तो वेब–पेज आदि का हाइपरलिंक बताएं।**

एमएमटीसी पूरे संगठन में उर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा कुशल स्टार रेटेड उपकरणों का प्रयोग करती है।

एमएमटीसी ने अपने झंडेवालान स्थित क्षेत्रीय कार्यालय तथा एमएमटीसी आवासीय कालोनी, नई दिल्ली की छत पर 50 केडब्लयूपी का सोलर पावर प्लांट लगाए हैं।

6. **क्या कंपनी द्वारा रिपोर्ट के इस वित्तीय वर्ष में उत्पन्न उत्सर्जन/वेस्टेज इत्यादि सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे हैं?**

लागू नहीं।

7. **समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त ऐसे कारण बताओ/वैधानिक नोटिसों की संख्या जो लंबित है (अर्थात संतोषजनक रूप से नहीं निपटाए गए)**

लागू नहीं।

सिद्धांत 7–व्यवसाय यदि पब्लिक तथा नियामक नीति को प्रभावित करता है तो एक जिम्मेदार तरीके से करें।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चैम्बर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो कृपया केवल उन्ही मुख्य संघों का उल्लेख करें जिनसे आपके व्यवसाय का संबंध है ।

   ए. सीआईआई

   बी. फिओ(एफआईईओ)

   सी. फिक्की

   डी. असोचैम

2. **क्या आपने जनकल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत/प्रचार किया है? हां/नही; यदि हां तो मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्राप बॉक्सः सुशासन व प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावे ी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, दीर्घकालिक व्यापार सिद्धांत, अन्य)।**

संगठन ने उपरोक्त संघों के माध्यम से जन कल्याण से संबंधित किसी भी मामले के लिए वकालत/प्रचार नहीं किया है।

सिद्धांत 8–व्यवसाय को समावेशी विकास तथा न्यायसंगत विकास को प्रोन्नत करना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीतियों के अनुसरण में वि िश्ट कार्यक्रम/पहल/प्रोजेक्ट बनाए है? यदि हां तो उसका विवरण दें।**

चूंकि कंपनी उत्पादों का निर्माण नहीं करती है, अतः इसके कार्यकलापों से पर्यावरण तथा समाज पर प्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी इसने अपनी सीएसआर नीति बनाई हुई है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सीएसआर नियमों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सीएसआर दिशा निर्देशों को भी एमएमटीसी ने अपनाया है। एमएमटीसी में अपनी कमाई के एक भाग को समाज के उत्थान के लिए सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करने की एक स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया उपलब्ध है।

2. **क्या कार्यक्रम/प्रोजेक्टस/इन–हाउस टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी स्ट्रक्चर/अन्य किसी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं?**

एमएमटीसी में सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी के लिए बोर्ड स्तर की समिति है जिसमें स्वतंत्र निदेशकों तथा फंक्शनल निदेशकों के अलावा कंपनी सचिव सदस्य सचिव हैं। सीएसआर प्रभाग विभिन्न सीएसआर प्रस्तावों का पूरी तरह से आकलन करने के बाद सीएसआर समिति को भेज देता है। सीएसआर समिति द्वारा विचार करने के बाद प्रस्तावों को निदेशक मण्डल के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन की स्थिति को त्रैमासिक आधार पर सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

जिस क्षेत्र में प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया जाना है वहां के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय को स्वयं ही अथवा निजी/सार्वजनिक भागीदार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट के निरीक्षण एवं कार्यान्वयन के निदेश दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए एक

नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जिसका कार्य यह होता है कि वह प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने के लिए निगरानी रखे तथा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बारे में कारपोरेट कार्यालय को अवगत कराए। प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के पश्चात इसका एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी मूल्यांकन किया है?**

   एमएमटीसी द्वारा चलाई जा रही सीएसआर गतिविधियों के ''सामाजिक प्रभाव'' का मूल्यांकन करने के लिए इसका मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है।वर्ष 2019–20 के दौरान प्रभावी मूल्यांकन मै. एसआर एशिया द्वारा किया गया।

4. **सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट्स में आपकी कंपनी का क्या प्रत्यक्ष अंशदान है ? भारतीय रुपयों में राशि तथा किए गए प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा दें।**

   एमएमटीसी ने वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियां चलाने के लिए 173 लाख रुपए आबंटित किए हैं।

   डीपीई और नीति आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019–20 के दौरान आबंटित सीएसआर बजटीय फंड विभिन्न परियोजनाओं और हेल्थकेयर, शिक्षा व पोषण को प्रोत्साहन, (आकांक्षी जिलों के लिए डीपीए की वार्षिक थीम भी है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन(एनएमसीजी), कौशल विकास और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची –VII के अनुसार अन्य कार्य।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास की पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है? कृपया पचास या अधिक शब्दों में उल्लेख करें।**

   एमएमटीसी की सीएसआर पहलों का उद्देश्य समुदाय आधारित ऐसे संगठनों को मजबूत बनाना है जो विकास की मुख्य धारा से बाहर रह गए लोगों विशेषकर महिलाओं, युवाओं तथा बच्चों की बेहतरी के लिए कार्य करती है। एमएमटीसी द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओ को पहले एक व्यावसायिक एजेंसी द्वारा की गई आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण से चिन्हित किया जाता है तथा स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान करने, इन कार्यान्वयन में उन्हें लगाने के साथ–साथ भविष्य की योजनाओं के लिए उनके फीडबैक प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी हम सुनिश्चित करते हैं।

सिद्धांत 9 – व्यवसाय करते समय ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को महत्व देते हुए जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए ।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहकों की शिकायतें / उपभोक्ताओं के मामले लम्बित हैं।**

   रिपोर्ट की गई अवधि में उक्त प्रकृति की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

2. **स्थानीय कानूनों के अनुसार दी जाने वाली वैधानिक सूचना के अतिरिक्त भी क्या कंपनी अपने उत्पाद के लेबल पर उत्पाद से संबंधी सूचना छापती है? हां / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)।**

   कंपनी सिल्वर व गोल्ड मेडालियन तथा सांची ब्रांड नाम से सिल्वर मेडालियन तथा सिल्वरवेयर की खुदरा (रिटेल) बिक्री करती है। इन वस्तुओं की पैकेजिंग पर संबंधित उत्पाद सूचना दी गई होती है। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं पर बार कोडिंग भी हैं।

3. **क्या कंपनी के विरूद्ध किसी स्टेकहोल्डर ने अनुचित व्यापारिक गतिविधि, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन तथा / अथवा गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए पिछले पांच वर्षों में कोई शिकायत की है तथा जो इस वर्ष में भी लम्बित है? यदि हां तो पचास या अधिक शब्दों में उत्तर दें।**

   इस प्रकार का कोई भी मामला निपटान के लिए लंबित नही है।

4. **क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता सर्वे / उपभोक्ता संतुष्टि रूझान का आकलन किया है?**

   जी नहीं

****

फार्म नं. एमजीटी–9
वार्षिक रिटर्न का सारांश
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष
[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में]

पंजीकरण तथा अन्य विवरण :

1) कारपोरेट आईडेंटिफिकेशन नम्बर	एल51909डीएल1963जीओआई004033
2) रजिस्ट्रेशन की तारीख	26 सितंबर, 1963
3) कंपनी का नाम	एमएमटीसी लिमिटेड
4) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सरकारी कंपनी
5) पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्लीं – 110003 फोन – 01124362200 ई–मेल – mmtc@mmtclimited.com
6) क्या कंपनी सूचीबद्ध है	सूचीबद्ध
7) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई है तो	एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड एफ–65, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेज–1, नई दिल्ली – 110020 फोन – 011–41406149 फैक्स – 011–41709881 ईमेल : Helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के टर्नओवर में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण–

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर में प्रतिशतता
1.	उर्वरकों का थोक व्यापार	46692	46.10%
2.	कीमती धातु व ज्वेलरी का थोक व्यापार (सोना)	46498	22.38%
3.	कीमती धातु व ज्वेलरी का थोक व्यापार (चाँदी)	46692	15.24%

III. होल्डिंग, सहायक तथा एसोसिएट कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम तथा पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/एसोसिएट कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि., सिंगापुर	199407265एम	पूर्ण–स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100.00	2(87)
2	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	यू27109ओआर1982जीओआई001050	एसोसिएट	49.78	2(6)
3	फ्री ट्रेड वेयरहाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड	यू63023डीएल2005पीटीसी134299	एसोसिएट	26.00	2(6)
4	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	यू27310एचआर2008पीटीसी042218	एसोसिएट	26.00	2(6)
5	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	यू13100टीएन2006पीएलसी061022	एसोसिएट	26.00	2(6)
6	टी एम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	यू13100डब्ल्यूबी2010पीएलसी156401	एसोसिएट	26.00	2(6)

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेकअप)

(i) श्रेणीवार शेयरधारिता

श्रेणी	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01 अप्रैल, 2019 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च 2020 को)				वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन का प्रतिशत
(i)	(ii)	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(क)	प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता									
1	इंडियन									
(ए)	व्यक्तिगत/एचयूएफ	0	0	0	0		0.00		0.00	
(बी)	केन्द्र/राज्य सरकार	1348903143	0	1348903143	89.93	1348903143	0	1348903143	89.93	0.00
(सी)	निकाय कारपोरेशन	0	0	0	0.00		0			
(डी)	बैंकर्स/एफआई	0	0	0	0		0			
(ई)	अन्य कोई (उल्लेख करें)	0	0	0	0		0			

	उप–जोड़(क) (1)	1348903143	0	1348903143	89.93	1348903143	0	1348903143	89.93	
2	विदेशी									
(ए)	एनआरआई–व्यक्तिगत	0	0	0	-	0	0	0.00	-	0.00
(बी)	अन्य–व्यक्ति	0	0	0	-	0	0	0.00	-	0.00
(सी)	निकाय कारपोरेशन	0	0	0	0.00	0	0	0	-	0.00
(डी)	बैंकर्स / एफआई	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00
(ई)	अन्य कोई (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00
	उप–जोड़ (क)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	-	0.00
	प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह (ए)=(ए) (1)+ (ए) (2)	1348903143	0	1348903143	89.93	1348903143	0	1348903143		89.93
(बी)	पब्लिक शेयरधारिता									
1.	संस्थान	0								
(ए)	म्युचुअल फंडस	588989	0	588989	653906	0	653906		-0.02	
(बी)	बैंक / एफआई	982427	0	982427	0.0439	390945	0	390945	0.655	0.19
(सी)	केन्द्र सरकार / राज्य सरकार(आईईपीएफ)	1468	0	1468	0	10264	0	10264	00.000001	0.00
(डी)	वेंचर कैपिटल फंड्स		0			-	0		-	0.00
(ई)	इंश्योरेंस कंपनियां	60025104	0	60025104	4.0017	60025104	0	60025104	4.0017	0.00
(एफ)	एफआईआई		0			-		0	-	0.00
(जी)	फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स	1400524	0	1400524	0.1088	1043808	0	1043808	.0934	-0.11
(एच)	अन्य कोई (उल्लेख करें)		0	0	-		0	0	-	0.00
	उप–जोड़ (बी)(1)	62998512		62998512	4.1949	6221640		6221640	4.1999	1.80
2.	नॉन–इंस्टीट्यूशंस									
(ए)	निकाय का i) इंडियन	9323563	0	9323563	1.00	6274386	0	6274386	.6216	-0.36
	ii) ओवरसीज	0	0	0	-		0	0	-	0.00
(बी)	व्यक्तिगत							0	-	0.00
i)	दो लाख रुपये तक की राशि के शेयर रखने वाले आवासी व्यक्ति	76093213	5461	76093213	4.66	79228448	4745	79233193		-1.35
ii)	दो लाख रुपये से ज्यादा की राशि के शेयर रखने वाले आवासी व्यक्ति	9,02,801	0	9,02,801	0.09	1301317	0	1301317		-0.05
(सी)	अन्य (उल्लेख करें)	0						0		
(सी.i)	ट्रस्ट	12,500		12,500	0.00	19200	0	19200		-0.00
(सी.ii)	नॉन–रेजिडेंट भारतीय	12,96,273		12,96,273	0.13	80534510	0	80534510		-0.04
(सी.iii)	क्लियरिंग सदस्य	0	0		0.0000			0	-	0.00
(सी. iv)	आरबीआई के साथ रजिस्टर्डएनबीएफसीज	46,100		46,100		0.00	53500	0	53500	0.00
	उप–जोड़ (बी)(2)	4,07,98,513	3,079	4,08,01,592	4.08	88972830	4745	88968085		-1.80
(बी)	कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग (बी)= (बी)(1)+(बी) (2)	10,07,28,159	3,079	10,07,31,238	10.0731	151092152	4745	151096897	10.0731	0.00
(सी)	जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टो डियन के शेयर कुल योग (ए)+(बी)+(सी)	0 99,99,96,921	0 3,079	0 1,00,00,00,000	0 100	0 1499995255	0 4745	0.00 1500000000	- 100.00	0.00 - 0.00

ii) प्रोमोटर्स की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरहोल्डर का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल 2019) को			वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31 मार्च 2020) को			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	कुल शेयरों के प्लेज्ड तथा इन्कम्बर्ड शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	कुल शेयरों के प्लेज्ड तथा इन्कम्बर्ड शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयरधारिता प्रतिशतता में बदलाव
1	भारत के राष्ट्रपति	1348903143	89.9269	शून्य	1348903143	89.9269	शून्य	
	कुल	1348903143	89.9269	शून्य	1348903143	89.9269	शून्य	

iii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता में बदलाव

क्र. सं.		शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि / (कमी)	कारण	वर्ष के दौरान (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) संचयी शेयरधारिता	
		वर्ष के आरंभ (01 अप्रैल 18) / अंत(31 मार्च 2019) में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के आरंभ में	1348903143	89.9269	1 अप्रैल 2019		बदलाव नहीं		
2.	वर्ष के अंत मे	1348903143	89.9269	31 मार्च 2020			1348903143	89.9269

iv) 31.03.2019 और 31.03.2020 को शीर्ष दस शेयरहोल्डर्स का विवरण और उनका लेनदेन (प्रोमोटर्स को छोड़कर)

				शेयरहोल्डिंग		दिनांक	शेयर–होल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	वर्ष के दौरान (31.03.2018 से (31.03.2020) संचयी शेयरधारिता		
क्र. सं.	फोलियो संख्या	नाम	पैन	वर्ष के आरंभ (31.03.18) / अंत में (31.03.20) में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयर्स	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ग
1	IN30081210000012	भारतीय जीवन बीमा निगम	एएएसीएल 0582एच	50909511	3.39	20190330					बीमा कंपनी
				50909511	3.39	20200331	शून्य	शून्य			
2	IN30081210000543	यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एएएसीयू 5552सी	3682471	0.25	20190330					बीमा कंपनी
				3682471	0.25	20200331	शून्य	शून्य			
3	IN30081210000029	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया	एएएसीजी 0615एन	2760000	0.18	20190330					बीमा कंपनी
				2760000	0.18	20200331	शून्य	शून्य			
4	IN30081210001728	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एएएसीएन 4165सी	1712446	0.11	20190330					बीमा कंपनी
				1712446	0.11	20200331	शून्य	शून्य			

5	IN30081210000502	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एएएसीएन 9967ई	675268 675268	0.05 0.05	20190330 20200331	शून्य	शून्य			बीमा कंपनी
6	IN30016710081087	एमवी एससीआईएफ मॉरिसस	एएजीसीएम 4803एन	992876	0.07	20190330					विदेशी निकाय कारपोरेट
						20190426	4391	क्रय	997267	0.07	
						20190510	-68454	विक्रय	928813	0.06	
						20190531	9628	क्रय	938441	0.06	
						20190614	22802	क्रय	961243	0.06	
						20190628	-33555	विक्रय	927688	0.06	
						20190705	-22696	विक्रय	904992	0.06	
						20190712	-22694	विक्रय	882298	0.06	
						20190726	1946	क्रय	884244	0.06	
						20190920	-22708	विक्रय	861536	0.06	
						20190927	-122036	विक्रय	739500	0.05	
						20191004	19622	क्रय	759122	0.05	
						20191206	-19644	विक्रय	739478	0.05	
						20191227	1916	क्रय	741394	0.05	
						20191231	-9841	विक्रय	731553	0.05	
						20200207	-19813	विक्रय	711740	0.05	
						20200228	-19774	विक्रय	691966	0.05	
						20200313	-9907	विक्रय	682059	0.05	
						20200327	-24891	विक्रय	657168	0.04	
				657168	0.04	20200331					
7	IN30134820016807	आईसीआईसीआई बैंक लि.	एएएसीआई1195एच	588897	0.04	20190330					प्राईवेट बैंक
						20190405	66011	क्रय	654908	0.04	
						20190412	29567	क्रय	684475	0.05	
						20190419	-5095	विक्रय	679380	0.05	
						20190426	9541	क्रय	688921	0.05	
						20190503	-54017	विक्रय	634904	0.04	
						20190510	29953	क्रय	664857	0.04	
						20190517	-14973	विक्रय	649884	0.04	
						20190524	-312	विक्रय	649572	0.04	
						20190531	-117742	विक्रय	531830	0.04	
						20190607	65922	क्रय	597752	0.04	
						20190614	-123149	विक्रय	474603	0.03	
						20190621	99632	क्रय	574235	0.04	
						20190628	-103322	विक्रय	470913	0.03	
						20190629	-2036	विक्रय	468877	0.03	
						20190705	35162	क्रय	504039	0.03	
						20190712	92391	क्रय	596430	0.04	
						20190719	-5034	विक्रय	591396	0.04	
						20190726	10595	क्रय	601991	0.04	
						20190802	-35783	विक्रय	566208	0.04	
						20190809	-4648	विक्रय	561560	0.04	
						20190816	5835	क्रय	567395	0.04	
						20190823	-36285	विक्रय	531110	0.04	
						20190830	-167627	विक्रय	363483	0.02	
						20190906	-5799	विक्रय	357684	0.02	
						20190913	-12580	विक्रय	345104	0.02	
						20190920	20525	क्रय	365629	0.02	
						20190927	16212	क्रय	381841	0.03	
						20190930	1041	क्रय	382882	0.03	
						20191004	52747	क्रय	435629	0.03	
						20191011	-10482	विक्रय	425147	0.03	
						20191018	-16337	विक्रय	408810	0.03	
						20191025	74470	क्रय	483280	0.03	
						20191101	-14396	विक्रय	468884	0.03	
						20191108	2017	क्रय	470901	0.03	
						20191115	-799	विक्रय	470102	0.03	

						20191122	-11864	विक्रय	458238	0.03	
						20191129	40501	क्रय	498739	0.03	
						20191206	-14860	विक्रय	483879	0.03	
						20191213	15743	क्रय	499622	0.03	
						20191220	-5706	विक्रय	493916	0.03	
						20191227	-11486	विक्रय	482430	0.03	
						20191231	-3221	विक्रय	479209	0.03	
						20200103	5772	क्रय	484981	0.03	
						20200110	-26847	विक्रय	458134	0.03	
						20200117	53832	क्रय	511966	0.03	
						20200124	83713	क्रय	595679	0.04	
						20200131	55204	क्रय	650883	0.04	
						20200207	21454	क्रय	672337	0.04	
						20200214	19755	क्रय	692092	0.05	
						20200221	130541	क्रय	822633	0.05	
						20200228	-1378	विक्रय	821255	0.05	
						20200306	-68428	विक्रय	752827	0.05	
						20200313	-20596	विक्रय	732231	0.05	
						20200320	-71644	विक्रय	660587	0.04	
						20200327	-22228	विक्रय	638359	0.04	
				639672	0.04	20200331	1313	क्रय			
8	IN30048412622255	एक्सिस बैंक लिमिटेड	एएएसीएन2414के	592982	0.04	20190330					प्राईवेट बैंक
						20190405	-31278	विक्रय	561704	0.04	
						20190412	-101928	विक्रय	459776	0.03	
						20190419	-6596	विक्रय	453180	0.03	
						20190426	-4113	विक्रय	449067	0.03	
						20190503	-6970	विक्रय	442097	0.03	
						20190510	1390	क्रय	443487	0.03	
						20190517	-7480	विक्रय	436007	0.03	
						20190524	3264	क्रय	439271	0.03	
						20190531	-9866	विक्रय	429405	0.03	
						20190607	10211	क्रय	439616	0.03	
						20190614	19417	क्रय	459033	0.03	
						20190621	-43147	विक्रय	415886	0.03	
						20190628	-30499	विक्रय	385387	0.03	
						20190705	13169	क्रय	398556	0.03	
						20190712	-8675	विक्रय	389881	0.03	
						20190719	4217	क्रय	394098	0.03	
						20190726	-6284	विक्रय	387814	0.03	
						20190802	4042	क्रय	391856	0.03	
						20190809	-2804	विक्रय	389052	0.03	
						20190816	9998	क्रय	399050	0.03	
						20190823	-23772	विक्रय	375278	0.03	
						20190830	-26031	विक्रय	349247	0.02	
						20190906	-575	विक्रय	348672	0.02	
						20190913	-4507	विक्रय	344165	0.02	
						20190920	24722	क्रय	368887	0.02	
						20190927	-115622	विक्रय	253265	0.02	
						20190930	116202	क्रय	369467	0.02	
						20191004	105041	क्रय	474508	0.03	
						20191011	26959	क्रय	501467	0.03	
						20191018	-23263	विक्रय	478204	0.03	
						20191025	2698	क्रय	480902	0.03	
						20191101	7877	क्रय	488779	0.03	
						20191108	-10118	विक्रय	478661	0.03	
						20191115	14848	क्रय	493509	0.03	
						20191122	4779	क्रय	498288	0.03	
						20191129	8750	क्रय	507038	0.03	
						20191206	-2410	विक्रय	504628	0.03	
						20191213	-29738	विक्रय	474890	0.03	

						20191220	-11055	विक्रय	463835	0.03	
						20191227	-222	विक्रय	463613	0.03	
						20191231	50	क्रय	463663	0.03	
						20200103	-2975	विक्रय	460688	0.03	
						20200110	-22497	विक्रय	438191	0.03	
						20200117	36009	क्रय	474200	0.03	
						20200124	37849	क्रय	512049	0.03	
						20200131	-461	विक्रय	511588	0.03	
						20200207	-14910	विक्रय	496678	0.03	
						20200214	-19099	विक्रय	477579	0.03	
						20200221	-1170	विक्रय	476409	0.03	
						20200228	-110	विक्रय	476299	0.03	
						20200306	-23926	विक्रय	452373	0.03	
						20200313	286	क्रय	452659	0.03	
						20200320	-45400	विक्रय	407259	0.03	
						20200327	-9162	विक्रय	398097	0.03	
				394188	0.03	20200331	-3909	विक्रय			
9	IN30012611194012	केनरा बैंक	एएएसीसी6106जी	387178	0.03	2019033					प्राईवेट बैंक
				387178	0.03	20200331	शून्य	शून्य			
10	IN30012610732967	रविकुमार रामकिशोर सांवलखा	एजेडजेपीएस 760पी	264000	0.02	20190330					भारतीय जन
						20190510	10000	क्रय	274000	0.02	
						20190927	50000	क्रय	324000	0.02	
						20200117	-10000	विक्रय	314000	0.02	
						20200124	-18000	विक्रय	296000	0.02	
				296000	0.02	20200331					

v) निदेशकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	निदेशक का नाम	शेयरहोल्डिंग		दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / (कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01.04.19 से 31.03.20 तक)	
		वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या (01.04.2019) / वर्ष के अंत में (31.03.2020)	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी में शेयरों का कुल प्रतिशत
1	श्री वेद प्रकाश	15		1 अप्रैल 19	-	-	15	
		15		31 मार्च 20				
2	श्री अश्वनी सोंधी	750		1 अप्रैल 19	-	बिक्री		
							750	
		250		31 मार्च 20				
3	श्री आर आर सिन्हा	0		1 अप्रैल 19				
		0		31 मार्च 20			0	
4	श्री उमेश शर्मा	0		1 अप्रैल 19				
		0		31 मार्च 20			0	
5	श्री जे रविशंकर	0		1 अप्रैल 19				
		0		31 मार्च 20			0	

V. ऋणभारिता

कंपनी की ऋणभारिता में बकाया/संचित ब्याज लेकिन भुगतान के लिए देय नही है, शामिल है

(₹ करोड़ में)

	जमा सहित सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणभारिता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणभारिता				
i) प्रमुख राशि	621.75	300.18		921.93
ii) व्याज देय लेकिन भुगतान के लिए बकाया नही				0
iii) ब्याज संचित लेकिन देय नही				3.28
कुल i)+ii)+iii)				925.21
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभारिता में परिवर्तन				
(कटौती)/जोड़ – प्रमुख राशि	(158.33)	2968.28		2809.95
(कटौती)/जोड – ब्याज संचित लेकिन देय नही				8.97
निवल परिवर्तन				2818.92
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणभारिता				
i) प्रमुख राशि	463.42	3268.46		3731.88
ii) व्याज देय लेकिन भुगतान के लिए बकाया नही				0
iii) ब्याज संचित लेकिन देय नही				12.25
कुल i)+ii)+iii)				3744.13

VI. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	डब्लयूटीडी का नाम					कुल राशि
1	कुल वेतन	श्री वेद प्रकाश	श्री जे रवि शंकर	श्री अश्वनी सोंधी	श्री आर आर सिन्हा	श्री उमेश शर्मा	
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	55,95,948	35,72,760	34,64,712	27,37,574	39,06,380	1,92,,77,374
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परक्यूजिट का मूल्य						
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ						
2	स्टॉक विकल्प						
3	स्वेट इक्विटी						
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य						
5	अन्य	11588	1626	1,09,637	12586	18,405	1,53,842
	कुल (क)	56,07,536	3574386	35,74,349	2750160	39,24,785	1,94,31,216
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	लागू नही					

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक (₹ में)

क्र. सं.	वर्ग	निदेशकों के नाम							कुल राशि
		श्री आर. आनन्द	श्री बी.के. शुक्ला	श्री आर.आर जड़ेजा	श्री रजनीश गोयंका	श्री जयंत दासगुप्ता	श्री जी. मंजूनाथ	सुश्री स्वाधीनता कृष्णा	
	स्वतंत्र निदेशक								
	बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	45000	15000	165000	195000	150000	165000	45000	780000
	कमीशन	0	0	0	0	0	0		0
	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0		0
	कुल (1)	45000	15000	165000	195000	150000	165000	45000	780000
	अन्य –गैर कार्यकारी निदेशक	0	0	0	0	0	0		0
	बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	0	0	0	0	0	0		0
	कमीशन	0	0	0	0	0	0		0
	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0		0
	कुल (2)	0	0	0	0	0	0		0
	कुल (बी) = (1+2)	45000	15000	165000	195000	150000	165000	45000	780000
	कुल प्रबंधन पारिश्रमिक								
	अधिनियम के अनुसार कुल अधिकतम सीमा	लागू नहीं							

ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक (₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रंबधन कार्मिक			कुल
		सीईओ (श्री वेद प्रकाश)	सीएफओ (श्री उमेश शर्मा)	कंपनी सचिव (श्री जी. आनंदनारायणन)	
1	कुल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	55,95,948	39,06,380	30,95,760	1,25,98,028
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परक्यूजिट का मूल्य				
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ				
2	स्टॉक विकल्प				
3	स्वेट इक्विटी				
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य				
5	अन्य	11588	18,405	22,559	52552
	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, एलटीए			12,151	12151
	कुल	56,07,536	39,24,785	31,30,470	1,26,62,721

VII. जुर्माना / दण्ड / कम्पाउंडिंग आफेंस

प्रकार	कंपनीज एक्ट की धारा	संक्षिप्त ब्यौरा	पेनल्टी / सजा / लगाई गई कम्पाउंडिंग फीस का विवरण	अथॉरिटी (आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
पेनल्टी					
सजा					
कम्पाउंडिंग	लागू नहीं				
ग. दूसरे अधिकारियों का डिफाल्ट					
पेनल्टी					
सजा					
कम्पाउंडिंग	लागू नहीं				

J. K. Gupta & Associates
(Company Secretaries)
256 & 257, Vardhman City Center 2,
Near Shakti Nagar Railway Under Bridge,
Gulabi Bagh, Delhi- 110052

Tel : +91-11-23644449
+91-11-23654449
+91-11-23644447
Fax : +91-11-23644448
Mobile : +91-9810043622
Website : www.jkgupta.com
E-mail : jitosh@jkgupta.com

सेक्रेटेरियल आडिट रिपोर्ट
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनीज नियमावली, 2014
(अपाइंटमेंट एंड रेमुनरेशन आफ पर्सनल) के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)]

सदस्य
एमएमटीसी लिमिटेड
कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स
7, इंस्टिट्यूशनल एरिया लोधी रोड
नई दिल्ली – 110 003

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (जिसे इसके बाद एमएमटीसी/दि कंपनी कहा गया है) द्वारा अच्छी कारपोरेट प्रथाओं के मान्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सेक्रेट्रियल आडिट इस ढंग से की है कि कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने का सही आधार मिल सके तथा हम उसके बारे में अपना मत प्रकट कर सकें।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट्स बुक्स, फार्म तथा फाइल की गई रिटर्न, कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड, कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा अथोराइज्ड प्रतिनिधियों द्वारा आडिट के दौरान उपलब्ध कराई गई अन्य सूचनाओं के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में कंपनी ने आडिट अवधि, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष कवर होता है, के दौरान नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। साथ ही कंपनी में वर्तमान में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र है जिसकी सीमा तथा विस्तार नीचे दिया जा रहा है।

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि की बुक्स, कागजात, मिनट्स बुक्स, फार्म तथा फाइल की गई रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड की निम्नलिखित लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

(i) दि कंपनीज एक्ट, 2013(दि एक्ट) तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) दि सिक्युरिटीज कांट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) दि डिपाजिटरीज एक्ट, 1996 तथा इसके अधीन बनाए गए विनियम तथा नियम;

(iv) फारेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 तथा इसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक उधार के संबंध में बनाए गए नियम तथा विनियम (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था)

J. K. GUPTA & ASSOCIATES * Company Secretaries * CP No. 2448 Delhi

(v) सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया एक्ट, 1992 (सेबी एक्ट) के तहत बनाए गए निम्नलिखित विनियम तथा दिशा–निर्देशः

ए) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(सब्सटेंशिएल एक्विजिशन आफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेगुलेशंस, 2011;(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था)

बी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(प्रोहिबिशन आफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशंस, 1992;

सी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायर मेंट्स) रेगुलेशंस, 2009;

डी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया (शेयर बेस्ड एम्पलाई बेनिफिट्स) रेगुलेशंस, 2014 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था)

ई) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(इश्यु एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्युरिटीज) रेगुलेशंस, 2008 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था)

एफ) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(रजिस्ट्रार टु एन इश्यु एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स) रेगुलेशंस, 1993 कंपनीज एक्ट तथा ग्राहक के साथ डीलिंग;

जी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(बॉयबैक ऑफ सिक्युरिटीज) रेगुलेशंस, 1998;(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था)

एच) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(लिस्टिंग आब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015;

आई) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(नॉन कन्वर्टीबल एंड रिडीमेएबल प्रिफ्रेंस शेयर जारी व लिस्टिंग करना) रेगुलेशंस, 2013; (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था)

हमने निम्नलिखित के लागू क्लाजेज के अनुपालन की भी जांच की है :

i इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इण्डिया द्वारा जारी सैक्रेटेरियल स्टैंडर्डस।

ii कंपनी द्वारा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग करार

iii केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों(सीपीएसईज) के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए डीपीई के दिशानिर्देश

कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित टिप्पणियों के अलावा उपरोक्त वर्णित एक्ट, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

1. **कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित संख्या के बारे में दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(लिस्टिंग आब्लीगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 17(1) बी तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिश्ठानों में कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित डीपीई के दिशानिर्देशों के क्लॉज 3.1.4 का अनुपालन।**

<u>**प्रबंधन का उत्तर :**</u> कंपनी भारत सरकार का उपक्रम है, कंपनी का मंडल सदस्य भारत के राष्ट्रपति, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। अतएव, प्रशासनिक मंत्रालय, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, इस संबंध में सजग रहते हैं और कंपनी इस संबंध में मंत्रालय से नियमित संपर्क में रहता है।

2 **कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित संख्या के बारे में दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(लिस्टिंग आब्लीगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 17(1) ए तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित डीपीई के दिशानिर्देशों के क्लॉज 3.1.2 का अनुपालन।**

<u>**प्रबंधन का उत्तर :**</u> कंपनी भारत सरकार का उपक्रम है, कंपनी का मंडल सदस्य भारत के राष्ट्रपति, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। अतएव, प्रशासनिक मंत्रालय, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, इस संबंध में सजग रहते हैं और कंपनी इस संबंध में मंत्रालय से नियमित संपर्क में रहता है।

3. **बॉर्ड बैठकों और बॉर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दिन और स्थान से संबंधित अन्तर्नयास के संबंध में भारत के कंपनी सचिवों से जारी साचिविक मानक (एसएस–1) का अनुपालन**

प्रबंधन का उत्तर : बोर्ड / समिति बैठकों की सूचना में स्थान और दिन / समय साफ–साफ लिखे जाते हैं। यद्यपि, जब बैठक पंजीकृत कार्यालय को छोड़कर किसी कार्यालय में आयोजित की जाती है तो कार्यवृत्त में विशेष रूप से स्थान का जिक्र किया जाता है।

<u>हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :</u>

स्वतंत्र निदेशकों और कार्यात्मक निदेशकों का अपेक्षित संख्या में न होना यह दर्शाता है कि कंपनी ने बोर्ड की संरचना से संबंधित डीपीई के दिशानिर्देशों तथा सेबी (लिस्टिंग आब्लीगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन एक्ट के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों की सूचना, एजेंडा तथा एजेंडा के विस्तृत नोट्स सभी निदेशकों को पर्याप्त समय रहते भेजे गए। इसके अलावा कंपनी में एक ऐसी प्रणाली मौजूद है जिसके तहत एजेंडा आइटमों से संबंधित विस्तृत सूचना एवं स्पष्टीकरण बैठक से पूर्व पूर्णकालीन निदेशकों से प्राप्त किए जा सकते हैं जिससे बैठकों में प्रतिभागिता अर्थपूर्ण बन सके।

बोर्ड / कमेटी की बैठकों में सभी निर्णय उक्त बैठकों में उपस्थित सभी निदेशकों / सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए थे तथा उसे मिनट्स में विधिवत रूप से शामिल किया गया।

<u>हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :</u>

कंपनी के आकार तथा परिचालन के अनुरूप मान्य कानून, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां तथा प्रकियाएं मौजूद हैं।

कंपनी को महिला निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति से संबंधित सेबी एलओडीआर, 2015 के रेगुलेशन 17(1) और 18 (1) का अनुपालन न करने और लेखापरीक्षा से संबंधित अनुपालन न करने के कारण वित्तीय वर्श 2019–20 के दौरान बीएसई/एनएसई द्वारा क्रमशः दंडित किया गया ।

<u>प्रबंधन का उत्तर :</u> एनएसई/बीएसई द्वारा लगाई गई जुर्माना की राशि को माफ करने का अनुरोध किया गया और हाल में इस संबंध में बीएसई ने जुर्माना राशि माफ करने के अनुरोध को स्वीकार किया।

कृते जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स

जितेश गुप्ता
एफसीएस संख्या : 3978
सी.पी.संख्या : 2448
यूडीआईएन : एफ003978बी000939649

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 14/10/2020

इस रिपोर्ट को हमारे इसी तारीख के पत्र, जो अनुलग्नक–ए के रूप में संलग्न है, के साथ पढ़ा जाए तथा उक्त पत्र इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक –क

सेवा में,

सदस्यगण
एमएमटीसी लिमिटेड
कोर–1 स्कोप काम्पलेक्स
7 इंस्टीअटयूशनल एरिया, लोदी रोड
नई दिल्ली–110003

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाये।

1. सचिवीय रिकार्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी आडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकार्ड पर राय व्यक्त करता है।

2. हमने आडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकार्ड की सामग्री की शुद्वता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यांपन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकार्डों में परिलक्षित होते हैं। हमारा मानना है कि प्रक्रियाओं और प्रथाएं जिनका हमने पालन किया है, हमने अपनी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान किया ।

3. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है इसलिए हमने नमूना आधार पर कंपनी के अनुपालन की वैधानिकता की शुद्वता और उपयुक्तता को सत्या़पित किया है। उनकी आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित योग्यता/अवलोकन भी इसी रिपोर्ट का हिस्सा है।

4. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और बुक्सक आफ अकाउंटस की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

5. जहां भी आवश्यक हो, हमें कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व मिला है।

6. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधान का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

7. सचिवीय आडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवर्हायता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावशीलता की प्रभावकारिता है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स

जितेश गुप्ता
एफसीएस संख्या : 3978
सी.पी.संख्या : 2448
यूडीआईएन : एफ003978बी000939649

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 14/10/2020

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अपनी रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के लिए प्रबंधन का उत्तर

लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
(1) कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के विनियमन 17 (1) (ख) का अनुपालन	एमएमएसटीसी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों और कंपनी के केंद्रीय पीएसयू होने के कारण, कंपनी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति की अनिवार्यता सहित स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने से संबंधित मामला वाणिज्य विभाग, एमओसी एंड आई के साथ उठाया गया है। इसके लिए नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय के संपर्क में है।
(2) कंपनी के बोर्ड में कार्यात्मक निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के नियमन 17 (1) (क) का अनुपालन	एमएमएसटीसी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और कंपनी के केंद्रीय पीएसयू होने के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राश्ट्रपति के द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है । प्रशासनिक मंत्रालय को इस मामले की जानकारी है और समझा जाता है कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं।
(3) बोर्ड की बैठकों और बोर्ड की समितियों की बैठकों के कार्यवृतों में दिन और स्थान को शामिल करने के संबंध में भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक (एसएस–1) का अनुपालन ।	बोर्ड/समिति की बैठकों की सूचना में स्थान और तिथि/समय आदि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। हालांकि कार्यवृतों में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर बैठक बुलाए जाने पर ही आयोजन स्थल का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। हालांकि, इस बात पर ध्यान दिया जाता है और इसके बाद भी इसका अनुपालन किया जाएगा ।

फार्म नं. ए.ओ.सी. 2

अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान किए गए ठेकों / व्यवस्थाओं के विवरण के खुलासे का फार्म, जिसमें उसके (तीसरे परंतुक) के अंतर्गत दो पार्टियों द्वारा अपने–अपने हित के लिए किए गए स्वतंत्र एवं असंबंधित लेन–देन (आर्म्स लेन्थ ट्रांजेक्शंस) भी शामिल हैं

संबंधित पार्टी का नाम	एमएमटीसी पैंप इंडिया प्रा. लि.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर	नीलाचल इस्पात निगम लि.
1. आर्म्स लेंथ के आधार पर नहीं किए गए करार या व्यवस्था या लेन–देन			
(ए) संबंध का स्वरूप	संयुक्त उपक्रम	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	असोसिएट
(बी) ठेकों / व्यवस्थाओं / लेन–देन का स्वरूप	बुलियन व मिंटेड उत्पादों की बिक्री, रिफाइनिंग एंड जॉब वर्क	एमटीपीएल सिंगापुर ने एमएमटीसी के साथ लॉट–वार / लदान–वार बिक्री / खरीद का करार किया, जिसमें एमटीपीएल विक्रेता और एमएमटीसी क्रेता है। इसी प्रकार, अन्य बोलीदाताओं के साथ एमटीपीएल वैश्विक निविदाओं में भी भाग लेती है, जिसमें एमएमटीसी के एक डब्ल्यूओएस होने के नाते उसे ईएमडी, परफॉर्मेंस बॉड गारंटी देने और केवाईसी नियमों से छूट है, जबकि अन्य बोलीदाताओं पर यह लागू है।	मैसर्स आईपीआईसीओएल के जरिए एक मैनेजिंग प्रमोटर के रूप में एमएमटीसी की 49.78 प्रतिशत तक इक्विटी की भागीदारी के बारे में एमएमटीसी तथा ओडिशा सरकार के बीच शेयरधारकों का करार। साथ ही, तैयार माल की बिक्री / खरीद पर एमएमटीसी और एनआईएनएल के बीच सहमति से 06–08–1999 को करार पर हस्ताक्षर किए गए जो 22–06–2012 को यथासंशोधित।
(सी) ठेकों / व्यवस्थाओं / लेन–देन की अवधि	20.7.2018 को एमपीआईपीएल के साथ एमपीआईपीएल के कुल उत्पादन के 26% के विपणन के लिए एमओयू किया गया जो दोनों पार्टियों की आपसी सहमति के अनुसार समय समय पर संशोधन की शर्तो पर है। इससे पहले के एमओयू निरस्त हैं	चालू आधार पर, जब तक बिक्री और खरीद की मांग बनी रहती है।	चालू आधार पर, जब तक बिक्री और खरीद की मांग बनी रहती है।
(डी) ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन की प्रमुख शर्तें, जिनमें मूल्य शामिल है, यदि कोई हो	एमपीआईपीएल के साथ नवीनतम हस्ताक्षरित एमओयू की प्रमुख शर्ते हैं–– 1) एमएमटीसी समय–समय पर पूरे भारत में स्थित एमपीआईपीएल के विभिन्न स्थानों से बुलियन के स्टॉक्स (995 शुद्धता वाले किलोग्राम के स्वर्ण बार या 999 शुद्धता वाले 100 ग्राम के स्वर्ण बार और 0.999 फाइन शुद्धता वाले चांदी के बार) को प्रत्येक स्थान लिए एमपीआईपीएल द्वारा यथानिर्धारित प्रीमियम पर खरीदने का इरादा इंगित कर सकती है। 2) एमएमटीसी कारपोरेट आफिस सीबीओ के विधिवत प्राधिकृत कार्मिक एमपीआईपीएल के मूल्य निर्धारण डेस्क के साथ सभी बुलियन का मूल्य निर्धारित करेंगे। न्यूनतम निर्धारण लॉट स्वर्ण बार के लिए 1 कि.ग्रा. और चांदी बार के लिए 100 कि.ग्रा. होगा। **मूल्यः 92.54 करोड़ रुपए**	जैसा ऊपर (बी) में दिया गया है । **मूल्यः 201.25 करोड़ रुपए**	मैसर्स आईपीआईसीओएल के माध्यम से एमएमटीसी तथा ओडिशा सरकार के बीच शेयरधारकों का समझौता हुआ जिसमें इन संभावनाओं का पता लगाया जाएगा कि एमएमटीसी प्लांट के लिए परस्पर सहमत शर्तो पर कच्चा माल तथा कन्ज्यूमेब्लस सप्लाई करेगी, एमएमटीसी तथा एनआईएनएल के बीच परस्पर सहमत शर्तों पर संयुक्त उद्यम की कंपनी के उत्पाद की घरेलू बिक्री तथा निर्यात करेगी। एमएमटीसी द्वारा तैयार माल की बिक्री / खरीद के लिए एमएमटीसी तथा एनआईएनएल के बीच दिनांक 06.08.1999 को करार हुआ था जिसमें दिनांक 22.06.2012 को पुनः तथा दिनांक 11.02.2014 को संशोधन किया गया 1773.23 करोड़। केवल माल व सेवाओं की बिक्री तथा खरीद के लिए।

(ई) इस प्रकार के ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन करने का औचित्य	1) मार्जिन और टॉपलाइन में सुधार लाना। 2) घरेलू बाजार में बुलियन बार के वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत (एलबीएमए एक्रेडिटिड रिफाइनरी, जिससे हमारी गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो) विशेष रूप से ये तब उपयोगी होते हैं, जब सरकारी नीतियों के कारण आयात से बाजार में आपूर्ति प्रतिबंधित हो जाती है। (जैसे–80:20 स्कीम) 3) विशेषकर हमारे झंडेवालान मिंट मशीनरी में खराबी के मद्देनजर उच्च गुणवत्ता उत्पाद प्रदान कर रिटेल बूम का लाभ उठाने के लिए स्वर्ण व चांदी के मेडालियन को रिफाइन करने और ढालने के लिए	एमएमटीसी द्वारा जारी टेंडरों के विरुद्ध एल–1 बोलीदाता	उपर्युक्त ।
(एफ) बोर्ड द्वारा स्वीकृति की तारीख	30.05.2019	30.05.2019	30.05.2019
(जी) अग्रिम के रूप में भुगतान, यदि कोई हो	कोई नहीं	कोई नहीं	626.44 करोड़ रू.
2. आर्म्स लेंथ आधार पर ठेकों या व्यवस्था या लेन–देन का विवरण : एमपीआईपीएल के साथ उपरोक्त आर्म्स लैंथ आधार पर किए गए एमओयू के अनुसार।			

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कारपोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110 002

संख्याः एएमजी-IV/11(1)/ एमएमटीसी/वार्षिक खाता/2019-20)/2020-21/341 दिनाँकः 09/10/2020

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एमएमटीसी लिमिटेड,
कोर 1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित की जा रही है। इन टिप्पणियों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाये।

भवदीय,

(सी. नेडून्चेलियन)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कॉर्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax: +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त हुई वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पढ़ित धारा 143 के तहत, वित्तीय विवरणों पर, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत, निर्धारित मानक ऑडिटिंग के आधार पर स्वतंत्र राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। दिनांक 31 जुलाई 2020 के अपनी ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया, कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से कंपनी कर्मियों की वैधानिक जांच और कुछ लेखा रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरे पूरक ऑडिट के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले को उजागर करना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और वित्तीय विवरणों तथा संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए मेरा विचार आवश्यक है।

ए. स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुलग्नक 1

गाइड नोट के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) ऑर्डर 2016 के पैरा 35 (ई), यह निर्धारित करता है कि यदि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया हो तो ऑडिटर के लिए उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

हालाँकि, उनकी रिपोर्ट के अनुबंध–I में सांविधिक लेखा परीक्षक (बिंदु संख्या 1 (II) में केवल यह बताया गया है कि "हमारे समक्ष प्रस्तुत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, हमारी राय में प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर उक्त संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस तथ्य की सूचना नहीं दी है कि वाणिज्य मंत्रालय को और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों को प्रदान की गई अचल संपत्तियां भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है। इस तरह, यह स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उस विस्तार की कमी है।

कृते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

(सी. नेदूसेजियन)
प्रिंसिपल निदेशक, ऑडिट
(उद्योग और निगम मामले)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कॉर्पोरेट मामले) नई दिल्ली
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Principal Director of Audit
(Industry & Corporate Affairs) New Delhi

संख्याः एएमजी-IV/11(2)/ एमएमटीसी/वार्षिक खाता-सीएफएस/2019-20)/2020-21/ 344 दिनॉकः 09/10/2020
/10/2020

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
एमएमटीसी लिमिटेड,
कोर 1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

विषय : **कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अधीन 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वार्षिक वित्तीय लेखों (Consolidated Annual Financial Statements) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।**

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अधीन 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वार्षिक** वित्तीय लेखों (Consolidated Annual Financial Statements) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित की जा रही है। इन टिप्पणियों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाये।

भवदीय,

C. Nedunchezhian 9/10/20

(सी. नेडून्चेलियन)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कॉर्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi – 110002
Tel: 011-23702357, Fax: 011-23702359 Email: pdaica@cag.gov.in

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त हुई वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पढ़ित धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पढ़ित धारा 143 के तहत, वित्तीय विवरणों पर, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत, निर्धारित मानक ऑडिटिंग के आधार पर स्वतंत्र राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। दिनांक 31जुलाई 2020 के अपनी ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया, कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के साथ पढ़ित धारा 129(4)) के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है।

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरण का एक अनुपूरक लेखा–परीक्षण किया, लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) के वित्तीय विवरण का अनुपूरक लेखा–परीक्षण नहीं किया। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6) (ए), छह संयुक्त उद्यम/सहायक (अनुलग्नक ए), जो संबंधित कानूनों के तहत विदेशी देशों में निगमित निजी संस्थाएं/इकाई हैं, पर वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और अनुपूरक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए लागू नहीं होती हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इन कंपनियों के पूरक ऑडिट का संचालन किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से कंपनी कर्मियों की वैधानिक जांच और कुछ लेखा रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक ऑडिट के आधार पर मेरे संज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)) (बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म देगा।

कृते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

(सी. नेदूसेजियन
प्रिंसिपल निदेशक, ऑडिट
(उद्योग और निगम मामले)

स्थान– नई दिल्ली
तारीख

अनुलग्नक –ए

एमएमटीसी लिमिटेड के संयुक्त उपक्रमों/सहायकों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	संयुक्त उपक्रम/ सहायक कंपनी	स्थिति
1	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
3	एसआईसीएएल आइरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
4	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
5	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
6	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई प्रा.लि.	सहायक कंपनी	विदेश में निगमित

31 मार्च, 2020 के समापन वर्ष के लिए कंपनी एक्ट 2013 की धारा 143(6)(6) के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरण पर सीएण्डएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

पारा सं.	नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	
1.	मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं विधि के अनुभाग 143 (6) (बी) के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण मामले रेखांकित करना चाहता हूँ जो कि मेरी नजर में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर से समझने में आवश्यक है। **स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक I** भारत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के द्वारा जारी कंपनीज (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) ऑर्डर 2016, पर पारा 35 सी का दिशानिर्देश नोट्स गारंटी देता है कि जहाँ वर्ष के दौरान सभी अचल संपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रबंधन के द्वारा नहीं किया जाता है, यह लेखापरीक्षक के लिए आवश्यक है कि इस तथ्य की रिपोर्ट करे। यद्यपि, सांविधिक लेखापरीक्षक उसके रिपोर्ट (मद् सं.1 (पप) के अनुलग्नक ᴾ में रिपोर्ट किया है कि ''हमें उपलब्ध कराया गया प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट्स के आधार पर, हमारी राय में उचित अन्तराल पर उक्त संपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।'' सांविधिक लेखापरीक्षक इस तथ्य की रिपोर्ट नहीं किया कि वाणिज्य मंत्रालय को उपलब्ध करायी गयी अचल संपत्ति और कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी के निवासों के प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किए गए हैं। अतएव स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस विस्तार तक अपूर्ण है।	समय–समय पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की आवश्यकताओं के आधार पर वरिष्ठ कार्मिकों/अधिकारियों के कार्यालयीन उपयोग के लिए आवश्यक मदें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को उपलब्ध करायी जाती हैं। उक्त मदें उद्योग भवन, जहाँ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है के विभिन्न स्थानों पर रखी गई हैं। यद्यपि, वरिष्ठ कार्मिक(कों)/अधिकारियों समय–समय पर बदलते रहते हैं, परन्तु चूंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उद्योग भवन में है, कार्यालयीन उपयोग के लिए मदें उद्योग भवन में हैं। इस चरण पर विशेष रूप से कोविड की परिस्थितयों के कारण प्रत्यक्ष सत्यापन व्यावहारिक रूप से उचित नहीं है। कंपनी के उनके आवास पर उपलब्ध कराये गये अचल संपत्ति से संबंधित मदें, उन्हें उनकी पात्रता के आधार पर दिए जा रहे हैं। वरिष्ठ कार्यकारी को उपलब्ध कराई गई अचल संपत्ति की लागत उनके मूलवेतन के 2.5 प्रतिशत की दर से वसूली योग्य है। यद्यपि वरिष्ठ कार्यकारी से पुष्टि प्राप्त किये गये और प्रत्यक्ष सत्यापन मिसिल में रखा गया। सांविधिक लेखापरीक्षक भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया है। संपत्ति की लिखित चेतावनी (डब्ल्यूडीवी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ शून्य है।

दशक एक नज़र में

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
हमारी देनदारियां											
इक्विटी शेयर पूंजी	**150**	150	100	100	100	100	100	100	100	100	50
अन्य इक्विटी	**1034**	1339	1349	1334	1278	1259	1242	1241	1321	1280	1237
	1184	1489	1449	1434	1378	1359	1342	1341	1421	1380	1287
उधार	**3732**	922	519	440	272	287	413	1478	3430	6084	5165
अन्य दीर्घकालीन देयताएं	**6**	-	-	-	19	20	10	19	5	-	-
दीर्घकालीन प्रावधान	**45**	189	184	188	179	177	183	170	137	-	-
	4967	**2600**	**2152**	**2062**	**1847**	**1843**	**1947**	**3008**	**4993**	**7463**	**6452**
हमारी परिसंपत्तियां											
स्थिर परिसंपत्तियां	**72**	67	65	65	209	206	212	211	205	211	210
घटाएं: मूल्यह्रास	**29**	22	17	12	152	148	130	119	108	99	87
निवल स्थिर परिसंपत्तियां	**43**	45	48	52	58	58	82	92	97	111	123
निवेश संपत्ति	**4**	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
निवेश	**22**	452	453	485	460	446	446	470	467	283	273
बिक्री के लिए परिसंपत्तियों	**467**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय परिसंपतियों सहित अन्य गैर परिसंपतियां	**78**	74	94	219	146	134	78	115	112	-	-
चालू पंजी	**4122**	1794	1317	1070	955	977	1115	2187	4245	7035	6034
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**231**	231	236	233	229	228	226	145	72	34	23
	4967	**2600**	**2152**	**2062**	**1847**	**1843**	**1947**	**3008**	**4993**	**7463**	**6452**
हमारी निवल आय											
बिक्री	**24056**	28293	15757	11593	12460	18242	25075	28416	65929	68855	45124
निर्यात	**1802**	1104	1795	1580	673	2301	4127	2980	2045	3693	3223
आयात	**19074**	21625	11878	8480	10296	14530	18714	20954	61042	63301	39969
घरेलू	**3180**	5564	2084	1533	1492	1411	2234	4482	2842	1860	1932
अर्जित ब्याज	**11**	4	17	28	125	100	138	280	646	475	574
अन्य आय	**100**	701	740	130	71	68	280	221	477	237	229
	24167	**28998**	**16514**	**11751**	**12656**	**18409**	**25492**	**28916**	**67052**	**69566**	**45928**
हमारे व्यय											
बिक्री लागत	**23954**	28506	16118	11489	12374	18076	24924	28299	66048	68726	44946
स्थापना व्यय	**194**	221	259	196	202	192	190	203	184	184	168
प्रशासनिक व्यय	**56**	55	48	52	53	51	47	48	52	55	46
वित्तीय लागत (प्रदत्त ब्याज सहित)	**139**	65	17	21	30	17	67	220	576	372	413
मूल्यह्रास व ऋणमुक्ति	**6**	6	5	7	5	18	12	12	12	13	13
बट्टे खाते में डाले गए विविध व्यय		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
बट्टे खाते मे डाले गए / वापस लिए गए ऋण / दावे / परिसंपत्तियां	**-**	1	0	1	0	30	1	0	0	0	0
Allowance for Bad and Doubtful Debts/claims/advances	**1**	16	-	1	0	1	1	6	13	23	2
असाधारण मदें		-	-	-	-	-	210	244	100	-	-
आपवादिक मदें*	**44**	9	8	(96)	(66)	(37)	23	13	(0)	-	-
	24394	**28879**	**16455**	**11669**	**12597**	**18348**	**25476**	**29045**	**66987**	**69373**	**45595**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
हमारी बचत											
वर्ष के लिए लाभ	**(227)**	119	59	81	59	62	16	(128)	65	194	333
कराधान के लिए प्रावधान	**-**	37	10	24	3	12	(4)	(57)	5	70	117
कर पश्चात लाभ (पूर्वावधि समायोजन से पूर्व)	**(227)**	82	49	57	56	50	20	(71)	60	124	216
पूर्वावधि समायोजन	**-**	-	-	-	1	2	2	(1)	(11)	2	-
उपयोग हेतु उपलब्ध लाभ	**(227)**	82	49	57	55	48	19	(71)	71	122	216
लाभांश	**45**	30	30	30	30	25	15	10	25	25	45
लाभांश पर कर	**9**	6	6	6	6	5	3	0	4	4	8
सतत विकास		-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
रिटेंड अर्जन	**281**	46	13	21	19	18	1	(81)	42	93	164
सकल लाभ	**181**	474	333	220	130	208	346	300	277	330	318
कर पूर्व लाभ	**(227)**	119	59	81	58	60	14	(128)	76	192	333
कर पश्चात लाभ	**(227)**	82	49	57	55	48	19	(71)	71	122	216
नेट वर्थ	**1184**	1489	1449	1434	1378	1359	1342	1341	1421	1380	1287
नियोजित पूंजी	**433**	917	846	682	740	748	784	800	913	865	972
कार्यशील पूंजी	**4122**	1794	1317	1070	955	977	1115	2187	4245	7035	6034
अनुपात											
बिक्री पर खर्च %	**1.04**	0.98	1.95	2.14	2.04	1.33	0.94	0.88	0.36	0.35	0.48
स्टॉक के अनुपात में बिक्री %	**0.91**	0.99	10.86	20.42	3.22	1.75	1.23	3.13	1.40	0.94	4.73
बिक्री के अनुपात में व्यापारिक लाभ %	**0.75**	1.68	2.11	1.90	1.04	1.14	1.38	1.05	0.42	0.48	0.70
बिक्री के अनुपात में कर पूर्व लाभ %	**(0.94)**	0.42	0.37	0.70	0.46	0.33	0.06	(0.45)	0.12	0.28	0.74
बिक्री के अनुपात में कर पश्चात लाभ %	**(0.94)**	0.29	0.31	0.49	0.44	0.26	0.07	(0.25)	0.11	0.18	0.48
बिक्री के अनुपात में देनदार %	**8.00**	0.98	2.24	4.36	6.64	16.64	6.92	7.83	4.20	3.69	3.44
कार्यशील पूंजी के अनुपात में बिक्री %	**17.14**	6.34	8.36	9.23	7.66	5.36	4.45	7.69	6.44	10.22	13.37
बिक्री के अनुपात में कार्यशील पूंजी (गुणा)	**5.84**	15.77	11.96	10.84	13.05	18.67	22.48	13.00	15.53	9.79	7.48
नियोजित पूंजी से वर्ष के लिए लाभ %	**(52.42)**	12.98	6.97	11.90	7.90	8.23	2.04	(16.04)	7.13	22.41	34.25
नियोजित पूंजी से कर पश्चात लाभ %	**(52.42)**	8.94	5.79	8.36	7.42	6.41	2.37	(8.82)	7.75	14.07	22.24
नेटवर्थ से वर्ष के लिए लाभ %	**(19.17)**	7.99	4.07	5.66	4.25	4.53	1.19	(9.58)	4.58	14.05	25.88
नेटवर्थ से कर पश्चात लाभ %	**(19.17)**	5.51	3.38	3.97	3.98	3.53	1.39	(5.27)	4.97	8.81	16.81
कर्मचारियों की संख्या	**786**	943	1117	1226	1334	1439	1530	1605	1673	1767	1838
प्रति कर्मचारी बिक्री	**30.61**	30.00	14.11	9.46	9.34	12.68	16.39	17.70	39.41	38.97	24.55

* वर्ष के लिए 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 तथा 2015 के लिए आपवादिक मदों से बट्टें खाते में डाली गई इन्वेंट्रीज में निवल वसूली योग्य मूल्य शामिल नहीं हैं।

निधियों का स्रोत और उपयोग

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2018-19	2017-18
स्रोत			
आंतरिक उत्पत्ति			
कर पश्चात लाभ	(227)	81	49
आस्थगित कर समायोजन	0	5	(3)
मूल्यह्रास	30	24	18
प्रावधान	708	668	655
इक्विटी	150	150	100
रिजर्व	1261	1258	1300
बाह्य उत्पत्ति			
बैंक	3732	922	519
वर्तमान देयताए	1561	1805	3128
अन्य देयताएं	103	239	321
कुल स्रोत	**7318**	**5152**	**6087**
उपयोग			
स्थिर परिसंपत्तियां	77	73	70
निवेश	540	461	461
व्यापार ऋण	2314	669	745
इन्वेंट्रीज	218	280	1711
ऋण व अग्रिम	3818	3378	2799
नकद व बैंक शेष	120	55	68
आस्थगित कर	231	236	233
कुल उपयोगिता	**7318**	**5152**	**6087**

वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण

(₹ करोड़ में)

निधि के स्त्रोत	2019-20		2018-19		2017-18	
आंतरिक अर्जन						
कर पश्चात लाभ	(227)		81		49	
मूल्यह्रास	6	(221)	6	87	5	54
आस्थिगित कर समायोजन		231		236		233
उधारी						
ऋण निधि		2,810		403		79
कुल स्त्रोत		**2,820**		**726**		**366**
निधियों का अनुप्रयोग						
स्थायी परिसंपतियां		6		3		1
निवेश		37		(1)		(127)
आस्थिगित कर परिसंततियां		231		231		236
अंतिम लाभांश		45		30		30
लाभांश कर		9		6		6
इंवेंट्री		(62)		(1,432)		(655)
व्यापार प्राप्य		1,648		(75)		(161)
ऋण तथा अन्य परिसंपतियां		440		566		645
नगद तथा बैंक शेष		65		(13)		(361)
देयताएं		238		1,323		814
प्रावधान		163		88		(62)
निधियों का कुल अनुप्रयोग		**2,820**		**726**		**366**

मूल्य वर्धित विवरण

(₹ करोड़ में)

	2019-20		2018-19		2017-18	
मूल्य वर्धित						
बिक्री एवं अन्य व्यापारिक अर्जन	24,135		28,979		16,451	
जमाः अन्य आय	25		18		47	
	24160		28997		16498	
घटाः प्रयुक्त माल और सेवाओं की लागत	23,295		27,624		15,255	
कुल मूल्य वर्धन	**865**		**1373**		**1243**	
मूल्य वितरण						
परिचालन व्यय	659	76.18	881	64.15	862	69.36
रोजगार लागत	194	22.48	221	16.13	259	20.85
प्रशासन लागत	105	12.14	69	5.02	57	4.60
प्रावधान	0	0.06	16	1.16	-	-
मूल्यह्रास	6	0.65	6	0.40	5	0.42
ब्याज (निबल)	128	14.76	62	4.49	(0)	(0.01)
आय कर	-	0.00	37	2.71	10	0.83
रिटेंड अर्जन	(227)	(26.26)	81	5.93	49	3.94
कुल मूल्य वितरण	**865**	**100**	**1,373**	**100**	**1,243**	**100**
विश्लेषण						
कर्मचारियों की संख्या	786		943		1,117	
प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धन	1.10		1.46		1.11	
नेट वर्थ	1,184		1,489		1,449	
नेट वर्थ का प्रति रूपये मूल्य वर्धन	0.73		0.92		0.86	

कमोडिटी वार – निष्पादन

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
निर्यात											
लौह अयस्क	**1602**	564	1091	923	361	1,401	1,670	989	305	1,939	1,924
मैंगनीज अयस्क / आक्साइड	**9**	10		-	-	7	14	23	34	58	102
क्रोम ओर / कंसन्ट्रेट	**74**	126	191	350	82	34	353	378	616	808	627
पिग आयरन	**110**	375	401	242	230	629	1,099	289	940	814	489
स्लैग		8	1	-	-	-	2	-	-	-	-
उर्वरक				-	-	-	235	153	149	74	80
कृषि उत्पाद				-	-	229	754	1,148	-	2	-
कच्चा उन				-	-	-	-	-	1	-	-
मर्चैंटिंग व्यापार			61	21	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य व्यापार	**7**	21	50	45	-	-	-	-	-	-	-
कुल निर्यात	**1802**	**1104**	**1795**	**1580**	**673**	**2301**	**4127**	**2980**	**2045**	**3693**	**3223**
आयात											
मेटल्स / आईआरएम											
कॉपर / कॉपर कैथोड्स			1	166	-	-	-	10	133	124	155
जिंक	**95**	136	147	-	101	56	62	84	138	121	149
लैड	**1**	0	0	-	0	3	2	5	4	12	9
टिन	**8**	8	45	39	18	20	39	42	67	101	52
निकल	**32**	23	26	58	18	72	75	57	139	330	104
अल्यूमीनियम			-	-	-	-	-	-	-	-	1
एंटीमनी मैटल			1	4	4	5	7	6	-	3	1
स्टील / स्क्रैप / एचआर कॉयल			-	-	-	-	-	-	48	108	158
अन्य	**21**	25	26	10	-	-	-	11	58	28	33
अनुप्रयोग	**157**	**192**	**246**	**278**	**141**	**156**	**185**	**214**	**587**	**827**	**664**
उर्वरक:											
सल्फर	**6**	17	14	6	16	23	23	23	22	14	22
यूरिया	**11091**	10111	1823	2,418	2,611	7,797	3,597	1,170	4,893	1,453	1,408
डीएपी				-	-	-	-	-	145	-	57
एमओपी				158	-	176	128	560	528	394	930
फोस्फोरिक एसिड				46	-	-	-	-	-	-	-
अन्य			1	24	97	-	-	-	-	-	0
कुल कारोबार	**11097**	**10128**	**1838**	**2652**	**2725**	**7996**	**3747**	**1754**	**5587**	**1861**	**2418**
हीरे / सोना / एमरेल्ड	**7072**	9581	8939	4,874	6,342	4,334	8,412	13,137	50,461	50,193	31,603
कृषि उत्पाद	**96**	610	529	106	58	70	1,214	1,378	1,184	1,492	1,464
हाईड्रोकार्बन	**646**	1097	323	570	1,013	1,948	5,151	4,469	3,220	8,923	3,820
अन्य	**5**	17	3	-	17	26	5	3	3	4	0
कुल आयात	**19073**	**21625**	**11878**	**8480**	**10296**	**14530**	**18713**	**20955**	**61042**	**63301**	**39969**
घरेलू											
तांबा / जिंक / पीतल / एल्यूमीनियम	**5**	1		-	0	-	-	-	-	2	119
पिग आइरन / स्लेग / स्टील	**558**	1488	417	174	187	176	234	980	827	418	635
उर्वरक	**3**	5	2	0	160	86	5	8	9	4	4
कृषि उत्पाद	**660**	370	20	103	298	-	502	1,604	846	129	125
रत्न एवं आभूषण / चांदी	**1232**	3206	1168	1,165	708	812	761	538	682	492	527
हाइड्रोकार्बन	**692**	356	439	69	114	176	446	1,166	348	587	175
अन्य	**31**	138	38	22	24	161	287	186	130	228	347
कुल घरेलू	**3181**	**5564**	**2084**	**1533**	**1492**	**1411**	**2234**	**4482**	**2842**	**1860**	**1932**
कुल कारोबार	**24056**	**28293**	**15757**	**11593**	**12460**	**18242**	**25075**	**28416**	**65929**	**68854**	**45124**

देशवार – निर्यात

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त	2020	2019	2018
एशिया			
बंगलादेश	**-**	205	62
चीन	**85**	78	105
हांगकांग	**-**	-	38
जापान	**1252**	512	945
कोरिया	**350**	125	244
मलेशिया	**-**	-	14
नेपाल	**1**	8	63
ईंडोनेशिया	**5**	6	
सिंगापुर	**109**		
थाईलेंड	**-**	170	261
	1802	**1104**	**1732**
पश्चिम यूरोप			
ईटली	**-**	-	63
	-	-	63
कुल निर्यात	**1802**	**1104**	**1795**

देशवार – आयात

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2020	2019	2018
अफ्रीका			
इजिप्ट	904	576	-
अल्जीरिया	105	121	-
नाइजीरिया		66	-
	1,009	**763**	**-**
एशिया			
चाइना	4238	3603	352
वियतनाम	91	-	-
इंडोनेशिया	1109	155	82
जापान	7	2	
कोरिया	1	35	98
मलेशिया	-	-	8
हॉगकॉग	-	43	-
रशिया	665	695	756
सिंगापुर	55	196	66
ताइवान	-	-	24
	6166	**4729**	**1386**
पूर्वी यूरोप			
कजाखिस्तान	21	6	-
उबेकिस्थान	45	73	-
यूकरेन	719	-	-
	785	**79**	**-**
मिडिल ईस्ट			
बेहरीन	536	291	122
दुबई	46	105	-
ईरान	-	1391	1223
ओमान	1371	997	255
कुवेत	-	-	53
कतार	343	383	98
साउदी अरब	191	501	-
टर्की	128	-	-
यूएई	1244	1454	334
	3859	**5122**	**2085**
नार्थ अमेरिका			
यूएसए	11	207	-
	11	**207**	**-**
ओशीनिया			
आस्ट्रेलिया	870	2446	887
	870	**2446**	**887**
पश्चिमी यूरोप			
लग्जमबर्ग	-	-	1
फिनलैंड	199	127	-
नीदरलैंड	7	-	-
लेटीविया	104	121	-
स्विटजरलैंड	3396	2607	2569
नोर्वे	21	25	32
यूके	1956	3615	4360
	5683	**6495**	**6962**
कुल आयात	**18383**	**19841**	**11320**

राजकोष में योगदान

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2018-19	2017-18
केंद्र सरकार को			
निर्यात शुल्क	**179**	234	-
आयात शुल्क	**569**	580	569
सेवाकर	**-**	-	1
सीएसटी	**-**	-	2
जीएसटी	**239**	88	68
आयकर (लाभांश पर आयकर शामिल)	**46**	25	19
लाभांश	**40**	27	27
कुल	**1,073**	954	686
रेलवे एवं पोर्ट को			
रेल भाडा	**1**	12	44
रेलवे/पोर्ट को प्लाट का किराया	**-**	4	11
पोर्ट प्रभार	**8**	4	5
कुल	**9**	20	60
राज्य सरकार को			
स्थानीय बिक्री कर/वैट	**-**	-	33
जीएसटी	**66**	107	18
कुल	**66**	107	51
कुल योग	**1,148**	1,081	797

निष्पादन एक नजर में

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	2020	2019	2018
कुल बिक्री	**24056**	28293	15757
इसमें शामिल है -			
निर्यात	**1802**	1104	1795
आयात	**19074**	21625	11878
घरेलू	**3180**	5564	2084
व्यापारिक लाभ	**181**	474	333
अन्य स्त्रोतों से आय	**36**	21	64
कर पश्चात आय	**(227)**	82	49
वर्ष के अंत में			
कुल परिसंपत्तियां	**6580**	4455	5418
शेयर पूंजी	**150**	150	100
नेट वर्थ	**1184**	1489	1449
प्रति शेयर (रूपये)			
अर्जन	**(1.51)**	0.55	0.33
लाभांश	**-**	0.30	0.30
शेयर पूंजी पर नेट वर्थ (गुणा)	**7.89**	9.93	14.49
नियोजित पूंजी पर कर पश्चात लाभ (%)	**(52.42)**	8.94	5.79
नेट वर्थ पर कर पश्चात लाभ (%)	**(19.17)**	5.51	3.38
प्रति कर्मचारी बिक्री (रू.)	**30.61**	30.00	14.11

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यों को

एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, लाभ व हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश तथा इक्विटी में परिवर्तन के विवरण शामिल हैं । इसमें इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश तथा व्याख्यात्म सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियां शामिल हैं। कंपनी के मुबई, कोलकता, अहमदाबाद, विजाग, चेन्नै, हैदराबाद, भुवनेश्वर एवं जयपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरण भी शामिल हैं जिनका आडिट शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है ।

हमारी राय तथा सूचनाओं एवं हमें उपलब्ध करवाए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त कथित एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकतानुसार उपरोक्त सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं। ये विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखानीतियों के अनुरूप 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की अवधि के कंपनी के मामलों की सत्य एवं सही विवरणों के साथ–साथ इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ को भी दर्शाते हैं।

राय का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसएज) के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के सेक्शन की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के दायित्वि में और आगे वर्णित किया गया है । कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अधीन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित नीतिपूरक आवश्यकताओं के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त हमने इन आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य नीतिपरक दायित्वों एवं नीति संहिता का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं समुचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले ऐसे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विचार से वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्व के हैं। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा तथा इन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में पूर्ण रूप से शामिल किया गया है। इन मामलों पर हम अलग से अपनी राय नहीं देते ।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1.	वर्तमान पुराने ईआरपी सिस्टम को समेकित एवं नवीनतम ईआरपी सिस्टम से बदलने की अवश्यकता के संबंध में नोट 36(बी) को देखें। किसी एक की अनुपस्थिति में कंपनी अधिनियम में मूल्यह्रास शैड्यूल जैसे नियमों में वर्तमान परिवर्तनों को सिस्टम में मजबूती से नहीं लिया जा सकता।	यह सुनिश्चित करने के लिए हमने विस्तृत रूप से निम्नलिखित परीक्षण किए हैं: विभिन्न एकाऊंटिंग पैकेजिंग/साफ्टवेयर में पास की गई सभी प्रविष्टियों को तुलन पत्र की तिथि को वित्तीय विवरण बनाने के लिए सही रूप से मैप किया गया है :– • कट ऑफ प्रक्रिया निष्पादित की • विभिन्न प्लेटफार्म पर पास की गई प्रविष्टियों का रिकंसिलिएशन
2.	दावों पर नोट संख्यां 34 का संदर्भ लें जिसमें लम्बित विधिक मामलों के लिए इनमें सम्मिलित दावों को ऋण के रूप में नहीं पहचाना गया है। विभिन्न निर्णायक प्राधिकरणों के समक्ष बहुत अधिक संख्या में मामले लम्बित हैं । इन विधिक मामलों में विवादों के संभावित परिणामों का निर्धारण करने के लिए तथा स्वतंत्र विधिक निर्धारण हेतु मामलों की पूछताछ करना शामिल है। व्यापारिक कार्यकलापों के साथ–साथ विशेष कार्यकलापों की एकाउंटिंग के लिए कंपनी के 8 क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न प्रभाग हैं। तथापि, अनेक मामलों में विधिक मामले कारपोरेट कार्यालय स्ततर पर देखे जाते हैं जबकि संबंधित वित्तीय सूचनाएं/लेन–देन क्षे.का. स्तर पर देखे जाते हैं। ऐसे लेनदेनों को व्यापक एवं सम्पूर्ण व्यवहार देने में कठिनाईयां होती हैं।	हमने दिनांक 31 मार्च 2020 को कारपोरेट कार्यालय के विधि प्रभाग द्वारा हैंडल किए जा रहे सभी लम्बित विधिक मामलों की सूची के साथ साथ विगत वर्ष की तुलना में मामलों की स्थिति में परिवर्तनों पर प्रबंधतंत्र से एक नोट भी प्राप्त किया है। प्रबंधतंत्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के प्रभाव पर हमने विचार किया है तथा कंपनी के वित्तीय दायित्वों के प्रभाव का भी विश्लेषण किया है। वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग में स्पष्टता लाने के लिए प्रबंधतंत्र को सुझाव दिया गया कि विधिक मामलों तथा वित्तीय दायित्वों, यदि कोई हो तो, को एक स्थान पर रखा जाए।

3.	नोट सं 11का संज्ञान लें, जिसमें संबंधित पार्टियों का अग्रिम शामिल है। जिसमें एनआईएनएल को दिया गया ऋण/अग्रिम वर्ष के दौरान आय नहीं माना गया है ।	मामले के महत्व को देखते हुए हमने इस क्षेत्र में दूसरों के बीच निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को लागू किया, ताकि पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त हो सके हमने ब्याज की वसूली की संभावना के तहत प्रबंधन के साथ मामले पर चर्चा की । इंड एस 115 राजस्व मान्यता की शर्तों में कंपनी की राजस्व मान्यता नीति और उसके अनुपालन की उपयुक्तता को माना। वित्तीय विवरणों में किए गए प्रासंगिक खुलासों को आंकलन किया गया ।
4.	सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश की हानि का आकलना (नोट सं. 6 देखें) 31 मार्च 2020 तक कंपी के पास गैर–चालू और चालू निवेश है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं लेकिन हम निम्नलिखित तक सीमित नही है। प्रबंधन प्रक्रिया की प्राप्ति की और उसे समझने का प्रयास किया। हानि के संकेतको के संबंध में प्रबंधन के साथ बड़े पैमाने पर चर्चा की और नियंत्रण के डिजाइन और परीक्षण संचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। प्रबंधन द्वारा निवेश की पुर्नप्राप्ति का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्य प्रणाली को स्वीकार किया और यह सुनिश्चित किया कि यह लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

मामलों पर विशेष बल

1. मेसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल), जो कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम है, में कंपनी के निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36(सी) की और ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
2. नोट संख्याः 34(आई)(जे) की ओर हम ध्यान आकृष्ट करते हैं, जहां कंपनी का कथन है कि अंतिम निर्णय के लिए लंबित अपील के कारण यदि कोई देयता होगी तो उसका वहन एनआईएनएल द्वारा किया जायेगा। तथापि, एनआईएनएल से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है ।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले एकल वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे पर्याप्त रिकार्ड का रखरखाव शामिल है जो आवश्यक है कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी रोकने तथा धोखाधड़ी व अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन करने तथा उनको अपनाने, ऐसे निणय लेने तथा आकलन करने जो तर्कसंगत तथा उचित हो, ऐसा पर्याप्त अंतरिम वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, लागू करने जो लेखा रिकार्ड एक्युरेसी तथा पूर्णतया को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करते हों, ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने जो लेखों की सही तथा सत्य स्थिति प्रस्तुत करते हों तथा लेखा विवरण धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हुई बड़ी चूक से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय मैनेजमेंट का यह दायित्व होता है कि वह कंपनी की गोईंग कंसर्न की योग्यता का निर्धारण करे, गोईंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करे तथा अकाऊंटिंग के लिए गोईंग कंसर्न की व्यवस्था उस स्थिति तक अपनाए जब तक कि मैनेजमेंट कंपनी का निस्तातरण न कर दे अथवा परिचालन न बंद कर दे अथवा कोई विकल्प ही न बचा हो।

निदेशक मंडल का यह भी दायित्व है कि वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर भी नजर रखे।

वित्तीय विवरणों की ऑडिट के बारे में लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करे कि वित्तीय विवरणों में किसी भी सूचना एवं तथ्यों को गलत तौर पर नहीं दिया गया है, चाहे गलत जानकारी किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण क्यों न दी गई हो। इसके बाद हम लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें हम अपनी राय शामिल करते हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु वह इस बात की गारंटी नहीं होती है कि एसएज के अनुसार किया गया ऑडिट सदा ही किसी गलत तथ्य एवं सूचना का पता लगा सके। गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा किसी गलती से उत्पन्न हो सकते हैं तथा उन्हें एकल रूप से अथवा समग्र रूप से इतना महत्वपूर्ण अथवा प्रभावी माना जाता है कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले निर्णयों की इससे पर्याप्त रूप से प्रभावित होने की आशंका हो।

एसएज के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवर के तौर पर निर्णय लेते हैं तथा अपनी ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेहवाद को अपनाते हैं। हम यह भी करते हैं :

- वित्तीय वितरणों में दी गई गलत जानकारी, त्रुटि चाहे धोखाधड़ी अथवा गलती से हुई हो, का पता लगाते हैं तथा संबंधित जोखिम का निर्धारण करते हैं। साथ ही हम ऑडिट की ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो उन जोखिम के लिए रिस्पोंसिव हो। इसके अलावा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय अथवा मत के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार होता है। धोखाधड़ी से दी गई गलत जानकारी का जोखिम त्रुटि की तुलना में अधिक होता है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना हो सकती है।
- ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त आडिट प्रकियाएं तैयार की जा सकें। कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 143(3)(प) के अंतर्गत हमारा यह भी दायित्व होता है कि हम यह देखें कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा यह प्रणाली नियंत्रण के लिए कारगर है ।
- प्रयोग में लाई गई लेखानीतियां तथा लेखा अनुमानों की उपयुक्तता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन ।
- इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि लेखांकन के लिए प्रबंधतंत्र द्वारा प्रयोग किया गया गोईंग कंसर्न उचित है, प्राप्त किए गए आडिट साक्ष्य के अनुसार क्या ऐसी घटनाओं अथवा परिस्थितियों के बारे में अनिश्चितता विद्यमान है जिनके कारण कंपनी की एक गोईंग कंसर्न की निरंतरता कायम रहने की योग्यता पर पर्याप्त संदेह बनता हो। यदि हमें यह पता चलता है कि इस बारे में पर्याप्त अनिश्चितता है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर सकती है जिनके कारण कंपनी के लिए गोइंग कंसर्न बने रहना संभव न हो।
- प्रकटनों सहित समग्र प्रस्तुति संरचना तथा वित्तीय विवरणों के सार का मूल्यांकन तथा क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा इवेंट्स का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे सही प्रस्तुति की श्रेणी में आते हैं ।

आडिट की समयसारणी तथा विस्तार क्षेत्र की योजना तथा महत्वपूर्ण आडिट परिणाम तथा आंतरिक नियंत्रण में हमें अपने आडिट के दौरान जिन कमियों का पता चलता है उनके बारे में हम संबंधित कार्मिकों से संवाद करते हैं ।

हम अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के मामले में संबंधित नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों जिनमें संवाद किया गया है तथा जो स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में आवश्यक है।

ऐसे मामले जिनके बारे में संबंधित कार्मिकों के साथ संवाद किया है तथा वे मामले जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की आडिट के लिए अधिक महत्व के हैं तथा वे आडिट के मुख्य मामले बनते हैं हम अपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का उल्लेख करते हैं सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें इस प्रकार का उल्लेख करना कानून अथवा विनियम के विरूद्ध हो अथवा हमें कतिपय मामलों में प्रतीत हो कि हमें अपनी रिपोर्ट में ऐसे मामले का उल्लेख नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनता का अहित होगा ।

अन्य मामले

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों का आडिट नही किया है जिसमें 31 मार्च 2020 के एकल वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना में उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 4335.01 करोड़ रू. की कुल संपति और 12453.96 करोड़ रू. का कुल राजस्व दिखाया गया है जैसा कि एकल वित्तीय विवरण में विचार किया गया था। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का आडिट ब्रांच आडिटरों ने किया है जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई है और हमारी राय में जहां तक इन ब्रांचों के संबंध में शामिल की गई राशि और प्रकटन का संबंध है यह पूरी तरह ऐसी ब्रांचों के आडिटरों की रिपार्ट पर आधारित है।

इस मामले में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनीज (आडिटर रिपोर्ट) (श्आदेशश्) के द्वारा अपेक्षित हम अनुलग्नक –1 में जैसा लागू है, आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दे रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) में जैसा आवश्यक है, हम सूचित करते हैं :–

   ए) हमने ऐसी सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास में लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे ।

   बी) हमारी राय में बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है कि कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित खाता बहियां बनाई गई हैं

   सी) अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत कंपनी के ब्रांच कार्यालयों के लेखों का ब्रांच आडिटरों द्वारा आडिट किया गया जिसकी रिपोर्ट हमें भेजी गई है और जिसे रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

   डी) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं ।

ई) हमारे विचार में उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसके साथ कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 यथासंशोधित पठनीय है में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

एफ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) अधिनियम की धारा 164 की उप धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

जी) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा इस प्रकार के नियंत्रण के परिचालन प्रभाव के लिए ''अनुलग्नक 2'' में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

एच) कंपनीज (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में हमारी राय तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

i) बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क से संबंधित मामलों सहित लंबित मुकदमें जिनका खुलासा आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है – एकल वित्तीय विवरण के नोट 34 और 36 का संदर्भ लें । इसके प्रभाव का निर्धारण करना संभव नहीं है चूंकि मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।

ii) कंपनी ने डेरीवेटिव करारों सहित दीर्घावधि करारों पर अनुमान्य हानियों, यदि कोई है, के लिए लागू विधानों या लेखा मानकों के अंतर्गत प्रावधान कर लिए हैं ।

iii) निवेशक शिक्षा और सुरक्षा फंड में ट्रांसफर किए जाने वाले फंड के मामले में कंपनी द्वारा कोई देरी नहीं की गई है ।

3. भारत के सी व एजी द्वारा कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 143;5द्ध के तहत जारी निर्देशों के तहत हमने अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक –3 में प्रस्तुत की है।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2020
यूडीआईएन : 20095584एएएएजेके3981

चार्टड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

एमएमटीसी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–1 हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

("अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकता" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में :–

i कंपनी ने अपनी स्थिर परिसंपत्तियों का उपयुक्त रिकार्ड बनाया है जिसमें स्थिर परिसंपत्तियों की मात्रा तथा उनकी स्थिति सहित पूरे विवरण दिए गए हैं।

ii हमें दी गई वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, हमारी राय में, प्रबंध तंत्र द्वारा उचित अंतराल पर उक्त परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है।

iii अचल परिसंपत्ति की टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर है सिवाय नीचे दिए गए मामलों के :

क्षेत्र/कार्यालय	परिसंपत्ति का विवरण	सकल मूल्य	क्षेत्र	टिप्पणियां
कारपोरेट कार्यालय	लीजहोल्ड भूमि(स्कोप)	1.04 करोड़ 5.74 करोड़	..	लीज डीड स्कोप के नाम पर है जिसे कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाता है

2. इन्वैंट्रीज के संबंध में :–

i. जैसा हमें स्पष्ट किया गया है मैनेजमेंट ने वर्ष के दौरान इन्वैंट्रीज का भौतिक सत्यापन किया है।

ii. हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वास्तविक सत्यापन के दौरान कोई भारी अंतर नहीं पाया गया।

iii. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार मैनेजमेंट द्वारा इन्वेंट्रीज के भौतिक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं को एमएमटीसी लिमिटेड के आकार तथा इसकी व्यापारिक प्रकृति के अनुरूप और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

3. धारा 189 के अंतर्गत कवर होने वली पार्टियों को दिए गए ऋण नोट सं. 36(सी) देखें

कंपनी ने अपनी एक संयुक्त उपक्रम कंपनी, मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को असुरक्षित ऋण दिया है।

i हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार जिन शर्तों व अनुबंधों पर ऋण दिया गया है वे कंपनी के हित में नुकसानदेह नहीं है।

ii हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण की अदायगी की शर्त तथा ब्याज की दर में बोर्ड द्वारा क्रेडिट सुविधा प्रदान करते हुए संशोधन किया गया है, जिसके लिए एक नया एग्रीमेंट किया जाना है।

iii हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के परिणामस्वरूप जिसके लिए अभी एग्रीमेंट किया जाना है, हम तुलन पत्र की तिथि को किसी भी बकाया राशि के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

4. ऋणों, गारंटियों तथा सिक्युरिटिज के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 व 186 के प्रावधानों का अनुपालन नोट सं. 36(सी) देखें

कंपनी के निदेशक मंडल ने अपने संयुक्त उद्यमों में से एक संयुक्त उद्यम मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल) की क्रेडिट सुविधा को 2612.00 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 3300.00 करोड़ रूपये कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2020 को एनआईएनएल की ओर बकाया देय राशि 3221.00 करोड़ रूपये (गत वर्ष 2594.56 करोड़ रूपये) हो गई है।

5. जमा राशि(डिपाजिट्स) स्वीकार करना

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेशों तथा धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा कंपनी अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी ने कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

6. लागत रिकार्ड का रखरखाव

जैसा कि हमें बताया गया है कि अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत भारत सरकार ने कंपनी द्वारा लागत रिकार्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

7. अविवादित तथा विवादित सांविधिक देय राशियां

(ए) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्ड्स के अनुसार कंपनी द्वारा आयकर, भविष्य निधि देय, व्यावसायिक कर, मूल्यवर्धित कर तथा सेवा कर सहित अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकरण में नियमित रूप से जमा किए गए हैं।

(बी) दिनांक 31 मार्च, 2020 को देय तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए आयकर, भविष्य निधि देय, प्रोफेशनल टैक्स, वैट, सेवाकर तथा अन्य सांविधिक देयों की अविवादित बकाया राशि देय नहीं थी बजाय, सीपीसी (टीडीएस) द्वारा वर्ष 2007:08 में 2018:19 के लिए 2,74,760 रूपये (जैसा कि भुवनेश्वर क्षेत्र द्वारा रिपोर्ट किया गया है)

(सी) किसी विवाद के कारण आयकर अथवा बिक्री कर अथवा सेवाकर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा सेस के देयों का भुगतान न किए जाने का ब्यौरा अनुलग्नक 'ए' में दिया गया है।

8. बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सरकार / डिबेंचर्स से ऋण

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार अथवा डिबेंचर धारकों को ऋणों अथवा उधार की अदायगी में कोई चूक नहीं की है ।

9. सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) (ऋण दस्तावेज सहित) / टर्म ऋण से प्राप्तियां

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार कंपनी ने आरंभिक / अगले सार्वजनिक निर्गम (ऋण दस्तावेजों सहित) से कोई राशि प्राप्त नहीं की है। कंपनी द्वारा लिए गए टर्म ऋण का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए लिया गया था।

10. कंपनी के साथ अथवा कंपनी द्वारा धोखाधड़ी

हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा की प्रणालियों के अनुरूप हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्ड के अनुसार कंपनी के साथ अथवा कंपनी द्वारा इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी धोखे का कोई भी मामला न तो संज्ञान में आया है और न ही वर्ष के दौरान सूचित किया गया है।

11. प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 कंपनी में लागू नहीं है। तदनुसार आदेश का पैरा 3(गप) कंपनी पर लागू नहीं है।

12. निधि कंपनियां

हमारे विचार से तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैरा 3 (गपप) का प्रावधान कंपनी पर लागू नही है।

13. संबंधित पार्टी लेन–देन

हमारे सत्यापन के दौरान दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारा मत है कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेनदेन अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं। जहां भी अपेक्षित है इन लेनदेनों का विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसके साथ संबंधित नियम पठनीय है, में उल्लिखित इंड एएस:24 ''संबंधित पार्टी प्रकटन'' के अंतर्गत स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से दिया गया है।

14. अधिमान्य निर्गम (प्रिफ्रेंशियल इश्यू)

हमें उपलब्ध कराई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयर अथवा आंशिक रूप से पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचर्स का कोई भी अधिमान्य आबंटन अथवा प्राईवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैरा 3(गपअ) का प्रावधान कंपनी पर लागू नही है।

15. निदेशकों आदि के साथ गैर–रोकड़ लेन–देन

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के परिणामस्वरूप कंपनी ने वर्ष के दौरान अधिनियम 2013 की धारा 192 के अंतर्गत निदेशकों अथवा निदेशकों से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ लेन–देन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैरा 3 (गअ) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

16. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के 45–आईए का प्रावधान

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। तदनुसार पैरा 3(गअप) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

एम एल पुरी एंड कंपनी के लिए
चार्टड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन : 002312एन

चार्टड एकाउंटेंट्स आर.सी. गुप्ता
साझीदार
सदस्य संख्या 095584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2020

एमएमटीसी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 के खंड 7 (iii) का अनुलग्नक ''ए''

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	शामिल राशि	जमा राशि	अथॉरिटी
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1989-90	15,01,06,778	5,00,000	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील iv)
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1990-91	23,35,46,478	5,00,000	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील iv)
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1991-92	32,98,738	4,00,000	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील iv)
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2001-02	45,03,961	-	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील i)
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2004-05	42,00,789	-	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर) बीएसटी अपील)
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2008-09	13,04,722	71,495	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2007-08	0**	-	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2010-11	45,01,471	2,78,400	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2009-10	17,22,430	94,380	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2011-12	0*	-	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील vi)
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2013-14	13,29,839	72,921	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील vi)
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2011-12	48,25,144*	1,00,000	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील vi)
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2008-09	51,81,979	-	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2007-08	71,97,308	-	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2014-15	7,63,905	405,793	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील vi)
कस्टम अधिनियम 1962	सीमा शुल्क	2012-13	34,92,29,671	28,41,24,643	कस्टम आयुक्त

* दोनों अपील एक जैसे मामले के लिए कॉमन अपील अधिकारी के पास फाईल की गई है।
* पहली अपील से अधिक के लिए दूसरी अपील की गई है

चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथॉरिटी
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर जुर्माना व ब्याज	2001-02	1,78,566 (SPANDEX YARN)	सहायक आयुक्त (वाणिज्यिक कर)
टीएनवेट अधिनियम	वैट एवं जुर्माना	2008-09	3,55,08,765 (DUN PEAS)	वाणिज्यिक कर अपील के संयुक्त आयुक्त

विज़ाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (रूपये में)	अथॉरिटी
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1968-69	18,56,325	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1985-86	25,05,806	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1989-90	4,79,000	एसटीएटी,
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1991-92	19,34,139	एसी, एलटीयू
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1997-98	25,27,960	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी **	सीएसटी	1994-95	8,41,695	एसी, एलटीयू
सीएसटी **	सीएसटी	2007-08	1,04,614	एडीसी
वीएटी	एपीवीएटी	2013-14	22,63,563	एडीसी
सीएसटी	सीएसटी	2013-14	4,10,662	एडीसी
वीएटी	एपीवीएटी	2014-15	4,17,000	एडीसी
कस्टम ड्यूटी	कस्टम ड्यूटी	2009-10	92,92,463	सीईएसटीएटी, हैदराबाद

* एपीजीएसटी/वैट से संबंधित विवादित राशि में से क्षेत्रीय कार्यालय ने रुपए 98,76,324/– की राशि संबंधित प्राधिकरण में जमा करा दी है।
** कस्टम ड्यूटी से संबंधित विवादित राशि में से क्षेत्रीय कार्यालय ने रुपए 76,07,136/– की राशि से संबंधित प्राधिकारण में जमा करा दी है।

कोलकता क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (रूपये में)	अथॉरिटी
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2005-06	11,31,000	अपीलीय बोर्ड
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2013-14	46,08,000	विभाग कोलकाता उच्च न्यायालय
पश्चिम बंगाल, मूल्य संवर्धन कर अधिनियम	पश्चिम बंगाल वैट	2013-14	51,46,000	कोलकाता उच्च न्यायालय
स्थानीय एरिया में माल की इंट्री पर पश्चिम बंगाल कर अधिनियम, 2012	पश्चिम बंगाल इंट्री कर	2015-16	95,000	अपीलीय बोर्ड

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथॉरिटी
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1989-90	1,49,770	एसटीएटी
एपीजीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1991-92	24,02,576	एसटीएटी
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1992-93	13,96,269	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1993-94	17,62,687	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1993-94	6,30,615	एसटीएटी – विजाग
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1993-94	4,41,446	एसटीएटी – विजाग
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1994-95	2,04,081	एसीएलटीयू
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1997-98	58,43,100	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1999-00	39,04,454	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2000-01	2,52,926	एसटीएटी – विजाग
वैट	वैट	2006-07	6,76,058	एसीएलटीयूए एसटीएटी
वैट	वैट	2007-08	71,000	एसी ऑडिट
वैट	वैट	2008-09	7,84,474	सीटीएटी
वैट	वैट	2012-13	99,49,808	एडीसी (सीटीओ)
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	2013-14	4,40,000	एसटीएटी
एपीवीएटी–जेसी	वैट	2013-14	22,00,000	एपीवीएटी–जेसी
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	2014-15	6,33,008	डीसी (सीटीओ)

कारपोरेट कार्यालय

कारो 31.03.2020 तक रिपोर्ट करते हुए

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (रूपये में)	फोरम
आयकर अधिनियम	आयकर	2017-18	1 59 36 207	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर	2016-17	3 24 12 680	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2015-16	1 17 51 934	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2014-15	1 55 24 136	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2013-14	3 34 92 278	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2011-12	91 77 995	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2010-11	2 57 474	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2009-10	8 06 98 915	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2008-09	1 44 83 413	सीआईटी(ए) / उच्चतम न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2005-06	4 51 65 330	उच्चतम न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2004-05	3 58 34 174	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2003-04	1 08 96 834	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2001-02	1 17 77 218	उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2000-01	1 16 64 510	उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	1999-00	2 85 69 897	आईटीएटी
आय कर अधिनियम	आयकर	1998-99	58 90 533	आईटीएटी
आय कर अधिनियम	आयकर	1997-98	50 22 928	आईटीएटी
आय कर अधिनियम	आयकर	1996-97	3 73 75 477	आईटीएटी
	कुल		40,59,31,935	

मांग के अलावा, कंपनी के द्वारा रूप्ये 19,64,01,641 की राशि जमा की गई।

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथॉरिटी
यूपी–वैट	एलएसटी / सीएसटी	1990-91	6,17,588	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी–वैट	एलएसटी	1991-92	4,70,578	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी–वैट	एलएसटी	1992-93	2,64,037	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी–वैट	एलएसटी	1993-94	1,85,100	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी–वैट	एलएसटी	1987-88	16,35,160	संयुक्त आयुक्त (अपील), कानपुर
यूपी–वैट	वैट	1996-97	6,11,808	आयुक्त (अपील) यूपी वैट
यूपी–वैट	वैट फार्म 3 बी(स्वर्णद्ध और फार्म 3सी 1 (मेंथा आयल) नही जमा कराने पर ब्याज	2007-08	62,457	आयुक्त (अपील) यूपी वैट

हरियाणा वैट	एलएसटी	1992-93	4,24,587	फरीदाबाद, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़
एमपी–वैट	एलएसटी	1999-00	1,50,004	बिक्री कर प्राधिकरण, इंदौर
एमपी–वैट	एलएसटी	1998-99	47,30,692	निर्धारण प्राधिकरण, इंदौर
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क तथा एसोसिएट द्वारा गोल्ड लोन के लिए स्वर्ण आभूषण निर्यात नही करने पर ब्याज	1999-00	2,72,67,919	माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (रूपये में)	अथॉरिटी
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2003-04	1,49,46,540	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर। (विरोध करते हुए रूपये 35 – 49 लाख जमा किया गया). कर बोर्ड में डीसी (अपील) के आदेश के खिलाफ बिक्री कर विभाग ने अपील किया। सुनवाई की अगली तारीख 15.07.2020 है
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1999-00	26,07,605	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर। आरएसटी अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत 4767 मीट्रीक टन डीएपी की मांग के कारण कर बोर्ड के पास लंबित। सुनवाई की अगली तारीख 14.06.2020 है।
आयकर	आयकर		22,750	2009–10 से 2017–18 तक टीडीएस मांग।
आयकर	आयकर	2018-19	1,330	टीडीएस की मांग

अवरोध के अंतर्गत कुल रूपये 35,49,446 जमा किया गया।

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (रूपये में)	अथॉरिटी
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1977-78	41,95,457	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1977-78	2,09,773	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1979-80	54,32,092	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1979-80	3,00,090	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1980-81	1,30,21,518	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1980-81	6,53,245	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1981-82	15,18,451	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1981-82	3,27,928	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज जुर्माना	1978-79	26,50,388	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	1978-79	34,00,919	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	1978-79	1,70,046	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज जुर्माना	1979-80	6,53,452	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	1982-83	34,83,020	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज	1978-79	3,57,42,030	उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीसीसीटी के समक्ष जवाब दायर किया गया
उड़ीसा बिक्री कर	डीईपीबी	2006-09	14,98,22,308	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
उड़ीसा बिक्री कर	डीईपीबी	2010-12	5,08,43,080	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा मूल्य वर्धित कर	मूल्य वर्धित कर	2013-14	14,28,18,841	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
सीएसटी (ओडिशा)	केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	2013-14	58,07,05,822	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
ईटी (ओडिशा)	प्रवेश कर	2013-14	52,63,10,091	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
सीएसटी (ओडिशा)	घोषणा प्रपत्र जारी	2011-14	75,79,583	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
सीएसटी (ओडिशा)	बिक्री कर	2015-16	9,48,103	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2003-05	4,69,22,377	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2003-07	21,79,94,247	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2007-08	4,83,32,542	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2008-10	9,91,10,433	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्दीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2010-11	5,53,51,549	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर

केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2011-12	5,49,87,956	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2009-12	46,70,33,797	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2009-11	106,30,640	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2012-13	52,63,235	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2012-13	6,26,05,087	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2013-14	9,94,263	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सीमाशुल्क	2012-13	1,49,02,87,737	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद	सेवा कर	2014-15	17,71,628	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद	सीमाशुल्क–डीसीडी	2017-18	1,17,457	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद	सीमाशुल्क–डीसीडी	2017-18	2,51,802	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद	सीमाशुल्क–डीसीडी	2017-18	41,374	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्दीय उत्पाद एक्ट	सीमाशुल्क ब्याज और जुर्माना	2017-18	1,32,576	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्दीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2017-18	16,431	विभाग अपील के लिए दायर किया है।

अहमदाबाद क्षेत्र

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथॉरिटी
कस्टम अधिनियम, 1962	अंतरीय सीमा शुल्क	2013-14	17,83,24,573	सीईएसटीएटी, चेन्नै

एमएमटीसी लिमिटेड के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक – 2

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143(3) (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल इंडएएस वित्तीय विवरणों के हमारे आडिट के साथ 31 मार्च 2020 से संबंधित **एमएमटीसी लि.** (कंपनी) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्व :

कंपनी द्वारा इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आडिट पर दिशा निर्देश नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इसमें इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाईन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय को सक्षम और सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सुनिश्चित करने के प्रभावी तरीके से परिचालित हो रहे थे। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और इसकी पहचान लेखा रिकार्डो की सटीकता और इसकी पूर्णता भी शामिल हैं।

आडिटरों का दायित्व :

हमारा दायित्व हमारे आडिट पर आधारित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट पर दिशा निर्देशों के अनुसार आडिट किया है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्धारित माना गया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट पर लागू है। हम उन मानकों और दिशा –निर्देशों का नीतिपरक अपेक्षाओं और योजनाओं के साथ अनुपालन करते हैं और पर्याप्त आश्वासन लेने के लिए आडिट करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रमाणित हो और इससे संबंधित सभी का प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण हो सके ।

हमारे आडिट में निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया है जिससे वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के आडिट प्रमाण मिल सके और उनकी संचालन प्रभावशीलता मिल सके। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ पैदा करने, मूर्त कमजोरी में जोखिम का पता लगाना और इसके जोखिम पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण के परिचालित प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया आडिट के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें ईंडएएस वित्तीय विवरण का ठोस गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो आडिट प्रमाण मिले हैं वे कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी आडिट राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्वांतों के अनुसार बाहय उददेश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में इन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है कि

(1) रिकार्ड के रख रखाव से संबद्व जो उचित विवरण में कंपनी की संपत्तियों के लेन देन, प्रकृति को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।

(2) उचित आश्वासन देता है कि लेन देन को आमतौर पर स्वीकार्य सिद्वांतों के अनुसार ईंडएएस वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए आवश्यक रूप में रिकार्ड किया गया है और कंपनी के प्रबंधन और निवेशकों के अधिकारों के अनुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

(3) रोकथाम या अनाधिकृत अधिग्रहण की समय पर खोज, उपयोग के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराता है या कंपनी की संपत्ति की प्रकृति जिसका ईंडएएस वित्तीय विवरण पर ठोस प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्विर्हित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतनिर्हित सीमाएं जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित तरीके से प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, ठोस गलत विवरण जो त्रृटि या धोखाधड़ी के कारण हो सकता है इसमें शामिल है, जिसका पता न लग सके!

भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरण के किसी मूल्यांकन के प्रोजेक्शन जोखिम पर निर्भर करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हो सकता है या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्राा बदतर हो सकती है।

राय :

हमारी राय में सभी ठोस मामलों मे, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप में हैं और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 से प्रभावी रूप से संचालित है जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर मानदंड पर आधारित थे। इनकी स्थापना के समय इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आडिट पर दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रकों के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

कृते एम एल पुरी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ आर एन 002312 एन

चार्टड अकाउंटेंट आर सी गुप्ता
साझेदार
एम न.: 095584

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 31.07.2020

अनुलग्नक–3 : एमएमटीसी लिमिटेड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	क्यां कंपनी के पास सभी अकाउंटिग लेन–देन को आईटी सिस्टम के द्वारा करने की प्रणाली है, यदि हां तो वित्तीय लागू के साथ अकाउंट की संपूर्णता आई टी सिस्टम के बाहर अकाउंटिंग लेने की प्रक्रिया लागू है, यदि कोई है, तो दर्ज किया जाए ।	हां, कंपनी के पास सभी अकाउंटिग लेन–देन को एकल आईटी सिस्टम के द्वारा करने का सिस्टम है जिसमें आंकड़ा इसके ईआरपी सिस्टम को स्थानांतरण किया जाता है। यद्यपि आधुनिक पूर्ण आर पी सिस्टम की अनुपलब्धता में कुछ लेन देन आई टी सिस्टम में मैन्युली प्रविष्टी दर्ज किये जाते हैं। उन लेन.देन का न तो अकाउंट की पूर्णता पर न ही वित्ततीय आशय पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे लेन देन जो कि आई टी सिस्टम में मैन्यूली पारित हुए हैं नीचे हैं :
2.	कंपनी की असमर्थता के कारण लोन अदायगी के लिए कंपनी के ऋणदाता के द्वारा मौजूदा ऋण के पुनगर्ठन अथवा छूट के मामले / उधार / ऋण / ब्याज आदि के राईट ऑफ है ?	**ऐसा कोई मामला नहीं है ।**
3	क्या केन्द्रीय राज्य एजेंसियों के द्वारा विशेष योजनओं के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों का इसके नियम एवं नियम एंव शर्तों के साथ इस्तेमाल होने के लिए उचित तरीके से हिसाब हुआ है। विचलन में मामलों को सूचीबद्ध करें ।	**ऐसा कोई मामला नहीं है ।**

ईआरपी प्रणाली में मैन्यूली पारित लेन–देन की सूची

क्र. सं.	लेखा क्षेत्र	लेखा गतिविधि	अखंडता पर प्रभाव
1	आईजीसी सहित खुदरा वस्तु की बिक्री	खुदरा व्यापार में माल की बिक्री एवं स्वतंत्र सॉफ़्टवेयर के माध्यम से की जाती है, जिसमें डेटा, मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना, ईआरपी में स्वचालित रूप से एकीकृत नहीं होता है।	कोई नहीं
2	समापन सूची	कम लागत अथवा बाजार मूल्य पर समापन वस्तु सूची की कीमत मैन्यूली लगायी जाती है और जर्नल वाउचर के ईआरपी में प्रविष्ट की जाती हैं।	कोई नहीं
3	मूल्यह्रास	कपंनी अधिनिय 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट के अनुसार मूल्यह्रास की गणना मैन्यूली की जाती है और सिस्टम में जेवी के द्वारा प्रविष्ट की जाती है ।	कोई नहीं
4	हेजिंगं प्रविष्टयां	प्रतिरक्षा / बचाव के लिए लेखा प्रविष्टियां मैन्यूली पास की जाती है और प्रत्येक अवधि के समापन में ईआरपी प्रणाली में जेवी के द्वारा प्रविष्ट की जाती है ।	कोई नहीं
5	महीने की समाप्ति में खर्च का प्रावधान	प्रक्रिया मैन्यूली की जाती है और जेवी से ईआरपी में प्रविष्टि की जाता है ।	कोई नहीं

कृते एम एल पुरी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ आर एन 002312 एन

चार्टड अकाउंटेंट आर सी गुप्ता
साझेदार
एम न.: 095584

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 31.07.2020

वर्ष 2019–20 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षक टिप्पणी पर प्रबंधन का उत्तर

पारा सं.	लेखापरीक्षक की टिप्पणियों	प्रबंधन का उत्तर
क्र. सं.	**प्रमुख लेखा परीक्षा मामला**	
1.	वर्तमान पुराने ईआरपी सिस्टम को समेकित एवं नवीनतम ईआरपी सिस्टम से बदलने की अवश्यकता के संबंध में नोट 36(बी) को देखें। किसी एक की अनुपस्थिति में कंपनी अधिनियम में मूल्यह्रास शैड्यूल जैसे नियमों में वर्तमान परिवर्तनों को सिस्टम में मजबूती से नहीं लिया जा सकता। **<u>लेखा परीक्षकों का उत्तर</u>** यह सुनिश्चित करने के लिए हमने विस्तृत रूप से निम्नलिखित परीक्षण किए हैं:– कि विभिन्न एकाऊंटिंग पैकेजिंग / साफ्टवेयर में पास की गई सभी प्रविष्टियों को तुलन पत्र की तिथि को वित्तीय विवरण बनाने के लिए सही रूप से मैप किया गया है :– • कट ऑफ प्रक्रिया निष्पादित की • विभिन्न् प्लेटफार्म पर पास की गई प्रविष्टियों का रिकंसिलिएशन	संस्था की वर्तमान वित्तीय दवाब को देखते हुए, प्रबंधन के द्वारा रैमको ईआरपी प्रणाली के वर्तमान वर्जन को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
2.	दावों पर नोट संख्यां 34 का संदर्भ लें जिसमें लम्बित विधिक मामलों के लिए इनमें सम्मिलित दावों को ऋण के रूप में नहीं पहचाना गया है। विभिन्न निर्णायक प्राधिकरणों के समक्ष बहुत अधिक संख्या में मामले लम्बित हैं। इन विधिक मामलों में विवादों के संभावित परिणामों का निर्धारण करने के लिए तथा स्वतंत्र विधिक निर्धारण हेतु मामलों की पूछताछ करना शामिल है। व्यापारिक कार्यकलापों के साथ–साथ विशेष कार्यकलापों की एकाउंटिंग के लिए कंपनी के 8 क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न प्रभाग हैं। तथापि, अनेक मामलों में विधिक मामले कारपोरेट कार्यालय स्ततर पर देखे जाते हैं जबकि संबंधित वित्तीय सूचनाएं / लेन–देन क्षे.का. स्तर पर देखे जाते हैं। ऐसे लेनदेनों को व्यापक एवं सम्पूर्ण व्यवहार देने में कठिनाईयां होती हैं। **<u>लेखा परीक्षकों का उत्तर</u>** हमने दिनांक 31 मार्च 2020 को कारपोरेट कार्यालय के विधि प्रभाग द्वारा हैंडल किए जा रहे सभी लम्बित विधिक मामलों की सूची के साथ साथ विगत वर्ष की तुलना में मामलों की स्थिति में परिवर्तनों पर प्रबंधतंत्र से एक नोट भी प्राप्त किया है। प्रबंधतंत्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के प्रभाव पर हमने विचार किया है तथा कंपनी के वित्तीय दायित्वों के प्रभाव का भी विश्लेषण किया है। वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग की स्पष्टता लाने के लिए प्रबंधतंत्र को सुझाव दिया गया कि विधिक मामलों तथा वित्तीय दायित्वों, यदि कोई हो तो, को एक स्थान पर रखा जाए।	विधि मामले के संस्थान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (सीपीसी) के अनुसार अदालत के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है। अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न आधार पर निर्भर करते हैं : ए) राजकोषीय मूल्य बी) अदालत की भौगोलिक सीमा सी) विषय वस्तु जैसे कि अचल संपत्ति के मामले में जहाँ अचल संपत्ति है वहाँ दावा किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों, जिसने विशेष करार कार्यान्वित किया है और जो रिकोर्ड्स के रक्षक हैं, उनके लिए अदालत के समक्ष मामला कार्यान्वित करना ज्यादा आसान है। यद्यपि जब मामला शीर्ष न्यायलय पहुँचता है तो कारपोरेट कार्यालय द्वारा मामला देखा जाता है।

	मामलों पर जोर	
1.	हम मेसर्स नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) –एक संयुक्त उद्यम कंपनी के निधि आधारित और गैर–निधि आधारित निवेश के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 36 (सी) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ।	एनआईएनएल को जारी की गई सभी निधियाँ समय–समय पर एमएमटीसी बॉर्ड के अनुमोदन से हुआ है। प्रबंधन एमएमटीसी के द्वारा विनिवेश प्रक्रियाओं के माध्यम से एनआईएनएल में की गई सभी विनिवेश (ऋण और अग्रिम सहित) के प्रति आश्वस्त है।

	स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–1	
1.	(iii) अचल परिसंपत्ति का स्वत्व विलेख निम्न रेखांकित मामलों को छोड़कर कंपनी के नाम है : **क्षेत्रीय कार्यालय** | **परिसंपत्ति वर्णन** | **कुल मूल्य (रूपये में)** | **क्षेत्र** कारपोरेट कार्यालय | पट्टे पर जमीन (स्कोप) कार्यालय भवन (स्कोप) | 1.04 करोड़ 5.74 करोड़ | – टिप्पणी : पट्टा विलेख स्कोप के नाम पर है जो कि कंपनी के पक्ष में कार्यान्वित होना है।	भूमि एवं विकास अधिकारी (एल व डी ओ), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्कोप को भूमि आवंटित किया गया। स्कोप आवंटित भूमि के पट्टा दस्तावेज पर हस्ताक्षर हेतु नियमित आधार पर प्रयास कर रहा है पर यह अब तक लंबित है। पहले स्कोप और एल व डी ओ के बीच पट्टे के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के बाद तब स्कोप एमएमटीसी सहित अपने सभी घटकोंध्संगठनों के साथ हस्ताक्षर करेगा, जिसका सभी घटकों के साथ स्थिति समान है।
2.	**<u>पार्टी को दिए गए ऋण अनुच्छेद 189 के अंतर्गत कवर है – नोट सं. 36 (सी) उद्दृत</u>** कंपनी ने अपने एक संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को अरक्षित ऋण स्वीकृत किया है। (ii) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, बोर्ड के द्वारा अनुमोदित क्रेडिट सुविधा के विस्तरण और बढावा के द्वारा ऋण और व्याज के भुगतान शर्तें संशोधित किया गया जिसका ताजा करार प्रविष्ट होना है।	दिनांक 24.03.2020 को बोर्ड की 455 वाँ बैठक में एनआईएनएल को अपने प्लान्ट के प्रचालन के लिए कुल वर्तमान सीमा रूपये 3000 करोड़ से बढ़ाकर रूपये 3300 करोड़ सक्रिय पूंजी के रूप में रूपये 1425 करोड़ और दिनांक 31.03.2020 तक रूपये 1875 करोड़ व्यापार क्रेडिट के रूप में कर देने का अनुमोदन प्रदान किया गया। रूपये 3300 करोड़ के बढ़े हुए कारपोरेट गारंटी की प्रविष्टि के साथ नया करार एनआईएनएल से ऋण और एमएमटीसी के द्वारा दिए गए अग्रिम को सुरक्षित करने हेतु हस्ताक्षर के लिए एनआईएनएल को भेज दिया गया है, जो कि शीघ्र प्रत्याशित है। जो कि प्लांट के बंद होने और कोविड महामारी के कारण विलंबित हुआ।

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

वित्तीय विवरण

दिनांक 31 मार्च 2019-20 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

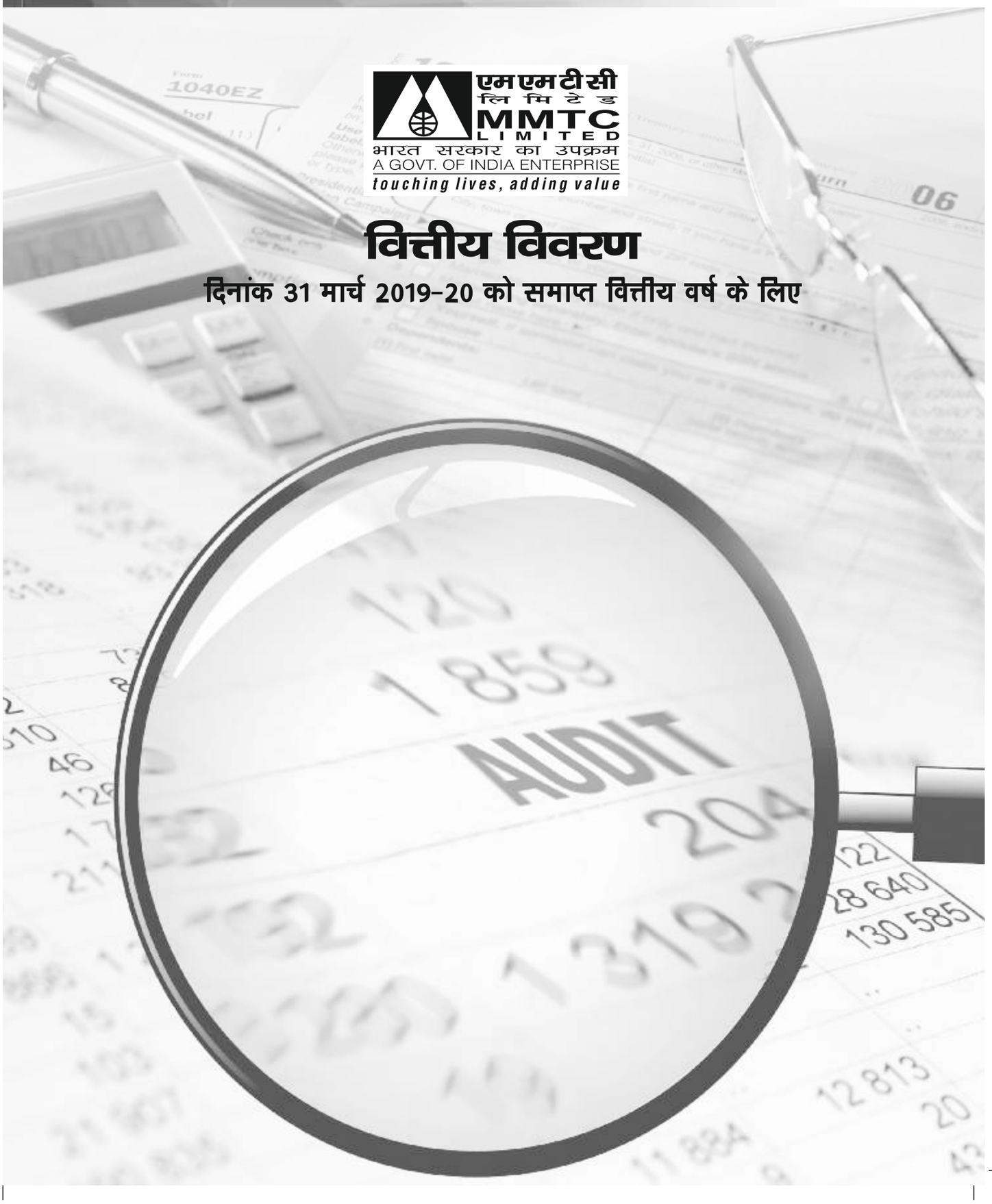

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 को	31.03.2019 को
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	3	**38.64**	42.47
संपत्ति,उपयोग का अधिकार	3	**4.47**	1.49
कार्यशील पूंजीगत	3	**-**	0.28
निवेश संपत्ति	4	**4.03**	3.99
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	**0.56**	0.80
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6A	**21.76**	452.47
व्यापार प्राप्य	7A	**-**	-
ऋण	8	**6.65**	7.82
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	**46.13**	42.08
स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	**230.84**	230.84
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11A	**24.80**	24.49
चालू परिसंपत्तियां			
इन्वेंट्रीज	12	**217.74**	279.81
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6B	**-**	-
व्यापार प्राप्य	7B	**1,925.36**	277.83
नगद तथा नगद समतुल्य	13	**63.27**	27.73
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	14	**56.86**	27.48
ऋण	8	**1.72**	2.25
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	**8.48**	6.84
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	**11.44**	22.22
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11B	**3,450.45**	3,003.88
बिक्री के लिए रोकी गई संपत्ति	6C	**466.97**	-
कुल परिसंपत्तियां		**6,580.17**	**4,454.77**
इक्विटी तथा देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16A	**150.00**	150.00
अन्य इक्विटी	16B	**1,034.15**	1,339.25
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	17A	**166.70**	-
अन्य वित्तीय देनदारी	19A	**5.81**	-
प्रावधान	20A	**44.84**	188.55
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	17B	**3,565.18**	921.93
व्यापार प्राप्य	18		
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम बकाया देय		**0.08**	6.79
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम से अलग बकाया देय देनदारी		**663.13**	1,026.97
अन्य वित्तीय देयताएं	19B	**199.35**	180.07
अन्य चालू देयताएं	21	**698.53**	560.71
प्रावधान	20B	**52.40**	50.10
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	22	**-**	30.40
कुल इक्विटी और देयता		**6,580.17**	**4,454.77**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफण्आर सं.00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 08751137

दिनांक : 31.07.2020
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(संजय चड्डा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

एमएमटीसी लिमिटेड			
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण			
			(₹ करोड़ में)
विवरण	**टिप्पणी संख्या**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष**
आय			
परिचालन से राजस्व	23	**24,134.98**	28,979.44
अन्य आय	24	**32.19**	17.79
कुल आय (I)		**24,167.17**	**28,997.23**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	**177.46**	124.25
व्यापार में स्टॉक की खरीद	26	**23,073.63**	26,046.95
तैयार माल की इंवेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड और वर्कइन में परिवर्तन	27	**43.96**	1,453.29
कर्मचारी लाभ व्यय	28	**194.37**	221.35
वित्तीय लागत	29	**139.00**	65.27
मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय	30	**5.65**	5.54
अन्य खर्च	31	**716.01**	952.23
कुल खर्च (II)		**24,350.08**	**28,868.88**
असाधारण मदों तथा टैक्स (I-II) से पूर्व लाभ / (हानि)		**(182.91)**	128.35
असाधारण मदें –व्यय / (आय)	32	**44.32**	9.76
कर पूर्व लाभ		**(227.23)**	**118.59**
कर व्यय	33		
– वर्तमान कर		**-**	33.00
– पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन		**(0.12)**	(0.61)
– आस्थगित कर		**-**	4.77
कुल कर व्यय		**(0.12)**	**37.16**
वर्ष के लिए लाभ (ए)		**(227.11)**	**81.43**
अन्य व्यापक आय			
ऐसी मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगाः			
– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन		**(11.27)**	(7.78)
– अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स		**(9.38)**	(0.57)
– आयकर का प्रभाव		**-**	2.90
कुल अन्य व्यापक आय नेट आफ टैक्स (बी)		**(20.65)**	**(5.45)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**(247.76)**	**75.98**
प्रति इक्विटी शेयर से अर्जन			
बेसिक व डाइल्यूटेड (₹ में)	43	**(1.51)**	**0.54**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफण्आर सं.00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 08751137

दिनांक : 31.07.2020
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(संजय चड्डा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
ए. प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ / हानि		**(227.23)**		118.59
के लिए समायोजन :–				
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	**7.50**		0.80	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	**5.65**		5.54	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ) / हानि	**(5.81)**		9.40	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	**(0.06)**		0.02	
गैर चालू निवेश की मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**33.80**		-	
ब्याज आय	**(10.59)**		(2.66)	
लाभांश आय	**(12.41)**		(5.40)	
वित लागत	**138.68**		65.27	
लीज पर ब्याज खर्च	**0.32**		-	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण / दावे	**0.34**		1.06	
सीएसआर व्यय	**1.43**		1.35	
संदिग्ध ऋणों / दावे व अग्रिमों के लिए भत्ता	**0.49**		15.96	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(3.83)**		(3.54)	
रिटन बैक देयताएं	**(4.91)**		(2.23)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	**0.04**		0.03	
		150.63		85.63
कार्यगत पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ		**(76.60)**		**204.22**
के लिए समायोजन :–				
इन्वेंट्रीज	**54.57**		1,430.87	
व्यापार प्राप्ति योग्य	**(1,645.31)**		57.80	
ऋण व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**(3.99)**		19.59	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	**(476.26)**		(585.88)	
व्यापार प्राप्य	**(359.04)**		(34.04)	
अन्य वित्तीय देयताएं	**25.09**		(62.74)	
अन्य चालू व गैर चालू देयताएं	**137.81**		(1,244.36)	
प्रावधान	**(154.15)**	**(2,421.28)**	(88.45)	(507.20)
		(2,497.89)		**(302.98)**
प्रदत्त कर		**(19.50)**		(26.16)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**(2,517.39)**		**(329.14)**
बी. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(4.96)**		(2.54)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.69**		0.03	
निवेश की बिक्री / खरीद	**(79.42)**		0.00	
प्राप्त किया गया ब्याज	**10.59**		2.66	
प्राप्त किया गया लाभांश	**12.41**	**(60.68)**	5.40	5.56
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**(60.68)**		**5.56**
सी. वित गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	**2,809.95**		402.67	
वित्त लागत	**(138.68)**		(65.27)	
लीज (ब्याज)	**(3.40)**		-	
प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर)	**(54.25)**	**2,613.61**	(36.17)	301.24
वित्तीय कार्यकलापों से निवल नगदी		**2,613.61**		**301.24**
डी . नगद व नगद समतुल्य में निवल परिवर्तन		**35.54**		**(22.35)**
ई. आरंभिक नगद व नगद समतुल्य (नोट संख्या 13)		**27.73**		**50.08**
एफ. अंतिम नगद व नगद समतुल्य (नोट संख्या 13)		**63.27**		**27.73**

टिप्पणी :

1. उपरोक्त नगद प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत जैसाकि नगद प्रवाह विवरण के विषय में इंड एएस–7 में बताया गया है के अनुसार तैयार किया गया है ।
2. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कारपोरेट कार्यालय में एकूअल और डेफटल के लिए समायोजन
3. नगद तथा नगद समतुल्य में शामिल है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च, 2020 तक**	**31 मार्च, 2019 तक**
बैंकों में उपलब्ध शेष		
(ए) चालू खाते में	**48.41**	2.76
(बी) 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	**-**	0.73
(सी) कैश क्रेडिट खाते में डेबिट शेष	**14.82**	24.14
उपलब्ध चेक / ड्राफ्ट / स्टाम्प	**0.00**	0.00
उपलब्ध रोकड़	**0.04**	0.10
कुल	**63.27**	**27.73**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफण्आर सं.00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 08751137

दिनांक : 31.07.2020
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(संजय चड्डा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तनों का समेकित विवरण

1. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2019 तक शेष	1,500,000,000	150.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2020 को शेष	**1,500,000,000**	**150.00**

(₹ करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2018 तक शेष	1,000,000,000	100.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	500,000,000	50.00
31.03.2019 को शेष	**1,500,000,000**	**150.00**

31 मार्च, 2020 को अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	लंबित आबंटन पर शेयर आवेदन राशि	रिजर्व एवं सरप्लस			ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	कैश फ्लो हेजिज का प्रभावी हिस्सा	मुद्रा विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स	कुल
		आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन					
1.4.2019 को शेष	-	0.35	586.62	755.28	(0.62)	-	-	(2.38)	**1,339.25**
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	(227.11)	(9.38)	-	-	(11.27)	**(247.76)**
लाभांश तथा डीडीटी*	-	-	-	(54.25)	-	-	-	-	**(54.25)**
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	(3.09)	-	-	-	-	**(3.09)**
परिभाषित लाभ योजना का पुनः माप	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
अन्य कोई परिवर्तन	-	(0.35)	10.35	(10.00)	-	-	-	-	**-**
31.3.2020 को शेष	-	-	596.97	460.83	(10.00)	-	-	(13.65)	**1,034.15**

31 मार्च, 2019 को अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	लंबित आबंटन पर शेयर आवेदन राशि	रिजर्व एवं सरप्लस			ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	कैश फ्लो हेजिज का प्रभावी हिस्सा	मुद्रा विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स	कुल
		आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन					
1.4.2018 को शेष	-	0.35	626.62	721.67	(0.05)	-	-	0.86	1,349.45
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	81.43	(0.57)	-	-	(4.89)	75.97
लाभांश तथा डीडीटी*	-	-	-	(36.17)	-	-	-	-	(36.17)
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः माप	-	-	-	(1.65)	-	-	-	1.65	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	(40.00)	(10.00)	-	-	-	-	(50.00)
31.3.2019 को शेष	-	0.35	586.62	755.28	(0.62)	-	-	(2.38)	1,339.25

*31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अंतिम लाभांश रु 0.30 प्रति शेयर की दर से रु 45 करोड़ तथा लाभांश वितरण कर रु 9.25 करोड़ (31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रु 0.30 प्रति शेयर की दर से रुपए 30 करोड़ तथा लाभांश वितरण कर रुपए 6.17 करोड़)

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर न पहचाना गया लाभांश (₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
प्रस्तावित लाभांश	-	45.00
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	9.25

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफण्आर सं.00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 08751137

दिनांक : 31.07.2020
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(संजय चड्डा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. सामान्य सूचना

1963 में स्थापित और भारत में अधिवासित कंपनी एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीटयूश्नल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर में है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियों में खनिजों का निर्यात और कीमती धातुओं, अलौह धातुओं के आयात, उर्वरक, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन आदि का व्यवसाय शामिल हैं। कंपनी की व्यापार गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में फैली हुई है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 अनुपालन का विवरण और वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) तथा इनमें बाद में हुए संशोधनों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी समयावधि के लिए लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है। वित्तीय विवरण एक्रुअल के आधार पर तैयार लेखा पुस्तिकाओं से ऐतिहासिक लागत समझौते के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय साधन, जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार होते हैं, इसके अपवाद हैं।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रूपए में तैयार किया गया है । यह कंपनी की फंक्शनल करेंसी है। वित्तीय विवरणों में इक्विटी शेयरों की संख्या और प्रति शेयर डेटा को छोडकर सभी राशियों को भारतीय रूपयों में दर्शाया गया है तथा जंहा कही ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है।

2.3 अनुमान और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित की गई आकस्मिक देनदारियों तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर की पहचान उस अवधि में होती है जिसमें परिणाम ज्ञात/प्राप्त होते हैं।

2.4 राजस्व पहचान

i) ट्रेडिंग आय

माल की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व की गणना रिटर्न व भत्तों, व्यापार डिस्काउंट वाल्यूम छूट को घटाकर प्राप्त प्रतिफल अथवा प्राप्त होने वाले प्रतिफल के उचित मूल्य पर की जाती है। राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी वादा की गई सेवाओ और सामान को ग्राहक को ट्रांसफर करके निष्पादन दायित्व पर सहमत होता है और ग्राहक इसका इसपर अपना आधिकार ले लेता है और ऐसी संभावना है कंपनी ग्राहक को ट्रांसफर किए गए सामान और सेवाओं के बदले लाभ, जिसके हकदार है, कंपनी प्राप्त करेगी।

खरीद व बिक्री

ए. कंपनी के माध्यम से सरणीकृत किये गये कुछ वस्तुओं के आयात के मामले मे जो आयात भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत पत्र के द्वारा 'सरकारी खाते' में किये जाते हैं, वह क्रय/विक्रय कंपनी के नाम पर बुक होता है।

बी. वस्तुओं का व्यापार कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से भी होता है। व्यापार के संबंध में विभिन्न कमोडिटी एक्सचेंजों के माध्यम से क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है और इसके आधार पर माल की वास्तविक सुपुर्दगी होती है।

सी. सोने/चांदी को डिपोजिट के तहत रखा जाता हैः सोने/चांदी के आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवस्था के अनुसार धातु को आपूर्तिकर्ता द्वारा कंपनी के पास अनफिक्स्ड मूल्य आधार पर बाद में वापसी के लिए या आउटराईट क्रय के लिए रखा जाता है।

(i) नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एक्जिम पॉलिसी की योजना के अनुसार, खरीद में आउटराईट खरीद के आधार पर आपूर्तिकार की जमा खेप से निकाला गया सोना/चांदी शामिल हैं।

(ii) वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को सप्लायरों के जमा सोने/चांदी की खेप से निकासी पर और आपूर्तिकारों के साथ मूल्य निर्धारण पर शामिल किया जाता है। 'वर्ष के अंत में कंपनी में अंडर डिपॉजिट रखे गये स्टॉक को चालू परिसंपत्तियां स्टॉक के अंतर्गत 'बिना बीजक के खरीदारी के स्टाक के रूप में और चालू देयताओं के अंतर्गत वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन मूल्य पर बिना बीजक के खरीदारी के रूप में देय राशि में शामिल किया जाता है। हालांकि, जमा में शेष के संबंध में भुगतान सीमा शुल्क प्रीपेड खर्च में शामिल किया जाता है।

(iii) सोने/चांदी अंडर डिपॉजिट से ऋण आधार पर वापस लिये गये सोना/चांदी ग्राहकों को दिए गए ऋण के रूप में बुक किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत समूहबद्ध किया जाता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक की देनदारी को

सकल लेनदार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ऋण/सकल लेनदार का समायोजन खरीद/बिक्री बुक किए जाने पर होता है।

डी. जब सोने की खरीद घरेलू बाजार से की जाती है तथा मूल्य निर्धारण को आस्थगित रखा जाता है, इस स्थिति में आरंभ में खरीद को सप्लायर से प्राप्त इन्वायस के आधार पर रिकार्ड में लिखा जाता है। मूल्य फिक्स करने पर यदि कोई अंतर आता है तो इसे डेबिट/क्रेडिट नोट के माध्यम से हिसाब में लिया जाता है।

ई. भरपाई के आधार पर, मार्जिन धन देकर निर्यातक द्वारा बुक कराए गए सोने/चांदी खरीद विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत तय करने के बाद बुक की जाती है। हालांकि, बिक्री तब बुक की जाती है जब वास्तव में निर्यात पूरा होने के बाद माल की डिलीवरी की जाती है।

एफ. हाईसीज सेल

माल के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से आयात बिक्री के दौरान अर्थात हाई सीज बिक्री को माल के टाईटल के दस्तावेजों के हस्तातंरण पर खरीदार के पक्ष में माल बुक किया जाता है जिससे माल पर केता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिक्री आय को लेने की हकदार हो जाती है। जिससे माल पर केता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिक्री आय को लेने की हकदार हो जाती है इससे पहले माल भारत के कस्टम सीमाओं से बाहर हो जाता है।

ii) अन्य ऑपरेटिंग राजस्व

कंपनी की मुख्य गतिविधियों से संबंधित आय, जो बिक्री/सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में शामिल नहीं होती है, उदाहरण के लिए अर्जित डिस्पैच, सब्सिडी, व्यापार लेनदेन पर होने वाले नुकसान के दावें क्रेडिट बिक्री पर ब्याज और व्यापार संबंधी अग्रिम (ओवरडयू के अलावा) आदि, जो व्यापार सहयोगी या संबंधित व्यापार संबंधी योजनाओं के साथ संबंधित व्यापार समझौतों की शर्तों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं को 'अन्य ऑपरेटिंग राजस्व' के अंतर्गत रखा जाता है।

iii) दावें

दावों की पहचान लाभ और हानि (किसी भी देय को घटाकर) के विवरण में अक्रुअल आधार पर होती है, जिसमें सरकार से मिली प्राप्तियां, सब्सिडी, नकद प्रोत्साहन, हानियां आदि की प्रतिपूर्ति शामिल है जब अंतिम वसूली की संभावना होती है । दावों की पहचान की जाती है लेकिन बाद में संदिग्ध होने के कारण लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है। बीमा दावों को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने पर खातों में शामिल किया जाता है। कमी/क्षति जिसमें तरल क्षतियां/मात्रा/गुणवत्ता में कमी इत्यादि को संबद्व संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार खातों में शामिल किया जाता है। यदि वर्तमान संविदा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो संभावित दावा राशि की वसूली के अतिरिक्त पार्टी द्वारा स्वीकृति मिलने पर लेखों में शामिल किया जाता है। ऐसे दावों की पहचान होने पर उसी पार्टी को अग्रिम मिलने भुगतान योग्य दावे के एवज में वसूली की जाएगी/समंजन किया जाएगा।

iv) सेवा आय

कंपनी मुआवजे का हक देने के लिए सेवाओं में राजस्व बुक किया जाता है जब ग्राहक को वायदा की गई सेवाएं ट्रांसफर करने पर निष्पादन दायित्व पूरा हो जाए।

v) लाभांश और ब्याज आय

निवेश से लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है और यह संभव है कि लेनदेन से जुडे आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आय की राशि की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती है।

ब्याज आय की पहचान बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर होती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों पर छूट की दर है।

vi) वास्तविक वसूली पर राजस्व की पहचान

राजस्व की पहचान अक्रुअल आधार पर नीचे दी गई मदों को छोडकर, इंड एएस–115 के प्रावधानों के अनुसार होती है। जिनकी गणना वास्तविक वसूली पर होती है क्योंकि ऐसी मदों की वसूली अनिश्चित होती है :–

ए) ड्यूटी क्रेडिट/लागू विदेश व्यापार नीति की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत छूट, टैक्स क्रेडिट, सर्वेक्षण कमी के कारण कस्टम शुल्क की वापसी, और आयकर/सेवाकर/बिक्री–कर/ वैट/जीएसटी तथा इस पर लगने वाले ब्याज आदि की वापसी।

बी) निष्पादन/विवादित देय राशि और उन पर देय ब्याज के लिए लंबित डिक्री, यदि कोई हो तोः

सी) अतिदेय वसूली पर ब्याज जहां वसूली अनिश्चित हो।

डी) आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराईटरों को देय निर्णीत हर्जाना।

2.5 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत की पहचान परिसंपत्ति के रूप में होती है यदि, और केवल यदि ऐसी संभावना है कि मदों से संबंधित संभावी आर्थिक लाभ कंपनी के पक्ष में जाएंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पीपीई की मद की लागत पहचान तिथि को लागत के बराबर होती है। पीपीई की एक मद की लागत में शामिल हैः

(I) खरीद मूल्य जिसमें व्यापार छूट और कटौती को घटाकर आयात शुल्क और गैर–वापसी खरीद कर शामिल है।

(II) लागत सीधे तौर पर पीपीई को उस स्थिति और स्थान पर लाने के लिए सहायक है जहां प्रबंधन द्वारा अपेक्षित तरीके से संचालन करने में सक्षम है।

(III) वस्तु को विभाजित करने और हटाने की लागत का आरंभिक अनुमान और उस स्थान पर लौटाने के लिए जिस पर यह स्थित है, कंपनी जिस दायित्व के लिए खर्च करती है जब पीपीई लिया हो या विशेष अवधि के दौरान पीपीई के प्रयोग के परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान इंवेंट्री तैयार की गई हो।

कंपनी ने पहचान के लिए लागत माडल को चुना है और यह माडल पीपीई की पूरी श्रेणी पर लागू होता है। संपत्ति की पहचान के बाद पीपीई की एक मद इसकी लागत से कम किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि पर नुकसान होता है।

छोटे मूल्य की कुछ वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, दीवार घड़ी, रसोई के बर्तन, आदि जिनका उपयोगी जीवन बहुत ही सीमित है और लागत के रूप में इस तरह के आइटम के लिए 2000/– रूपये प्रत्येक मामले में खरीद के वर्ष में राजस्व के लिए सीधे शुल्क लिया जाता है। लागत के बावजूद मोबाइल हैंडसेट की कीमत भी राजस्व प्रभारित की जाती है चाहे लागत कुछ भी हो।

2.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

जब कंपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखती है तो पहचान योग्य अमूर्त संपत्तियों की पहचान की जाती है, ऐसी संभावना है कि परिसंपत्ति पर भविष्य में मिलने वाले आर्थिक लाभों का प्रवाह एक से अधिक आर्थिक अवधि में कंपनी के हित में होता है और संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पहली नजर में अमूर्त संपत्ति की पहचान लागत पर होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन सीधे तौर पर अनुमानित राशि पर उपयुक्त अवधि के लिए उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि से वे उपयोग के लिए उपलब्ध है। साफ्टवेयर्स को इनकी उपभोग अवधि में अमोर्टाइज किया जाता है । जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष अथवा लाइसेंस अवधि होती है, जैसा भी मान्य हो । प्रत्येक मामले में 2000/–रूपये तक अमूर्त परिसंपत्ति को सीधे राजस्व में चार्ज किया जाता है।

रिसर्च के द्वारा निकली अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती और खर्चे पर रिसर्च को सीधे लाभ व हानि खाते से कम किया जाता है, जब यह व्यय होता है विकास के द्वारा अर्जित अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान की जाती है यदि परिसंपत्ति इंडएएस के अनुसार पहचान के लिए कसौटी को पूरा करती है। अमूर्त परिसंपत्ति पर परिव्यय जिसकी पहचान शुरू में खर्चे के रूप में की गई थी वह अमूर्त संपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में बाद में की गई।

2.7 बिक्री के लिए गैर–उपयोगी परिसंपत्ति

कंपनी गैर–उपयोगी संपत्ति (या संपत्ति का निपटान समूह) जो बिक्री के लिए है यदि इसकी वर्तमान मूल्य की वसूली इसका उपयोग जारी रखने की बजाय बिक्री लेन–देन के माध्यम से इसकी वसूली सैद्धांतिक रूप से हुई हो तो उसका वर्गीकरण किया जाता है। गैर–उपयोगी संपत्ति को बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जिसको वर्तमान से कम और बिक्री से कम लागत के उचित मूल्य पर आंका जाता है।

2.8 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसची–प्प के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल्यह्रास के बराबर है। संपत्ति के उपयोगी जीवन के प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है । पीपीई की प्रत्येक ईकाई का प्रत्येक भाग लागत के साथ संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और यदि संपत्ति का उपयोगी जीवन संपत्ति के शेष भाग से अलग है, ऐसे महत्वपूर्ण भाग पर अलग से मूल्यह्रास लगाया जाता है। सभी वस्तुओं पर मूल्यह्रास उस तिथि से लगाया जाता है जिस तिथि को ''उपयोग के लिए उपलब्ध''है और बिक्री पर निपटान की तिथि तक लगाया जाता है। इसमें अमूर्त संपत्ति और लीजहोल्ड संपत्ति का परिशोधन शामिल है। फ्रीहोल्ड जमीन पर मूल्यह्रास नहीं निकाला जाता है। पीपीई की आइटम की पहचान नहीं की जाती जब या तो इसका निपटान किया गया है या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती।

परिसंपत्ति का नाम	**अनुसूची II के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन**
<u>ए. सामान्य परिसंपत्ति</u>	
फर्नीचर फिटिंग्स	10
दफ्तर के उपकरण	5
वाहन – स्कूटर	10
वाहन – कार	8
कंप्यूटर्स– सर्वर्स और नेटवर्क	6
कंप्यूटर्स – अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण	3
लीज–होल्ड भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार
वैगन रेक्स	एग्रीमेंट/वैगन निवेश योजना के अनुसार
पंखों को छोड़कर इलैक्ट्रिक इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
सडकें	
कारपेटिड सड़क – आरसीसी	10

गार्डेड सड़क – आरसीसी के अलावा	5
गैर कारपोटिड सड़कें	3
पुलिया	30
इमारतें	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
आवासीय फ्लैट (तैयार)	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
अस्थायी संरचना और लकड़ी के पार्टिशन	3
वेयरहाउस / गोदाम	30
बी. विनिर्माण इकाई की परिसंपत्तियां	
फैक्टरी बिल्डिंग्स	30
पंखों को छोड़कर इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
मशीनरी एवं प्लांट	
एक शिफ्ट	15
दो शिफ्ट	10
तीन शिफ्ट	7.5
मशीनरी एवं संयंत्र – पवन उर्जा उत्पादन संयंत्र	22
सी. भूमि पर बनाई गई स्थायी परिसंपत्तियां तथा जो न ही स्थायी परिसंपत्तियां तथा न ही जमीन कंपनी की है	
डी. अमूर्त संपत्ति का परिशोधन (अमोर्टाजेशन)	
सॉफ्टवेयर	5 साल या लाइसेंस अवधि जैसी भी स्थिति हो

2.9 हानि

यदि किसी संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य (या नगद–जनरेटिंग ईकाई) का अनुमान संपत्ति की मूल राशि (या नगद–सृजित ईकाई) से वसूली योग्य मूल्य से कम पर लगाया जाता है। हानि को लाभ या हानि में तुरंत दिखाया जाता है जब तक कि संबद्ध संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता जिस मामले में हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी माना गया है।

वसूली योग्य मूल्य उचित मूल्य में से निपटान लागत और इसका मूल्य घटाकर निकाला जाता है। उपयोग में मूल्य के आकलन के लिए अनुमानित भविष्य नगद–प्रवाह को उसके वर्तमान लागत में लाया जाता है इसके लिए कर से पूर्व छूट का उपयोग किया जाता है ताकि यह धन का सामयिक मूल्य का चालू बाजार आकलन और संपत्ति पर जोखिम विशेष प्रतिबिंबित कर सके जिसके लिए भविष्य नगद प्रवाह आकलन का समायोजन नहीं किया गया है।

जब इसके फलस्वरूप हानि रिवर्स होती है तो संपत्ति की मूल राशि इसकी वसूली योग्य मूल्य के संशोधित आकलन तक बढ जाती है (या एक नगद–जनरेटिंग ईकाई) ताकि बढी हुई मूल राशि इसकी मूल राशि से अधिक न हो और यह माना गया है कि पिछले वर्षों में संपत्ति के लिए कोई हानि नहीं दिखाई गई है (या नगद–जनरेटिंग ईकाई)। जब तक संबंधित संपत्ति की पुनर्मूल्यांकन राशि नहीं निकाली जाती, हानि के रिवर्स को तुरंत लाभ या हानि में दिखाया जाता है जिस मामले में हानि में रिवर्स को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि माना गया है।

मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों में हानि होने के किन्हीं संकेतों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कंपनी उनकी कैरिंग लागत की पुनरीक्षा करती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है ताकि हानि (यदि कोई हो तो) के परिमाण का निर्धारण किया जा सके। जब किसी एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता तो जिस रोकड़ अर्जन इकाई से परिसंपत्ति संबंधित है कंपनी उसकी वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। जब आबंटन के तर्कसंगत एवं एक समान आधार की पहचान की जा सकती है तो अनिश्चित उपयोगी समय के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों एवं उपयोग के लिए अभी अनुपयुक्त अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि के लिए जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि परिसंपत्ति में हानि हो सकती है तो वर्ष में न्यूनतम एक बार जांच की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्षति के सूचकों के लिए लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य(एफवीटीपीएल) के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक पहचान के पश्चात एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप निवेश के अनुमानित भविष्य में रोकड़ प्रवाह प्रभावित हुआ है तो ऐसे वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होने पर वित्तीय परिसंपत्ति में क्षति मानी जाती है। बिक्री हेतु उपलब्ध(एएफएस) इक्विटी निवेशों के लिए प्रतिभूति की लागत से कम पर फेयर मूल्य में महत्वपूर्ण अथवा दीर्घकालीन गिरावट को क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:–

- जारीकर्त्ता अथवा प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) की महत्वूपर्ण वित्तीय समस्या
- ब्याज अथवा मूल भुगतान में डिफाल्ट अथवा चूक के कारण करार भंग
- ऋण लेने वाले की दिवालिया अथवा वित्तीय पुनर्गठन अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक्टिव बाजार गायब होने की संभावना।

व्यापारिक प्राप्य जैसी वित्तीय परिसंत्तियों के कुछ वर्गो के लिए क्षति हेतु परिसंपत्तियों का निर्धारण वैयक्तिक आधार पर किया जाता है। भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का विगत अनुभव तथा शून्य दिन की औसत क्रेडिट अवधि के पश्चात पोर्टफोलियो में विलंबित भुगतान की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ वसूली योग्य राशि में चूक से संबंधित राष्ट्रीय अथवा स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में दर्शनीय परिवर्तन वसूली योग्य राशि के पोर्टफोलियो में क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों में शामिल हो सकते हैं।

जिन वित्तीय परिसंपत्तियों को लागत पर लिया जाता है उनकी क्षति/हानि की राशि का आकलन उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्ति की वर्तमान मार्केट रेट आफ रिटर्न घटा कर अनुमानित भविष्य रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा परिसंपत्ति की कैरिंग लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है। ऐसी क्षति/हानि को तदंतर में रिवर्स नहीं किया जाएगा।

व्यापारिक प्राप्यों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति/हानि को सीधे ही वित्तीय परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि से कम कर दिया जाता है। संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए अलाउंस अकाउंट के प्रयोग द्वारा उक्त क्षति/हानि को कम किया जाता है। जब यह माना जाता है कि व्यापारिक प्राप्य संग्रहणीय नहीं है तो अलाउंस खाते के प्रति इसे बट्टे खाते में डाला जाता है। पहले बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली को अलाउंस खाते के प्रति क्रेडिट किया जाता है। अलाउंस खाते की कैरिंग राशि की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है।

परिशोधित लागत पर आकलित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि तदंतर में क्षति/हानि के परिमाण में कमी आती है तथा क्षति की पहचान होने के पश्चात घटी घटना से कमी को निष्पक्षता से संबंधित किया जाता है तो विगत में पहचानी गई क्षति/हानि को लाभ अथवा हानि द्वारा रिवर्स किया जाता है। यह उस सीमा तक किया जाता है कि रिवर्स की गई क्षति की तिथि को निवेश की कैरिंग राशि, यदि क्षति की पहचान न की जाती तो जो परिशोधित लागत होती, उससे अधिक न हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों की डी–रिकग्नीशन

जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह के संविदात्मक अधिकार निरस्त होते हैं अथवा जब वित्तीय परिसंपत्ति तथा इसके पश्चात स्वामित्व के जोखिम एवं रिकार्डस का किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरण करती है तो कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को डी–रिकागनाईज कर देती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा रिवार्डस को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उन्हें अपने पास रखती है तथा हस्तांतरित परिसंपत्ति का नियंत्रण रखती है तो कंपनी परिसंपत्ति में अपने रिटेन्ड हितों की पहचान करती है तो राशि की संबंधित देयता का इसे वहन करना होगा। यदि हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के जोखिमों तथा रिकार्ड को काफी हद तक कंपनी अपने पास रखती है तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान करने के साथ–साथ प्राप्त मुनाफे के लिए कोलेटराइज्ड ऋण की भी पहचान करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति के पूर्णतः डी–रिकगनाईज होने पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि तथा प्राप्त हुए लाभ की राशि के अंतर को तथा वसूली योग्य एवं संचयी लाभ अथवा हानि जिसे अन्य आय में पहचाना गया है तथा इक्विटी में संचय किया गया है, को लाभ अथवा हानि में पहचाना जाता है।

2.10 ऋण लागत

कंपनी उस क्रय लागत को पूंजीगत बनाती है जो सीधे तौर पर अधिग्रहण, निर्माण या संपत्ति की लागत के भाग के रूप में क्वालिफाईंग संपत्ति के उत्पादन पर आरोप्य होता है।

कंपनी उस लागत की पहचान खर्चे के रूप में उस अवधि में करती है जिसमें यह खर्च की गई हो।

क्वालिफाइंग परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसको इसके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लगता है।

2.11 विदेशी मुद्रा विनिमय

क्रियात्मक मुद्रा से अलग मुद्रा में लेनःदेन की पहचान लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित मौद्रिक मदें उस तिथि को प्रचलित दर पर पुनः मूल्यांकित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्य–वर्गित गैर–मौद्रिक मदें उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकित की जाती है जिस दर पर उस तिथि को उचित मूल्य निर्धारित हुआ था। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित की गई गैर–मौद्रिक मदों का ऐतिहासिक लागत पर पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाता है।

विदेशी करेंसी मौद्रिक मदों (अतिदेय वसूली योग्य जहां विश्वसनीयता अनिश्चित हो, को छोड़कर) को इंड एएस–21 में परिभाषित अंतिम दर को प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेन–देन की तिथि को विनिमय दर का प्रयोग करके ही जाती है। विनियम अंतर लाभ/हानि को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा की देयता को अंतिम दर का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। विनिमय अंतर को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

2.12 इन्वेंट्री

इन्वेंट्री को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और कम लागत पर दर्शाया जाता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंट्री के अनुमानित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूर्व अनुमानित लागत जो बिक्री के लिए आवश्यक है, शामिल है। लागत और मूल्यांकन के निर्धारण की पद्धति नीचे दी गई है :–

(ए) निर्यात :

i) प्रत्यक्ष खर्चे जो स्टॉक के रखने की जगह तक किए गए हैं, को शामिल करने के बाद निर्यात स्टाक निकाला गया है। इसी प्रकार बाजार मूल्य खर्चों को घटाकर वसूली योग्य मूल्य निकाला जाता है। इन खर्चों में वे खर्चे भी शामिल हैं जो उस स्थान से बिक्री स्थान तक किए गए हैं।

ii) खनिज अयस्क के संबंध में अयस्क के वसूली मूल्य की गणना निर्यात करार के अनुसार अयस्क के ग्रेड के न्यूनतम एफई/एमएन मात्रा पर की जाती है और इसकी तुलना अयस्क के वेटिड औसत एफई/एमएन मात्रा/वेटिड औसत नमी की मात्रा पर क्रेटिड औसत लागत से की जाती है।

(बी) आयात

i) आयातित स्टाक की लागत का मूल्यांकन वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत निकाल कर किया जाता है जिसमें अलौह धातु के लिए शामिल शेष स्टाक की वेटिड औसत लागत शामिल नहीं है। इसमें उन खर्चों को शामिल माना जाता हैं जो रखे गये माल के स्थान तक किये गये हैं, तथापि जहां स्टाक विशेष रूप से पहचान योग्य होता है, वहां माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए गए हैं जहां माल रखा गया माना जाता है।

ii) प्रतिपूर्ति विकल्प के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा बुकिंग करने पर विदेशी आपूर्तिकारों से सोना/चांदी खरीदा जाता है और वर्ष के अंत में सुपुर्द नहीं किए गए स्टाक को कंपनी के स्टाक में दिखाया जाता है और उसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(सी) घरेलू

i) सोने/चांदी के मेडालियन और चांदी के सामान की लागत की गणना प्रतिवर्ष स्थान–वार सामान की भारित औसत लागत और आरंभिक स्टाक की लागत की गणना करके की जाती है। लागत में विनिर्माण/फैबरिकेशन चार्जेज, वेस्टेज तथा अन्य लागत खर्च शामिल है ।

ii) कट और पालिश वाले पत्थरों और आभूषणों (तैयार, अर्ध–तैयार) के मामले में जहां स्टाक विशेष रूप से पहचाने जाने योग्य है, माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए जाते हैं जहां रखे गए माने जाते हैं। लागत में वेस्टेज और अन्य प्रत्यक्ष निर्माण लागत शामिल है।

(डी) पैकिंग मैटिरियल

पैकिंग मैटिरियल का मूल्यांकन कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर किया जाता है।

(ई) फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक

फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक को समायोजन होने तक कंपनी के स्टाक में लिया जाता है।

2.13 प्रावधान

पिछली घटना के फलस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) होने पर प्रावधानों की पहचान की जाती है, यह संभव है कि दायित्वों के समायोजन के लिए आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की आवश्यकता हो और दायित्वों की राशि से विश्वसनीय आकलन तैयार किया जा सके।

2.14 आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियां

<u>आकस्मिक देयताएं</u>

आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है बल्कि इनकी सूचना लेखों की टिप्पणियों में दी जाती है जब कंपनी का संभावित दायित्व पिछली घटना और दायित्वों की विद्यमानता भविष्य की घटनाओं की पुनरावृत्ति और गैर–पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते।

आकस्मिक देनदारियों का मुल्यांकन निरंतर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अधिक संसाधनों का आउटफ्लो संभाव्य हो जाता है। यदि आउटफ्लो संभव हो जाता है तो संबंधित प्रावधान की पहचान वित्तीय विवरण में की जाती है।

जहां एक ईकाई एक दायित्व के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी है, उस दायित्व का हिस्सा जिसे अन्य पार्टियों द्वारा मिले जाने की उम्मीद है, उसे एक आकस्मिक दायित्व माना जाता है। ईकाई दायित्वों के भाग के लिए प्रावधानों की पहचान करती है जिसके लिए आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का आउटफ्लो संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जहां विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, देयताओं के सामान्य टिप्पणियों के खातों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है।

<u>आकस्मिक परिसंपत्ति</u>

आकस्मिक परिसंपत्ति की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है। इस तरह की आकस्मिक संपत्ति का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव होने पर नोट्स में खुलासा किया जाता है। अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा तो ऐसी संपत्तियां और संबंधित आय की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है।

2.15 लीज

संपत्ति लीज के तहत होती है जिसमें जोखिम और स्वामित्व का महत्वपूर्ण दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है जो वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत होते हैं।

अन्य पट्टों को ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें जोखिम और स्वामित्व का दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदारों को स्थानांतरित किया जाता है।

कंपनी आमतौर पर ऑपरेटिंग पट्टों का निष्पादन करती है, जो निम्नानुसार हैः–

i) परिचालन पट्टों से किराए की आय की पहचान सीधी रेखा के आधार पर संबद्ध पट्टे की शर्तों पर की जाती है।

ii) जब कंपनी पट्टाधारी हो तो आरंभ में संपत्ति के अधिकार की तिथि को लागत और पट्टे को भुगतान के वर्तमान मूल्य पर दिखाया जाता है जिसको पट्टे की देयता के रूप का भुगतान नहीं किया जता है तदंतर, संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन लागत माडल का उपयोग करते हुए पट्टा देयता के पुर्नमूल्यांकन के लिए अपेक्षित किसी समायोजन के साथ किया जाता है और पट्टा देयता का मूल्यांकन पट्टा देयता पर ब्याज दर्शाने के लिए करे रिंग राशि की वृद्धि करके दिया जाता है कि जिससे भुगतान की गई पट्टे की राशि की वृद्धि करके किया जाता है जिससे भुगतान की गई पट्टे की राशि को दिखाने के लिए केरिंग राशि को कम किया जाता है और केरिंग राशि का पुनः मूल्यांकन किसी पुनःनिर्धारण या पट्टे में संशोधन को दिखाने के लिए किया जाता है।

(iii) एक व्यावहारिक समीक्षक के रूप में, अल्पावधि के पट्टे और पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित संपत्ति 1,00,000/– रूपये प्रति माह के कम मूल्य की है या 1,00,000/– रूपये प्रति वर्ष दिए गए प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इंडस्ट्रीज़ एएस–116 (पट्टों) के तहत और पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2.16 कर्मचारी लाभ

i) ग्रेच्युटी, अवकाश मुआवजा और दीर्घ सेवा लाभ जैसे सेवा अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी, कर्मचारियों के लिए परिवार लाभ योजना तथा माईका प्रभाग के कर्मचारियों को विशेष लाभ का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और इसमें प्रोजेक्टिड ईकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है। पुनर्मूल्यांकन, बीमांकित जिसमें लाभ और हानि, संपत्ति सीमा (यदि लागू हो) में परिवर्तन और योजना पंरसिपत्तियों (ब्याज को छोडकर) पर लाभ, वित्तीय स्थिति विवरणों में चार्ज और उस अवधि में व्यय जिसमें वे होते हैं अन्य व्यापक आय क्रेडिट के साथ तुरंत दिखाई देते हैं, उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। अन्य व्यापक आय में पहचाने गये पुनर्मूल्यांकन रोकी गई आय में प्रतिबिंबित होते हैं और उन्हें फिर से लाभ या हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता। और किसी योजना संशोधन, कटौती और वर्तमान सेवा लागत, निवल ब्याज, पिछली सेवालागत या समझौते के लिए लाभ या हानि के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है।

ii) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान परिभाषित अंशदान आधार पर किया जाता है।

iii) प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को प्रोविडेंट फंड का अंशदान अक्रूअल आधार पर किया जाता है।

iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक्स–ग्रेशिया और नोटिस वेतन के भुगतान को उस वर्ष के राजस्व में लिया जाता है।

v) एक परिभाषित अंशदान योजना, अधिवर्षिता योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)द्वारा किया जाता है। कंपनी प्रत्येक पात्र कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर अंशदान देती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

लघु अवधि के कर्मचारी लाभ दायित्वों का आकलन बिना छूट आधार पर मापा जाता है और व्यय को संबंधित सेवा के रूप में दर्ज किया जाता है। पीएलआई/पीआरपी योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए दायित्व के रूप में पहचान की जाती है अगर कंपनी के कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सर्विस के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या तर्कसाध्य दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर की राशि को दर्शाता है।

<u>वर्तमान कर</u>

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि विवरण और अन्य व्यापक आय/लाभ या हानि विवरण में दिखाये गए कर से पहले लाभ से भिन्न होता है क्योंकि आय या व्यय जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और जो आइटम कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है। कंपनी के चालू कर की गणना उस कर की दर से की जाती है जो लागू हो या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक में लागू हो।

<u>आस्थगित कर</u>

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की राशियों के बीच कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त वित्तीय विवरणों और संबंधित कर के बीच अस्थायी अंतर है। आस्थगित कर देनदारियों की पहचान आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान आमतौर पर उस सीमा तक की जाती है कि ऐसा संभव है कि कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उपलब्ध होंगे। इस तरह के आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों की लेनदेन में पहचान नहीं की जाती है यदि उस लेनदेन में संपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है (एक व्यापार संयोजन के अलावा) जो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा, आस्थगित कर देनदारियों की पहचान नहीं की जाती यदि गुडविल की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है।

आस्थगित करों की पहचान जहां कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम है, को छोड़कर सहायक और सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के हितों में देनदारियों में निवेश से संबंधित कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए की जाती है। और ऐसी संभवना है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर में रिवर्सल नहीं होगा। ऐसे निवेश और हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहां संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ का अस्थायी अंतरों के लिए लाभों का उपयोग हो सके और निकट भविष्य में इसका रिवर्सल होने की आशा हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियें की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम किया गया है कि यह अब संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से के लिए उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर देयताएं और संपत्तियों का मूल्यांकन टैक्स दर से किया जाता है और ऐसी आशा की जाती है कि यह उस अवधि में लागू होगा जिसमें दायित्व का निर्वाह होता है या संपत्ति की वसूली होती है। यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू या मूल रूप से लागू कर दरों (और कर कानून) पर आधारित होता है।

वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर की पहचान लाभ या हानि में की जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संगत किय जाते हैं जब उनकी पहचान क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में की जाती है। जब वर्तमान कर या आस्थगित कर प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तो कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल होता है।

लाभांश वितरण कर

कंपनी अन्य इक्विटी के अंतर्गत लाभांश के भुगतान पर देय लाभांश वितरण कर भी शामिल कर रही है क्योंकि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के फलस्वरूप भुगतान के देय लाभांश को अन्य इक्विटी के तहत भी प्रस्तुत किया जाता है।

आयकर ट्रीटमेंटस पर अनिश्चितता

ईंडएएस–12 के अंतर्गत जेब आयकर ट्रीटमेंट्स, पर अनिश्चितता हो तो कंपनी कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियां अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों पर विचार करते हुए, कंपनी आयकर प्राधिकारी द्वारा इसी ट्रीटमेंट को स्वीकार करने की संभाावना पर विचार करती है और तुलनात्मक समायोजन के बिना ही पहले निवेदन पर इक्विटी समायोजन के द्वारा संचयी प्रभाव के साथ पूर्व प्रभाव के समायोजन के कारण परिवर्तन पर भी विचार करती है।

2.18 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्ति हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी में बढोतरी (ऐसे उद्देश्य के लिए निर्माणाधीन संपत्ति शामिल हैं) के लिए होती हैं। निवेश संपत्ति का मूल्यांकन आरंभ में लागत दर पर किया जाता है जिसमें लेन–देन लागत शामिल है। कंपनी की सभी संपत्तियां आपरेटिंग लीज के अंतर्गत किराया कमाने या पूंजी का विस्तार करने के उद्देश्य के लिए निवेश संपत्तियों के रूप में लेखों में शामिल की जाती हैं। आरंभिक पहचान के पश्चात कंपनी निवेश का मूल्यांकन लागत पर करती है।

जब कर निपटान किया जाता है या निवेश संपत्ति पूरी तरह से उपयोग से हटा ली जाती है और उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने की कोई उम्मीद होती है तो ऐसी निवेश संपत्ति की पहचान समाप्त हो जाती है। संपत्ति के निपटान से किसी लाभ या हानि को उस वर्ष की अवधि में लाभ अथवा हानि में लिया जाता है जिस वर्ष इसका निपटान होता है। (इसकी गणना शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की मूल राशि के अंतर पर की जाती है)।

निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास संपत्ति की उस श्रेणी के अनुसार लगाया जाता है जिससे वह संबंध रखती है और संपत्ति की अवधि का अनुमान कंपनी की संपत्ति को उसी श्रेणी में लिया जाता है।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

इक्विटी धारकों पर आरोप्य सकल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर बेसिक प्रति शेयर अर्जन का आकलन किया जाता है। डाईल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन का आकलन कंपनी के इक्विटी धारकों पर अरोप्य लाभ को मूल(बेसिक) प्रति शेयर अर्जन ज्ञात करने के लिए उपयुक्त इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या के साथ साथ अगर सभी संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर यह शेयर जारी किए जाते तो उन इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यदि इक्विटी शेयरों को वास्तव में उचित मूल्य(अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किया जाता तो वसूली योग्य लाभ में संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है। जब तक शेयर बाद की तिथि को जारी नहीं किए जाते तो संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि के आरंभ में ही परिवर्तित माना जाता है। प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों का निर्धारण किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किए जाने से पूर्व किए गए प्रभावी परिवर्तनों सहित किसी शेयर विभाजन एवं जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए सभी अवधियों में प्रस्तुत किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या एवं संभावित डाईल्यूटिड इक्विटी शेयर्स को पूर्व प्रभावी रूप से समायोजित किया जाता है।

2.20 बंद किए गए प्रचालन

बंद किए गए प्रचालन कंपनी के व्यापार का एक घटक है जो अलग प्रकार के व्यापार को इंगित करता है जिसे बेचा जा रहा है अथवा बिक्री के लिए रखा गया है अथवा यह एक सहायक कंपनी है जिसे केवल पुनः बिक्री के उद्देश्य से अधिग्रहीत किया गया है। निपटान से पहले अथवा जब प्रचालन 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वगीकृत मापदण्ड को पूरा करता है तो 'बंद किए गए प्रचालन' के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है।

2.21 वित्तीय दस्तावेज

i) गैर अमौलिक (नान डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज

गैर अमौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- वित्तीय परिसंपत्तियां जिसमें रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, ट्रेड प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व, वित्त लीज प्राप्य, कर्मचारी एवं अन्य अग्रिम, इक्विटी में निवेश तथा ऋण प्रतिभूतियां एवं पात्र चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं।

- वित्तीय देयताएं जिसमें दीर्घ एवं लघु अवधि ऋण एवं उधार, बैंक ओवरड्राफट, ट्रेड देय, पात्र चालू एवं गैर चालू देयताएं शामिल हैं।
- वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं बराबर कर दी जाती हैं और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में रखा जाता है। यदि वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है जो शामिल राशि को बराबर कर देता है और निवल आधार पर सेटल करने की मंशा है। ताकि परिसंपत्ति की कानूनी और देयताओं का निपटान एक साथ हो सके।

  गैर मौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों की पहचान आरंभ में सीधे तौर पर आरोप्य ट्रांजेक्शन लागत के साथ–साथ उचित मूल्य पर की जाती है। जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्डस को अंतरित किया गया हो तब वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं (डि– रिकाग्नाईज) की जाती है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्ड को न ही ट्रांसफर अथवा न ही रिटेन किया गया है अथवा रोक कर नहीं रखा गया तथा कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का नियंत्रण बना कर नहीं रखा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती।

  आरंभिक पहचान के पश्चात गैर–मौलिक (नॉन–डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों का आकलन निम्नलिखित हैः–

(ए) रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष

कैश फ्लो विवरण के उद्देश्य के लिए अपने पास(कैश इन हैंड), बैंकों में रोकड़ तथा बैंकों में डिमाण्ड डिपाजिट, मांग किए जाने पर पुनर्भुगतान योग्य बकाया बैंक ओवर ड्राफ्ट्स जिन्हें कंपनी के रोकड़ प्रबंधन सिस्टम का भाग माना जाता है आदि रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में शामिल हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में बैंक ओवरड्राफ्ट्स को चालू देयताओं के अधीन उधार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

(बी) लिक्विड म्यूचुअल फंडों, इक्विटी प्रतिभूतियों(सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम तथा एसोसिएट्स के अतिरिक्त) में निवेश का मूल्यांकन उनके फेयर मूल्य पर किया जाता है। इन निवेशों का आकलन फेयर मूल्य पर किया जाता है तथा इनमें क्षति/हानि के अतिरिक्त परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में दर्शाने के साथ–साथ कर घटाकर इक्विटी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। क्षति/हानि, यदि कोई हो तो, को इक्विटी से आय के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। जब कोई वित्तीय परिसंपत्ति बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तो इसे डी–रिकग्नाईज कर दिया जाता है तथा इक्विटी में पहचाने गए संबंधित संचयी लाभ या हानि को आय के विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

(सी) ऋण एवं प्राप्य

ऋण एवं प्राप्य स्थायी अथवा निर्धारण किए जाने योग्य वाली गैर मौलिक वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें सक्रिय बाजार में उदधृत नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात 12 माह से अधिक समय पर परिपक्व होने वाली जिन्हें गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, के अतिरिक्त इन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य के साथ–साथ आरोप्य किए जाने योग्य लेन देन लागत सहित पहचाना जाता है तथा बाद में किसी प्रकार की क्षति होने को कम करके प्रभावी ब्याज प्रक्रिया का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर आंका जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों में ट्रेड प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व तथा अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

ऐतिहासिक भुगतान तरीके, ग्राहकों पर ध्यान, ग्राहक की विश्वसनीयता तथा वर्तमान आर्थिक रूझानों का विश्लेषण करते हुए कंपनी वसूली योग्य खातों के संग्रह न किए जाने का अनुमान निर्धारित करती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति और खराब होती है तो अतिरिक्त भत्तों की आवश्यकता हो सकती है।

(डी) ट्रेड एवं अन्य प्राप्य

ट्रेड एवं अन्य प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है तथा इसके पश्चात प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है। वित्तीय दस्तावेजों की लघु अवधि परिपक्वता के कारण इनकी कैरिंग राशि उचित मूल्य के लगभग होती है।

(ई) सहायक कंपनी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रम में निवेश

सहायक कपनी एसोसिएटस में किए गए निवेश को निगम लागत पर खातों में लेता है।

कंपनी के नियंत्राधीन इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है।

भारत से बाहर की सहायक कंपनी में किए गए निवेश को अधिग्रहण की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता है।

जिन निवेश पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है उनका वर्गीकरण एसोसिएट्स के रूप में किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशकर्ता द्वारा वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी की शक्ति होती है परन्तु इन नीतियों पर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है ।

संयुक्त व्यवस्था जिसके द्वारा व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों का संयुक्त व्यवस्था की सकल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, उन्हें संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था की हिस्सेदारी के लिए संविदात्मक रूप से की गई सहमति है जिसमें प्रासंगिक कार्यकलापों के विषय में निर्णयों के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी वाले पक्षों की एक मत से सहमति आवश्यक होती है।

ii) <u>अमौलिक (डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज</u>

कंपनी को विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों, दायित्वों, विदेशी कार्यकलापों में शुद्ध निवेश तथा विदेशी मुद्रा में मौद्रिकृत पूर्वानुमित रोकड़ प्रवाह में विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है।

कंपनी डेरिवेटिव के प्रयोग तथा स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करते हुए विदेशी मुद्रा दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव को सीमित किया जाता है। जहां दूसरा पक्ष मुख्यतः बैंक होता है वहां कंपनी डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज बनाती है।

डेरिवेटिव की पहचान एवं मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। निश्चित लेन देन लागत की पहचान लागत की तरह आय के विवरण में की जाती है।

आरंभिक पहचान के पश्चात डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेजों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप से किया जाता है।

ए) रोकड़ प्रवाह हेजिज

रोकड़ प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव हेजिंग दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन की पहचान अन्य समेकित आय तथा रोकड़ प्रवाह हेजिंग अधिशेष, सकल कर एवं हेज के प्रभावी होने की सीमा तक इक्विटी के एक घटक के रूप में की जाती है। हेज के अप्रभावी होने की सीमा तक उचित मूल्य की पहचान आय के विवरण में की जाती है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ/(हानि) प्रचालन के कार्यकलापों से प्राप्त निवल राशि दी जाती है। यदि हेजिंग दस्तावेज हेज एकाउटिंग की प्रणाली के अनुरूप नहीं होता है तो हैज एकाउंटिंग को बंद कर दिया जाता है। विगत में रोकड़ हेजिंग अधिशेष में पहचाने गए संचयी लाभ अथवा हानि को संबंधित अनुमानित लेनदेन किए जाने पर लाभ व हानि विवरण में अंतरित किया जाता है। यदि अनुमानित लेनदेन होने की संभावना नहीं होती है तो उक्त संचयी शेष की पहचान त्तकाल रूप से लाभ तथा हानि के विवरण में की जाती है।

बी) अन्य

न तो रोकड़ प्रवाह हेजिज और न ही विदेशी प्रचालनों में किए गए निवल निवेश की हेजिज के रूप में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन को आय के विवरण में पहचाने जाने के साथ–साथ प्रचालन के कार्यकलापों के परिणामस्वरूप निवल विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/(हानि) के अधीन सूचित किया जाता है।

उधार से संबंधित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंटस के निपटान पर अंकित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों तथा लाभ/(हानि), जिन्हें हेजिज नहीं माना गया है, को वित्तीय खर्चों में शामिल किया गया है ।

2.22 खण्डवार सूचना

जैसा कि इंड एएस–108 ' 'आपरेटिंग सेगमेंट्स' में परिभाषित किया गया है कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक(सीएमडी) की पहचान चीफ़ आपरेटिंग डिसीजन मेकर(सीओडीएम) के रूप में की जाती है। कंपनी के सीएमडी द्वारा ही राजस्व में वृद्धि तथा प्रचालन आय के आधार पर खंडों का मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने अपने आपरेटिंग सेगमेंट्स की पहचान खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला एवं हाईड्रोकार्बन, उर्वरक एवं सामान्य व्यापार/अन्य के रूप में की है।

कंपनी के व्यापार में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देयताओं जिन्हें किसी भी आपरेटिंग खण्ड में नहीं पहचाना गया है उन्हें आबंटन न की जाने वाली परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में दर्शाया गया है। प्रबंध तंत्र का यह विचार है कि उपलब्ध डाटा का अर्थपूर्ण विश्लेषण कठिन होने के कारण संपूर्ण परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित खंडवार प्रकटन उपलब्ध करवाना अभी व्यवहार्य नहीं है चूंकि कुल परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परस्पर परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2.23 पूर्वावधि चूकें

पूर्वावधि(यों) से संबंधित गंभीर चूकों का प्रकटन पूर्वावधि चूकों की प्रकृति तथा बाद में प्रस्तुत किए गए उक्त प्रत्येक पूर्वावधि चूक के लिए किए गए सुधारों के एक नोट द्वारा किया जाता है और यह बेसिक एवं कम हुए (डाईल्यूटिड) प्रतिशेयर अर्जन में परिवर्तन के साथ व्यवहार्य सीमा तक किया जाता है। तथापि किसी विशेष अवधि के लिए यदि अतीतलक्षीय पुनः विवरण व्यवहार्य नहीं होता है तो इस स्थिति के विद्यमान होने की परिस्थितियों एवं चूक को किस प्रकार एवं कहां से सुधारा गया है इसके विवरण का प्रकटन नोट्स टू एकाउंटस में किया जाता है। कंपनी के व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि एक साथ आय/व्यय (निवल) की मदें कंपनी की बिक्री टर्न ओवर के 0.5 प्रतिशत से अधिक होती है तो पूर्वावधि चूकों को गंभीर माना जाता है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का नोट

3. संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2020 को सकल कैरिंग मूल्य	1 अप्रैल, 2019 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि हानि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2020 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2020 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2019 को नेट कैरिंग मूल्य
फ्रीहोल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	0.37	-	-	**0.37**	-	-	-	**-**	**0.37**	**0.37**
– स्टॉफ क्वार्टर्स	0.13	-	-	**0.13**	-	-	-	**-**	**0.13**	**0.13**
लीज होल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	1.07	-	-	**1.07**	0.07	0.02	(0.00)	**0.09**	**0.98**	**1.00**
– स्टॉफ क्वार्टर्स	1.68	0.24	(0.08)	**1.85**	0.21	0.35	(0.00)	**0.56**	**1.29**	**1.47**
भवन										
– कार्यालय भवन	6.68	-	(0.14)	**6.53**	0.64	0.17	-	**0.80**	**5.73**	**6.04**
– स्टॉफ क्वार्टर्स / आवासीय फ्लैट्स	1.36	-	-	**1.36**	0.16	0.04	(0.01)	**0.18**	**1.17**	**1.20**
– जलापूर्ति, सीवरेज व ड्रेनेज	0.06	0.00	-	**0.06**	0.03	0.01	-	**0.04**	**0.02**	**0.03**
– विद्युत इंस्टॉलेशंस	3.02	0.05	-	**3.07**	1.84	0.06	0.00	**1.89**	**1.17**	**1.18**
– सड़कें व पुलियां	0.02	-	-	**0.02**	0.01	0.00	-	**0.02**	**0.01**	**0.01**
– ऑडियो / फायर / एयरकंडिशिनिंग	0.12	0.01	-	**0.13**	0.09	0.02	-	**0.11**	**0.02**	**0.03**
प्लांट एवं उपकरण	41.29	0.00	(0.18)	**41.11**	12.67	2.91	(0.18)	**15.39**	**25.72**	**28.62**
फर्नीचर तथा फिक्स्चर्स										
– पार्टिशंस	0.39	-	(0.00)	**0.39**	0.34	0.01	-	**0.35**	**0.04**	**0.05**
– अन्य	1.32	0.23	(0.01)	**1.53**	0.43	0.15	(0.01)	**0.57**	**0.96**	**0.88**
वाहन	0.55	-	(0.05)	**0.50**	0.24	0.06	(0.06)	**0.24**	**0.26**	**0.32**
कार्यालय उपकरण	1.72	0.06	(0.05)	**1.73**	1.14	0.26	(0.05)	**1.35**	**0.38**	**0.58**
अन्य :										
– रेलवे वैगन रेक	0.00	-	-	**0.00**	-	-	-	**-**	**0.00**	**0.00**
– बीएन7एचटी पर रेलवे लूप लाइन	0.00	-	-	**0.00**	-	-	-	**-**	**0.00**	**0.00**
– कम्प्यूटर / डाटा प्रोसेसर्स	2.39	0.10	(0.11)	**2.38**	1.83	0.22	(0.08)	**1.98**	**0.40**	**0.56**
कुल	**62.16**	**0.71**	**(0.64)**	**62.23**	**19.70**	**4.28**	**(0.39)**	**23.58**	**38.64**	**42.47**
गत वर्ष	59.97	2.26	(0.07)	62.16	14.99	4.72	(0.02)	19.70	**42.47**	
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	**1.62**	**4.45**	**-**	**6.07**	**0.13**	**1.47**	**-**	**1.60**	**4.47**	**1.49**
गत वर्ष	1.62	-	-	1.62	0.13	-	-	0.13	**1.49**	
कार्य प्रगति पर पूंजी	**0.28**	**-**	**(0.28)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.28**
गत वर्ष	-	0.28	-	0.28	-	-	-	**-**	**0.28**	

(ए) दिल्ली स्थित स्टाफ क्वार्टर्स से संबंधित लीजहोल्ड भूमि, सडकें तथा पुलियां, सीवरेज, ड्रेनेज तथा जलापूर्ति में वह शामिल है जो पूर्व में कंपनी द्वारा 50:50 के आधार पर एसटीसी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से धारित थी। तथापि कंपनी ने वर्ष 2018–19 में डीडीए से अपने हिस्से की 16.16 एकड भूमि की अलग लीज डीड अपने नाम पर निष्पादित करा ली।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों में हुई हानि का निर्धारण कराया तथा तदनुसार पीपीई के मूल्य में वर्ष के दौरान हुई 0.27 करोड रूपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड रूपए) की हानि का प्रावधान किया गया है।

4. निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में सकल कैरिंग मूल्य	**4.66**	4.66
वृद्धि	**0.22**	-
निपटान / समायोजन	**-**	-
वर्ष के अंत में सकल कैरिंग मूल्य	**4.88**	4.66
वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास	**0.66**	0.50
वृद्धि	**0.19**	0.16
वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास	**0.85**	**0.66**
वर्ष के अंत में नेट कैरिंग मूल्य	**4.03**	**3.99**

निवेश संपत्तियों के लिए राशि लाभ अथवा हानि में पहचान की गई राशियां हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
किराया आय	**1.35**	1.86
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय अर्जित हुई।	**1.35**	1.86
मूल्यह्रास	**0.08**	0.16
निवेश संपत्तियों से लाभ	**1.27**	**1.70**

लिजिंग व्यवस्था

कुछ निवेश परिसंपत्तियों को किराएदारों को दीर्घावृद्धि ओपरेटिंग लीज के तहत लीज पर दिया जाता है जिसके तहत मासिक आधार पर किराया देय होता है। निरस्त न की जाने वाली ओपरेटिंग लीज निवेश संपत्तियों से प्राप्त होने वाली न्यूनतम लीज राशि का विवरण नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
एक वर्ष के अंदर	**-**	0.28
एक वर्ष के बाद परंतु पांच वर्ष तक	**-**	-
पांच वर्ष के बाद	**-**	-
कुल	**-**	**0.28**

उचित मूल्य का अनुमान

निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित लागत मॉडल के अनुसार किया गया है। स्वतंत्र वैल्यूअर द्वारा निर्धारित किया गया निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य रुपए 96.48 करोड (पिछले वर्ष 126.18 करोड़ रू) है।

5. अन्य अमूर्त संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2019 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2020 को सकल कैरिंग मूल्य	01 अप्रैल 2019 को मूल्यह्रास संचित	वृद्धि	निपटान / समायोजन	01 अप्रैल 2020 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2020 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2019 को नेट कैरिंग मूल्य
कंप्यूटर साफ्टेयर	**3.39**	**0.64**	**0.08**	**4.11**	**2.59**	**0.78**	**0.18**	**3.55**	**0.56**	**0.80**
पिछले वर्ष	3.39	-	-	3.39	1.93	0.66	-	2.59	**0.80**	

6. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार		31 मार्च 2019 के अनुसार	
ए. गैर चालू निवेश				
(ए) अमोटाईज्ड लागत पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश –				
(i) सहायक कंपनी				
अनकोटिड				
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 1461502 (पिछले वर्ष 1461502) प्रत्येक 1 सिंगापुर +का पूर्णप्रदत्त इक्विटी शेयर		**3.14**		3.14
(ii) संयुक्त उपकम				
अनकोटिड				
नीलाचल इस्पात निगम लि. 368762744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 289342744) प्रत्येक 10 रूपये मूल्य		**-**		379.69
एमएमटीसी गीतांजलि प्रा. लि. प्रत्येक 10 / –रूपये मूल्य के 2987400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर(गत वर्ष 2987400)।	**2.99**		2.99	
जमा / (कमी) : निवेश मूल्य में कमी	**(2.99)**	**0.00**	(2.99)	0.00
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. – प्रत्येक 10 / – रूपये मूल्य के 5000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5000)।		**0.01**		0.01
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि. – प्रत्येक 10 / – रूपये मूल्य के 17446000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 17446000)।		**17.45**		17.45
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि. – प्रत्येक रु. 10 / – मूल्य के 33800000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 33800000)		**-**		33.80
(iii) अन्य				
<u>अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य</u>				
कोटिड				
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड 38961(गत वर्ष 38961) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर रुपए 2 प्रत्येक।	**3.00**		3.00	
जमा / (कमी): अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**(1.84)**	**1.16**	(0.62)	2.38
अनकोटिड				
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. – प्रत्येक 5 / – मूल्य के 32000000 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 32000000)।		**-**		16.00
अमोर्टाइज्ड लागत पर				
अनकोटिड				
इंडो फ्रेंच बायोटेक लिमिटेड प्रत्येक 10 / – रूपये मूल्य के 4750000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 4750000)	**4.75**		4.75	
जमा / (घटाएं): निवेश के मूल्य में कमी	**(4.75)**	**0.00**	(4.75)	0.00
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कुल निवेश		**21.76**		**452.47**

(₹ करोड़ में)

कुल गैर चालू निवेश (सकल)		**-**		**-**
	सकल राशि	**बाजार मूल्य**	**सकल राशि**	**बाजार मूल्य**
कोटिड निवेश की सकल राशि तथा इसका बाजार मूल्य	**3.00**	**1.16**	**3.00**	**2.38**
अनकोटिड निवेश की सकल राशि	**28.33**	**-**	**457.83**	**-**
निवेश मूल्य में कमी की सकल राशि	**7.74**	**-**	**7.74**	**-**

विवरण	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
बी) चालू निवेश	**-**	**-**	**-**	**-**

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार		31 मार्च 2019 के अनुसार	
(सी) बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू निवेश				
(क) अमोटाईज्ड लागत पर इक्विटी इस्ट्रूमेंट में निवेश				
संयुक्त उपक्रम				
अनकोटिड				
नीलाचल इस्पात निगम लि. 368762744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 289342744) प्रत्येक 10 रूपये मूल्य		**459.11**		**-**
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि. – प्रत्येक रु. 10/– मूल्य के 33800000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 33800000)	**33.80**			**-**
जमा/(कमी): लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**(33.80)**	**-**		
अन्य				
अन्य व्यापाक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
अनकोटिड				
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. – प्रत्येक 5/– मूल्य के 32000000 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 32000000)	**16.00**			**-**
जमा/(कमी):अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**(8.16)**	**7.84**		
बिक्री के लिए रखा गया कुल निवेश		**466.95**		**-**
(ख) बिक्री के लिए रखा पीपीई		**0.02**		
कुल (क) +(ख)		**466.97**		**-**

i. सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के इक्विटी इंस्ट्रुयुमेंट्स में किए जाने वाले सभी गैर चालू निवेशों को लागत के आधार पर आगे लाया जाता है तथा निवेश मूल्य में आई कमी, यदि कोई है, तो इसमें से घटाया जाता है। अन्य के इक्विटी इंस्ट्रूयूमेंट्स में किए जाने वाले निवेश को उचित मूल्य पर आगे ले जाया जाता है।

ii. कंपनी ने कामराजार बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल को बनाने तथा प्रचालन हेतु सिकाल आयरन ओर टर्मिर्नल लिमिटेड (एसआईओटीएल) के साथ संयुक्त उपक्रम में 26 प्रतिशत इक्विटी के रूप में 33.80 करोड़ रुपए (गत वर्ष 33.80 करोड़ रुपए) का निवेश किया था। हालांकि नवंबर 2010 तक टर्मिनल का निर्माण पूरा हो गया था परन्तु लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर लगे प्रतिबंधों के कारण बंदरगाह को चालू नहीं किया गया। कामराजार पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) द्वारा कोयले की हैंडलिंग हेतु सुविधा में बदलाव के टेंडर प्रक्रिया के बाद स्वीकार कर लिया गया था। एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 14.09.16 को हुई अपनी 428वीं बैठक में एमएमटीसी को ओपन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से एमएमटीसी को जेवी से बाहर आने संबंधी अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार एमएमटीसी की इक्विटी की बिक्री के लिए इच्छुक पार्टियों से बोलियां आमंत्रित की। टेंडर प्रक्रिया में कोई आवेदन नही मिला। परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान अग्रणी प्रोमोटर (मै. सिकाल लॉजिस्टिक लि.) नें 34.26 करोड़ रू. के रिजर्व मूल्य पर एमएमटीसी की इक्विटी खरीदने के लिए सहमति दी है। तदनुसार, शेयर खरीद करार (एसपीए) हस्ताक्षरित किया गया है तथा करार के अनुसार मैसर्स सिकॉल लाजिस्टिक्स लिमिटेड ने करार के निष्पादन हेतु एमएमटीसी के पास रूपए 0.50 करोड की राशि जमा कराई है। एसपीए की शर्तों के अनुसार मैसर्स एसआईओटीएल ने एमएमटीसी के जेवी छोडने की एनओसी/अनुमति लेने के लिए मैसर्स कामराजार पोर्ट लिमिटेड को आवेदन कर दिया है। अक्टूबर 2019 में एनओसी मिल गई। तथापि शेष राशि का भुगतान अभी नही मिला है। मैसर्स सिकॉल लाजिस्टिक्स लिमिटेड से शेयर क्रय मूल्य की प्राप्ति में देरी और मैसर्स सिकॉल लाजिस्टिक्स लिमिटेड के वित्तीय संकट को देखते हुए एसआईओटीएल में निवेश के मूल्य में कमी के लिए 33.80 करोड़ रूप्ये सृजित करने का प्रावधान किया गया है तदनुसार निवेश को 'बिक्री के लिए रोक' के रूप में दिखाया गया है।

iii. भारत सरकार ने एनआईएनएल में एमएमटीसी की 100% इक्विटी के विनिवेश के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। डीआईपीएएम के माध्यम से विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। तदनुसार, निवेश को 'बिक्री के लिए रोके गये निवेश' के रूप में दिखाया गया है।

iv. भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) में 26.00 करोड़ रूप्ये मूल्य के 5 रू. प्रत्येक राशि के 5.20 करोड़ इक्विटी शेयरों के शुरुआती निवेश के की एवज में (आईसीएक्स में कंपनी की 26% हिस्सेदारी) कंपनी ने 2015–16 के दौरान 100% के प्रीमियम पर 2 करोड़ इक्विटी शेयर बांटे। फरवरी/मार्च 2016 में आईसीईएक्स द्वारा 100% प्रीमियम पर एक राइट इश्यू लाया गया जो पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, आईसीईएक्स द्वारा 100% प्रीमियम पर राइट फिर से इश्यू लाया गया जो पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। एमएमटीसी ने उपरोक्त राइट इश्यू में भाग नहीं लिया। 31.03.2020 तक एमएमटीसी की होल्डिंग 6% है। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी होल्डिंग आईसीईएक्स की बुक वैल्यू पर 31.3.2020 को 7.84 करोड़ रुपये (पि. वर्ष 16.00 करोड़) पर कीमत लगाई। आईसीईएक्स के इक्विटी शेयर 31.03.2020 तक भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में 6% इक्विटी के विनिवेश के लिए प्रस्ताव पर अनुरोध आमंत्रित किया है और तदनुसार 31.3.2020 को निवेश को 'बिक्री के लिए रोकने हेतु दिखाया गया है।

v. जांच एजेंसियों द्वारा की गई जांच संबंधी मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार मुख्य प्रमोटर द्वारा हाल ही में किए गए डिफाल्ट के मद्देनजर तथा जे वी कंपनी द्वारा अपनी व्यावसायिक गतिविधियां रोक देने के परिणामस्वरूप कंपनी को वर्ष 2017–18 के दौरान अपने संयुक्त उद्यम मैसर्स एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड इक्विटी में निवेश की गई 2.99 करोड़ रुपए की हानि हो गई । कंपनी ने जेवी कंपनी को छोड़ने का भी नोटिस दिया है। जेवी कंपनी से वित्तीय वर्ष 2018–19 के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इन्हे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया जा सका।

vi. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उद्यम टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड की इक्विटी में निवेश की गई 0.06 करोड़ रुपए की राशि को बट्टे खाते में डाला। जेवी कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है तथा इस संबंध में एमसीए को आवेदन किया है।

7 . प्राप्य व्यापार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अन्य व्यापार प्राप्य		
ए) अच्छे माने गये –सुरक्षित	**303.54**	178.55
बी) अच्छे माने गये –असुरक्षित	**1,621.82**	99.28
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	**-**	-
डी) क्रेडिट हानि	**388.97**	391.20
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	**388.97**	391.20
अनुयोग	**1,925.36**	277.83
कुल	**1,925.36**	**277.83**
गैर–चालू (ए)	**-**	-
चालू (बी)	**1,925.36**	277.83
कुल	**1,925.36**	**277.83**

उपरोक्त में से कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एकल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फर्म अथवा निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक भागीदार है अथवा निदेशक है अथवा सदस्य है से शून्य राशि देय है (पिछले वर्ष शून्य रू)।

अयोध्य और संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता में चलनः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष	**391.20**	391.64
वर्ष के दौरान वृद्धि	**1.33**	-
वर्ष के दौरान रिवर्सल	**(3.56)**	(0.41)
वर्ष के दौरान उपयोग	**-**	(0.03)
वर्ष के अंत में शेष	**388.97**	391.20

8. ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार		31 मार्च 2019 के अनुसार	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
प्राप्ति योग्य–सुरक्षित				
सिक्योरिटी जमा राशि	**-**	**0.01**	-	0.01
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	**-**	**-**	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.72**	**3.14**	0.80	3.74
अन्य	**-**	**-**	-	-
अनुयोग	**0.72**	**3.15**	**0.80**	**3.75**
प्राप्ति योग्य – असुरक्षित				
सिक्योरिटी जमा राशि	**-**	**1.87**	-	1.86
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	**-**	**0.00**	-	0.00
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**1.00**	**1.63**	1.45	2.21
अन्य	**-**	**-**	-	-
अनुयोग	**1.00**	**3.50**	**1.45**	**4.07**
जिनमें क्रेडिट जोखिम अधिक है				
सिक्योरिटी जमा राशि	**-**	**-**	-	-
संबंधित पार्टियों को ऋण	**-**	**-**	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**-**	**-**	-	-
अन्य	**-**	**-**	-	-
अनुयोग	**-**	**-**	**-**	**-**
क्रेडिट में क्षति				
सिक्योरिटी जमा राशि	**-**	**0.17**	-	0.17
संबंधित पार्टियों को ऋण	**-**	**-**	-	-
कर्मचारियों को ऋण	**-**	**-**	-	-
अन्य	**0.03**	**0.14**	0.03	0.08
घटाएंः अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण	**0.03**	**0.31**	0.03	0.25
अनुयोग	**-**	**-**	**-**	**-**
योग	**1.72**	**6.65**	**2.25**	**7.82**

उपरोक्त में निदेशकों अथवा कंपनी के अन्य अधिकारियों अथवा उनमें से अन्य किसी व्यक्ति के साथ अलग से अथवा संयुक्त रूप से देय राशि अथवा ऐसी फर्मों अथवा निजी कंपनियों जिनमें कोई निदेशक पार्टनर अथवा निदेशक अथवा सदस्य हैं उनके द्वारा देय राशि रू 0.04 करोड़ है (पिछले वर्ष रू 0.01 करोड़ रू)।

9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार		31 मार्च 2019 के अनुसार	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक जमा राशि	**-**	**0.03**	-	0.86
भुगतान नही किये गये लाभांश के लिए बैंक के पास शेष	**-**	**0.22**	-	0.17
एनएसईएल से प्राप्य (i)	**-**	**208.25**	-	208.25
प्राप्य डेमरेज तथा डिस्पैच	**5.82**	**6.41**	4.23	5.92
फारवार्ड संविदा प्राप्य	**-**	**-**	-	-
अन्य कंपनियों को दिए गए अग्रिम (ii)	**-**	**33.53**	-	33.46
अन्य अग्रिम	**1.40**	**8.71**	1.93	9.14
निम्नलिखित पर उत्पन्न देय ब्याज / अदेय ब्याज :				
– सावधिक जमा राशि	**1.13**	**-**	0.73	-
– कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.71**	**7.69**	0.95	9.25
– संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	**-**	**-**	-	-
– अन्य को दिए गए ऋण	**0.55**	**15.03**	0.07	0.83
अन्य	**-**	**11.27**	-	20.09
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध प्राप्यों में हानि / स्वीकार्यता योग	**1.13**	**245.01**	1.07	245.89
कुल	**8.48**	**46.13**	**6.84**	**42.08**

(i) रूपए 208.25 करोड़ (गत वर्ष रूपए 208.25 करोड़) विभिन्न उधारकर्ताओं तथा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) से वसूल किए जाने हैं जो कि एनएसईएल द्वारा भुगतान देनदारी में डिफाल्ट करने के कारण उत्पन्न हुआ है। इसके लिए पूरा प्रावधान कर लिया गया हैं। कंपनी ने मुम्बई हाईकोर्ट में एनएसईएल तथा अन्य के विरूद्ध कानूनी वाद दायर किया है तथा इस मामले की सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने भी मामले की जांच की है। भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनएसईएल तथा एफटीआईएल के विलय आदेश को निरस्त कर दिया है।

(ii) वर्ष के दौरान प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एचएफटीडब्ल्यूपीएल तथा केएफटीडब्ल्यूपीएल को एडंवास देने के लिए 0.36 (पिछले वर्ष) 15.94 करोड़ रूपए (गत वर्ष रूपए 'शून्य' करोड) का प्रावधान किया गया है।

10. आस्थगित कर परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	**(8.70)**	(8.70)
अनुयोग	**(8.70)**	**(8.70)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**233.27**	233.27
डीडब्ल्यूए जोखिम	**0.01**	0.01
वीआरएस व्यय	**6.26**	6.26
अनुयोग	**239.54**	**239.54**
आस्थगित कर संपत्तिया (निवल)	**230.84**	**230.84**

कंपनी की संभावित भविष्य की कर योग्य आय के लिए संभावित अनुप्रयोग की सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को दिखाया गया है।

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में गतिशीलता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को शेष	लाभ व हानि में शामिल	समायोजन	31 मार्च 2020 को शेष
आस्थगित कर देयता				
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(8.70)	-	-	**(8.70)**
अनुयोग	**(8.70)**	-		**(8.70)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	233.27	-	-	**233.27**
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	0.01	-	-	**0.01**
वीआरएस व्यय	6.26	-	-	**6.26**
अनुयोग	**239.54**	-	-	**239.54**
कुल	**230.84**	-	-	**230.84**

पहचान की गई आस्थगित परिसंपत्तियां

निम्नलिखित मदों के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियां दिखाई गई हैं (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
कटौती योग्य अस्थाई अंतर	-	**230.84**
कुल	-	**230.84**

11. अन्य संपत्तियां (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
ए. गैर चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
– सिक्युरिटी डिपाजिट्स	**0.04**	0.04
– अन्य सप्लायर्स को अग्रिम	**4.67**	4.67
– अन्य अग्रिम	**17.12**	17.20
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	**(17.98)**	(18.06)
अन्य		
– वसूली योग्य प्रदत्त आयकर	**20.94**	20.63
– अन्य	**0.01**	0.01
कुल	**24.80**	**24.49**
बी. चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
– सिक्युरिटी डिपाजिट्स	**13.09**	7.35
– संबंधित पार्टियों को अग्रिम	**1,425.00**	1,425.01
– संबंधित पार्टियों को व्यापार संबंधित अग्रिम	**1,796.00**	1,169.56
– अर्जित ब्याज की वसूली अनिशिचित	**(252.18)**	-
– अन्य आपूर्तिकारों को अग्रिम	**5.75**	2.09
– अन्य प्राप्य दावे	**135.65**	49.58
– बिना बिलों के की गई गोल्ड / सिल्वर स्टॉक की खरीद	**238.18**	227.02
– अन्य अग्रिम	**23.68**	22.47
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	**(3.25)**	(3.25)
अन्य		
– देय बिक्री कर रिफंड	**13.79**	14.77
– देय एक्साइज / कस्टम ड्यूटी रिफंड	**4.64**	4.53
– देय सेवाकर रिफंड	**0.47**	0.05
– अन्य	**49.63**	84.70
कुल	**3,450.45**	**3,003.88**

12. इन्वेंट्रीज (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कच्चा माल	**11.31**	26.90
तैयार माल	**43.38**	30.10
स्टॉक इन ट्रेड	**155.85**	222.66
रू 7.69 करोड. रूपये (पिछले वर्श 139.74 करोड. रूपये)		
मूल्य के गुड्स इन ट्रॉजिट		
अन्य	**7.20**	0.15
योग	**217.74**	**279.81**

ए) जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया।

बी) गुडस इन ट्रांजिट सहित इन्वेंट्रीज का मूल्यांकन दिनांक 31 मार्च 2020 को लागत के निम्नतर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया गया। बाजार मूल्य पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से कम मूल्य पर करने के कारण 7.50 करोड. रूपये(पिछले वर्ष 0.80 करोड.) की हानि हुई।

सी) स्टॉक इन ट्रेड में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआरएस) 39936यूनिट (पिछले वर्ष 20920 यूनिट) जिनका मूल्य 0.07 करोड. रूपये (पिछले वर्ष 0.05 करोड. रुपए) जो इंड एएस –2 'इन्वेंट्रीज' के अनुसार लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य से निम्नतर है।

(il) प्रमाणन के अंतर्गत सीईआरएस की संख्या शून्य यूनिट है (गत वर्ष 39939 यूनिट)

(iii) मूल्यह्रास, एमिसन कटौती उपकरण की ओ एण्ड एम लागत के लिए 5.13 करोड़ रुपए की राशि (गत वर्ष : 4.34 करोड़ रूपए) व्यय की गई।

(डी) प्याज का बफर स्टॉक बनाने के लिए भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंर्तगत आयातित प्याज से संबंधित लागत पर मूल्यांकित 22.18 करोड़ रूपये(गत वर्ष शून्य करोड़ रूपये) की इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड में शामिल है (सदंर्भ नोट 36(ई))।

13. नकद तथा नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
बैंक में उपलब्ध शेष		
ए) चालू खाते में	**48.41**	2.76
बी) सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने तक की है	**-**	0.73
सी) कैश क्रेडिट अकांउट में डेबिट शेष	**14.82**	24.14
चैक, ड्राफट ऑन हैंड	**0.00**	0.00
कैश ऑन हैंड	**0.04**	0.10
कुल	**63.27**	27.73

14. उपरोक्त के अलावा बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
भुगतान न किए गए लाभांश के लिए	**-**	-
मार्जिन मनी के रूप में/लियन पर	**44.71**	4.49
सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम है	**12.16**	22.99
कुल	**56.86**	**27.48**

15. वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	11.44	
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	-	22.21
वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	-	0.01
कुल	**11.44**	**22.22**

16. ए. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
		संख्या	संख्या
अधिकृत			
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर			
	संख्या	**2,000,000,000**	2,000,000,000
	राशि	**200.00**	200.00
निर्गत, खरीदे गए तथा पूर्ण प्रदत्त			
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर			
	संख्या	**1,500,000,000**	1,500,000,000
	राशि	**150.00**	150.00

शेयरों की संख्या जिनका मिलान किया गया

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
आरंभिक इक्विटी शेयर	**1,500,000,000**	1,000,000,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी/खरीदे गए शेयरों की संख्या		500,000,000
घटाए : कटौती	**-**	-
अंतिम शेष	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**

कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर के शेयरों की संख्या जिनकी 5 प्रतिशत से अधिक होल्डिंग है

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
– भारत के राष्ट्रपति	**1,348,903,143**	348,903,143

कंपनी में शेयर पूंजी की एक श्रेणी है, जिसमें रू 1/– प्रत्येक शेयर मूल्य के साधारण शेयर हैं। कंपनी के आर्टिकल्स आफ असोसिएशन तथा लागू कानून के तहत कंपनी के साधारण शेयर होल्डर को कंपनी की वार्षिक आम सभा का नोटिस तथा वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है, कंपनी के बंद होने की स्थिति में सरप्लस परिसंपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, साधारण शेयरों पर घोषित किए गए किसी भी लाभांश को प्राप्त करने की पात्रता प्रदान करता है।

इक्विटी शेयर पूंजी में गतिविधि :वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी शेयर की वापस खरीद नहीं की है।

कंपनी की कोई बोल्डिंग कंपनी नहीं है।

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने पोस्टल बैलट के माध्यम से शेयरहोल्डर्स की सहमति प्राप्त कर पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में 50 करोड रूपए की फ्री रिजर्व राशि का पूंजीकरण करते हुए कंपनी ने 50 करोड इक्विटी शेयर 1:2 के अनुपात में पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित किए। तदनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी बढकर 150 करोड रूपए हो गई है जिसे रूपए 1/– प्रति इक्विटी शेयर पूर्णप्रदत्त की दर से 150 करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है।

कंपनी की कोई भी होल्डिंग कंपनी नही है।

बी. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
अनुसंधान व विकास रिजर्व	-	0.35
सामान्य रिजर्व	596.97	586.62
रिटेंड अर्जन	460.83	755.28
अन्य व्यापक आय रिजर्व	(23.65)	(3.00)
कुल अन्य इक्विटी	**1,034.15**	**1,339.25**

(i) अनुसंधान एवं विकास रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
आरंभिक शेष	0.35	0.35
सरप्लस से अंतरण	-	-
सामान्य रिजर्व से अंतरण	(0.35)	-
अंतिम शेष	**-**	**0.35**

(ii) सामान्य रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
आरंभिक शेष	586.62	626.62
सरप्लस / अन्य रिजर्व से अंतरण	10.35	10.00
बोनस शेयर जारी करना	-	(50.00)
अंतिम शेष	**596.97**	**586.62**

(iii) रिटेंड रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
आरंभिक शेष	755.27	721.67
वर्ष के लिए निवल लाभ	(227.11)	81.43
लाभांश रिटेन में सीधे दिखायी गई मदें	(3.09)	-
रोजगारोपंरात लाभ दायित्वों का पुनः मूल्यांकन तथा लाभांश वितरण	-	(1.65)
विनियोग :–	(54.25)	(36.17)
सामान्य रिजर्व	(10.00)	- (10.00)
अंतिम शेष	**460.83**	**755.28**

(iv) अन्य रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	पुर्नाकलन सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभ योजनायें	कुल अन्य रिजर्व
01 अप्रैल 2018 को	(0.05)	0.86	0.81
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	(3.24)	(3.24)
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	(0.57)	-	(0.57)
01 अप्रैल 2019 को	**(0.62)**	**(2.38)**	**(3.00)**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन	-	(11.27)	(11.27)
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	(9.38)	-	(9.38)
31 मार्च, 2020 को	**(10.00)**	**(13.65)**	**(23.65)**

17. उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
ए. गैर –चालू		
(i) आवधिक कर्ज		
(ए) बैंकों से		
– सुरक्षित	-	-
– असुरक्षित	166.70	-
कुल	**166.70**	**-**
बी. चालू		
(i) मांग पर प्रतिदेय ऋण		
(ए) बैंकों से		
– सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	463.42	621.75
	1,791.76	300.18
अन्य ऋण–राष्ट्रीय लघु बचत फंड (एफएसएसएफ) से	1,310.00	-
योग	**3,565.18**	**921.93**

- किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है।
- बैंकों से कैश क्रेडिट/पैकिंग क्रेडिट खाते/अन्य के अंतर्गत ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर अदायगी योग्य हैं। मांग पर प्रतिदेय ऋण पर देय ब्याज एमसीएलआर तथा बैकों के विस्तार पर आधारित है।
- कंपनी ने किसी भी ऋण तथा इस पर ब्याज की अदायगी में चूक नहीं की है।
- 1310 करोड रूपये का जमा राष्ट्रीय लघु बचत फंड (एफएसएसएफ)–भारत सरकार से यूरिया के आयात के लिए जिसका भुगतान मार्च 2020 में कर दिया गया)

18. व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
चालू		
व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लधु प्रतिष्ठानों का कुल देय बकाया	**0.08**	6.79
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**650.74**	1,019.23
संबंधित पार्टियों को व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स कुल देय बकाया	**-**	-
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**12.39**	7.74
कुल	**663.21**	**1,033.76**

19. अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
ए. गैर–चालू		
लीज	**5.81**	-
कुल	**5.81**	-
बी. चालू		
देय – व्यापार के अलावा	**9.50**	13.11
देय डिस्पेच/डेमरेज	**4.90**	3.40
वसूली गई राशि – पेंडिंग रेमिटेंस	**0.22**	0.77
उधार पर उत्पन्न ब्याज	**13.29**	3.88
सिक्युरिटी डिपॉजिट व ईएमडी	**38.07**	34.81
भुगतान न किया गया लाभांश	**0.22**	0.17
देय दावे	**45.41**	43.73
लीज	**0.27**	-
अन्य	**87.47**	80.21
कुल	**199.35**	**180.07**

20. अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
ए. गैर चालू		
कर्मचारी लाभ दायित्व		
ए) अर्जित अवकाश	**11.68**	14.73
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.10**	0.10
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त	**4.25**	104.04
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त	**1.46**	40.92
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**18.26**	18.92
ई) सेवा अवार्ड	**3.88**	4.55
एफ) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**3.48**	3.38
जी) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	**1.73**	1.91
कुल	**44.84**	**188.55**

बी. चालू		
कर्मचारी लाभ दायित्व		
ए) अर्जित अवकाश	**2.75**	3.30
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.06**	0.06
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी	**0.10**	2.53
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी	**0.27**	8.48
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**3.62**	4.40
ई) ग्रेच्युटी	**11.12**	6.39
एफ) सेवा अवॉर्ड	**0.97**	1.15
जी) बोनस / कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन	**21.11**	22.73
एच) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**0.55**	0.62
आई) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	**0.43**	0.40
अनुयोग	**40.98**	**50.07**
अन्य		
गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	**0.04**	0.03
मुकदमेंबाजी के निपटान के लिए प्रावधान	**11.38**	-
अनुयोग	**11.42**	**0.03**
कुल	**52.40**	**50.10**

21. अन्य देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
चालू		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**448.00**	290.86
सांविधिक भुगतान योग्य देय	**11.07**	41.71
अनबिल्ड खरीदारी के लिए देय राशि	**238.18**	227.02
अन्य	**1.28**	1.12
कुल	**698.53**	**560.71**

22. वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए देय आयकर	**-**	-
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए देय आयकर	**-**	30.40
कुल	**-**	**30.40**

23. प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	**24,051.99**	28,288.27
सेवाओं की बिक्री	**4.06**	4.55
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	**89.25**	462.68
–अर्जित डिस्पैच	**-**	-
–अन्य व्यापार आय	**(10.32)**	223.94
कुल	**24,134.98**	**28,979.44**

24. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय		
– फिक्स्ड डिपोजिट से	**3.10**	1.51
– ग्राहकों की अतिदेय राशि से	**0.04**	0.05
– अन्य	**8.20**	2.02
लाभांश आय		
– सहायक / संयुक्त उद्यमों से	**12.21**	5.23
– अन्य से	**0.20**	0.17
अन्य गैर–प्रचालन राजस्व		
(ऐसी आय पर प्रत्यक्ष रूप से हुए खर्च को घटाकर)		
– स्टाफ क्वार्टर्स किराया	**0.64**	0.72
– रिटन बैक देयताएं	**4.91**	2.23
– विविध प्राप्तियॉ	**2.89**	5.86
कुल	**32.19**	**17.79**

25. प्रयुक्त माल की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल का आरंभिक स्टॉक	**26.97**	4.28
जोड़ें : क्रय से अंतरण	**161.13**	146.97
घटाएं : कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	**10.64**	27.00
प्रयुक्त माल की लागत	**177.46**	**124.25**
उपभोग वस्तुएँ	-	-

26. स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क. क्रय		
बहुमूल्य धातुएं	**7,524.20**	11,863.68
धातुएं	**755.26**	2,025.47
उर्वरक	**11,058.25**	9,755.99
खनिज	**1,684.03**	818.18
कृषि उत्पाद	**821.70**	367.56
कोयला व हाईड्रोकार्बन	**1,219.42**	1,195.52
अन्य	**10.90**	20.73
ख. स्टॉक के रूप में प्राप्त / (जारी किया गया)		
बहुमूल्य धातुएं	**(0.13)**	(0.18)
कुल	**23,073.63**	**26,046.95**

27. इन्वेंट्रीज में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क. तैयार माल		
आरंभिक शेष	**30.18**	34.19
अंतिम शेष	**46.53**	31.38
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**(16.35)**	2.81
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड		
आरंभिक शेष	**222.66**	1,673.02
अंतिम शेष	**162.35**	222.54
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**60.31**	1,450.48
निवल (वृद्धि) / कमी)	**43.96**	**1,453.29**

28. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क) वेतन तथा पारिश्रमिक		
वेतन तथा भत्ते	**125.53**	132.52
छुट्टी नकदीकरण	**11.94**	8.88
बोनस	**0.06**	0.07
परफॉरमेंस से जुडा वेतन	**0.00**	10.51
चिकित्सा व्यय	**13.20**	20.97
ग्रुप बीमा	**0.01**	0.00
डीएलआईएस में अशंदान	**-**	0.14
वी आर खर्चे	**22.87**	21.39
ख) भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान		
भविष्य निधि	**9.88**	11.61
ग्रेच्युटी निधि	**3.41**	6.93
परिवार पेंशन योजना	**1.02**	1.33
अधिवर्षिता लाभ	**5.09**	5.43
ग) स्टाफ कल्याण व्यय	**1.36**	1.57
कुल	**194.37**	**221.35**

29. वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क. ब्याज व्यय	**138.68**	65.13
ख. लीज पर व्याज व्यय	**0.32**	-
ग. फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट पर प्रीमियम	-	0.14
कुल	**139.00**	**65.27**

30. मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
पीपीई पर मूल्यह्रास	**4.71**	4.72
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	**0.16**	0.16
अमूर्त परिसंपत्तियों पर अमोर्टाइजेशन	**0.78**	0.66
कुल	**5.65**	**5.54**

31. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
ए. प्रचालन व्यय		
भाड़ा	**51.50**	123.13
डेमरेज	**25.37**	0.90
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	**35.36**	16.47
एल/सी नेगोशिएशन एवं अन्य प्रभार	**1.59**	0.67
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	**(6.61)**	5.37
सीमा शुल्क	**546.41**	725.14
उत्पाद शुल्क	**-**	-
पैकिंग सामग्री	**1.25**	0.66
बीमा	**0.08**	0.26
गोदाम बीमा	**0.87**	1.46
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**2.86**	6.56
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**0.04**	0.03
अनुयोग(ए)	**658.72**	880.65
बी. प्रशासनिक व्यय :		
किराया	**2.22**	2.88
सुरक्षा खर्च	**3.62**	3.21
दरें एवं कर	**2.12**	1.49
बीमा	**0.25**	0.19
भवनों की मरम्मत	**5.11**	4.46
मशीनों की मरम्मत	**0.03**	0.04
मरम्मत एवं रखरखाव–कम्प्यूटर्स	**1.63**	2.05
मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	**0.67**	0.61
बिजली एव जल प्रभार	**3.13**	3.27
विज्ञापन एवं प्रचार	**0.90**	1.62
प्रिटिंग एवं स्टेशनरी	**0.47**	0.54
पोस्टेज एवं कुरियर	**0.15**	0.12
टेलीफोन	**1.09**	1.27
टेलीकम्युनिकेशन	**0.39**	0.39
यात्रा	**1.69**	3.46
वाहन	**1.47**	1.88
मनोरंजन	**0.51**	0.55
विधिक	**11.43**	7.20
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक ;पद्ध	**0.64**	0.63
बैंक प्रभार	**1.88**	0.95
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.05**	0.06
ट्रेड/बिक्री प्रोमोशन	**0.83**	0.47
सब्सक्रिपशन	**0.61**	0.43
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**0.14**	0.28
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	**2.39**	1.80
सीएसआर व्यय ;पपद्ध	**1.43**	1.35
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	**0.80**	4.03
सेवा कर/जीएसटी	**0.82**	0.59
प्रदर्शनी एवं मेले	**0.76**	2.21
विविध व्यय	**9.24**	6.53
अनुयोग (बी)	**56.47**	**54.56**
सी. अन्य :		
अशाध्य ऋण/दावे/परिसंपत्तियाँ अपलिखित निकासी	**0.34**	1.06
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/दावे/अग्रिम के लिए भत्ते	**0.49**	15.96
अनुयोग(सी)	**0.82**	17.02
कुल (ए+बी+सी)	**716.01**	**952.23**

(i) लेखापरीक्षा को दी गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षक के रूप में	**0.33**	0.33
कराधान मामले के लिए/कर लेखापरीक्षा	**0.16**	0.16
अन्य सेवाओं के लिए	**0.15**	0.14
व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.01**	0.00
कुल	**0.64**	0.63

ii) का. सा. दा. के खर्चे के विवरण

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
कंपनी के द्वारा खर्च की आवश्यकता की कुल राशि (पूर्व तीन वर्षों के दौरान के औसत कुल लाभ के 2% के बराबर)	₹1.73 करोड़	₹1.25 करोड़

विवरण	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	नहीं खर्च की गई राशि
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		
i) किसी संपत्ति का निर्माण अधिग्रहण	**0.82**	0.37
ii) उपरोक्त ;पद्ध के उद्देश्य के अलावा	**0.61**	0.60
iii) पिछले साल के आरक्षित का.सा. दा. के नामे		
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		
I) किसी संपत्ति का निर्माण अधिग्रहण	**0.47**	0.58
ii) उपरोक्त ;पद्ध के उद्देश्य के अलावा	**0.86**	0.11
iii) पिछले साल के आरक्षित का.सा. दा. के नामे	**-**	-

वर्ष के दौरान किसी संपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण के लिए 0.59 करोड़ (पी.वाई. 0.15 करोड़) व्यय किया गया और अन्य 0.05 करोड़ (पी.वाई. 0.54 करोड़) 31 मार्च 2019 तक व्यय नहीं किया गया है।

32. अपवाद मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से इन्वेंट्रीज को राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल करना।	**7.50**	0.80
परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	**(0.06)**	0.02
गैर चालू निवेश के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान	**33.80**	-
मुकदमों का निपटान	**6.91**	12.48
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(3.83)**	(3.54)
कुल	**44.32**	**9.76**

(i) एसआईसीएएल आइरन ओर ट्रमिनल लिमिटेड में इक्विटी निवेश के प्रावधान

33. अपवाद मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
वर्तमान वर्ष	**-**	33.00
पूर्वाधियों से संबंधित समायोजन	**(0.12)**	(0.61)
अनुयोग (ए)	**(0.12)**	32.39
आस्थगित कर व्यय		
अस्थाई अंतर राशि का ओरिजिनेशन तथा रिवर्सल	**-**	4.77
अनुयोग (बी)	**-**	4.77
कुल (ए+बी)	**(0.12)**	**37.16**

अन्य व्यापक आय में माना गया कर

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ योजना एक्चुरियल लाभ (हानि)	**-**	2.90
कुल	**-**	**2.90**

प्रभावी करों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	(227.23)	118.59
अधिनियमित कर दर	34.94	34.94
गणना की गई अनुमानित कर खर्चे	-	41.44
कटौती मुक्त खर्चे	-	10.29
कर मुक्त आय/अन्य कोई कटौती अथवा अनुमति योग्य खर्च	-	(18.74)
पूर्वावधि से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	-	(0.61)
आस्थगित कर	-	4.77
वर्ष के लिए कर व्यय	**-**	**37.16**
समायोजन : ओसीआई पर कर प्रभाव	-	(2.90)
वर्ष के लिए निवल कर व्यय	**-**	**34.26**

34. आकस्मिक देयताएं एवं प्रकटन

i)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(I)			
ए)	विदेशी मुद्रा दावे सहित कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है।	**202.35**	207.87
बी)	विवादित आयकर मांग जिसके प्रति 19.64 करोड़ रू. (गत वर्ष 19.08 करोड़ रू.) जमा किए गए हैं।	**40.59**	50.40
सी)	विवादित टीडीएस मांग	**0.00**	0.00
डी)	विवादित बिक्री कर मांग जिसके विरूद्ध 12.36 करोड़ रूपए (गत वर्ष 17.80 करोड़ रू.) जमा किए गए तथा बैंक गारंटी द्वारा 0.07 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.07 करोड़ रू.) कवर किए गए।	**202.66**	203.90
ई)	विवादित सेवा कर मांग	**107.10**	101.12
एफ)	विवादित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मांग	**20.29**	19.53
जी)	विवादित पीएफ मांग	**2.24**	2.24
एच)	कस्टम्स बांड्स	**267.08**	186.77
आई)	बकाया जीआर–1 जिसके लिए 0.73 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.73 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी गई है।	**1.60**	1.60
जे)	कंपनी के विरूद्ध विदेशी सप्लायर की ओर से किए गए दावे को ऋण नही माना गया है।	**-**	551.19
कुल (I)		**843.91**	**1324.61**
(II)	**अन्य बैक टु बैक आधार पर असोसिएट के अकाउंट में यदि कोई देयता बनती है**		
ए)	कस्टम्स डयूटी / ब्याज / पेनल्टी इत्यादि की अंतर राशि	**166.92**	166.86
कुल (II)		**166.92**	**166.86**

क्रम संख्या (I) में दी गई मदों का मूवमेंट ए) से जे)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्ष 2019–20 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2020 को शेष
ए)	विदेशी मुद्रा के दावों सहित कंपनी के विरूद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	207.87	11.17	5.66	202.35
बी)	विवादित आयकर मांग	50.40	9.81	-	40.59
सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.00	-	0.00	0.00
डी)	विवादित बिक्री कर मांग	203.90	1.62	0.37	202.66
ई)	विवादित सेवाकर मांग	101.12	0.03	6.01	107.10
एफ)	विवादित केंद्रीय उत्पाद शुल्क मांग	19.53	-	0.76	20.29
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.24	-	-	2.24
एच)	कस्टम्स बांड्स	186.77	68.44	148.75	267.08
आई)	बकाया जीआर–1	1.60	-	-	1.60
जे)	विदेशी सप्लायर की ओर से कंपनी के विरूद्ध किए गए ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	551.19	551.19	-	-
	कुल (I)	**1324.61**	**642.26**	**161.55**	**843.91**

क्रम संख्या (II) में दी गई मदों का मूवमेंट

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्ष 2019–20 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2020 को शेष
ए)	कस्टम्स ड्यूटी / ब्याज / पेनल्टी आदि की अंतर राशि	166.86	0.00	0.05	166.92
	कुल	**166.86**	**0.00**	**0.05**	**166.92**

*एनआईएनएल (एक जेवी कंपनी) को सप्लाई करने के कोकिंग कोल आयात से संबंधित विदेशी सप्लायर का 7.872 करोड़ अमरीकी डालर का दावा है। इसके अलावा 0.098 करोड़ अमरीकी डालर की मध्यस्थता लागत तथा इस पर दिनांक 30.9.2009 से 12.5.2014 तक की अवधि के लिए उक्त राशि पर 7.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय ब्याज तथा 1 जून 2014 से भुगतान किए जाने की अवधि तक अवार्ड के बाद 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का दावा है। मध्यस्थता अवार्ड एमएमटीसी के विरूद्ध दिया गया। कंपनी द्वारा इस अंतिम निर्णय के विरूद्ध आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 34 के अंतर्गत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया। न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध कंपनी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बैंच के समक्ष अपील की गई। जिसका निर्णय एकल न्यायधीश साथ ही अरबिटर्रेशन अवार्ड के आदेश, उद्धृत आदेश दि. 2 मार्च, 2020 के अनुसार कंपनी के पक्ष में रहा।

दावाकर्ता ने अपने पक्ष में मध्यस्थता अवार्ड डिक्री के निष्पादन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के समक्ष अलग से एक याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायलय के द्वारा जारी आदेश, दिनांक 22.05.2019 के अनुपालन में, कंपनी ने रजिस्ट्रार को अचल संपत्ति का स्वत्व विलेख जमा कर दिया है। कंपनी ने दावाकर्ता के द्वारा दायर की गई याचिका के कार्यान्वयन / प्रवर्तन की बर्खास्तगी के लिए आवेदन दिया है। दावाकर्ता माननीय उच्चतम न्यायलय के समक्ष विशेष अवकाश याचिका का वास्ता देते हुए आवेदन दिया है कि वे वर्तमान में खण्ड पीठ के निर्णय को चुनौती देने की प्रक्रिया में हैं। अदालत आदेश, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के अनुसार प्रवर्तन याचिका खारिज कर दिया, और आदेश दिया कि कंपनी के द्वारा जमा किए गए दिल्ली उच्च न्यायलय का महाराजिस्ट्रार के द्वारा आगे के 12 सप्ताह के लिए विलेख को रोका जाएगा और उसके बाद इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायलय के द्वारा जारी आदेश के अधीन कंपनी को जारी किया जाएगा। दावाकर्ता आज की तारीख में अभी तक कोई एसएलपी दर्ज नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा ली गई विधिक राय के अनुसार इस दावे के प्रति यदि कोई देयता बनेगी तो उसका वहन एनआईएनएल द्वारा किया जाएगा।

i) संविदा के निष्पादन के प्रति कंपनी की ओर से ग्राहक के पक्ष में बैंकों ने 3.87 करोड़ रु. (गत वर्ष 3.81 करोड़ रु.) की गारंटियां जारी हैं जिनकी एवज में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं से 0.59 करोड़ रुपए (गत वर्ष 0.59 करोड़ रुपए) की बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गईं हैं।

ii) कंपनी द्वारा खोली गई एल / सीज के तहत 100.54 करोड़ रु. की शेष बकाया है (गत वर्ष 99.57 करोड़ रु.)।

iii) कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी को वित्तीय संस्थानों / बैंकों से लिए गए ऋण तथा ब्याज को सुरक्षित रखने के प्रयोजन से संबंधित वित्तीय संस्थानों / बैंकों के पक्ष में 1345.82 करोड़ रूपए (गत वर्ष 1345.82 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटियां दी हैं।

iv) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के खाते में किए गए वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

v) यदि कर निर्धारण हो जाने पर बिक्री कर की मांग, कुछ कर्मचारियों के विवादित मामले, हैंडलिंग एजेंट्स / ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करना, विवादित किराया तथा आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी राशि के संबंध में ब्याज / दण्ड / विधिक लागत आदि के प्रति यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इसका निर्धारण करना संभव नही है। अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

35. वचनबद्धताएं :

पूंजीगत वचनबद्धताएं : विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित ऐसी संविदाओं की अग्रिम राशि घटाकर अनुमानित राशि जिनका निष्पादन कैपिटल अकाउंट में किया जाना है तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है ऐसी राशि 'शून्य' करोड़ रूपए है (गत वर्ष 'शून्य' करोड रु.)।

36. सामान्य प्रकटन :

ए) (i) कंपनी ने बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को अपने पास रखा है जिसको अन्य चालू परिसंपत्तियों को (टिप्पणी संख्या 11(बी)) तथा अन्य चालू देयताओं को (टिप्पणी संख्या 21) में दिखाया गया है।

मदें	31.3.2020		31.3.2019	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
स्वर्ण (किलोग्राम)	**467.00**	**181.98**	515.00	147.80
स्वर्णाभूषण (ग्राम में)	**-**	**-**	-	-
चांदी (कि.ग्रा. में)	**15,135.22**	**56.19**	22,703.85	79.22
कुल	**15,602.22**	**238.18**	**23,218.85**	**227.02**

(ii) श्री माता वैष्णो देवी सिरीन बोर्ड की ओर से 31.03.2020 को दि.क्षे.का. में 7970.788 कि.ग्रा. अशोधित चाँदी लाया गया। चाँदी की शुद्धता मालूम न होने के कारण माल की कीमत सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

बी) हाल के वर्षों में आए व्यापार मॉडल में विभिन्न बदलावों के कारण और नवीनतम सांविधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्तमान ईआरपी पैकेज को बदलने का निणर्य लिया है।

सी) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) – संयुक्त उपक्रम कंपनी में निवेशः–

(i) कंपनी द्वारा उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर उड़ीसा में 1.1 मिलियन टन क्षमता का इंटिग्रेटेड इस्पात संयंत्र नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना किए जाने के साथ–साथ इस एसोसिएट कंपनी में 49.78 प्रतिशत इक्विटी पूंजी के प्रति 459.11 करोड़ रुपए (गत वर्ष 379.69 करोड़ रुपए) का निवेश किया है। (नोट 6)

भारत सरकार (सीसीईए) ने दिनांक 8 जनवरी 2020 को सैद्धांतिक रूप से एमएमटीसी और अन्य केन्द्रीय / राज्य उपक्रमों को ईक्विटी निवेश के लिए नीतिबद्ध विनिवेश का अनुमोदन दिया है। विनिवेश की प्रक्रिया निवेश विभाग और लोक संपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) के द्वारा प्रक्रियाधीन है।

(ii) एनआईएनएल की दैनिक प्रचालन गतिविधियों के लिए निरंतर आधार पर कंपनी इसे 1425.00 करोड़ रूपये की सीमा तक लघु अवधि क्रेडिट सुविधा प्रदान करती रही है। इसके अलावा 1875.00 करोड़ रुपए की व्यापार से संबंधित वित्तीय सुविधा भी दी गई है। इसके लिए 2019–20 के लिए 252.18 करोड़ के व्याज को आय के रूप में न मान्य करते हुए दिनांक 31.03.2020 को कंपनी की 1184.15 करोड़ रूपए की नेटवर्थ के विरूद्ध अन्य परिसंपत्तियों (संबंधित पार्टियों को एडवांस) (नोट 11) के अंतर्गत बकाया राशि 3221.00 करोड़ रूपए (गत वर्ष 2594.57 करोड़ रूपए)।

(iii) एमएमटीसी और एनआईएनएल के विधिवत हस्ताक्षरित से दिनांक 31.12.2029 तक 3116.34 करोड़ बकाया राशि के साथ एनआईएनएल के साथ खाते का समाधान हो गया है। यद्यपि कोविड 19 महामारी और उड़ीसा में बंदी की वजह से एनआईएनएल से जनवरी–मार्च 2020 का लेखा–समाधान नहीं हो पाया है, हालांकि कंपनी ने एनआईएनएल को सभी दस्तावेज और सूचना दे दी है। दि. 31.03.2020 तक एनआईएनएल ने 3221.00 करोड़ शेष जमा लंबित की पुष्टि की है।

(iv) एनआईएनएल द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के लिए वित्तीय संस्थानों / बैंकों / अन्य के पक्ष में कंपनी ने 1345.82 करोड़ रुपए(गत वर्ष 1345. 82 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटी भी दी है (नोट 34 (पपपद्धद्ध ।

(v) कंपनी ने पूर्व वर्षों के दौरान वृद्धि आधार पर व्यापार संबंधित व्याज की पहचान की है और शेष अग्रिम में जोड़ लिया जाता है। हालांकि, वर्ष 2019–20 के दौरान 252.18 करोड़ का व्याज एनआईएनएल से इसकी उगाही में अनिश्चितता के कारण जोड़ा नहीं गया था जैसा कि प्लांट बंद हो गया है और दीपम के द्वारा एनआईएनएल विनिवेश प्रक्रिया के अधीन है।

(vi) एनआईएनएल ने समय–समय पर क्रेडिट सुविधा के लिए कंपनी को 2800.00 करोड़ रुपए (गत वर्ष 1975.00 करोड़ रु.) की कारपोरेट गारंटी दी है।

(vii) तुलनपत्र की तारीख के बाद कंपनी ने दिनांक 04 मई 2018 को वाणिज्य मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद दिनांक 5.5.2019 को अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के लिए 79.42 करोड़ रूपए की राशि जारी की है जिसके बाद कुल अतिरिक्त इक्विटी 149.34 करोड़ रूपए हो गई है।

(viii) एनआईएनएल को गत 8 वर्षों से घाटा हो रहा है जिसके कारण इसकी नेट वर्थ नकारात्मक होकर दिनांक 31.12.2019 को रुपए (–) 956.49 करोड़ (गत वर्ष 31.3.2019 को रुपए (–) 956.49 करोड़)। दिनांक 31.03.2020 को एनआईएनएल वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है, एनआईएनएल को 2019–20 के लिए अपना लेखा को अंतिम रूप देना शेष है।

(ix) एनआईएनएल के संभावित मूल्य निर्धारण और विनिवेश प्रक्रिया पर विचार करते हुए, प्रबंधन एनआईएनएल में निवेश और दिए गए अग्रिम को सही मानती है।

डी) मिंट बिक्री लेन देन के विषय में कंपनी ने मैसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 31.40 करोड़ रुपए(गत वर्ष 31.40 करोड़ रुपए), जिसमें 2.95 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2.95 करोड़ रुपए) का विलम्बित ब्याज भी शामिल है, की वसूली के लिए दावा किया है जिसका निर्णय कंपनी के पक्ष में आया है। मैसर्स एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट / एमएमटीसी के विरूद्ध 167.20 करोड़ रू. (गत वर्ष 167.20 करोड़ रू.) की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया है जो कानूनी राय के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

ई) भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्याज का बफर स्टाक बनाने के लिए एमएमटीसी ने जुलाई 2019 से दिनांक 31.3.2020 तक प्याज का आयात किया। योजना के अनुसार एमएमटीसी के ट्रेडिंग मार्जिन को बिक्री के समय सी एण्ड एफ लागत पर 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया तथा आयात से संबंधित सभी व्ययों का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। बिक्री उगाही और एमएमटीसी के मार्जिन सहित सरकार से प्राप्त दावे के रूप में दिखाया गया है जो कि माल के परिसमापन के पश्चात डीओसीए में लेखा प्रस्तुत करने के बाद सरकार से प्राप्त अग्रिम के साथ समायोजित कर दिया जाएगा। माल को मुंबई में केन्द्रीय गोदामों / राजकीय गोदामों / अन्य गोदामों में भंडारित किया गया है।

एफ) आयात्ति पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोशिएट के विरुद्ध 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य देयों को ध्यान में रखते हुए लेखों में 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम से इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लंबित है। एसोसिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर गया किया गया है।

जी) वर्ष 2011–12 के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल(तांबा) की आपूर्ति किए बिना 4.12 करोड़ रूपए (गत वर्ष 3.77 करोड़ रूपए) का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग चैनलों द्वारा जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए। तथापि भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने के वचन पत्र के साथ साख पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से भारतीय बैंक को रोके रखने के लिए कंपनी ने अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। इसी आपूर्तिकर्ता ने धोखे से तांबे की एक अन्य खेप के मास्टर बिल ऑफ लैडिंग को अपने अधिकार में लिया हुआ है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई 8.60 करोड़ रूपए (गत वर्ष 8.60 करोड़ रूपए) मूल्य के माल की सुपुर्दगी तथा अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा ईएमडी एवं अन्य देयों के समायोजन के पश्चात् वर्ष 2014–15 के दौरान शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

एच) हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से 3.75 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.75 करोड़ रुपए) मूल्य के कॉपर की दो शिपमेंट्स के जाली बिल ऑफ लैडिंग प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया गया। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है। इस लेन–देन के संबंध में स्थानीय खरीदार से पूर्ण व अंतिम निपटान की 4.44 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो गई है। इस राशि में अन्य नॉन करंट देयताओं के तहत ग्राहक से प्राप्त एडवांस राशि भी शामिल है।

आई) माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को 39.62 करोड़ रुपए (गत वर्ष 39.62 करोड़ रुपए) जमा करने के निर्देश दिए हैं । कोर्ट ने कहा है कि एक विदेशी पार्टी द्वारा दायर की गई डिक्री के निष्पादन पर कंपनी के एक कोल सप्लायर से उनकी लेखा बहियों के अनुसार एमएमटीसी से यह राशि प्राप्त होगी। एमएमटीसी ने एक आवेदन तथा काउंटर हलफनाम दायर किया है जिसमें कहा गया है कि सप्लायर को अभी संविदा संबंधी अपने दायित्व पूरे करने है तथा ऐसी स्थिति में एमएमटीसी इस राशि को जमा कराने में असमर्थ है। यदि सभी मुद्दों का समाधान हो जाने पर सप्लायर को कोई राशि देय होगी तो उसे सप्लायर को देने की बजाय कोर्ट में जमा कराया जाएगा इस मामले में सुनवाई चल रही है और सुनवाई की अगली तारीख 7.8.2020 है।

37 वित्तीय दस्तावेज – उचित मूल्य तथा जोखिम प्रबंधन

37.1 कैटगरीज के वित्तीय दस्तावेज

निम्नलिखित तालिका में कैटगरीज की वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की कैरिंग राशि तथा उचित मूल्य को दर्शाया गया है । यदि कैरिंग राशि उचित मूल्य का पर्याप्त अनुमान है तो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर नहीं आंका गया है तथा उचित मूल्य सूचना भी इसमें शामिल नहीं है।

(31 मार्च 2020 को ₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्याः 6)			9.00	9.00	9.00
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्याः 13)	63.27			63.27	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्याः 7)	1925.36			1925.36	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	6.49			6.49	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	0.00			0.00	
सुरक्षा जमा तथा अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	1.88			1.88	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्याः 9)	54.61			54.61	
देयताएं					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्याः 18)	663.21			663.21	
उधार (संदर्भ नोट संख्याः 17)	3565.18			3565.18	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्याः 19)	199.35			199.35	

वर्गवार वित्तीय दस्तावेजों के कैरिंग मूल्य और उचित मूल्य मार्च, 31, 2019 के अनुसार हैः

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्याः 6)			18.38	18.38	18.38
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्याः 13)	39.11			39.11	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्याः 7)	277.83			277.83	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	8.20			8.20	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	0.00			0.00	
सुरक्षा जमा तथा अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	1.86			1.86	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्याः 9)	48.92			48.92	
देयताएं					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्याः 18)	1033.76			1033.76	
उधार (संदर्भ नोट संख्याः 17)	921.93			921.93	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्याः 19)	180.07			180.07	

37.2 उचित मूल्य वर्गीकरण

- **स्तर 1** – वर्गीकरण के स्तर 1 में सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित) का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है ।
- **स्तर 2** – वर्गीकरण के स्तर 2 में ऐसे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं जिनका मूल्यांकन कोटेड मूल्यों से इतर किया गया है। साथ ही इसमें ऐसी परिसंपत्तियां अथवा देयताएं भी शामिल हैं जो या तो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों के अनुसार) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) रूप में सुस्पष्ट हैं।
- **स्तर 3** – वर्गीकरण के स्तर 3 में सुस्पष्ट बाजार डाटा (अस्पष्ट इनपुट्स) पर अनाधारित इनपुट्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर आकलन की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य के वर्गीकरण को प्रस्तुत करती है

(31 मार्च 2020 को ₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	1.16			1.16		उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			7.84	7.84	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग	**1.16**	**-**	**7.84**	**9.00**		

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	2.38			2.38		उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			16.00	16.00	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग	**2.38**	**-**	**16.00**	**18.38**		

37.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन, उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के कार्यकलापों में निम्नलिखित वित्तीय जोखिम शामिल हैं:–

– बाजार जोखिम
– क्रेडिट जोखिम तथा
– तरलता जोखिम

कंपनी ने ऐसे किसी फंड की व्यवस्था नहीं की जिसमें ब्याज दर जोखिम शामिल हो ।

क) बाजार जोखिम

(I) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का आयात व निर्यात का व्यापार है जिसके कारण इसे मुख्यतः अमरीकी डालर के संबंध में विदेशी मुद्रा का जोखिम है। कंपनी ने दीर्घावधि उधार द्वारा निधियों की व्यवस्था नहीं की है। बैंकों से लिए गए लघु अवधि विदेशी मुद्रा ऋण (क्रेता के क्रेडिट) स्थिर ब्याज दर के ऋण होते हैं। परिणामस्वरूप कंपनी को किसी प्रकार का ब्याज दर जोखिम नहीं है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचाव (हेज) के लिए हेजिंग दस्तावेजों को प्रयोग करने की है ।

अपने विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा में फारवर्ड कांट्रेक्ट्स का प्रयोग करती है। संबंधित स्पॉट माक्रिट विनिमय दर के संदर्भ में कंपनी द्वारा फारवर्ड कांट्रेक्ट्स के स्पॉट घटक को विनिर्दिष्ट किया जाता है। कांट्रेक्ट्स फारवर्ड तथा स्पॉट मार्केट विनिमय दर के बीच के अंतर को फारवर्ड घटक कहते हैं। हेजिंग दस्तावेज की स्पॉट विनिमय दर में परिवर्तनों, जो कि हेज की गई मद से संबंधित होते हैं, को रोकड़ प्रवाह हेज अधिशेष में स्थगित किया जाता है तथा इसकी पहचान तब की जाती है जब संबंधित हेज किए गए लेनदेन की श्रेणी में आ जाता है। फारवर्ड विनिमय दर कांट्रेक्ट के फारवर्ड घटक को हैजिंग अधिशेष की लागत में स्थगित किया जाता है तथा जब लेन–देन किया जाता है तो उस समय फारवर्ड घटक में परिवर्तन की सीमा तक इसकी पहचान की जाती है।

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय दस्तावेजों से कंपनी को होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के मात्रात्मक डाटा का सारांश रुपयों में दर्शाया गया है।

(31 मार्च 2020 को ₹ करोड़ में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर में)	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	3.49	-	3.49
ट्रेड प्राप्य	-	-	-
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	5.17	-	5.17
अन्य प्राप्य	7.58	-	7.58
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**16.23**	**-**	**16.23**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	227.25	-	227.25
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	1.30	-	1.30
ट्रेड देय	30.53	-	30.53
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	16.60	-	16.60
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	-	-	-
अन्य	-	-	-
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**275.67**	**-**	**275.67**
अग्रेषित विनिमय अनुबंध	-	-	-
विदेशी मुद्रा जोखिम का कुल एक्सपोजर (देयता)	**275.67**	**-**	**275.67**

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है चूंकि हानि/लाभ एसोसिएट आपूर्तिकर्ता/ग्राहक के खाते में होगा । इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं ।

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर में)	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	-	-	-
ट्रेड प्राप्य	158.09	-	158.09
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	4.78	-	4.78
अन्य प्राप्य	0.15	-	0.15
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**163.02**	**-**	**163.02**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	281.14	-	281.14
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	3.24	-	3.24
ट्रेड देय	429.39	-	429.39
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	25.77	-	25.77
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	0.42	-	0.42
अन्य	5.64	-	5.64
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**745.60**	**-**	**745.60**
अग्रेषित विनिमय अनुबंध	301.10	-	301.10
विदेशी मुद्रा जोखिम का कुल एक्सपोजर (देयता)	**444.50**	**-**	**444.50**

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है। इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं।

संवेदनशीलता

31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को हमारी फंक्शनल मुद्रा की तुलना में संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हमारे कर पूर्व लाभ पर क्रमशः शून्य रूपये एवं शून्य रूपये का प्रभाव डालेगी।

(i) मूल्य जोखिम

कंपनी के इक्विटी प्रतिभूतियों के मूल्य जोखिम कंपनी द्वारा किए गए निवेश से होते है तथा इसे तुलन पत्र में अन्य समेकित आय द्वारा उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी द्वारा दो प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में एक एनएसई पर सूचीबद्ध है तथा दूसरा (आईसीईएक्स) सूचीबद्ध नहीं है ।

31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को संबंधित इक्विटी मूल्यों में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी इक्विटी के अन्य घटकों पर क्रमशः लगभग 0.12 करोड़ रुपये एवं 0.18 करोड़ रुपये का प्रभाव डालेगी। इसका लाभ व हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अभिप्राय दूसरे पक्ष (काउंटर पार्टी)द्वारा अपने दायित्वों में की गई चूक, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है, के जोखिम से है । रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ट्रेड प्राप्यों से होता है। तदनुसार, ट्रेड प्राप्यों से होने वाले क्रेडिट जोखिम का अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों से अलग निम्नलिखित पैराग्राफ में मूल्यांकन किया गया है।

<u>ट्रेड प्राप्य</u>

संयुक्त उपक्रमों तथा भारत सरकार को छोड़कर कंपनी के बकाया ट्रेड प्राप्य अधिकांशतः साख पत्र/बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है ।

इंड एएस – 109 के प्रावधानों के अनुरूप ट्रेड प्राप्यों में हानि की पहचान संभावित क्रेडिट हानि के आधार पर की जाती है । संभावित क्रेडिट हानि के उद्देश्य से कंपनी के ग्राहकों का ऐतिहासिक अनुभव, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों एवं ग्राहकों के वर्तमान निष्पादन, इंडस्ट्री के भावी परिदृश्य को ध्यान में रखा जाता है ।

<u>क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर</u>

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ट्रेड प्राप्यों की समयावधि के विश्लेषण को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है :–

(31 मार्च 2020 को ₹ करोड़ में)

विवरण	सकल राशि	हानि	कैरिंग मूल्य
देय नही	54.90	-	54.90
एक महीने से कम अवधि से ओवरड्यू	261.77	-	261.77
एक महीने से अधिक तथा दो महीने की अवधि तक ओवरड्यू	498.91	-	498.91
दो महीने से अधिक तथा तीन महीने की अवधि तक ओवरड्यू	859.38	-	859.38
तीन महीने से अधिक तथा छह महीने की अवधि तक ओवरड्यू	114.45	-	114.45
छह महीने की अवधि से अधिक ओवरड्यू	524.91	388.97	135.94
कुल योग	**2,314.32**	**388.97**	**1,925.35**

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

विवरण	सकल राशि	हानि	कैरिंग मूल्य
देय नही	181.66	-	181.66
एक महीने से कम अवधि से ओवरड्यू	11.54	-	11.54
एक महीने से अधिक तथा दो महीने की अवधि तक ओवरड्यू	7.18	-	7.18
दो महीने से अधिक तथा तीन महीने की अवधि तक ओवरड्यू	15.28	-	15.28
तीन महीने से अधिक तथा छह महीने की अवधि तक ओवरड्यू	6.98	-	6.98
छह महीने की अवधि से अधिक ओवरड्यू	446.37	391.17	55.20
कुल योग	**669.00**	**391.17**	**277.83**

प्रत्येक ट्रेड प्राप्यों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर जब वसूली को संदिग्ध माना जाता है तथा राशि को वसूली योग्य माने जाने तक देय तिथि (सरकारी देयों के अतिरिक्त) के तीन वर्षों के पश्चात ट्रेड प्राप्यों में सामान्यतः क्रेडिट हानि मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों जिनमें हानि नहीं हुई है परंतु ओवरडयू है, वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं।

कुछ लेन–देनों के ट्रेड प्राप्यों के संबंध में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी द्वारा समकक्ष ट्रेड देय भी है जो ट्रेड प्राप्यों की वसूली के पश्चात देय होंगे । उक्त ट्रेड प्राप्यों को देय तिथि के पश्चात इम्पेयर्ड नहीं माना जाता है।

<u>अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां</u>

चूंकि हमारा दूसरा पक्ष बैंक है इसलिए रोकड़ व रोकड़ समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना गया है। अनुसूचित बैंकों के पास साविध जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक की निगरानी में है, अतः इसे हम गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं तथा ऑनगोईंग आधार पर हम इन बैंकिंग संबंधों की पुनरीक्षा करते हैं। चूंकि कर्मचारियों को दिए गए गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण आदि सम्पत्ति के प्रति सुरक्षित हैं इसलिए कर्मचारियों के ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को हम नगण्य मानते हैं। अन्य कर्मचारी ऋणों को संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक गारंटी के साथ साथ अन्य सेवारत कर्मचारी के जमानत बाण्ड द्वारा कवर किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किसी प्रकार की हानि का प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि को हम अच्छी गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं ।

ग) तरलता जोखिम

हमारी तरलता आवश्यकताओं को मासिक एवं वार्षिक अनुमानों के आधार पर मानीटर किया जाता है। रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, प्रचालनों से अर्जित रोकड़ तथा देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि द्वारा वित्तपोषण की उपलब्धता कंपनी का मुख्य तरलता स्रोत है।

आधारभूत व्यापार की सक्रिय प्रकृति के कारण प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस के अंतर्गत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण के लिए कंपनी द्वारा लचीलापन अपनाया जाता है ।

लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की मुख्यतः विविध लेनदार, देय व्यय, सामान्य व्यापार के दौरान होने वाले कर्मचारी देय शामिल हैं। लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में पर्याप्त शेष बनाकर रखती है।

कंपनी द्वारा दीर्घावधि की तरलता आवश्यकताओं का नियतकालिक आधार पर आकलन किया जाता है तथा आंतरिक संग्रहण एवं प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता से संबंधित विवरणों को दर्शाती है। जब कंपनी को भुगतान करना आवश्यक है तो उस अतिशीघ्र तारीख पर आधारित वित्तीय देयताओं के प्रकटन न किए गए रोकड़ प्रवाह के आधार पर यह तालिका बनाई गई है। इस तालिका में मूल एवं ब्याज रोकड़ प्रवाह दोनों शामिल किए गए हैं :–

(31 मार्च 2020 को ₹ करोड़ में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	कुल योग
ट्रेड देय	663.21					663.21
लघु अवधि उधार	3565.18					3565.18
अन्य वित्तीय देयताएं	199.35					199.35
कुल योग	**4427.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4427.74**

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	कुल योग
ट्रेड देय	1033.76					1033.76
लघु अवधि उधार	921.93					921.93
अन्य वित्तीय देयताएं	180.07					180.07
कुल योग	**2135.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2135.76**

38. हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

38.1 कैश फ्लो हेज

31 मार्च 2020 को कंपनी का कोई भी हेजिंग इंस्ट्रूयमेंट बकाया नहीं था।

38.2 उचित मूल्य हेज

जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, कंपनी सोने और चांदी की इंवेंट्री की कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव के प्रति हेज करने के लिए कमोडिटी एक्सचेंजों के साथ फारवर्ड कांट्रेक्ट करती है। हेजिंग इंस्ट्रूयमेंट पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि माना जाता है। हेज किए गए आइटम पर होने वाले हेजिंग लाभ अथवा हानि को समायोजित करते हुए हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि ली जाती है तथा उसे लाभ अथवा हानि माना जाता है।

ए) हेजिंग इंस्ट्रूयमेंट के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च 2020 को ₹ करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रूयमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रूयमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रूयमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट				176	51.35

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रूयमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रूयमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रूयमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट				120	41.55

बी.) हेज्ड आइटम्स के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च 2020 को ₹ करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे भोश बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंडएएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेट्री	-	-	-	इंवेट्रीज	-	-

(31 मार्च 2019 को ₹ करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे भोश बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंडएएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेट्री	-	-	-	इंवेट्रीज	-	-

39 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–36 के संबंध में प्रकटीकरण "परिसंपत्तियों की हानि*

वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति की हानि/क्षति का निर्धारण किया तथा तदनुसार वर्ष के दौरान पीपीई के मूल्य में 'शून्य' करोड़ (गत वर्ष 0.27 करोड़ रू) की हानि का प्रावधान किया गया है।

40 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–19 के संबंध में प्रकटीकरण "कर्मचारी लाभ"

40.1 विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं के सामान्य विवरण इस प्रकार हैं :

ए) ग्रेच्युटी :

ग्रेच्युटी का भुगतान सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर सेवानिवृत्ति/सेप्रेशन पर सभी कर्मचारियों को किया जाता है। योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका संचालन एलआईसी के माध्यम से एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों के लिए कंपनी इस योजना का संचालन सीधे एलआईसी के माध्यम से करती है। कंपनी इस योजना का वित पोषण करती है तथा इसमें देयता का निर्धारण इंश्योरर को दिए जाने वाले अंशदान के आधार पर किया जाता है अर्थात भारतीय बीमा निगम, हालांकि, इंड एएस–19 के अधीन अपेक्षित सूचना का खुलासा एक्चुएरल मूल्यांकन के अनुसार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के ग्रेच्युटी फंड अंशदान का एक्चुएरल मूल्यांकन का अनुमान रूपए 4.29 करोड़ है (गत वर्ष 4.88 करोड़ रुपए)। हालांकि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की जाने वाली मांग के अनुसार फंड में योगदान करती है।

बी) अवकाश मुआवजा :

सेप्रेशन पर पात्र कर्मचारियों को उनके द्वारा संचित किए गए अर्जित तथा अर्ध वेतन अवकाश का मुआवजा देय होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है जो वर्ष के दौरान दो बार कराया जा सकता है बशर्ते कर्मचारी के खाते में नकदीकरण के बाद कम से कम 15 अवकाश शेष रहने चाहिए।

इस खाते में देयता का निर्धारण एक्चुएरल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

सी) लंबे सेवाकाल का लाभ : कर्मचारियों को देय लबी अवधि सेवाकाल के लाभ का विवरण निम्नानुसार है :

(i) सेवा पुरस्कार

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पूरे किए गए सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपए 3500/– के हिसाब से सेवा पुरस्कार की राशि देय होती है।

(ii) अनुकंपा ग्रेच्युटी

सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 50000/– रू की एक–मुश्त राशि अनुकंपा ग्रेच्युटी के रूप में देय होती है।

(iii) कर्मचारी परिवार लाभ योजना

यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है तो उसके आश्रितों को कर्मचारी परिवार लाभ योजना के तहत भुगतान उस तारीख तक देय होता है जो उसकी सेवानिवृत्ति की नोशनल तारीख है। यदि कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के समय तक 20 वर्षों से कम अवधि की सेवा की है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 40 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है तथा यदि कर्मचारी ने 20 वर्ष अथवा इससे अधिक का सेवाकाल पूरा कर लिया है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 50 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है।

(iv) **अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों को विशेष लाभ :** सेवानिवृत्ति पर अधिकारी को 5,00,000/– रू, स्टाफ को 4,00,000/– तथा कामगार को 3,00,000/– रूपए की राशि देय होती है।

लाभ व हानि, अन्य कम्प्रीहेंसिव इनकम(ओसीआई) तथा तुलनपत्र तथा अन्य प्रकटन में दिए गए विभिन्न लाभों की संक्षेप स्थिति निम्नानुसार है :

नेट परिभाषित लाभ देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ देयता	सी.वाई.	98.90	14.44	21.89	4.85	2.15	0.16	4.02
	पी.वाई.	105.48	18.03	23.32	5.70	2.30	0.16	4.00
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	सी.वाई.	87.78	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.	99.20	-	-	-	-	-	-
वित्त पोषित स्थिति / {अधिशेष/(घाटा)}	सी.वाई.		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.		-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	सी.वाई.		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.		-	-	-	-	-	-
नेट परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयताएं)	सी.वाई.	(11.12)	(14.44)	(21.89)	(4.85)	(2.15)	(0.16)	(4.02)
	पी.वाई.	(6.28)	(18.03)	(23.32)	(5.70)	(2.30)	(0.16)	(4.00)

परिभाषित लाभ देयता का चलन

(₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के शुरू में	सी.वाई.	105.48	18.03	23.32	5.70	2.30	0.16	4.00
	पी.वाई.	111.61	16.53	26.01	6.88	2.65	0.16	4.61
चालू सेवा लागत	सी.वाई.	2.97	0.71	0.95	0.17	0.06		
	पी.वाई.	3.20	0.76	0.99	0.19	0.07		
विगत सेवा लागत	सी.वाई.	0.00	-					
	पी.वाई.	0.00	-					
ब्याज लागत	सी.वाई.	7.90	1.37	1.78	0.43	0.18		
	पी.वाई.	8.36	1.26	1.98	0.52	0.20		
प्रदत्त लाभ	सी.वाई.	(28.42)	(12.47)	(4.35)	(1.73)	(0.42)		
	पी.वाई.	(27.43)	(6.01)	(4.08)	(1.74)	(0.54)		
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएल हानि / (लाभ)	सी.वाई.	10.97	6.79	0.19	0.27	0.03	0.00	0.02
	पी.वाई.	9.74	5.49	(1.58)	(0.16)	(0.08)	(0.00)	(0.61)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के अंत में	सी.वाई.	98.90	14.44	21.89	4.85	2.15	0.16	4.02
	पी.वाई.	105.48	18.03	23.32	5.70	2.30	0.16	4.00

योजना परिसंपत्ति का चलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
	31.3.2020	**31.03.2019**
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	99.20	67.64
ब्याज आय	7.50	5.06
नियोक्ता अंशदान	9.51	52.28
प्रदत्त लाभ	(28.42)	(27.43)
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएयल हानि / (लाभ)	(0.00)	1.65
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	87.78	99.20

लाभ व हानि विवरण में शामिल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
वर्तमान सेवा लागत	सी.वाई.	2.97	0.71	0.95	0.17	0.06		
	पी.वाई.	3.20	0.76	0.99	0.19	0.07		
पूर्व सेवा लागत– प्लान संशोधन	सी.वाई.	-	-	-	-	-		
	पी.वाई.	-	-	-	-	-		
सेवा लागत (ए)	सी.वाई.	2.97	0.71	0.95	0.17	0.06		
	पी.वाई.	3.20	0.76	0.99	0.19	0.07		
नेट परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) (बी)	सी.वाई.	0.42	1.37	1.78	0.43	0.18		
	पी.वाई.	3.30	1.26	1.98	0.52	0.20		
अवधि में माने गए नेट एक्चुरियअल (लाभ) / हानि	सी.वाई.	-	6.79	0.19	-	-	0.00	0.02
	पी.वाई.	-	5.49	(1.58)	-		(0.00)	(0.61)
पी एण्ड एल में मानी गई लागत (ए+बी)	सी.वाई.	3.39	8.87	2.92	0.60	0.24	0.00	0.02
	पी.वाई.	6.49	7.51	1.40	0.72	0.27	(0.00)	(0.61)

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डीबीओ अनुभव के कारण एक्चुरिएयल लाभ / (हानि)	सी.वाई.	10.97			0.09	(0.08)		
	पी.वाई.	9.74	-	-	0.15	0.08	-	-
अनुमानित परिवर्तनों के कारण एक्चुएरियल लाभ / (हानि)	सी.वाई.	-	-	-	0.18	0.11	- -	
	पी.वाई.	-	-	-	0.00	0.00	-	-
अवधि के दौरान हुए एक्चुएरियल लाभ / (हानि) (ए)	सी.वाई.	10.97	-	-	0.27	0.03	-	-
	पी.वाई.	9.74	-	-	0.15	0.08	-	-
प्लान परिसंपत्ति पर रिर्टन जो डिस्काउंट रेट से (अधिक) / कम है (बी)	सी.वाई.	(0.01)	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.	(1.65)	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में मानी गई एक्चुएरियल लाभ / (हानि) (ए+बी)	सी.वाई.	10.96	-	-	0.27	0.03	-	-
	पी.वाई.	8.09	-	-	0.15	0.08	-	-

संवेदनशील विश्लेषण

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट	0.50%	(2.28)	(0.37)	(0.50)	(0.09)	(0.05)	-	-
	-0.50%	2.40	0.39	0.53	0.10	0.05	-	-
वेतनवृद्धि दर	0.50%	2.40	0.39	0.53	-	-	-	-
	-0.50%	(2.30)	(0.37)	(0.51)	-	-	-	-

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

अनुमान	ग्रेच्युटी		अनुमान में परिवर्तन	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
	अनुमान में परिवर्तन	(वित्त पोषित)		(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट	1.00%	(4.32)	0.50%	(0.43)	(0.50)	(0.11)	(0.05)	-	
	-1.00%	4.69	-0.50%	0.45	0.53	0.11	0.06	-	
वेतनवृद्धि दर	1.00%	4.11	0.50%	0.46	0.53	-		-	
	-1.00%	(3.83)	-0.50%	(0.43)	(0.51)	-		-	

एक्चुएरियल अनुमान

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
प्रयोग में लाई गई पद्धति	**सी.वाई.**	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट
	पी.वाई.	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट
डिस्काउंट रेट	**सी.वाई.**	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%
	पी.वाई.	7.00%	7.62%	7.62%	7.62%	7.62%	7.62%	7.62%
वेतनवृद्धि दर	**सी.वाई.**	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
	पी.वाई.	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
मृत्यु दर	**सी.वाई.**	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)
	पी.वाई.	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)

संभावित लाभ भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भुगतान वर्ष		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
			(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
1	0 से 1 साल		15.05	2.75	3.62	0.97	0.43	-	-
2	1 से 2 साल		14.59	2.22	3.69	0.80	0.34	-	-
3	2 से 3 साल		10.89	1.64	2.43	0.57	0.38	-	-
4	3 से 4 साल		11.09	1.24	2.74	0.55	0.26	-	-
5	4 से 5 साल		8.16	1.15	1.60	0.39	0.22	-	-
6	5 से 6 साल		6.25	0.74	1.35	0.27	0.32	-	-
7	6 साल से ऊपर		32.86	4.70	6.45	1.30	0.21	-	-

प्लान परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत
बीमाकृत लाभ	100 प्रतिशत

डी) **भविष्य निधि** : कंपनी का योगदान देय वर्ष के दौरान भविष्य निधि और देयताओं के लिए भुगतान किए गए/भुगतान योग्य राशि की पहचान अक्रुएल आधार पर की जाती है। कंपनी का भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान एक्ट, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। जिन शर्तों के तहत छूट दी गई है उनमें प्रावधान है कि नियोक्ता ट्रस्ट द्वारा घोषित की गई ब्याज दर तथा वैधानिक दर में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति में उसकी पूर्ति करेगा । फंड की परिसंपत्तियों तथा किए गए निवेश पर आने वाले रिटर्न को देखते हुए कंपनी को लगता है कि निकट भविष्य में किसी और देयता के उत्पन्न होने की आशा नहीं है।

ई) **सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ** – कंपनी ने वर्ष के दौरान परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए रू 5.09 करोड़ (गत वर्ष रू 5ण्43 करोड़) लाभ व हानि विवरण में शामिल किए हैं।

एफ) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ : 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इनपेशंट इलाज तथा आपीडी इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

ए. वर्ष 2019–20 के लिए देयता की गणना परिभाषित अंशदान योजना के अनुसार दिनांक 1.1.2007 से पूर्व सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए पीबीटी की 1.50 प्रतिशत की दर से तथा दिनांक 1.1.2007 के बाद सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए उनको भुगतान किए गए मूल वेतन, डीए की 4.50 प्रतिशत की दर से की गई है।

बी. वर्ष के दौरान, कंपनी ने फंड के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाया है और योजना के लिए कंपनी देयता के मद्देनजर रूपये 150.00 करोड़ का भुगतान किया है। फंड के संचालन के लिए ट्रस्ट बनने तक के लिए, चालू वर्ष तथा दिनांक 31.3.2020 तक की अवधि के लिए 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत कंपनी की देयता 3.70 प्रतिशत की दर से (गत वर्ष 6.75 प्रतिशत की दर से) अतिरिक्त अंशदान जोडा गया है जो वर्तमान देयता बनती है चूंकि इस वर्ष सेटलमेंट होने वाला है।

सी वर्ष के दौरान कुल रु 8.90 करोड़ (गत वर्ष रु. 15.91 करोड़) लाभ व हानि लेखे में चार्ज किए गए हैं।

41. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–108 के संबंध में प्रकटन : ''ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स''

जैसाकि इंड एएस–108 में परिभाषित किया गया है ''मैनेजमेंट अप्रोच'' के आधार पर चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है तथा बिजनेस सेग्मेंट्स के विभिन्न कार्यनिष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन करता है। तदनुसार प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट के बारे में सूचना दी गई है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों को प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट का राजस्व तथा व्यय रिकार्ड करने के लिए निरंतर इस्तेमाल किया गया है तथा इन्हें महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों में भी शामिल किया गया है। कंपनी के बिजनेस सेग्मेंट हैं :– बहुमूल्य धातुएं, धातुएं, खनिज, कोल तथा हाइड्रोकार्बन, कृषि उत्पाद, उर्वरक तथा अन्य।

सेग्मेंट राजस्व तथा व्यय

सेग्मेंट परिसंपत्तियों में सभी ओपरेटिंग परिसंत्तियां शामिल हैं जिसमें नेट स्थिर परिसंपत्तियां तथा वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम इत्यादि शामिल हैं। कारेपोरेट तथा निर्माण से संबंधित परिसंपत्तियों को अनअलोकेटिड सेग्मेंट्स में शामिल किया गया है। सेग्मेंट देयताओं में संबंधित सेग्मेंट की देयताएं तथा प्रावधान शामिल हैं।

सेग्मेंट राजस्व तथा परिणाम

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	8304.82	719.26	29.47	1341.83	831.23	11100.10	6.04	22332.75
भारत से बाहर	-	109.86	1685.19	-	-	-	7.18	1802.23
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	8304.82	829.12	1714.66	1341.83	831.23	11100.10	13.22	24134.98
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	49.60	17.09	7.31	25.57	(6.88)	37.02	0.82	130.53
भारत से बाहर	-	2.51	47.95	-	-	-	0.22	50.68
कुल सेग्मेंटनल परिणाम अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :	49.60	19.60	55.26	25.57	(6.88)	37.02	1.04	181.21
ब्याज व्यय (नेट)								127.66
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								280.78
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								(227.23)

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	12789.37	1889.24	149.94	1470.71	1432.99	10132.43	5.23	27869.91
भारत से बाहर	-	383.70	704.46	-	-	-	21.37	1109.53
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	12789.37	2272.94	854.40	1470.71	1432.99	10132.43	26.60	28979.44
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	65.03	255.59	16.73	49.86	17.19	29.83	3.79	438.02
भारत से बाहर	-	11.95	23.66	-	-	-	0.64	36.25
कुल सेग्मेंटनल परिणाम अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :	65.03	267.54	40.39	49.86	17.19	29.83	4.43	474.27
ब्याज व्यय (नेट)								61.69
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								293.99
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								118.59

परिसंपत्तियों व देयताओं का सेग्मेंट

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 **सेग्मेंट परिसंपत्तियां**								
परिसंपत्तियां	267.73	(222.48)	173.17	3539.98	221.71	1561.20	503.90	6045.21
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								534.95
कुल परिसंपत्तियां								6580.17
ए.02 **सेग्मेंट देयताएं**								
देयताएं	188.05	82.49	218.30	497.55	287.16	1349.65	27.77	2650.97
अनअलोकेटिड देयताएं								2745.05
कुल देयताएं								5396.02

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 **सेग्मेंट परिसंपत्तियां**								
परिसंपत्तियां	323.18	2486.00	215.62	387.99	73.76	64.06	448.33	3998.95
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								455.82
कुल परिसंपत्तियां								4454.77
ए.02 **सेग्मेंट देयताएं**								
देयताएं	256.61	149.42	224.15	765.51	73.14	326.24	14.45	1809.52
अनअलोकेटिड देयताएं								1156.00
कुल देयताएं								2965.52

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

बाहरी एकल ऐसे ग्राहकों, जिनके साथ हुए लेनदेन में कंपनी को कुल राजस्व का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, के बारे में सूचना नीचे दी गई है।

प्रमुख ग्राहक (ग्राहक जिसका 10 प्रतिशत से अधिक राजस्व है)	2019–20	2018–19
कुल राजस्व	11076.02	10096.53
ग्राहकों की संख्या	1	1
कुल राजस्व का प्रतिशत	45.89%	34.84%
उत्पाद सेग्मेंट	उर्वरक	उर्वरक

42. भारतीय लेखा मानक 24"संबंधित पार्टी प्रकटन" के संबंध में प्रकटन

42.1 गैर–सरकारी संबंधी संगठन के लिए प्रकटन

ए. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों की सूची

नाम	पदनाम
1. श्री वेद प्रकाश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक (29.02.2020 तक)
2. श्री सुधांशु पांडे	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (01.03.2020 से 13.05.2020 तक)
3 श्री संजय चड्ढा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (14.05.2020 से)
4. श्री उमेश शर्मा	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी) (31.05.2020 तक)
5. श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी) (01.06.2020 से)
6. श्री अश्वनी सोंधी	निदेशक
7. श्री जे. रवि शंकर	निदेशक (04.07.2018 से)
8. श्री आर. आर. सिन्हा	निदेशक (कार्मिक), (19.06.2019 से)

बी) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

सी) संयुक्त उद्यम

1. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
2. फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
3. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
4. एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
5. सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड

डी. सरकार तथा इससे संबंधित संगठन

1. भारत सरकार के पास कंपनी के 89.93 प्रतिशत इक्विटी शेयर्स हैं तथा उसका कंपनी पर नियंत्रण है।
2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण है।

ई. रोजगारोपरांत लाभ योजना

1. एमएमटीसी लिमिटेड सीपीएफ ट्रस्ट
2. एमएमटीसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट
3. एमएमटीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति ट्रस्ट
4. एमएमटीसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट

एफ. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों के लिए मुआवजा (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ	1.87	2.05
पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स	0.39	0.38
अन्य दीर्घावधि लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
ट्रमिनेशन लाभ	-	-
कुल	**2.26**	**2.43**
वर्ष के दौरान ऋणों व अग्रिमों की वसूली	0.01	0.01
वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम		
31.03.2020 को ऋणों व अग्रिमों का अंतिम शेष	0.00	0.01

जी. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		अन्य	
	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19
माल एवं सेवाओं की बिक्री	-	-	13.56	1.07	-	-	109.03	250.39	837.75	1319.46	-	-	-	-
कच्चे माल / वस्तु तथा सेवाओं की खरीद	-	-	78.98	213.91	-	-	92.22	367.98	935.48	2012.71	-	-	-	-
कंपनी की ओर से भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.18	105.33
अन्य लेन–देन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.67	-	-	179.96	23.99

एच. वस्तु / सेवाओं की बिक्री / खरीद से उत्पन्न बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19
देय व्यापार	0.02	0.02	-	-	-	-	12.37	7.72	1.59	1.46	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	(1.05)	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-
अन्य देय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	-	-	-	-	4.31	0.22	-	-	-	-

आई. संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम में दिया गया ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त / समायोजित अदायगी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जे. संयुक्त उद्यमों को दिए गए अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		कांडला फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	
	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19
दिए गए अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	3,221.00	2,594.56	-	-	-	-	-	-

के. आईएण्डडी एस 27 के अनुसार, अलग वित्तीय विवरण का प्रक्ट्न

ए) सहायक में निवेश

कंपनी का नाम	संयोजन का देश	स्वामित्ववाली कंपनी व्याज का प्रतिशत	
		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड	सिंगापुर	100%	100%

बी) संयुक्त उद्यम में निवेश

कंपनी का नाम	संयोजन का देश	स्वामित्ववाली कंपनी व्याज का प्रतिशत	
		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	भारत	50	50
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	भारत	26	26
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	भारत	26	26
एमएमटीसी गीताजंलि लि.	भारत	26	26
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	भारत	49.78	49.78

एल. केएमपी को ऋण

विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	0.01	0.02
दिया गया अग्रिम ऋण	-	-
प्राप्त अदायगी	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-
प्राप्त ब्याज	0.01	0.01
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	0.00	0.01

एम. संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण अल्पावधि के होते हैं तथा केएमपी को दिए गए वेलफेयर अग्रिम की प्रकृति के होते हैं। इन पर लिया जाने वाला ब्याज समय–समय पर प्रचलित बाजार दरों पर होता है।

एन. सरकार तथा सरकारी संगठनों के साथ हुए लेन–देन का प्रकटन

क्र. सं.	सरकार/सरकारी संगठन का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	मूल्य (रुपए)	बकाया शेष	
					प्राप्य	देनदारियां
1	उर्वरक विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की बिक्री	11076.02	1534.52	0.00
2	उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	दालों का आयात	92.99	94.54	0.56
3	भारत सरकार के अन्य विभाग	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	917.81	1.08	8.13
4.	सीपीएसईज	भारत सरकार के माध्यम से	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	1732.89	21.97	186.56

42.2 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–116 "लीज" के संबंध में प्रकटन

42.3 पट्टेदार के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1	संपत्ति के उपयोग के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.43	0.05
2	पट्टे देनदारी पर ब्याज खर्च	0.55	0.18
3	अल्पावधि पट्टे पर खर्च	-	-
4	कम मूल्य संपत्ति पर खर्च	-	-
5	पट्टा देनदारी के माप खर्च रहित विभिन्न पट्टा भुगतान से संबंधित खर्च	-	-
6	संपत्ति उपयोग के पट्टा उधार अधिकार से प्राप्त आय	-	-
7	पट्टे के लिए नकद का कुल बर्हिगमन	0.90	0.21
8	संपत्ति के उपयोग के अधिकार के अलावा	2.71	-
9	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति के उपयोग के अधिकार के कैरिंग राशि	4.47	0.94

पट्टे देनदारी की परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	0.68	0.35
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	2.99	1.40
5 वर्षों के बाद	28.47	3.44

सी) कंपनी अपने व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए संपत्ति के उपयोग के अधिकार का प्रयोग कर रही है।

डी) आईएण्डडी एएस – 116 (पट्टे) के प्रावधान के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से, कम अवधि वाले पट्टे (12 महीने या उससे कम समय के लिए) और पट्टे जिसकी परिसंपत्ति कम मूल्य रू. 1,00,000 / – प्रति महीने और रूपये 12,00,000 / – प्रति वर्ष तक के हैं मान्य नहीं किए जाते हैं।

42.4 पट्टादाता के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़

- **रद्द न किए जाने वाले आपरेटिंग पट्टों के तहत भावी न्यूनतम लीज़ प्राप्य**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	1.50	0.08
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	5.39	0.03
5 वर्षों के बाद	-	-

43. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–33 "प्रति भोयर अर्जन(ईपीएस)" के संबंध में प्रकटन

ए. बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस

बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस तथा बेसिक ईपीएस की गणना में साधारण शेयरों की संख्या में निम्नलिखित औसत आय व अधिमान अपनाया गया :

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के स्वामियों को वर्ष के दौरान हुए लाभ (हानि)	(227.11)	81.43
प्रतिशेयर बेसिक आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की वेटिड औसत	1,500,000,000	1,500,000,000
बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस	(1.51)	0.54

44. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

प्रावधान के विवरण	01.04.19 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	31.03.20 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	0.03	0.03	0.04	0.04
बोनस / पीआरपी	22.73	1.68	0.06	21.11
मुकदमेबाजी निपटान के लिए प्रावधान	-	(4.47)	6.91	11.38

45. सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के विवरण, जिनके बकाये के 31 मार्च, 2020 के अनुसार कंपनी देनदार है, निम्न है :

(₹ करोड़ में)

		2019-20	2018-19
a)	(i) लेखा–वर्ष की समाप्ति में किसी आपूर्तिकर्ता की शेष अदत्त मूलधन राशि	0.17	6.86
	(ii) उपरोक्त पर देय व्याज	-	-
	कुल (i) और (ii) (नोट 18 व 19 के अंतर्गत सम्मिलित)	0.17	6.86
b)	कानून की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई व्याज की राशि	-	-
c)	भुगतान करने में विलंब अवधि के लिए देय व्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान अंतिम तिथि के बाद किया गया है) परंतु कानून के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए व्याज को बिना जोड़े किया गया है	-	-
d)	प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर प्रोद्भूत और शेष देय ब्याज राशि	-	-
e)	अनुवर्ति वर्षों में भी आगे का व्याज की राशि शेष और भुगतान करना है, कानून की धारा 23 के अंतर्गत कटौती की गई खर्च की अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए जब तक लघु उद्यम को उक्त व्याज राशि वास्तविक में भुगतान किया गया है।	-	-

46. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–115 'ग्राहकों के साथ हुई संविदा से राजस्व' के बारे में प्रकटन
प्रकटन

ए (1) ग्राहकों के साथ संविदाएं

ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से निम्नलिखित को प्राप्त राजस्व माना है: –

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	24051.99	28288.27
सेवाओं की बिक्री	4.06	4.55
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	89.25	462.68
–सब्सिडी	-	-
–अर्जित डिस्पैच	-	-
–अन्य व्यापार आय	(10.32)	223.94
कुल	**24134.98**	**28979.44**

बी. कंपनी ने ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि अथवा ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली संविदा परिसंपत्तियों के विरूद्ध होने वाली हानि की राशि माना गया है, जो निम्नानुसार है:–

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
हानि	-	0.03

(ii) राजस्व का विभाजन

कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट की खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, कृषि उत्पादों, कोल व हाईड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार/अन्य के रूप मे पहचान की है। ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से अर्जित हुए सेग्मेंटवाइज राजस्व तथा उसका कुल राजस्व में अनुपात निम्नानुसार है:–

		कुल राजस्व का प्रतिशत		कुल राजस्व का प्रतिशत
बहुमूल्य धातुए	8304.82	34.41%	12789.37	44.13%
धातुएं	829.12	3.44%	2272.94	7.84%
खनिज	1714.66	7.10%	854.40	2.95%
कोल व हाइड्रोकार्बन	1341.83	5.56%	1470.71	5.08%
कृषि उत्पाद	831.23	3.44%	1432.99	4.94%
उर्वरक	11100.10	45.99%	10132.43	34.96%
अन्य	13.22	0.05%	26.60	0.09%
कुल	**24134.98**	**100%**	**28979.44**	**100%**

(iii) संविदा शेष

(ए) प्राप्य

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक शेष	669.04	744.80
वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी	1645.29	(75.76)
अंतिम शेष	**2314.32**	**669.04**

बी) संविदा परिसंपत्तियां

कंपनी संविदा परिसंपत्तियों की पहचान तब करती है जब इसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि इसने ग्राहक को माल अथवा सेवाओं के ट्रांसफर करने के दायित्व को पूरा कर दिया है तथा प्रतिफल के प्राप्त होने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है। इसके लिए कंपनी को प्रतिफल प्राप्त होने से पूर्व कुछ शर्ते पूरी करनी होती है। एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी को अपने ग्राहकों को उस माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करना होता है जिसके लिए इसने अपनी वचनबद्धता दी है। कंपनी की ऐसी कोई देयता नहीं है जिसको इसने पूरा नहीं किया है।

सी) संविदा देयताएं

ग्राहकों के साथ संविदा हो जाने के बाद कंपनी को ग्राहकों से प्राप्त होने वाली ईएमडी, सिक्युरिटी डिपोजिट, मार्जिन राशि, कस्टम डयूटी इत्यादि के भुगतान के लिए एडवांस को 'अन्य वित्तीय देयताएं तथा अन्य देनदारियों के अंतर्गत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक शेष	361.95	288.44
जोड़ें :वर्ष के दौरान वृद्धि	132.83	146.39
घटाएं: कटौती (रिफंड/समायोजन)	188.70	14.39
घटाएं: राजस्व जिसे वर्ष के दौरान आरंभिक शेष का हिस्सा माना गया है	93.85	58.49
अंतिम शेष	**212.24**	**361.95**

वर्ष के दौरान पूर्व अवधि से संबंधित ग्राहकों को डेबिट/क्रेडिट नोट्स बनाकर कार्यनिष्पादन की देयता को पूरा किया हुआ दिखाकर राजस्व की प्राप्ति 'शून्य' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रूपए) दर्शाया गया है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान डिस्काउंट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य छूट, कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन बोनस इत्यादि की राशि राजस्व में शून्य'' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) माना है जिसके लिए संविदा राजस्व के विरूद्ध शून्य'' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) का समायोजन किया है।

(डी) व्यावहारिक दृष्टिकोण

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ कुछ ऐसी बिक्री संविदाएं की है जिनके कुछ हिस्से का निष्पादन किया जाना शेष है, इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार की संविदा की अवधि एक वर्ष से कम है अथवा प्रतिफल की प्राप्ति का अधिकार कंपनी द्वारा परफार्मेंस पूरी करने के बाद उत्पन्न होगा।

बी. इस मानक के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण निर्णय

(1) कंपनी द्वारा राजस्व की पहचान उस स्थिति में की जाती है जब कंपनी अपने ग्राहकों के साथ किए गए वादे के अनुसार माल अथवा सेवा देने के कार्य को पूरा करती है। परिसंपत्ति/माल सेवाओं को तब ट्रांसफर किया हुआ माना जाता है जब ग्राहक संबंधित परिसंपत्ति/माल/सेवाओं पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

(2) कंपनी अपने लेन देन के मूल्य का निर्धारण अनुबंध की शर्तों तथा परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार करती है। लेन देन का मूल्य वह प्रतिफल होता है जो एक कंपनी ग्राहक को वादे के अनुसार माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करने के बाद अधिकार प्राप्त करती है। इस मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से प्राप्त की गई राशि(उदाहरणार्थ जीएसटी इत्यादि) शामिल नहीं होती है ।

(3) ग्राहक के साथ तय की गई संविदा में तय किए गए प्रतिफल की राशि निश्चित अथवा परिवर्तनशील अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि इसमें किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए ग्राहक के नाम पर डेबिट/क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिफल की स्थिति में लेनदेन मूल्य पर पडने वाले प्रभाव का निर्धारण करते समय परिवर्तनशील प्रतिफल के अनुमान संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय कम्पोनेंट, गैर नकदी प्रतिफल तथा ग्राहक को देय प्रतिफल पर भी विचार किया जाता है।

(4) वर्ष के दौरान संविदा के मूल्य में कुछेक समायोजन किए गए हैं जो राशि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष महत्व के नहीं है।

सी. ग्राहक के साथ की गई संविदा को प्राप्त करने अथवा उसे पूरा करने की लागत को परिसंपत्ति माना गया।

एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि निश्चित प्रकृति की होती है अतः ग्राहक के साथ की जाने वाली संविदा अथवा संविदा के दायित्व को पूरा करने में इस राशि में कोई बढोत्तरी नहीं होती है। इस स्थिति में एक प्रेक्टिकल दृष्टिकोण के तहत लाभ तथा हानि विवरण में शमिल किया जाता है।

47. कुछ व्यापार प्राप्यों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार तथा अन्य देयों के शेष के बारे में पुष्टि/रिकंसिलिएशन किया जाना है तथा इनके पड़ने वाले प्रभाव को समायोजित किया जाना है। रिकंसिलिएशन ऑन–गोइंग आधार पर की जाती हैं। जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है प्रावधान किए गए हैं। तथापि मैनेजमेंट को लगता है कि इस प्रकार की लंबित पुष्टि/रिकंसिलिएशन का कोई विशेष वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

48. लोक उद्यम विभाग (भारत सरकार) के दिशानिर्देशों के अनुसार रूपए 2000/– प्रतिमाह का भुगतान करने पर पूर्ण–कालीन निदेशकों को 1,000 किलो मीटर प्रतिमाह तक निजी प्रयोग के लिए स्टाफ कार का प्रयोग करने की अनुमति है।

49. कंपनी के व्यवसाय पर कोविड – 19 का भौतिक प्रभाव –

कोविड–19 महामारी के कारण भारत सरकार कोविड–19 के संक्रमण को रोकने के लिए समय–समय पर बंदी की घोषणा करती रही। यह महामारी कंपनी के व्यवसाय को प्रभावित किया है जो कि कंपनी के लाभ साथ ही नकदी को प्रभावित किया है। इसके कारण कंपनी अधिनियम, 2013 और एलओडीआर 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के पालन में देरी हुई है। एमएमटीसी लिमिटेड सात व्यवसाय भागों में बहुमूल्य धातुएँ, खनिजों, कोल और हाइड्रोकार्बन, कृषि उत्पादों, उर्वरकों और सामान्य व्यापारध अन्य व्यापार कर रहा है। कोविड – 19 के कारण निम्न व्यापार प्रभावित हुए हैं –

(i) कोविड–19 की वजह से उत्पन्न परिस्तिथियों के कारण आदमी और खनिज की गतिविधि बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस महामारी के कारण कुछ इंटाइटिज जो कि बहुत कम क्षमता पर कार्य किया जो कि इन कंपनियों में लौह अयस्क निर्यात को प्रभावित किया है। मैगनजी अयस्क जैसे कुछ वस्तुएँ के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में भारी गिरावट आई जिससे इनके निर्यात अलाभकारी हो गया।

(ii) इस परिस्थिति और कीमत में निरंतर उतार–चढ़ाव के कारण ग्राहक आयात सामग्री बुक करने के अनिच्छुक है। नामिकागत आपूर्तिकर्ता प्रतिबद्ध परेषण को भेजने में सक्षम नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है।

(iii) बहुमूल्य धातुओं में डीटीए और एसईजेड में सोना और चाँदी की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई है।

(iv) अन्य व्यापार कीमत में उतार – चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से प्रभावित होने के कारण नये ऑडर्स प्राप्त नहीं हो पाया। नये बाजार का अन्वेषण किया जा रहा है।

50. संलग्न लेखा नीतियां तथा नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है ।

51. कंपनी ने वर्श के दौरान लेखांकन नीतियों में कुछ परिवर्तन किए हैं जो निम्नानुसार हैं :

(i) लेखांकन नीति संख्या 2.1 वर्ड ''वित्तीय विवरण के विवरण का पालन और तैयार करने के आधार'' को ''वित्तीय विवरण ऑन गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किया गया है'' जोड़ने के लिए बदल दिया गया है।

(ii) लेखांकन नीति संख्या 2.2 ''कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा'' वर्ड ''वित्तीय विवरण भारतीय रूपये (2 डिसीमल तक) के करोड़ में रिपोर्ट किए जाते हैं'' जोड़ने के लिए बदल दिया गया है।

(iii) लेखांकन नीति सं. 2.5 ''संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों'' के अनुसार क्रय के वर्ष में सीधे राजस्व वसूलने के लिए प्रत्येक कम कीमत वस्तुओं वाले के लिए 2000/– मुद्रा तक निश्चित करने के लिए बदल दिया गया है। यद्यपि इसके कारण कंपनी के वित्त पर वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iv) लेखांकन नीति सं. 2.6 ''परिसंपत्तियां'' परिसंपत्तियों के कम कीमत वाली वस्तुओं के 2000/– प्रत्येक के मुद्रागत सीमा तक निश्चित करने के लिए बदल दिया गया है और शोध और विकास से परिसंपत्तियों की बढ़ोत्तरी की पहचान होगी। यद्यपि इसके कारण कंपनी के वित्त पर वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

(v) लेंखांकन नीति सं. 2.8 ''मूल्यह्रास'' मूल्यह्रास से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कम कीमत वाली वस्तुओं के खाता ट्रीटमेंट में बदल दिया गया है।

(vi) लेखांकन खाता सं. 2.15 ''पट्टे'' आईएण्ड एएस 116 ''पट्टे'' को अपनाने से 01.04.2019 के प्रभाव से बदल गया है। कंपनी ने अथ प्रतिधारित आय के समायोजन के संचयी प्रभाव के साथ मानक भूतलक्षतापूर्वक अपनाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, अथ प्रतिधारित आय से 3.09 करोड़ रूपये की राशि समायोजित किया गया है।

(vii) लेखांकन नीति सं. 2.16 ''कर्मचारी लाभ'' योजना संशोधन, कर्टलमेंट और समायोजन के लिए लेखांकन के लिए आईएंड एएस – 19 ''कर्मचारी लाभों'' में संशोधन को सम्मिलित करने के लिए बदल दिया गया है।

(viii) लेखा खाता सं. 2.17 ''कर–निर्धारण'' लाभांश वितरण कर और आयकर की लेखा अनिश्चित्ता में सुधार के लिए आईएण्डडी एस – 12 ''आयकरों'' को सम्मिलित करने के लिए बदल दिया गया है।

(ix) लेखा खाता सं. 2.21 ''वित्तीय साधन'' वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं जहाँ कंपनी को ऑफसेट का कानूनी अधिकार है और नेट आधार पर समायोजित करने की इच्छा है के ऑफसेटिंग नियमों को शामिल करने के लिए बदल दिया गया है।

ऊपरोक्त बदलाव उद्धृत उपरोक्त के अलावा कंपनी के वित्तीय पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं डाला है।

52. वित्तीय विवरणों में प्रति शेयर डेटा को छोड़कर सभी राशियों को करोड़ रूपए में (दो दशमलव तक) में दर्शाया गया है तथा जंहा कही ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है। संभव है कि कुछ राशियों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में न किया गया हो चूंकि उन्हें करोड़ रूपए में राउंड ऑफ किया गया है। जहां आवश्यक समझा गया वहां पर गत वर्ष के आंकड़ों को रिग्रुप/रिअरेंज्ड किया गया है।

53. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इन्हें दिनांक 31.07.2020 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफण्आर सं.00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 08751137

दिनांक : 31.07.2020
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(संजय चड्डा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

PURITY 92.5 GUARANTEED
Purity that glows
with the sparkle of artistry...
SANCHI
SILVER IN STYLE
Take home a piece of exclusive Sanchi silverware
• Decorative Items • Utility Items • Table Accessories • Religious Items •
For all your silverware purchases, visit MMTC's showrooms in Delhi at:
MMTC Limited, Core 1, SCOPE Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110003, Ph.: 011-24365805 | MMTC Limited, F-8-11, Jhandewalan Flatted Factories Complex, Rani Jhansi Road, New Delhi - 110055, Ph.: 011-23513793/23542293 | MMTC Showroom, Cross River Mall, G-41, Ground Floor, CBD Ground, Shahdara, Delhi - 110032 Ph.: 011-42111877
Items may differ, subject to availability of stock.
एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value
SHARAD
For enquiries, call our All-India Toll Free No. 1800 1800 000 (9 am to 9 pm) or visit www.mmtclimited.com
MMTC.LTD
mmtc_ltd
mmtc_ltd/

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
वित्तीय विवरण

(कंपनी पंजीकरण संख्या 199407265)

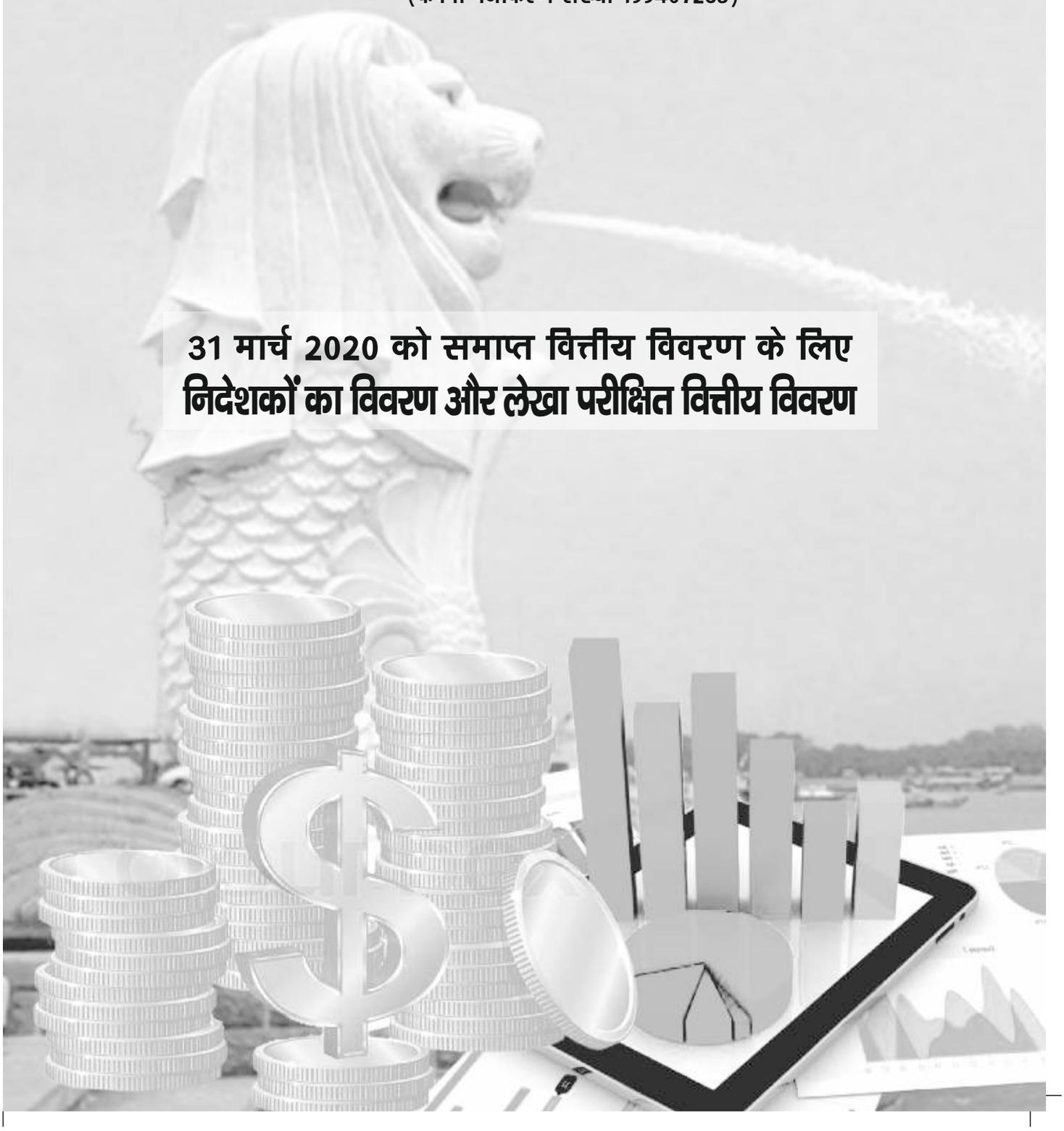

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय विवरण के लिए निदेशकों का विवरण और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)

निदेशकों का कथन
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकगण 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड(कंपनी) के अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ सदस्यों को अपनी विवरण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

1. निदेशकों की राय

निदेशकों की राय से

(प) वित्तीय विवरण कंपनी की 31 मार्च 2020 की सही व वास्तविक वित्तीय स्थिति दर्शातें हैं तथा वित्तीय निष्पादन में कवर की गई अवधि के दौरान कंपनी की इक्विटी तथा कैश फ्लो में हुए परिवर्तन को दर्शाते हैं; तथा

(पप) इस स्टेटमेंट की तारीख को इस बात की पुष्टि के पर्याप्त आधार हैं कि कंपनी अपने ऋणों का, जब कभी वे देय होंगें, भुगतान करने में सक्षम हैं ।

2. निदेशकगण

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को निम्नलिखित निदेशक कार्यरत हैं –

अश्विनी सोंधी
देवाशीष नायक
राजीव रंजन सिन्हा (3 दिसम्बर 2019 को नियुक्त)
रवि शंकर जनार्धन
थिम्मासारथी श्रीनिवास राव

3. निदेशकों द्वारा शेयर और डिबेंचर अधिग्रहण करने हेतु व्यवस्था

कंपनी ने न तो वित्तीय वर्ष के अंत में और न ही वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी किसी भी व्यवस्था में हिस्सा लिया जिसका उद्देश्य कंपनी के निदेशकों को कंपनी या अन्य किसी कारपोरेट संस्था के शेयर या डिबेंचर अर्जित करके लाभ पहुंचाया जाना हो।

4. शेयर अथवा डिबेंचरों में निदेशकों का हित

सिंगापुर कंपनीज अधिनियम, चेप्टर 50 (अधिनियम) की धारा 164 के अंतर्गत निदेशकों की शेयर हिस्सेदारी रजिस्टर के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में पद पर रहते हुए किसी भी निदेशक का कंपनी या संबंधित निगमों के शेयरों अथवा डिबेंचरों में हिस्सेदारी नहीं थी और वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में या के अंत में और निगम से संबद्ध है।

5. शेयर विकल्प

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए विकल्प नहीं दिया गया।

विकल्प व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए कोई शेयर जारी नहीं किए गए।

वित्तीय वर्ष के अंत तक विकल्प के अंतर्गत कंपनी के जारी न किए गए शेयर उपलब्ध नहीं थे।

6. स्वतंत्र लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक टीकेएनपी इंटरनेशनल पब्लिक एकाटेंटस एंड चार्टर्ड एकाउटेंट ऑफ सिंगापुर ने लेखा परीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्ति स्वीकार करने की इच्छा जताई है।

निदेशकों की ओर से

थिम्मा सारथी श्रीनिवास राव
निदेशक

देवाशीष नायक
निदेशक

तिथि: 8 जुलाई 2020

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के शेयरधारकों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अंकेक्षित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति का विवरण, लाभ व हानि विवरण और अन्य व्यापक आय, इक्विटी व परिवर्तन, नगद प्रवाह विवरण शामिल हैं और इसमें वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखा–नीतियों का संक्षिप्त विवरण है। हमारे मत से संलग्न वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, चेप्टर 50 (अधिनियम) के अनुसार उचित रूप से और सिंगापुर में वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (एफआरएसएस) के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं ताकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इस दिन कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नगद प्रवाह की सत्य एवं साफ स्थिति प्रस्तुत की जा सके।

हमारे विचार में एमएमटीसी ट्रांसनैशनल पीटीई लि. (''दि कंपनी'') के वित्तीय विवरण कंपनीज एक्ट, चैप्टर 50(''दि एक्ट'') तथा सिंगापुर के वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (''एफआरएसज'') के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार से तैयार किए गए हैं कि ये 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन, इक्विटी तथा कैश फ्लो में परिवर्तन की सत्य तथा सही स्थिति दर्शा सके।

मत का आधार

हमने लेखापरीक्षा से संबंधी सिंगापुर मानकों (''एसएसएज'') के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत आने वाली जिम्मेदारियों का वर्णन हमने अपनी इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षक की जिम्मदारियां भाग में किया है। हम कंपनी से स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं हम एकाउंटिंग एंड कारपोरेट रेगुलेटरी अथारिटी (एसीआरए) कोड आफ प्रफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स फार पब्लिक एकाउटेंटस एंटिटीस (एसीआरएकोड) के अनुसार हम केंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं नैतिक जरूरत जो सिंगापुर में हमारे वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए तर्कसंगत है के साथ लेखापरीक्षा करते हैं और इन अपेक्षाओं और एसीआरए कोड के अनुसार नैतिक दायित्वों को भी पूरा करते हैं। हमारा विश्वास है कि हमने आडिट के जो साक्ष्य जुटाए हैं वे हमारे मत निर्माण के लिए पर्याप्त व उचित हैं ।

अन्य सूचना

अन्य सूचनाओं के लिए प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशकों का कथन पृष्ठ 1 से 2 तक शामिल है ।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना कवर नही होती है तथा हम उन पर अपना आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी आडिट के मामले में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते समय हमने यह देखना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों अथवा आडिट से प्राप्त हमारे ज्ञान के असंगत है अथवा अन्य किसी तरह से गलत रूप में प्रस्तुत की गई है। अन्य सूचना पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हमारे निष्कर्ष में यह पता चलता है कि इस अन्य सूचना में कोई तथ्य गलत तरह से प्रस्तुत किया गया है तो उस स्थिति में हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना होता है। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं करनी है।

अन्य मामले

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तरीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक फर्म ने की है जिसने उन विवरणों पर 22 मई 2019 को असंशोधित राय व्यक्त की है!

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशकों की जिम्मेदारियां

प्रबंधन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम और एफआरएस के प्रावधानों के अनुसार एक सत्य एवं सही स्थिति व्यक्त करता है, और आंतरिक लेखा नियंत्रण की एक प्रणाली को तैयार करने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त है जो कि परिसंपत्तियों के नुकसान, अनधिकृत उपयोग से सुरक्षित है। साथ ही लेनदेन को उचित प्रकार से अधिकृत किया गया है और उन्हें ठीक से रिकार्ड किया जाता है ताकि उनसे सही और सत्य वित्तीय विवरण तैयार किए जा सके और परिसंपत्तियों की सुरक्षा के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वह कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करे कि कंपनी एक गोइंग कंसर्न है तथा गोइंग कंसर्न से संबंधित मान्य सूचनाओं का खुलासा करे तथा अकाउंटिंग के लिए गोइंग कंसर्न के नियमों का अनुपालन करे। इन सबका पालन तब तक करे जब तक कि मैनेजमेंट कंपनी को बंद करने अथवा परिचालन बंद करने की न सोच रही हो अथवा इसके अलावा कोई विकल्प न बचा हो।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशकों की जिम्मेदारी में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी शामिल है ।

वित्तीय विवरणों की ऑडिट के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

आडिट के लिए हमारा उद्देश्य ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरणों में किसी भी सूचना अथवा तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है चाहे इसमें कोई धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि हो। साथ ही हमें एक आडिटर की रिपोर्ट जारी करनी होती है जिसमें हमें अपना मत शामिल करना होता है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएसए के अनुसार की गई ऑडिट हमेशा ही किसी महत्वपूर्ण गलत सूचना तथा तथ्य के मौजूद होने की स्थिति में उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा सामुहिक तौर पर इन सूचनाओ तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाता है तो इससे निर्णय प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।

एसएसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेने और लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत तथ्यों के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, तथा ऐसी आडिट प्रक्रिया बनाए और अपनाए जो इन जोखिमों का सामना कर सके। साथ ही ऐसे आडिट साक्ष्य जुटाएं जो हमारे मत को बनाने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त आधार प्रदान करते हों। धोखाधड़ी का पता लगने के कारण उत्पन्न होने वाला जोखिम त्रुटि के कारण होने वाले जोखिम की तुलना में बड़ा है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतिकरण, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिटिंग प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें, लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर कोई राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा गोइंग कंसर्न के उपयोग की उपयुक्तता पर विचार करना और, लेखा परीक्षा के सबूतों के आधार पर, चाहे एक अनिश्चितता घटना या स्थिति से संबंधित है, जो कंपनी की गोइंग कंसर्न के जारी रखने की क्षमता पर संदेह पैदा कर सकती है। अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित लेखापरीक्षा के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि यह खुलासा अपर्याप्त है, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के चलते कंपनी को गोइंग कंसर्न को बंद करना होगा।
- वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण, स्ट्रक्चर तथा खुलासे का मूल्यांकन करना होता है तथा यह भी देखना होता है कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन तथा घटनाओं को सही प्रकार से प्रस्तुत करते हैं ।

हम निदेशकों के साथ अन्य बातों के साथ–साथ योजनाबद्ध क्षेत्र और लेखापरीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है, तो उसकी पहचान हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हमारी राय में, एक्ट द्वारा अपेक्षित अकाउंटिंग तथा अन्य रिकार्ड का रखरखाव कंपनी ने एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किया है।

इस स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट में आडिट परिणाम के लिए पार्टनर ओंग लीन वान को शामिल किया गया है।

टीकेएनपी इंटरनेशनल

पब्लिक एकाउंटस एंड चार्टर्ड एकाउटेंटस

सिंगापुर

तिथि : 8 जुलाई 2020

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय स्थिति का विवरण
31 मार्च, 2020 को

	टिप्पणी	2020 अमेरिकी डालर	2019 अमेरिकी डालर
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	**5,130**	7,241
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	5	**87,859**	-
अन्य परिसंपत्तियां	6	**26,969**	4,881
		119,958	12,122
चालू परिसंपत्तियां			
नगद और नगद समकक्ष	7	**14,139,152**	11,434,436
व्यापार और अन्य प्राप्य	8	**18,530,582**	22,976,853
इंवेन्ट्री		**-**	19,552
अन्य परिसंपत्तियां	6	**-**	14,274
		32,669,734	34,445,115
कुल परिसंपत्तियां		**32,789,692**	34,457,237
देयताएं और इक्विटी			
चालू देयताएं			
व्यापार और अन्य देय	9	**3,710,149**	16,450,875
ऋण	10	**15,589,023**	5,716,873
लीज देयाता	11	**88,966**	-
आयकर खर्चे		**144,964**	-
		19,533,102	22,167,748
इक्विटी			
शेयर पूंजी	12	**1,000,000**	1,000,000
रिटेंड अर्निंग		**12,256,590**	11,289,489
		13,256,590	12,289,489
कुल देयताएं और इक्विटी		**32,789,692**	34,457,237

कृप्या संलग्न वित्तीय विवरण की टिप्पणी देखें

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)

लाभ अथवा हानि और व्यापक आय विवरण
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2020 अमेरिकी डालर	2019 अमेरिकी डालर
राजस्व आय	13	**333,596,463**	154,120,379
अन्य आय	14	**1,275,755**	549,635
विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर		**(815)**	(832)
व्यय और लागत			
– कमोडिटी की खरीद		**323,673,503**	152,450,867
– भाड़ा लागत		**8,291,442**	979,650
– कर्मचारी मुआवजा	15	**697,122**	458,633
– परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	4	**2,422**	1,938
– परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास	5	**87,860**	-
– बैंक चार्जेज		**478,769**	30,661
– वित्तीय व्यय	16	**448,113**	273,800
– किराया व्यय – प्रचालन लीज		**-**	92,073
– अन्य व्यय	17	**80,107**	106,747
		(333,759,338)	(154,394,369)
पूर्व लाभ		**1,112,065**	274,813
आयकर व्यय	18	**(144,964)**	-
वर्ष के लिए लाभ जो वर्ष के लिए कुल व्यापक आय को दर्शाता है		**967,101**	274,813

	शेयर पूंजी	रिटेंड लाभ	योग
	अमेरिकी डालर	अमेरिकी डालर	अमेरिकी डालर
1 अप्रैल, 2018 को	1,000,000	11,014,676	12,014,676
वर्ष के लिए लाभ वर्ष की कुल व्यापक आय को दर्शाता है	-	274,813	274,813
31 मार्च 2019 को	1,000,000	11,289,489	12,289,489
1 अप्रैल 2019	1,000,000	11,289,489	12,289,489
वर्ष के लिए लाभ वर्ष की कुल व्यापक आय को दर्शाता है	-	967,101	967,101
31 मार्च 2020 को	1,000,000	12,256,590	13,256,590

वित्तीय विवरण की संलग्न टिप्पणी देखें

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)

नगद प्रवाह विवरण
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2020 अमेरिकी डालर	2019 अमेरिकी डालर
प्रचालन कार्यकलापों से नगद प्रवाह			
कर पश्चात लाभ		**1,112,065**	274,813
के लिए समायोजनः			
परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण में मूल्यह्रास	4	**2,422**	1,938
परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार में मूल्यह्रास	5	**87,860**	-
ब्याज खर्चे	16	**448,113**	273,800
ब्याज आय	14	**(567,650)**	(494,643)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		**1,082,810**	55,908
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन			
इन्वेंट्रीज में कमी		**19,552**	5,670
व्यापार एवं अन्य प्राप्य में कमी/(वृद्धि)		**4,446,271**	(10,382,325)
अन्य परिसंपत्तियों में/(वृद्धि) कमी		**(7,814)**	7,623
व्यापार एवं अन्य देय में कमी/(वृद्धि)		**(12,740,726)**	4,330,412
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नगदी		**(7,199,907)**	(5,982,712)
निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
प्राप्त ब्याज		**567,650**	306,708
परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद	4	**(311)**	(8,945)
अन्य पार्टी को ऋण		**-**	177
निवेश कार्यकलापों में अर्जित निवल नगदी		**567,339**	297,940
वित्तीय कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
सावधि जमा गिरवी	A	**(1,895,140)**	(10,736,207)
उधारी से आय	A	**9,872,150**	5,716,873
लीज देयता का पुनर्भुगतान	A	**(86,753)**	-
प्रदत्त ब्याज	16	**(448,113)**	(273,800)
वित्तीय कार्यकलापों से अर्जित (में प्रयुक्त)		**7,442,144**	(5,293,134)
रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष में निवल (वृद्धि) ध्कमी		**809,576**	(10,977,906)
वर्ष के आरंभ में रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष		**698,229**	11,676,135
वर्ष के अंत में नगद एवं नगद समकक्ष	7	**1,507,805**	698,229

टिप्पणी –ए

वित्तीय कार्यकलापों से उपजी देयताओं का मिलान निम्नलिखित है :

	1 अप्रैल 2019	नगद प्रवाह	ब्याज भुगतान	अभिग्रहण	गैर नगदी परिवर्तन संचयी ब्याज	31 मार्च 2020
	अमेरिकी डालर	अमेरिकी डालर	अमेरिकी डालर	अमेरिकी डालर	अमेरिकी डालर	अमेरिकी डालर
उधारी	5,716,873	9,872,150	(444,235)	-	444,235	15,589,023
लीज देयता	-	(86,753)	(3,878)	175,719	3,878	88,966
सावधि जमा गिरवी	(10,736,207)	(1,895,140)	-	-	-	(12,631,347)

	1 अप्रैल 2018	नगद प्रवाह	ब्याज भुगतान	गैर नगदी परिवर्तन संचयी ब्याज	31 मार्च 2019
	अमेरिकी डालर	अमेरिकी डालर	अमेरिकी डालर	अमेरिकी डालर	अमेरिकी डालर
लीज देयता	-	5,716,873	(273,800)	273,800	5,716,873
सावधि जमा गिरवी	-	(10,736,207)	-	-	(10,736,207)

वित्तीय विवरण की संलग्न टिप्पणी देखें

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं तथा इन्हें संबंधित वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाए।

1. कारपोरेट सूचना

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. (कंपनी) शेयरों की एक प्राइवेट कंपनी सिंगापुर में निगमित तथा स्थापित है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कंपनी का प्रगमुख व्यावसायिक स्थान 3 रैफल्स प्लेस, # 08–01 भारत बिल्डिंग, सिंगापुर – 048617 में स्थित है।

कंपनी मुख्यतः खनिजों, धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोल, गोल्ड एवं हाइड्रोकार्बन उत्पादों, आभूषण तथा अन्य कमोडिटीज का व्यापार करती है। वित्तीय वर्ष के दौरान इसके कार्यकलापों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

2.1 लेखे तैयार करने का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (''एफआरएस'') के अनुरूप तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अंतर्गत तैयार किया गया है सिवाय ऐसे मामलों के जिनका नीचे लेखा नीतियों में उल्लेख किया गया है।

वित्तीय विवरण यूनाईटेड स्टेट डालर(यूस $) में प्राप्त है जो कंपनी की कार्यात्मक करेंसी है।

एफआरएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधतंत्र को कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में अपना निर्णय लेना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष लेखानुमानों तथा अवधारणाओं का प्रयोग भी करना होता है। तथापि ये अनुमान प्रबंधतंत्र के वर्तमान घटनाओं और कार्रवाई के सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित है, वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां अनुमान और अवधारणा वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण या कठिन हो सकते हैं, उनको वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 3 में दर्शाया गया है।

2.2 नई और संशोधित मानकों और व्याख्याओं को अपनाना

कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियां पिछले वित्तीय वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं न कि चालू वित्तीय वर्ष के अनुरूप। कंपनी ने सभी नए और संशोधित मानकों को अपनाया है जो कंपनी के लिए उपयुक्त है और 1 जनवरी 2019 को या बाद में वार्षिक वित्तीय अवधि के लिए प्रभावी है, एफआरएस 116 को अपनाने के अलावा नीचे दी गई लीजों से इन मानकों के अपनाने से कंपनी की वित्तीय निष्पादन या स्थिति पर कोई खास प्रभाव नहीं पडता।

<u>एफआरएस 116 लीजें</u>

एफआरएस 116, एफआरएस 17 लीजें, आईएनटीएफआरएस 104 के स्थान पर है यह निश्चय करना कि व्यवस्था में लीज, आईएनटीएफआरएस 15 आपरेटिंग लीजीज–इंसेन्टीव और आईएनटीएफआरएस 27 लीगल फार्म में, लीज को शामिल करते हुए लेन देन की वास्तविकता का मूल्यांकन शामिल है। मानक लीज की पहचान, मापन, प्रस्तुति और प्रकटन का सिद्धांत निर्धारित करते हैं और लेजीज से अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय विवरणों पर लीजों की पहचान करें।

कंपनी द्वारा बिल्डिंगों के लिए लीज कांट्रेक्ट किए हैं। एफआरएस 116 को अपनाने से पहले कंपनी ने प्रत्येक लीजों (लेसिज) को आरंभिक तिथि से ही वर्गीकृत किया है जो या तो वित लीज है या एक प्रचालन लीज। 1 अप्रैल 2019 से पहले की लेखा नीति को टिप्पणी 2.10 पर दर्शाया गया है।

लीजें जो पिछली बार प्रचालन लीजों के रूप में लिखा गया।

कंपनी ने पिछली बार प्रचालन लीज के रूप में वर्गीकृत की गई उन लीजों को उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति और लीज देयता की पहचान की है। इसमें लघुअवधि और कम कीमत की परिसंपत्ति शामिल नहीं है। उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति के लिए लीजों की पहचान केरिंग राशि के आधार पर इस तरह की गई है जैसे मानकों को हमेशा लागू किया गया है इसमें आवेदन की आरंभिक तिथि की संचित उधारी दर का प्रयोग किया गया है। लीज देयताओं की पहचान शेष लीज भुगतान वर्तमान मूल्य के आधार पर की गई है, और आरंभिक तिथि की संचयी उधारी दर के प्रयोग को बंद कर दिया गया।

कंपनी ने उपलब्ध व्यवहारिक उपायों को लागू किया है जिनमेंः

(i) उचित समान विशेषताओं के साथ लीज पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर का उपयोग किया है।

(ii) लागू होने की आरंभिक तिथि के बिल्कुल पहले इसके मूल्यांकन पर निर्भर रहे चाहे लीज की दर ज्यादा रही है। यह हानि की समीक्षा के लिए एक विकल्प था।

(iii) लीज अवधि में लघुकालीन लीज छूट को लागू किया जो आवेदन की आरंभिक तिथि से 12 माह में समाप्त होती है।

(iv) आरंभिक लागू तिथि की तिथि को उपयोग के लिए अधिकार की परिसंपत्ति के मापन से आरंभिक तिथि लागत को निकाल दिया गया, और

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(v) लीज टर्म के निर्धारण के लिए हिंडसाईट का उपयोग किया गया जहां कांट्रेक्ट में लीज को बढाने या समाप्त करने का विकल्प शामिल है।

तदनुसार, कार्यालय की लीज के लिए जिसे पिछली बार प्रचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया गया था, कंपनी ने अमेरिकी डालर 175,719 के उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति के रूप में पहचान की है और 17 मई 2019 को नये एग्रीमेंट के लिए कुल अमेरिकी डालर 175,719 की लीज देयता है।

2.3 मानक जारी किए गए परंतु अभी तक प्रभावी नहीं है

कंपनी ने निम्नलिखित मानकों को अपनाया नहीं है जो जारी किए गए हैं परंतु अभी प्रभावी नहीं है

	आरंभ में या बाद में वर्षिक अवधि के लिए प्रभावी
• एफआरएस में वैचारिक फ्रेमवर्क के संदर्भ मे संशोधन	1 जनवरी 2020
• एफआरएस 1 और एफआरएस 8 में संशोधन मेटिरियल की परिभाषा	1 जनवरी 2020

निदेशक यह आशा करते हैं कि उपरोक्त मानकों को अपनाने से लागू होने की आरंभिक वर्ष में वित्तीय विवरण पर कोई ठोस प्रभाव नहीं होगा।

2.4 परिसंपत्ति, संयत्र और उपकरण

परिसंपत्ति, संयत्र और उपकरण की सभी मदें पहले लागत पर रिकार्ड की जाती हैं ! पहचान के बाद संयत्र और उपकरणों का मूल्यांकन संचयी मूल्यहृास और संचयी हानि को घटाकर लागत पर किया जाता है । परिसंपत्ति, संयत्र और उपकरण की लागत में इसका खरीद मूल्य और कोई लागत जो परिसंपत्ति को स्थान पर लाने और प्रबंधतंत्र के तरीके से प्रचालन में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थिति में लगी लागत शामिल की जाती है। परिसंपत्ति, संयत्र और उपकरण की लागत एक भाग के रूप में इसके विघटन, हटाने और जीर्णोद्वार की लागत शामिल है। यदि परिसंपत्ति, संयत्र और उपकरण की उपयोग हासिल करने के लिए विघटन, हटाने और जीर्णोद्वार की जिम्मेदारी निभाने के लिए खर्च किया गया है ।

मूल्य हृास की गणना मूल्य हृास योग्य राशि आबंटित करने के लिए स्ट्रेटलाईन विधि का प्रयोग किया जाता है जो उनके अनुमानित उपयोगी समय पर की जाती है ।

	उपयोगी आयु
लीजहोल्ड सुधार	3 वर्ष
फर्नीचर व फिटिंग्स	3 वर्ष
कम्प्यूटर उपकरण	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3 वर्ष

अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी आयु और मूल्यहृास पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और यदि उचित हुआ तो भविष्यलक्षी समायोजन किया जाता है।

परिसंपत्ति, संयत्र और उपकरण को इसके निपटान पर या जब इसके उपयेग या निपटान से कोई भविष्य में आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती, इसके निपटान पर अस्वीकार कर दिया जाता है। परिसंपत्ति अस्वीकार करने पर कोई लाभ या हानि को उस वर्ष में लाभ या हानि के रूप में दिखाया जाता है जिस वर्ष यह अस्वीकार की जाती है ।

2.5 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि से आंकलन करती है क्या ऐसा कोई संकेत है कि परिसंपत्ति की हानि हुई है यदि ऐसा संकेत होता है या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वाषिक हानि की टेस्टिंग की आवश्यकता होती है तो कंपनी वसूली राशि के लिए आंकलन तैयार करती है।

परिसंपत्ति की वसूली मूल्य परिसंपत्ति के या नगद–अर्जन यूनिट के उचित मूल्य को घटा कर निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है और इससे एक परिसंपत्ति के लिए निर्धारण होता है जब तक परिसंपत्तियां नगद प्रवाह अर्जित न करें जो पूरी तरह से अन्य परिसंपत्तियों या समूह से स्वतंत्र हैं। जब किसी परिसंपत्ति की केरिंग राशि या नगद अर्जन यूनिट अपने वसूली राशि से अधिक होती है तो ऐसी परिसंपत्ति की हानि मानी जाती है और यह इसी वसूली मूल्य से कम हो जाती है।

हानियों की पहचान लाभ या हानि से की जाती है।

पहले पहचान की गई हानि को केवल उस स्थिति में रिवर्स किया जाता है जब हानि के समय में परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए आंकलन में परिवर्तन किया गया हो। परिसंपत्ति केरिंग राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक बढ़ाया जाता है बशर्ते कि यह राशि केरिंग राशि से अधिक न हो यदि परिसंपत्तियों में किसी हानि का निर्धारण मूल्यहृास से कम करने के लिए किया गया हो ऐसे रिवर्सल का लाभ या हानि की पहचान की जाती है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

2.6 वित्तीय इंस्ट्रूमेंट

वित्तीय परिसंपत्तियां

आरंभिक पहचान और मूल्यांकन

वित्तीय संपत्ति की पहचान जब और केवल जब की जाती हैं जब कंपनी इंस्ट्रूमेशन के संविदात्मक प्रावधान की पार्टी बनती है । प्रारंभिक पहचान पर कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य जमा पर करती है।

एफवीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में वित्तीय परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति में सीधे लेन–देन लागत को शामिल किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन–देन लागत जो एफवीपीएन पर लाये जाते हैं वे लाभ या हानि के खर्चे के रूप में दिखाये जाते हैं।

व्यापार प्राप्य का मूल्यांकन उस राशि पर किया जाता है जिसके लिए कंपनी द्वारा ग्राहक को वादा किया गया माल या सेवा को बदले में लेने का पात्र होने की अपेक्षा करती है। यदि आरंभिक पहचान के व्यापार प्राप्य में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं हैं तो थर्ड पार्टी की ओर से एकत्र राशि शामिल नहीं होती।

अनुवर्ती मूल्यांकन

डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश

डेट इंस्ट्रूमेंट का अनुवर्ती मूल्यांकन परिसंपत्तियों को व्यवस्थित करने और परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगद प्रावह की विशिष्टताओं के लिए कंपनी के व्यवसाय माडल पर निर्भर करता है। डेट इस्ट्रूमेंट के वर्गीकरण के लिए तीन मूल्यांकन श्रेणियां है परिशोधित लागत, एफवीओसीएल और एफवीपीएल। कंपनी के पास केवल परिशोधित लागत पर डेट इंस्ट्रूमेंट है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों को संविदात्मक नगद प्रवाह के कनेक्शन के लिए रोका जाता है। ये नगद प्रवाह पूरी तरह मूल राशि और ब्याज भुगतान का ही भाग है और इसका मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है जिसमें प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इनमें लाभ या हानि में पहचाने गए हानि, लाभ को घटाया जाता है जब परिसंपत्तियां अस्वीकार या हानि दिखाया जाता है और यह सब परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

डिरिकोगनिशन

वित्तीय परिसंपत्ति तब अस्वीकृत होती है जब परिसंपत्ति से नगद प्रवाह का संविदात्मक अधिकार खत्म हो जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति जब पूर्ण रूप से अस्वीकृत हो जाती है तब केरिंग राशि और उनके लिए मिली राशि और कोई भी संचयी लाभ या हानि डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए अन्य व्यापक आय में पहचान की जाती है, को लाभ अथवा हानि में पहचान की जाती है।

वित्तीय देयताएं

आरंभिक पहचान और मूल्यांकन

वित्तीय देयताओं की पहचान जब और जब केवल कंपनी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के संविदात्मक प्रावधान की एक पार्टी बनती है। कंपनी आरंभिक पहचान पर अपने वित्तीय देयताओं के वर्गीकरण का निर्धारण करती है।

सभी वित्तीय देयताओं की पहचान उचित मूल्य जमा पर वित्तीय देताएं एफवीपीएल पर न होते हुए सीधे लेन–देन लागत पर होती है।

अनुवर्ती मूल्यांकन

आरंभिक पहचान के बाद वित्तीय देयताएं एफवीपीएल पर भी ले जाये जाते, वे तदोपरांत परिशोधन लागत पर मूल्यांकित की जाती है जिसकें प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग किया जाता है । जब देयताएं अस्वीकृत हो जाती हैं तो परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ व हानियां लाभ अथवा हानि में पहचाने जाते हैं ।

डिरिकोगनिशन

वित्तीय देयताएं अस्वीकृत की जाती हैं जब देयता के अंतर्गत दायितव डिस्चार्ज या कैंसिल या समाप्त हो जाता है । अस्वीकृत होने पर केरिंग राशि और एवज में भुगतान के बीच अंतर की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है ।

2.7 वित्तीय परिसंपतियों की हानि

कंपनी एफवीपीएल में नहीं रखे गए सभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) के लिए एक भत्ते की पहचान करती है। ईसीएल अनुबंध के अनुसार संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अंतर पर आधारित है और सभी नकदी प्रवाह जो कि कंपनी को प्राप्त होने की उम्मीद है मूल प्रभावी ब्याज दर के एक अनुमान पर छूट होती है। अपेक्षित नकदी प्रवाह में कोलेट्रल की बिक्री से नकदी प्रवाह शामिल होगा या अन्य क्रेडिट संवर्द्धन जो अनुबंध की शर्तों का अभिन्न हैं।

ईसीएल की पहचान दो चरणों में होती है। क्रेडिट एक्सपोजर के लिए जिसमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है ईसीएल को क्रेडिट हानि के लिए प्रदान किया जाता है जो कि अगले 12 महीनों (12 महीने की ईसीएल) के भीतर होने वाली डिफॉल्ट घटनाओं से उत्पन्न होता है। उन क्रेडिट एक्सपोज़र के लिए जिनके लिए प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जोखिम के लिए एक नुकसान भत्ते की पहचान की गई है, जो डिफ़ॉल्ट के समय के बावजूद जोखिम के शेष जीवन पर अपेक्षित है, (जीवनकाल ईसीएल)।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

व्यापार प्राप्य के लिए, कंपनी ईसीएल की गणना में एक सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाती है। इसलिए, कंपनी क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक नहीं करती है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर जीवन भर ईसीएल के आधार पर नुकसान भत्ते की पहचान करती है। कंपनी ने एक प्रावधान मैट्रिक्स की स्थापना की है जो उसके ऐतिहासिक क्रेडिट हानि के अनुभव पर आधारित है, जो देनदार और आर्थिक वातावरण के लिए विशिष्ट फॉरवर्ड दिखने वाले कारकों के लिए समायोजित किया गया है जो देनदार की भुगतान करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

कंपनी डिफॉल्ट से एक वित्तीय परिसंपत्ति पर विचार करती है जब संविदात्मक भुगतान पिछले 180 दिन से देय होते हैं। हालाँकि, कुछ मामलों में, कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब भी डिफ़ॉल्ट मान सकती है जब आंतरिक या बाहरी जानकारी यह इंगित करती है कि कंपनी के स्वामित्व में किसी भी क्रेडिट संवर्द्धन को ध्यान में रखते हुए कंपनी को पूर्ण रूप से बकाया संविदा राशि प्राप्त होने की संभावना नहीं है। एक वित्तीय परिसंपत्ति बट्टे खाते में डाल दी जाती है, जब संविदात्मक नकदी प्रवाह की वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं होती है।

2.8 अनुबंध संतुलन

अनुबंध परिसंपत्तियां

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में मुआवजे का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक को मुआवजे से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अनुबंधित परिसंपत्ति की सशर्त रूप से अर्जित मुआवजे की पहचान की जाती है।

अनुबंध देयताएं

एक अनुबंध दायित्व ग्राहक के लिए वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक के लिए मुआवजे (या मुआवजे की राशि देय है) प्राप्त हुई है। यदि ग्राहक कंपनी को सामान या सेवा स्थानांतरित करने से पहले मुआवजा देत.ा है, तो भुगतान किए जाने या भुगतान शुल्क होने पर (जो भी पहले हो) एक अनुबंध देयता की पहचान की जाती है। अनुबंध देयताओं को राजस्व के रूप में पहचाना जाता है जब कंपनी अनुबंध के तहत निष्पादित करती है।

2.9 इन्वेंट्री

इन्वेंट्री निचले लागत मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य पर दर्शाई जाती है। लागत की गणना भारित औसत लागत पद्धति का उपयोग करके की जाती है और इसमें इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खरीद की सभी लागत, परिवर्तन की लागत और अन्य लागत शामिल होती है। निवल वसूली योग्य मूल्य साधारण व्यापार प्रकिया में बिक्री का अनुमानित मूल्य है, इिसमें से बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत का घटाया जाता है।

आवश्यक होने पर, खराब पुरानी और धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए भत्ते प्रदान किये जाते है, ताकि इन्वेंट्र के कैरिंग मूल्य को निचले लागत मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य पर समायोजित किया जा सके।

2.10 नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्षों में बैंकों की राशि और नकदी शामिल होती है और मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन होते हैं।

2.11 शेयर पूंजी

साधारण शेयरों को जारी करने से प्राप्त होने वाली राशि इक्विटी में शेयर पूंजी के रूप में पहचानी जाती है। साधारण शेयरों को जारी करने के लिए इंक्रीमेंटल लागत सीधे तौर पर शेयर पूंजी के लिए घटा दी जाती है।

2.12 लीजें

ये लेखांकन नीतियां एफआरएस 116, 1 अप्रैल 2019 की प्रारंभिक लागू तिथि के बाद या उस दिन लागू की जाती हैं:

कंपनी अनुबंध आंरभ होने पर आकलन करती है कि अनुबंध क्या है, या इसमें लीज है। यही है, यदि अनुबंध मुआवजें के बदले में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग की अवधि को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी सभी पट्टों के लिए एकल पहचान और मुल्यांकन का दृष्टिकोण लागू करती है। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर। कंपनी लीज भुगतान करने के दायित्वों के रूप में लीज देनदारियों को पहचानती है और अंतर्निहित पट्टेदार परिसपंत्तियों का उपयोग करने के अधिकार के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाली राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियां होती है।

उपयोग की संपत्ति

कंपनी पट्टे की शुरुआत की तारीख (अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है) पर सही उपयोग की परिसंपत्तियों को पहचानती है। उपयोग की जाने वाली संपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनर्भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग की परिसंपत्तियों की सही लागत में लीज देनदारियों की मान्यता, आरंभिक

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्रत्यक्ष लागत और लीज भुगतान के बाद या शुरू होने से पहले ली गई किसी भी लीज प्रोत्साहन की राशि शामिल है। पट्टे की अवधि और परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधे उपयोग के आधार पर संपत्ति का सही उपयोग किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में कंपनी की अधिकार–सम्पत्ति का नोट 5 में उल्लेख किया गया है।

लीज देनदारी

लीज की शुरुआत की तारीख में, कंपनी लीज अवधि में किए जाने वाले लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई लीज देयताओं को पहचानती है। पट्टे के भुगतानों में निश्चित भुगतान (वास्तविक स्थायी भुगतानों सहित) कम किसी भी पट्टे के प्रोत्साहन प्राप्य, परिवर्ती पट्टे के भुगतान जो एक सूचकांक या एक दर पर निर्भर करते हैं, और अवशिष्ट मूल्य की गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशियों को शामिल किया जाता है। पट्टे के भुगतान में कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले खरीद विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है और पट्टे को समाप्त करने के लिए जुर्माने का भुगतान, यदि पट्टा शर्तें कंपनी पटटा समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करने को दर्शाता है। परिवर्ती लीज भुगतान जुर्माने जो किसी इंडेक्स या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, वे उस खर्च के रूप में पहचाने जाते हैं (जब तक कि वे इन्वेंट्री तैयार करने के लिए खर्च नहीं किए जाते हैं) जिस अवधि में भुगतान को ट्रिगर करने वाली घटना या स्थिति होती है।

कंपनी के पट्टे की देनदारियों का उल्लेख नोट 11 में वित्तीय विवरणों में किया गया है।

एफआरएस 116, 1 अप्रैल 2019 की प्रारंभिक उपयोग तिथि से पहले इन लेखांकन नीतियों को लागू किया जाता है:

ऑपरेटिंग लीज भुगतानों को लीज अवधि के आधार पर स्ट्रेट–लाइन आधार पर लाभ या हानि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। पट्टेदार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का कुल लाभ एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि में किराये के खर्च में कमी के रूप में माना जाता है।

2.13 राजस्व की पहचान

राजस्व को उस आय के आधार पर मापा जाता है जिस पर कंपनी को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर किसी ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में होता है।

राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए वादे या सेवा को स्थानांतरित करके एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है, जब ग्राहक माल या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है। एक निष्पादन दायित्व समय को पूरा करने के समय के साथ एक समय सीमा में पूरा हो जाता है। पहचाने गये राजस्व की राशि निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए आवंटित राशि है।

कमोडिटी की बिक्री

बिक्री को तब पहचाना जाता है जब कमोडिटी का नियंत्रण अपने ग्राहकों को हस्तांतरित कर दिया गया हो (अर्थात। निश्चित समय पर)। अप्रचलन और हानि का जोखिम ग्राहकों को हस्तांतरित कर दिया गया है, और या तो ग्राहकों ने माल को बिक्री अनुबंध के अनुसार स्वीकार कर लिया है, स्वीकृति प्रावधान समाप्त हो गए हैं, या कंपनी के पास इस बात के सबूत हैं कि स्वीकृति के सभी मानदंड पूरे हैं। वित्तपोषण के किसी भी तत्व को मौजूद नहीं माना जाता है क्योंकि बिक्री 30 से 180 दिनों के क्रेडिट अवधि के साथ की जाती है, जो बाजार के अनुरूप है।

ब्याज आय

मूल बकाया के संदर्भ में और प्रभावी ब्याज दर लागू होने पर ब्याज आय एक समय के आधार पर अर्जित की जाती है।

डेमॅरेज और प्रेषण आय

डेमरेज और प्रेषण आय की पहचान की जाती है यदि यह विश्वस्त रूप से अनुमानित है और यह संभावना है कि इसे प्राप्त कर लिया जाएगा।

2.14 संबंधित पार्टी

एक संबंधित पार्टी निम्नानुसार परिभाषित की गई है:

(ए) एक व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का करीबी सदस्य रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित होता है यदि वह व्यक्ति:
- (i) रिपोर्टिंग इकाई पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है;
- (ii) रिपोर्टिंग इकाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव है; या
- (iii) रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग इकाई के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का एक सदस्य है।

(बी) निम्नलिखित में से कोई भी शर्त लागू होने पर एक इकाई एक रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित होती है:
- (i) इकाई और रिपोर्टिंग इकाई एक ही समूह के सदस्य हैं (जिसका अर्थ है कि प्रत्येक मूल, सहायक और दूसरों से संबंधित है)।
- (ii) एक इकाई अन्य इकाई का एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम है (या एक समूह के सदस्य का एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम, जिसमें दूसरी इकाई एक सदस्य है)।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(iii) दोनों संस्थाएँ एक ही अन्य पार्टी के संयुक्त उपक्रम हैं।

(iv) एक इकाई तीसरी इकाई का संयुक्त उद्यम है और दूसरी इकाई अन्य इकाई का सहयोगी है।

(v) इकाई रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित इकाई के कर्मचारियों के लाभ के लिए एक रोजगार के बाद की योजना है। यदि रिपोर्टिंग इकाई स्वयं ऐसी योजना है, तो प्रायोजक नियोक्ता भी रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित हैं।

(vi) इकाई को (क) में पहचाने गए व्यक्ति द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है।

(vii) (क) (i) में पहचाने गए व्यक्ति का इकाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है या वह इकाई के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (या मूल इकाई) का सदस्य होता है।

(viii) इकाई, या समूह का कोई भी सदस्य जिसका यह एक हिस्सा है, रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग मूल इकाई को मुख्य प्रबंधन कार्मिक सेवाएं प्रदान करता है।

निम्नलिखित अनावश्यक संबंधित पार्टी है:

(ए) दो ईकाइयां केवल इसलिए कि उनके पास आम प्रबंधन कर्मियों के निदेशक या अन्य सदस्य हैं;

(बी) दो उद्यमकर्ता केवल इसलिए कि वे एक संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण करते हैं।

मुख्य प्रबंधन कर्मी वे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी की गतिविधियों की योजना, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार और दायित्व रखते हैं।

2.15 आयकर

वर्तमान आयकर

चालू वर्ष के लिए वर्तमान आयकर संपत्ति और देनदारियों और पूर्व अवधि को उस राशि पर मापा जाता है जो कर प्राधिकरण से वसूल की जाती है या भुगतान की जाती है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कर की दरें और कर कानून वे हैं जिन्हें अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित किया गया है।

वर्तमान आयकर को लाभ या हानि में इस सीमा तक पहचाना जाता है कि कर उस लाभ या हानि से बाहर पहचाने गए प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, या तो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में। प्रबंधन समय–समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में शामिल स्थिति का मूल्यांकन करता है

आस्थगित कर

आस्थगित कर का उपयोग परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधार और वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए केरिंग राशि के बीच रिपोर्टिंग तिथि में अस्थायी अंतर पर देयता विधि का उपयोग करके किया जाता है।

आस्थगित कर सभी घटाए गए अस्थायी अंतरों के लिए पहचाना जाता है, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों को आगे ले जाया जाता है, इस सीमा तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध हो, जिसके लिए कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर को आगे ले जाया जा सके। क्रेडिट और अप्रयुक्त कर नुकसान का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति को एक लेनदेन में संपत्ति या देनदारियों की प्रारंभिक पहचान पर अस्थायी अंतर के लिए नहीं पहचाने जाते हैं जो कि व्यापार संयोजन नहीं है और जो न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि भविष्य में कर योग्य सभी लाभकारी या आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति मिल सकेगी। गैर–पहचान प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियां प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आश्वस्त होती हैं और इस हद तक पहचानी जाती हैं कि यह संभव हो सके कि भविष्य में कर योग्य लाभ से आस्थगित कर संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उस कर दरों पर मापा जाता है जो उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद की जाती है जब संपत्ति की वसूली होती है या देयता तय की जाती है, कर दरों और कर कानूनों के आधार पर जो प्रत्येक रिपोर्टिंग के अंत तक अधिनियमित किए गए हैं। अवधि और कर परिणाम के आधार पर, जिस तरीके से कंपनी को उम्मीद है, रिपोर्टिंग तिथि पर, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा को ठीक करने या निपटाने के लिए कंपनी आशा करती है।

आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियों की भरपाई होती है, यदि कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार वर्तमान आयकर देनदारियों के लिए वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों को बंद करने के लिए मौजूद है और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और समान कर क्षेत्र से संबंधित हैं।

माल और सेवा कर (जीएसटी)

जीएसटी की राशि के अलावा राजस्व, व्यय और संपत्ति की पहचान निम्न को छोडकर जीएसटी निकालकर की जाती है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

- जहां संपत्ति या सेवाओं की खरीद पर लगने वाला जीएसटी कराधान प्राधिकरण से वसूली योग्य नहीं है, उस स्थिति में जीएसटी को परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत के हिस्से के रूप में या लागू व्यय मद के हिस्से के रूप में पहचाना जाता है तथा
- प्राप्य और देय वस्तुएं जो जीएसटी की राशि के साथ बताई गई हैं।

वित्तीय स्थिति के विवरण में प्राप्य या देयको के के भाग के रूप में कर निर्धारण प्राधिकरण से प्राप्त या देय जीएसटी की शुद्ध राशि को शामिल किया जाता है।

2.16 ऋण लागतें

ऋण लागतों को उस अवधि में लाभ या हानि में पहचाना जाता है जिसमें वे प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके खर्च किए जाते हैं।

2.17 विदेशी करेंसी लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्राओं में लेन–देन को कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में मापा जाता है और लेन–देन की तारीखों में उन नियमों के करीब लाने वाली विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर दर्ज किया जाता है। मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करके रिपोर्टिंग तिथि को विनिमय की दर से किया जाता है। गैर–मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, विनिमय दरों का उपयोग प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों के रूप में किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौद्रिक वस्तुओं को परिवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर की लाभ या हानि में पहचान की जाती है।

2.18 कर्मचारी लाभ

निर्धारित अंशदान योजनाएँ

कंपनी सिंगापुर में केंद्रीय भविष्य निधि योजना में अंशदान देती है, जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। परिभाषित अंशदान पेंशन योजनाओं में अंशदान को उस अवधि के खर्च के रूप में पहचाना जाता है जिसमें संबंधित सेवा निष्पादित की जाती है। एक बार अंशदान भुगतान किए जाने के बाद कंपनी का कोई और दायित्व नहीं है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को एक गैर–छूट आधार पर मूल्यांकित किया जाता है और संबंधित सेवा प्रदान की गई मानकर खर्चों में लिया जाता है। एक देयता को भुगतान की जाने वाली राशि के लिए पहचाना जाता है यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए एक कानूनी या रचनात्मक दायित्व है, और दायित्व का अनुमान लगाया जा सकता है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और आकलन

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान लगाने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं, और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा करते हैं। इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्ति या देयता की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन की आवश्यकता होती है।

3.1 लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए निर्णय

प्रबंधन की राय है कि लेखांकन अनुमान और नीतियों को लागू करने में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की केरिंग राशि के लिए ठोस समायोजन के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम हो।

3.2 अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य की अनिश्चितता और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में महत्वपूर्ण धारणाएं नीचे चर्चा की गई हैं। कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार किए जाने पर उपलब्ध मापदंडों पर अपनी मान्यताओं और अनुमानों को आधार बनाया। मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, हालांकि, कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाले बाजार परिवर्तन या परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस तरह के परिवर्तन होने पर धारणाओं में परिलक्षित होते हैं।

व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित क्रेडिट घाटे का प्रावधान

कंपनी व्यापार प्राप्य के लिए ईसीएल की गणना करने के लिए एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रावधान दरें विभिन्न ग्राहक खंडों के समूहन के कारण पिछले दिनों पर आधारित होती हैं जिनके समान हानि पैटर्न होते हैं।

प्रावधान मैट्रिक्स शुरू में कंपनी की पूर्व में देखी गई डिफ़ॉल्ट दरों पर आधारित है। कंपनी आगे की सूचना के साथ पिछले क्रेडिट हानि अनुभव को समायोजित करने के लिए मैट्रिक्स को जांच करेगी। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में, पिछली डिफ़ॉल्ट दरें अपडेट की जाती हैं और अग्रेषित–दिखने वाले अनुमानों में परिवर्तन का विश्लेषण किया जाता है।

अवलोकन किए गए पिछली डिफ़ॉल्ट दरों, पूर्वानुमान आर्थिक स्थितियों और ईसीएल के बीच संबंध का आकलन एक महत्वपूर्ण अनुमान है। ईसीएल की मात्रा परिस्थितियों में परिवर्तन और पूर्वानुमान आर्थिक परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील है। कंपनी का ऐतिहासिक

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

क्रेडिट हानि अनुभव और आर्थिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान भी भविष्य में ग्राहक के वास्तविक डिफ़ॉल्ट का रूप नहीं हो सकता है। वित्तीय विवरणों में कंपनी के व्यापार प्राप्तियों पर ईसीएल के बारे में जानकारी नोट 8 में दी गई है। 31 मार्च 2020 को कंपनी के व्यापार प्राप्तियों की कैरिंग राशि अमेरिकी डॉलर 17,755,589 (2019: अमेरिकी डॉलर 22,757,986)

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का उपयोगी जीवन

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मद का उपयोगी जीवन का अनुमान उस समय लगाया जाता है जब परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है और यह समान संपत्ति के साथ पिछले अनुभव पर आधारित होता है और प्रत्याशित तकनीकी या अन्य परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। यदि परिवर्तन प्रत्याशित की तुलना में अधिक तेजी से होते हैं या परिसंपत्ति में अप्रत्याशित स्तर की टूट–फूट होती है, तो उपयोगी जीवन को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। 31 मार्च 2020 तक कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कैरिंग राशि अमेरिकी डॉलर 5,130 (2019: अमेरिकी डॉलर 7,241)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की हानि

कंपनी सालाना आकलन करती है कि क्या संपत्ति, संयंत्र और उपकरण हानि का कोई संकेत करती है। ऐसे उदाहरणों में जहां हानि के संकेत मिलते हैं, संयंत्र और उपकरणों की वसूली योग्य मात्रा का उपयोग मूल्य–में–उपयोग गणना के आधार पर किया जाएगा। इन गणनाओं में निर्णय और अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है। 31 मार्च 2020 तक कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की केरिंग राशि अमेरिकी डालर 5,130 (2019: अमेरिकी डालर 7,241) थी।

4. परिसंपत्ति,संयंत्र और उपकरण

	लीजहोल्ड सुधार	फर्नीचर एंड फिटिंग्स	कम्प्यूटर उपकरण	कार्यालय उपकरण	कुल
	अमेरिकी डॉलर	अमेरिकी डॉलर	अमेरिकी डॉलर	अमेरिकी डॉलर	अमेरिकी डॉलर
लागत					
1 अप्रैल 2018 को	121,394	40,537	48,567	24,073	234,571
ज्मा	-	663	6,116	2,166	8,945
निपटान	-	-	(5,504)	-	(5,504)
31 मार्च, 2019 को	121,394	41,200	49,179	26,239	238,012
ज्मा	-	-	311	-	311
31 मार्च, 2020 को	121,394	41,200	49,490	26,239	238,323
संचित मूल्यह्रास					
1 अप्रैल, 2018 को	121,394	40,537	48,387	23,842	234,160
मूल्यह्रास प्रभार	-	193	1,023	722	1,938
निपटान	-	-	(5,327)	-	(5,327)
31 मार्च, 2019 को	121,394	40,730	44,083	24,564	230,771
मूल्यह्रास प्रभार	-	157	1,707	558	2,422
31 मार्च, 2020 को	121,394	40,887	45,790	25,122	233,193
कैरिंग राशि					
31 मार्च, 2020 को	-	313	3,700	1,117	5,130
31 मार्च, 2019 को	-	470	5,096	1,675	7,241

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

5. परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार

	लीज कार्यालय
	यूएस$
लागत	
1 अप्रैल, 2019 को	-
जमा	175,719
31 मार्च, 2020 को	175,719
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2019 को	-
मूल्यह्रास प्रभार	87,860
31 मार्च, 2020 को	87,860
कैरिंग राशि	
31 मार्च, 2020 को	87,859
31 मार्च, 2019 को	-

6. अन्य परिसंपत्तियां

	2020	2019
	यूएस$	यूएस$
गैर चालू		
वापसी योग्य जमा	26,969	4,881
चालू		
वापसी योग्य जमा	-	14,274
	26,969	19,155

अन्य परिसम्पत्तियां सिंगापुर डॉलर में निर्दिष्ट है।

7. नगद एवं नगद समकक्ष

	2020	2019
	यूएस$	यूएस$
बैंक में नकद	1,507,534	697,961
नगद	271	268
सावधि जमा	12,631,347	10,736,207
	14,139,152	11,434,436

नगद एवं नगद समकक्ष निम्नलिखित करेंसी में है:

	2020	2019
	यूएस$	यूएस$
यू एस डालर	14,117,472	11,420,363
सिगांपुर डालर	21,680	14,073
	14,139,152	11,434,436

तुलन–पत्र तिथि को सावधि जमा जो 2.10% से 3.00% की ब्याज दरों पर (2019: 2.70% से 3.20%) वार्षिक जिसकी परीपक्वता तिथि 12 माह (2019 : 12 माह) भारित औसत प्रभावी ब्याज दर 2.72% (2019 : 2.71%) वार्षिक है।

तुलन–पत्र तिथि को नगद व बैंक शेष अमेरिकी डॉलर 12,631,347(2019: अमेरिकी डॉलर 10,736,207) उधारी के लिए प्रति भूति के रूप में गिरवी रखे। (नोट संख्या 10)

नगद प्रवाह, नगद व लगद समकक्ष विवरण मे निम्नलिखित शामिल है:

	2020	2019
	यूएस$	यूएस$
नगद व नगद समकक्ष (उपरोक्त)	14,139,152	11,434,436
सावधि जमा	(12,631,347)	(10,736,207)
नगद व नगद समकक्ष नगद प्रवाह विवरण के अनुसार	1,507,805	698,229

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

8. व्यापार और अन्य प्राप्य

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
व्यापार प्राप्य		
थर्ड पार्टी	16,124,450	21,096,759
होल्डिंग कंपनी	1,631,139	1,661,227
	17,755,589	22,757,986
अन्य प्राप्य		
संबंद्ध कंपनी से राशि देय	-	24,306
साविध जमा से ब्याज प्राप्य	213,817	187,935
अन्य प्राप्य	558,438	6,626
जीएसटी प्राप्य	2,738	-
	774,993	218,867
कुल व्यापार व अन्य प्राप्य	18,530,582	22,976,853

व्यापार प्राप्य ब्याज मुक्त है और ग्राहकों को दी गई सामान्य क्रेडिट शर्तों के अंतर्गत पुर्नभुगतान योग्य है जिसकी अवधि 30 दिन से 180 दिन है (2019:30 से 180 दिन)

संबंद्ध कंपनी से अन्य प्राप्य राशि असुरक्षित, ब्याजमुक्त, और मांग करने पर पुर्नभुगतान योग्य है।

व्यापार व अन्य प्राप्य निम्नलिखित करेंसी में विभाजित हैं ।

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
अमेरिकी डॉलर	18,527,844	22,970,227
सिंगापुर डॉलर	2,738	6,626
	18,530,582	22,976,853

9. व्यापार एवं अन्य देय

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
व्यापार प्राप्य		
थर्ड पार्टी	1,998,927	16,374,904
होल्डिंग कंपनी	-	17,560
	1,998,927	16,392,464
अन्य प्राप्य		
अक्रुअल	126,724	58,411
संविदा देयताएं	1,025,115	-
होल्डिंग कंपनी (*)	559,383	-
	1,711,222	58,411
कुल व्यापार व अन्य देय	3,710,149	16,450,875

व्यापार प्राप्य ब्याज मुक्त है और आपूर्तिकारों द्वारा दी गई सामान्य क्रेडिट शर्तों के अंतर्गत पुर्नभुगतान योग्य है जिसकी अवधि 30 दिन से 180 दिन है (2019:30 से 180 दिन)

संबंद्ध कंपनी से अन्य प्राप्य राशि असुरक्षित, ब्याजमुक्त, और मांग करने पर पुर्नभुगतान योग्य है।

व्यापार व अन्य प्राप्य निम्नलिखित करेंसी में विभाजित हैं। संबंद्ध कंपनी से अन्य प्राप्य राशि असुरक्षित, ब्याजमुक्त, और माग पर पुर्नभुगतान योग्य है।

व्यापार व अन्य प्राप्य निम्नलिखित करेंसी में विभाजित हैं ।

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
अमेरिकी डॉलर	3,610,071	16,388,485
सिंगापुर डॉलर	100,078	62,390
	3,710,149	16,450,875

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

10. ऋण

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
ट्रस्ट रसीदें	8,989,909	4,511,786
लघु अवधि ऋण	6,599,114	1,205,087
	15,589,023	5,716,873

तुलनपत्र तिथि को 2,039,859 यूएस $ (2019: यूएस $ 1,021,824) की ट्रस्ट रसीदों में 3.34% (2019: 5.40%)प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दर शामिल है जिनकी परिपक्वता 6 से 11 दिन तुलन पत्र तिथि से है। तुलन–पत्र तिथि से शेष 6,950,050 यूएस + की ट्रस्ट रसीदों में 2.50% (2019: 3.29%) प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दर शामिल है जिसकी तुलन–पत्र तिथि से परिपक्वता 14 से 30 दिन (2019: 3 से 7 दिन) है।

तुलन–पत्र से लघु अवधि ऋण पर 3.95% (2019:3.30%) प्रतिवर्ष की ब्याज शामिल है। लघु अवधि ऋण पर तुलनपत्र की तिथि से 9 से 71 दिन (2019: 5 से 6 दिन) की परिपक्वता तुलनपत्र तिथि से है।

11,951,798 यूएस $ (2019: 5,716,873 यूएस $) के ऋण माल और बैंक द्वारा वित पोषित प्राप्यों और कंपनी के 10,429,702 यूएस $ (2018:शून्य यूएस $) की सावधि जमा (टिप्पणी 7) के लेखों पर डीड ऑफ चार्ज और 12,631,347 यूएस + (2019: 11,032,956 यूएस $)के शेषों की एवज में सुरक्षित है।

इन ऋणों को यूनाइटेड स्टेट डालर में विभाजित किया गया है।

11. लीज देयताएं

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
लीज देयताएं	88,966	-

लीज देयताएं सिंगापुर डालर में विभाजित हैं

12. शेयर पूंजी

	2020	2019	2020 यूएस$	2019 यूएस$
	साधारण शेयरों की संख्या			
जारी और पूर्ण प्रदत्त साधारण शेयर				
1 अप्रैल और 31 मार्च को	1,461,502	1,461,502	1,000,000	1,000,000

सधारण शेयरधारक कंपनी द्वारा जब कभी घोषित लाभाशं को प्राप्त करने के पात्र हैं, सभी साधारण शेयर धारकों को बिना किसी प्रतिबंध के एक वोट प्रति शेया का अधिकार है।

13. राजस्व आय

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
कमोडिटी की बिक्री		
– थर्ड पार्टी	320,731,202	102,364,932
– होल्डिंग कंपनी	12,865,261	51,755,447
	333,596,463	154,120,379

सभी बिक्रियों की पहचान एक समय पर की जाती है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

14. अन्य आय

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
डेमरेज और प्रेषण	702,320	36,385
बैंक जमा पर ब्याज आय	351,369	290,600
होल्डिंग कारपोरेशन से ब्याज आय	-	179,737
संबद्ध कारपोरेशन से ब्याज आय	-	24,306
थर्ड पार्टी से ब्याज आय	216,281	-
	567,650	494,643
विविध आय	5,785	18,607
	1,275,755	549,635

15. कर्मचारी क्षतिपूर्ति

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
निदेशकों का पारिश्रमिक(टिप्पणी 19)	258,037	182,172
निदेशकों के लाभ (टिप्पणी 19)	146,573	103,095
परिभाषित अंशदान योजना में निदेशकों का अंशदान		
जिसमें केंद्रीय भविष्यनिधि और एसडीएल शामिल है(टिप्पणी 19)	17,192	13,431
स्टाफ तनखाह और वेतन	208,809	126,592
स्टाफ बोनस	22,657	3,211
स्टाफ कल्याण	14,644	7,391
परिभाषित अंशदान योजना में कर्मचारियों का अंशदान		
जिसमें केंद्रीय भविष्यनिधि और एसडीएल शामिल है	29,210	22,741
	697,122	458,633

16. वित्त लागतें

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
ब्याज खर्च		
– परिसंपत्यिों के उपयोग का अधिकार	3,878	-
– लघु अवधि ऋण	130,590	226,201
– ट्रस्ट रसीद ब्याज	313,645	47,599
	448,113	273,800

17. अन्य व्यय

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
स्थानीय परिवहन – अन्य	8,010	7,181
कार्यालय व्यय	11,585	13,293
प्रफेशनल फीस	12,809	5,603
सकल प्रेषण ओर डेमरेज व्यय	-	14,486
यात्रा व्यय	8,413	2,329
	39,290	63,855
अन्य व्यय	80,107	106,747

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

आयकर खर्चे

31 मार्च 2020 और 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक इस प्रकार थे:

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
– वर्तमान आयकर		
– वर्तमान वर्ष	144,964	-
	144,964	-

कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच संबंध

31 मार्च 2020 और 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्षों के लिए लागू कॉर्पोरेट कर की दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ के उत्पाद के बीच सामंजस्य इस प्रकार था:

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
कर पूर्व लाभ	1,112,065	274,813
17%(2019: 17%) की वैधानिक दर का उपयोग कर आयकर	189,051	46,718
समायोजन:		
– कोई कटौती योग्य खर्च नहीं	412	571
– वैधानिक कर छूट और कर छूट	(12,682)	
– अप्रयुक्तर स्थगित कर परिसंपत्ति	(31,817)	(47,289)
	144,964	-

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी में असुरक्षित कर हानियां लगभग यूएस डॉलर 209,000 (2018: यूएस डॉलर 485,900) की है जिन्हें आगे ले जाया जा सकता है तथा भावी कर योग्य आय के विरुद्ध आफसेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । ऐसा करते समय सिंगापुर आयकर अधिनियम तथा सिंगापुर टैक्स अथारिटी के साथ हुए करार का अनुपालन करना होता है ।

इन कर हानियों से संबंधित आस्थगित कर संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि इनकी वसूली अनिश्चित है । कर हानियों की कोई समाप्ति तारीख नहीं है।

महत्वपूर्ण संबद्ध पार्टियों के साथ लेन–देन

(क) वित्तीय विवरणों में अन्यत्र दी गई संबद्ध पार्टी सूचना के अतिरिक्त कंपनी और महत्वपूर्ण संबद्ध पार्टियों के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान सहमत शर्तों पर निम्नलिखित लेन–देन किए गए :–

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
माल एवं सेवाओं की बिक्री और खरीद	12,865,261	51,755,447
होल्डिंग कारपोरेशन को बिक्री	15,982,246	35,196,931
होल्डिंग कारपोरेशन से खरीद	-	179,737
होल्डिंग कारपोरेशन से ब्याज आय	-	24,306

(ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को मुआवजे का भुगतान

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
वेतन, तनखाह और बोनस	258,037	182,172
रोजगारोपरांत लाभ – परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान	17,192	13,431
बेनिफिट–इन–काइंड	146,573	103,095
	421,802	298,698

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

20. आपरेटिंग लीज वचनबद्धता

कंपनी निरस्त न करने योग्य आपरेटिंग लीज करार के अंतर्गत कार्यालय परिसर लीज पर लेती है। लीज में भिन्न–भिन्न शर्तें एवं नवीकरण के अधिकार होते हैं।

समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में निरस्त् न करने योग्य प्रचालन लीज के अंतर्गत भावी न्यूनतम लीज भुगतान निम्नलिखित है :–

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
एक वर्ष तक	-	35,200
एक वर्ष से ऊपर परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं	-	4,881
	-	40,081

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम लीज भुगतान जिसे लाभ अथवा हानि में खर्चे के रूप में पहचान की गई राशि यू एस $ 92,073 है।

21. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उदेश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियाँ इसके संचालन से कई तरह के वित्तीय जोखिमों को उजागर करती हैं। प्रमुख वित्तीय जोखिमों में क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम (ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम सहित) और तरलता जोखिम शामिल हैं।

निदेशक इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हैं और सहमत होते हैं, जिन्हें प्रबंधन टीम द्वारा निष्पादित किया जाता है। यह चालू और पिछले वित्तीय वर्ष में रहा है, कंपनी की नीति है कि सट्टा प्रयोजनों के लिए डेरिवेटिव में कोई भी व्यापार नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित अनुभाग उपरोक्त वित्तीय जोखिमों के लिए कंपनी के संपर्क और इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में विवरण प्रदान करते हैं।

इन वित्तीय जोखिमों या जोखिमों को प्रबंधित करने और मापने के तरीके के बारे में कंपनी के जोखिम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जो प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों पर डिफॉल्ट होता है और जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को नुकसान होता है। क्रेडिट जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोजर मुख्य रूप से व्यापार और अन्य प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (नकदी सहित) के लिए, कंपनी विशेष रूप से उच्च क्रेडिट रेटिंग समकक्षों के साथ व्यवहार करके क्रेडिट जोखिम को कम करती है।

कंपनी ने केवल साख वाले प्रतिपक्षों से व्यापार की नीति अपनाई है। कंपनी अपने समकक्षों की वित्तीय स्थिति का क्रेडिट मूल्यांकन करती है और आम तौर पर इसमे कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है।

कंपनी परिसंपत्ति की प्रारंभिक पहचान पर चूक की इस संभावना पर विचार करती है कि क्या पूरे रिपोर्टिंग अवधि में निरंतर आधार पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

कंपनी ने एक वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफ़ॉल्ट घटना का निर्धारण तब किया है जब आंतरिक और / या बाहरी जानकारी इंगित करती है कि वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त होने की संभावना नहीं है, जिसमें 60 दिनों से अधिक समय तक संविदात्मक भुगतानों का डिफ़ॉल्ट, 180 से अधिक दिन के लिए ब्याज के लिए चूक या प्रतिपक्ष के लिए बहुत कठिनाई हो।

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए , कंपनी ने डिफॉल्ट के जोखिम को करने के लिए कंपनी के क्रेडिट रिस्क ग्रेडिंग को जोखिम की क्षमता के अनुसार वर्गीकृत दर्शाने के लिए विकसित और बनाए रखा है । क्रेडिट रेटिंग की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय जानकारी और अपने प्रमुख ग्राहकों और अन्य देनदारों को रेट करने के लिए कंपनी के अपने व्यापारिक रिकॉर्ड द्वारा आपूर्ति की जाती है। कंपनी उपलब्ध उचित और सहायक अग्रेषण की जानकारी पर विचार करती है जिसमें निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं:

- आंतरिक क्रेडिट रेटिंग
- बाहरी क्रेडिट रेटिंग
- व्यापार, वित्तीय या आर्थिक स्थितियों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन, जो अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए देनदार की क्षमता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बन सकते हैं।
- ऋणी के परिचालन परिणामों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण परिवर्तन
- उसी देनदार के अन्य वित्तीय साधनों पर ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि
- ऋणी के अपेक्षित निष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन , जिसमें समूह में ऋणी के भुगतान की स्थिति में परिवर्तन और ऋणी के परिचालन परिणामों में परिवर्तन शामिल हैं।

उपरोक्त विश्लेषण के बावजूद, क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है अगर एक देनदार संविदात्मक भुगतान करने के कारण 180 दिनों से अधिक पुराना है।

कंपनी ने निर्धारित किया कि उसकी वित्तीय संपत्ति क्रेडिट–हानि की है जबः

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

- देनदार के लिए बहुत कठिनाई है
- अनुबंध का उल्लंघन, जैसे कि डिफ़ॉल्ट या पूर्व नियत घटना
- ऐसी संभावना है कि देनदार दिवालियापन या अन्य वित्तीय पुनर्गठन की संभावना है
- वित्तीय परेशानियों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक सक्रिय बाजार का उपलब्ध नही होना है

कंपनी संभावित राइट–ऑफ के लिए प्राप्य को वर्गीकृत करती है जब एक देनदार 360 दिनों से अधिक समय तक अनुबंध भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय परिसंपत्तियां तब निकाली जाती हैं, जब इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि देनदार गंभीर वित्तीय परेशानी में है और कर्जदार के पास वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है।

कंपनी की वर्तमान क्रेडिट जोखिम ग्रेडिंग रूपरेखा में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

श्रेणी	श्रेणी की परिभाषा	अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) को पहचानने के लिए आधार
I	प्रतिपक्ष को डिफ़ॉल्ट का कम जोखिम होता है और किसी भी पिछले देय मात्रा में नहीं होता है।	12 महीने की ई.सी.एल.
II	राशि पिछले > 30 दिनों से देय है या प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	लाइफटाइम ईसीएल – क्रेडिट–हानि नहीं
III	राशि > 90 दिनों से देय है या इस बात का साक्ष्य है कि परिसंपत्ति की क्रेडिट–हानि है (डिफ़ॉल्ट में)	लाइफटाइम ईसीएल – क्रेडिट–हानि नहीं
IV	इस बात का साक्ष्य है जो यह इंगित करता है कि देनदार गंभीर वित्तीय संकट में है और देनदार से वास्तव में वसूली की कोई संभावना नही है	राशि बटटे खाते में डाली गई हैं

	नोट	श्रेणी	12 महीने या लाईफटाईम ईसीएल	सकल कैरिंग राशि यूएस $	हानि भत्ता यूएस $	निवल कैरिंग राशि यूएस $
31 मार्च 2020						
प्राप्य व्यापार	8	नोट 1	लाईफटाईम ईसीएल (सरलीकृत)	17,755,589	-	17,755,589
अन्य प्राप्तिया	8	नोट 1	12 महीने ईसीएल	774,993	-	774,993
					-	
31 मार्च 2019						
प्राप्य व्यापार	8	नोट 1	लाईफटाईम ईसीएल (सरलीकृत)	22,757,986	-	22,757,986
अन्य प्राप्तिया	8	नोट 1	12 महीने ईसीएल	218,867	-	218,867
					-	

व्यापार प्राप्य (नोट 1)

व्यापार प्राप्य के लिए, कंपनी ने जीवनकाल ईसीएल में हानि भत्ता को मापने के लिए एफआरएस 109 में सरलीकृत दृष्टिकोण लागू किया है। कंपनी एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करके ईसीएल का निर्धारण करती है, जो कि देनदारों की पिछली देय स्थिति के आधार पर ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव के आधार पर अनुमानित है, जिसे वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों के अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तदनुसार, प्रावधान प्राप्तियों के संदर्भ में व्यापार प्राप्तियों की क्रेडिट जोखिम प्रोफ़ाइल उनके पिछले कारण की स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती है।

कंपनी का मानना है कि सभी प्राप्तियां ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार और ग्राहकों की साख के आधार पर संग्रहणीय हैं ।

अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या आर्थिक विशेषताएं होती हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। सांद्रता किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास के लिए कंपनी के प्रदर्शन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

ऋण जोखिम के लिए एक्सपोजर

कंपनी के पास तीसरे पक्ष के ग्राहकों के साथ संतुलन के अलावा क्रेडिट जोखिम की कोई महत्वपूर्ण सांद्रता नहीं है। कंपनी के पास अपनी क्रेडिट जोखिम को कम और न्यूनतम करने के लिए क्रेडिट नीतियां और प्रक्रियाएं हैं।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

अन्य प्राप्तिया

कंपनी ने प्रतिपक्षों के नवीनतम प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति का आकलन किया, भविष्य में उद्योग के ष्टिकोण के लिए समायोजित किया गया जिसमें समकक्षों ने काम किया और निष्कर्ष निकाला कि वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रारंभिक पहचन के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। तदनुसार, कंपनी ने 12 महीने की ईसीएल का उपयोग करके हानि को मापा और निर्धारित किया कि ईसीएल महत्वहीन है।

बाजार ज़ोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन करता है, जैसे कि ब्याज दरें और विदेशी मुद्रा दरें कंपनी की आय को प्रभावित करेंगे। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम पर वापसी का अनुकूलन करते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करना है।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दरों में बदलाव के कारण कंपनी के वित्तीय साधनों के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव करता है। ब्याज दर जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से सावधि जमा और उधार से उत्पन्न होता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी के ब्याज–असर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफ़ाइल निम्नानुसार थीः

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
परिवर्तनीय दर इंस्ट्रूमेंटस		
वित्तीय संपत्ति	12,631,347	10,736,207
वित्तीय देनदारियों	(15,589,023)	(5,716,873)
	(2,957,676)	5,019,334

कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज असर वाले वित्तीय साधनों पर ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तनों के प्रभावों से उत्पन्न कंपनी के लाभ या हानि पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, यदि ब्याज दरें 0.5% (2019ः 0.5%) अधिक या कम थीं या अन्य सभी परिवर्ती स्थिर थीं, तो कर पूर्व कंपनी का लाभ या हानि अमेरिकी डालर 14,788 (2019 अमेरिकी डॉलर 25,097) अधिक या कम था। मुख्य रूप से उच्च या निम्न ब्याज आय या बैंक में फ्लोटिंग रेट कैश पर खर्च और फ्लोटिंग दर बैंक उधार के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए आधार बिंदुओं में अनुमानित आंदोलन वर्तमान में अवलोकन योग्य बाजार वातावरण पर आधारित है।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम का परिणाम मुख्य रूप से विदेशी मुद्राओं में होने वाले लेनदेन के नकदी प्रवाह से होता है। वर्तमान में, कंपनी के पास मुद्रा जोखिम के खिलाफ बचाव के लिए कोई औपचारिक नीति नहीं है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि छोटी अवधि के असंतुलन को दूर करने के लिए, विदेशी मुद्रा को स्पॉट रेट पर विदेशी मुद्राओं की खरीद या बिक्री करके स्वीकार्य स्तर पर रखा जाए।

कंपनी के पास बिक्री या खरीद से उत्पन्न होने वाली लेन–देन की करेंसी हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक करेंसी के अलावा किसी अन्य करेंसी में मुख्य रूप से सिंगापुर डॉलर (एसजीडी)के रूप में दर्शाए गए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी का एसजीडी को करेंसी एक्सपोजर निम्नलिखित था :

	सजीडी यूएस$
2020	
वित्तीय संपत्ति	
नकद और नकद समकक्ष	21,680
व्यापार और अन्य प्राप्तियां	2,738
अन्य संपत्तियां	26,969
	51,387
वित्तीय देनदारियां	
व्यापार और अन्य देनदारियां	100,078
लीज देनदारी	88,966
	(189,044)
करेंसी एक्सपोजर	**(137,657)**

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

2019	
वित्तीय परिसंपत्ति	
नकद और नकद समकक्ष	14,073
व्यापार और अन्य प्राप्तियां	6,626
अन्य परिसंपत्तियां	19,155
	39,854
वित्तीय देनदारियां	
व्यापार और अन्य देनदारियां	(62,390)
करेंसी एक्सपोजर	**(22,536)**

विदेशी मुद्रा की तुलना में अमरीकी डॉलर की 5% की मजबूती ने रिपोर्टिंग तिथि में शेष राशि को नीचे दिखाए गए राशियों द्वारा लाभ या हानि को कम किया जाएगा। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी परिवर्ती स्थिर रहते हैं।

	लाभ या हानि (कर के बाद)	
	2020	**2019**
	यूएस$	**यूएस$**
सिंगापुर डॉलर	5,713	935

उपरोक्त करेंसियों की तुलना में अमरीकी डॉलर का 5% कमजोर होना, उपरोक्त करेंसियों पर उपरोक्त करेंसियों के बराबर ही विपरीत प्रभाव पड़ता है, इस आधार पर कि अन्य सभी परिवर्ती स्थिर रहते हैं।

नगदी जोखिम

नगदी जोखिम उस जोखिम को संदर्भित करता है जो धन की कमी के कारण कंपनी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करेगी। नगदी जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता के बेमेल से उत्पन्न होता है। इसका भुगतान भुगतान और रसीद चक्रों के मिलान द्वारा किया जाता है। कंपनी का उद्देश्य धन की निरंतरता बनाए रखना है। कंपनी संचालन से उत्पन्न धन के माध्यम से अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। निदेशक संतुष्ट हैं कि कंपनी के संचालन के वित्तपोषण के लिए धन उपलब्ध है।

शेष संविदात्मक परिपक्वता के साथ वित्तीय विवरणों का विश्लेषण

नीचे दिये गये विवरण में रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी के वित्तीय परियसंपतियों और देयताओ की परिपक्वता प्रोफाईल को संक्षेप में दिया गया है जो संविदात्मक गैर–छूट पुर्नभुगतान दायित्वों पर आधारित हैं।

	कैरिंग राशि	**संविदात्मक नगद प्रवाह**	**एक वर्ष या कम**	**एक से पांच वर्ष**
	यूएस$	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**
2020				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
अन्य परिसंपत्तियां	26,969	26,969	-	26,969
नगद और समकक्ष	14,139,152	14,352,969	14,352,969	-
व्यापार और अन्य प्राप्य (i)	18,527,844	18,527,844	18,527,844	-
कुल गैर–छूट वाली वित्तीय परिसंपतियां	32,693,965	32,907,782	32,880,813	26,969
वित्तीय देयताएं				
व्यापार और अन्य भुगतान(ii)	2,685,034	2,685,034	2,685,034	-
ऋण	15,589,023	15,602,757	15,602,757	-
लीज देयताएं	88,966	88,966	88,966	-
कुल गैर–छूट वित्तीय देयताएं	(18,363,023)	(18,376,757)	(18,376,757)	-
कुल निवल गैर–छूट वित्तीय परिसंपतियां	14,330,942	14,531,025	14,504,056	26,969

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

2019				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
अन्य परिसंपत्तियां	19,155	19,155	4,881	14,274
नगद और समकक्ष	11,434,436	11,622,371	11,622,371	-
व्यापार और अन्य प्राप्य (i)	22,976,853	22,976,853	22,976,853	-
कुल गैर–छूट वाली वित्तीय परिसंपतियां	34,430,444	34,618,379	34,604,105	14,274
वित्तीय देयताएं				
व्यापार और अन्य भुगतान(ii)	16,450,875	16,450,875	16,450,875	-
ऋण	5,716,023	5,720,084	5,720,084	-
लीज देयताएं				
कुल गैर–छूट वित्तीय देयताएं	(22,166,898)	(22,170,959)	(22,170,959)	-
कुल निवल गैर–छूट वित्तीय परिसंपतियां	12,263,546	12,447,420	12,433,146	14,274

(i) इन राशियों में जीएसटी प्राप्य शामिल नही है
(ii) इन राशियों में करार देयताएं शामिल नही है

22. उचित मूल्य पर परिसंपत्तियों और देनदारियों को मापा जाना

एक वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का उचित मूल्य वह राशि है जिस पर इंस्ट्रूमेंट का विनिमय किया जा सकता है या जानकार ओर इच्छुक पार्टियों के बीच के लेन–देन में जानकार और के बीच विभिन्न पार्टियों के बीच बाध्यकारी या परिसमापन बिक्री के अलावा बाजार मूल्य पर समझौता किया जा सकता है।

वित्तीय साधनों के प्रत्येक वर्ग के उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए उस मूल्य का अनुमान लगाना व्यावहारिक है।

नकद और नकद समकक्ष, अन्य प्राप्य, अन्य देय राशि

इन शेष राशि की मात्रा इन शेष राशि के अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों को अनुमानित करती है।

व्यापार प्राप्य और व्यापार देय

इन प्राप्तियों और भुगतानों की वहन मात्रा उनके उचित मूल्यों को अनुमानित करती है क्योंकि वे सामान्य व्यापार क्रेडिट शर्तों के अधीन हैं।

उधार और पट्टा देयता

उधार लेने और लीज देयता की मात्रा उनके उचित मूल्यों को अनुमानित करती है क्योंकि वे वित्तीय संस्थानों के समान व्यवस्था के लिए ब्याज दरों के बाजार दर के करीब हैं।

23. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह अपने व्यापार का समर्थन करने और शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए एक मजबूत क्रेडिट रेटिंग और शुद्ध वर्तमान संपत्ति की स्थिति बनाए रखता है । कंपनी की पूंजी संरचना में जारी शेयर पूंजी और बरकरार रखी गई आय शामिल है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के मद्देनजर इसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी किसी भी बाहरी रूप से लगाए गए पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्षों के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(पंजीकरण संख्या 199407265एम)
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

24. श्रेणियों में वित्तीय इंस्ट्रूमेंटस्

रिपोर्टिंग तिथि को, वित्तीय परिसंपत्तियों और परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियों की कुल राशि इस प्रकार थीः

	2020 यूएस$	2019 यूएस$
वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है		
अन्य परिसंपत्तियां	26,969	19,155
नकद और नकद समकक्ष	14,139,152	11,434,436
व्यापार और अन्य प्राप्य (प)	18,527,844	22,976,853
	32,693,965	34,430,444
वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है		
व्यापार और अन्य भुगतान (पप)	2,685,034	16,450,875
ऋण	15,589,023	5,716,023
लीज देनदारी	88,966	-
	18,363,023	22,166,898

(i) इन राशियों में जीएसटी प्राप्य शामिल नही है

(ii) इन राशियों में करार देयताएं शामिल नही है

25. रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटित घटनाएं

रिपोर्टिंग अवधि के बाद, कोविड–19 के फैलाव ने दुनिया भर बहुत सारी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई देशों में, व्यवसायों को लंबे समय तक या अनिश्चित समय के लिए संचालन को रोकने या सीमित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यात्रा प्रतिबंध, संगरोध, सामाजिक दूरी और अनावश्यक सेवाओं के बंद करने के साथ साथ वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए गए उपायों ने दुनिया भर के कारोबारों में अत्याधिक बाधा उत्पन्न की है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी आ गई है। वैश्विक शेयर बाजारों ने भी अतयाधिक अस्थिरता आने के साथ साथ बाजार बहुत कमजोर हो गया है! सरकार ने आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय व्यस्थाओं का प्रावधान किया है ।

कंपनी ने निर्धारित किया है कि ये घटनाएँ बाद की घटनाओं को समायोजित करने वाली नहीं हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2020 को समाप्त और वर्ष के लिए परिचालन की वित्तीय स्थिति और परिणामों को उनके प्रभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित नहीं किया गया है। कोविड–19 महामारी की अवधि और प्रभाव, साथ ही साथ सरकारी प्रतिक्रियाओं की प्रभावशीलता इस समय स्पष्ट नहीं है। इन परिणामों की अवधि और गंभीरता और कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिणामों पर उनके प्रभाव का भविष्य की अवधि के लिए अनुमान लगाना संभव नहीं है।

26. वित्तीय विवरणों के निर्गमन के लिए अनुमति

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय विवरणों को को कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार निदेशकों वक्तव्य की तारीख जारी करने के लिए प्राधिकृत थे।

एमएमटीसी लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरण
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

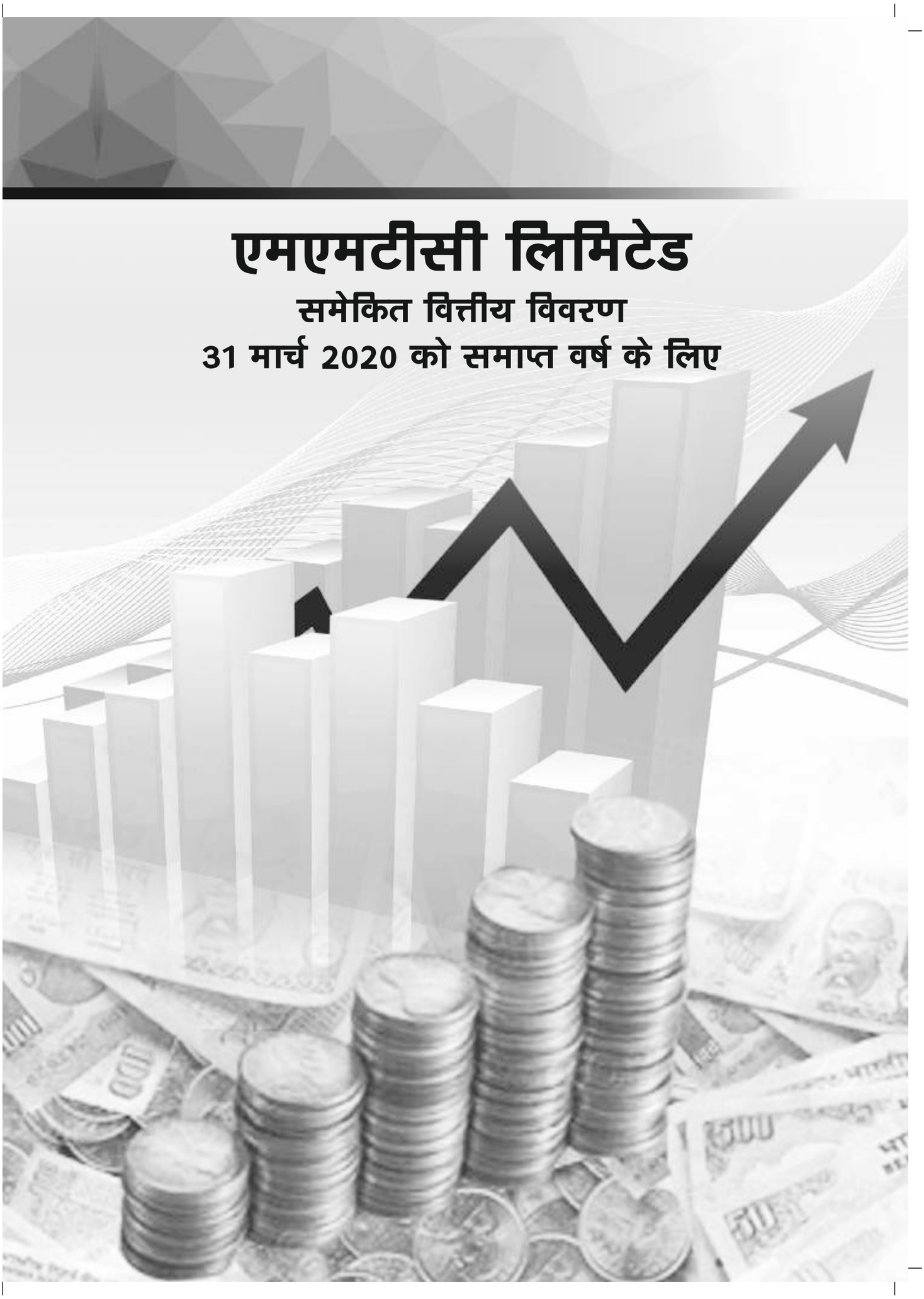

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (इसके बाद होल्डिंग कंपनी के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनी और इसमें संयुक्त उद्यम कंपनी में एक साथ ''समूह'' के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसमें 31 मार्च, 2020 तक बैलेंस शीट, लाभ व हानि के समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय को शामिल करना) और नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन और अन्य खोजपूर्ण जानकारी का सारांश सहित और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं। अब से ऐसे ''समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों के रूप में संदर्भित किया गया हैं ।

हमारी राय में हमारी सबसे अधिक जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी अधिनियम, द्वारा आवश्यक जानकारी को पूर्वावत समेकित वित्तीय विवरणों में इस तरह से तैयार किया गया है और इसके अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया गया है जो भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार मार्च 31, 2020 में समेकित नुकसान और इसकी कुल व्यापक आय (शुद्ध हानि और कुल व्यापक नुकसान को मिलाकर) के रूप में समूह के मामले की समेकित स्थिति और वर्षान्त में सकल नकद प्रवाह को दर्शाता है ।

राय का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसएज) के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के सेक्शन की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के दायित्व में और आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अधीन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित नीतिपूरक आवश्यकताओं के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त हमने इन आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य नीतिपरक दायित्वों एवं नीति संहिता का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं समुचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले ऐसे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विचार से वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्व के हैं। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा तथा इन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में पूर्ण रूप से शामिल किया गया है। इन मामलों पर हम अलग से अपनी राय नहीं देते।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1.	वर्तमान पुराने ईआरपी सिस्टम को समेकित एवं नवीनतम ईआरपी सिस्टम से बदलने की अवश्यकता के संबंध में नोट 36(बी) को देखें। किसी एक की अनुपस्थिति में कंपनी अधिनियम में मूल्यह्रास शैड्यूल जैसे नियमों में वर्तमान परिवर्तनों को सिस्टम में मजबूती से नहीं लिया जा सकता।	यह सुनिश्चित करने के लिए हमने विस्तृत रूप से निम्नलिखित परीक्षण किए हैं:– विभिन्न एकाऊंटिंग पैकेजिंग/साफ्टवेयर में पास की गई सभी प्रविष्टियों को तुलन पत्र की तिथि को वित्तीय विवरण बनाने के लिए सही रूप से मैप किया गया है :– • कट ऑफ प्रक्रिया निष्पादित की • विभिन्न प्लेटफार्म पर पास की गई प्रविष्टियों का रिकंसिलिएशन
2.	दावों पर नोट संख्यां 34 का संदर्भ लें जिसमें लम्बित विधिक मामलों के लिए इनमें सम्मिलित दावों को ऋण के रूप में नहीं पहचाना गया है। विभिन्न निर्णायक प्राधिकरणों के समक्ष बहुत अधिक संख्या में मामले लम्बित हैं। इन विधिक मामलों में विवादों के संभावित परिणामों का निर्धारण करने के लिए तथा स्वतंत्र विधिक निर्धारण हेतु मामलों की पूछताछ करना शामिल है। व्यापारिक कार्यकलापों के साथ–साथ विशेष कार्यकलापों की एकाउंटिंग के लिए होल्डिंग कंपनी के 8 क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न प्रभाग हैं। तथापि, अनेक मामलों में विधिक मामले कारपोरेट कार्यालय स्तर पर देखे जाते हैं जबकि संबंधित वित्तीय सूचनाएं/लेन–देन क्षे.का. स्तर पर देखे जाते हैं। ऐसे लेनदेनों को व्यापक एवं सम्पूर्ण व्यवहार देने में कठिनाईयां होती हैं।	हमने दिनांक 31 मार्च 2020 को कारपोरेट कार्यालय के विधि प्रभाग द्वारा हैंडल किए जा रहे सभी लम्बित विधिक मामलों की सूची के साथ साथ विगत वर्ष की तुलना में मामलों की स्थिति में परिवर्तनों पर प्रबंधतंत्र से एक नोट भी प्राप्त किया है। प्रबंधतंत्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के प्रभाव पर हमने विचार किया है तथा कंपनी के वित्तीय दायित्वों के प्रभाव का भी विश्लेषण किया है। वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग में स्पष्टता लाने के लिए प्रबंधतंत्र को सुझाव दिया गया कि विधिक मामलों तथा वित्तीय दायित्वों, यदि कोई हो तो, को एक स्थान पर रखा जाए।

3.	नोट सं. 11 बी का संज्ञान लें, जिसमें संबंधित पार्टियों का अग्रिम शामिल है। जिसमें एनआईएनएल को दिया गया ऋण/अग्रिम वर्ष के दौरान आय नहीं माना गया है।	मामले के महत्व को देखते हुए हमने इस क्षेत्र में दूसरों के बीच निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को लागू किया, ताकि पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त हो सके। हमने ब्याज की वसूली की संभावना के तहत प्रबंधन के साथ मामले पर चर्चा की। इंडएएस 115 राजस्व मान्यता की शर्तों में कंपनी की राजस्व मान्यता नीति और उसके अनुपालन की उपयुक्तता को माना। वित्तीय विवरणों में किए गए प्रासंगिक खुलासों को आंकलन किया गया ।
4.	सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश में हानि का आंकलन (संदर्भ नोट सं. 6) 31 मार्च, 2020 को कंपनी के पास गैर–चालू और वर्तमान निवेश है।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल है, लेकिन हम निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:– प्रबंधन प्रक्रिया की प्राप्ति और समझ। हानि संकेतो के संबंध में प्रबंधन के साथ बड़े पैमाने पर चर्चा की और नियंत्रण के डिजाईन और परीक्षण संचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। निवेश की पुनः प्राप्ति का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्य–प्रणाली को स्वीकार किया और यह सुनिश्चित किया कि यह लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

मामलों पर विशेष बल

1. जांच संयुक्त उद्यम मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, मैसर्स फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड, सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड, वीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड और एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड की वर्ष 2019–20 के लिए वित्तीय विवरण, कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं की गई । समेकित वित्तीय विवरणों के इन संयुक्त उद्यमों में निवेश पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है ।
2. मेसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल), जो कंपनी का एक संयुक्त उद्यम है, में कंपनी के निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36(सी) की और ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
3. हम कंपनी के संचालन और वित्तीय मामलों पर वैश्विक महामारी–कोविड 19 के प्रभाव का वर्णन करने वाले कथनों के नोट संख्या 51 पर ध्यान आकर्शित करते हैं ।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तींय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुसार समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों की होल्डिंग कंपनी के निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे पर्याप्त रिकार्ड का रखरखाव शामिल है जो आवश्यक है समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी रोकने तथा धोखाधड़ी व अनियमित्ताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन करने तथा उनको अपनाने, ऐसे निणय लेने तथा आंकलन करने जो तर्कसंगत तथा उचित हो, ऐसा पर्याप्त अंतरिम वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, लागू करने जो लेखा रिकार्ड एक्युरेसी तथा पूर्णतया को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करते हों, ऐसे समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने जो लेखों की सही तथा सत्य स्थिति प्रस्तुत करते हों तथा लेखा विवरण धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हुई बड़ी चूक से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय मैनेजमेंट का यह दायित्व होता है कि वह कंपनी की गोईंग कंसर्न की योग्यता का निर्धारण करे, गोईंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करे तथा अकाऊंटिंग के लिए गोईंग कंसर्न की व्यवस्था उस स्थिति तक अपनाए जब तक कि मैनेजमेंट कंपनी का निस्तातरण न कर दे अथवा परिचालन न बंद कर दे अथवा कोई विकल्प ही न बचा हो, जिसका उपयोग होल्डिंग कंपनी के निदेशक द्वारा पूर्ववत रूप से समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यम इकाईयों से संबंधित समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसके सहयोगियों को संयुक्त उद्यम इकाईयों की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की ऑडिट के बारे में लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करे कि वित्तीय विवरणों में किसी भी सूचना एवं तथ्यों को गलत तौर पर नहीं दिया गया है, चाहे गलत जानकारी किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण क्यों न दी गई हो। इसके बाद हम लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें हम

अपनी राय शामिल करते हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु वह इस बात की गारंटी नहीं होती है कि एसएज के अनुसार किया गया ऑडिट सदा ही किसी गलत तथ्य एवं सूचना का पता लगा सके। गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा किसी गलती से उत्पन्न हो सकते हैं तथा उन्हें एकल रूप से अथवा समग्र रूप से इतना महत्वपूर्ण अथवा प्रभावी माना जाता है कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले निर्णयों की इससे पर्याप्त रूप से प्रभावित होने की आशंका हो।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवर के तौर पर निर्णय लेते हैं तथा अपनी ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेहवाद को अपनाते हैं। हम यह भी करते हैं :

- वित्तीय वितरणों में दी गई गलत जानकारी, त्रुटि चाहे धोखाधड़ी अथवा गलती से हुई हो, का पता लगाते हैं तथा संबंधित जोखिम का निर्धारण करते हैं। साथ ही हम ऑडिट की ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो उन जोखिम के लिए रिस्पोंसिव हो। इसके अलावा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय अथवा मत के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार होता है। धोखाधड़ी से दी गई गलत जानकारी का जोखिम त्रुटि की तुलना में अधिक होता है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना हो सकती है।
- ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त आडिट प्रकियाएं तैयार की जा सकें। कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा यह भी दायित्व होता है कि हम यह देखें कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा यह प्रणाली नियंत्रण के लिए कारगर है ।
- प्रयोग में लाई गई लेखानीतियां तथा लेखा अनुमानों की उपयुक्तता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन ।
- इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि लेखांकन के लिए प्रबंधतंत्र द्वारा प्रयोग किया गया गोईंग कंसर्न उचित है, प्राप्त किए गए आडिट साक्ष्य के अनुसार क्या ऐसी घटनाओं अथवा परिस्थितियों के बारे में अनिश्चितता विद्यमान है जिनके कारण कंपनी की एक गोईंग कंसर्न की निरंतरता कायम रहने की योग्यता पर पर्याप्त संदेह बनता हो। यदि हमें यह पता चलता है कि इस बारे में पर्याप्त अनिश्चितता है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर सकती है जिनके कारण कंपनी के लिए गोइंग कंसर्न बने रहना संभव न हो।
- प्रकटनों सहित समग्र प्रस्तुति संरचना तथा वित्तीय विवरणों के सार का मूल्यांकन तथा क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा इवेंट्स का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे सही प्रस्तुति की श्रेणी में आते हैं ।
- समूह के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी और समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए संयुक्त उद्यम संस्थाओं में शामिल होने के लिए पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट प्रमाण प्राप्त करें । हम समेकित वित्तीय विवरणों में ऑडिट की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक है । समेकित विततीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिन्हें अन्य लेखा परीक्षण द्वारा ऑडिट किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए ऑडिट की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी ऑडिट राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।
- हम होल्डिंग कंपनी के शासन के साथ उन लोगों के साथ संवाद करते हैं और इस तरह की अन्य ईकाई को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है, जिनके बारे में हम वैधानिक लेखा परीक्षक नहीं हैं! अन्य मामले के अलावा, ऑडिट और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय, कोई भी, आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण सहित कमी को जो हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।
- हम अपनी रिपोर्ट पर इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के मामले में संबंधित नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा उन सभी संबंधों तथा अन्य मामले जिनमें संवाद किया गया है तथा जो स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में आवश्यक हैं।

  शासन के साथ आरोपित मामलों के साथ, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते हैं और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं, उनमें हम ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों में वर्णन करते हैं जब तक कि मानून या विनिमयन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले में संचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभ के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा नहीं होगी ।

अन्य मामले

1. हमने सिंगापुर में निगमित एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण / वित्तीय सूचनाओं का लेखा–जोखा नहीं किया – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड जिसका वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 तक 247.74 करोड़ रु. की कुल संपत्ति,100.32 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति, समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया और 2375.05 करोड़ रुपये का राजस्व ओर 61.11 करोड़ रुपये का कुल शुद्ध आय है। उस वर्ष के लिए 6.64 करोड़ रुपये में कुल शुद्ध लाभ है।
2. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 26.16 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) समूह का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि संयुक्त रद्यम मैसर्स एमएमटीसी पैम्प इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया तथा जिसके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी या हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है ।
3. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2020 से समान वर्ष के लिए 79.42 करोड़ रु. के नुकसान के समूह की हिस्सेदारी भी शामिल है, संयुक्त उद्यम मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के संबंध में अनाधिकृत वित्तीय परिणामों के आधार पर 9 महीने की अवधि के लिए संयुक्त उद्यम 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त हो गया, उनकी विधिवत लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत समीक्षा की गई और इस तरह के वित्तीय विवरणों / परिणामों का हमारे द्वारा आडिट नहीं किया गया।

4. समेकित वित्तीय विवरणों में चार संयुक्त उद्यम कंपनी, मैसर्स फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और सिकल आयरन अयस्क टर्मिनल लिमिटेड, टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड और एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड के समूह की हिस्सेदारी का नुकसान शामिल नहीं है क्योंकि समूह की संचित घाटे से अधिक हो गई है । होल्डिंग कंपनी के पूर्वोक्त संयुक्त उद्यमों के संबंध में निवेश का मूल्य उन संयुक्त मूल्य उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं का न तो हमारे द्वारा ऑडिट किया गया हे और न ही किसी वित्तीय विवरण (आडिटेड / अनआडिटेड) को होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के अनुसार, अब तक इसमें प्रस्तुत किया गया है । सहायक धारा और 6 संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, अब तक यह उपर्युक्त सहायक से संबंधित है और संयुक्त उद्यम पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। सिंगापुर में सहायक के वित्तीय विवरणों को होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा समायोजित किया गया है, जो आमतौर पर भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है ।

5. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं के बारे में हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित काम पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी के संबंध में है ।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) में जैसा आवश्यक है, हम सूचित करते हैं :–

ए) हमने ऐसी सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास में लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे ।

बी) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित पुस्तकों में अब तक रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्राप्त होता है ।

सी) समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि व समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा इक्विटी में किए गए परिवर्तनों में समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों में तैयारी के उद्देश्य के लिए बनाए गए खाते से संबंधित पुस्तकों के साथ अनुबंध है ।

डी) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण प्रासंगिक नियमों के तहत जारी किये गये कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानक को उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अनुपालन करते हैं।

ई) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) अधिनियम की धारा 164 की उप धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा इस प्रकार के नियंत्रण के परिचालन प्रभाव के लिए ''अनुलग्नक 1'' में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

जी) कंपनीज (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में हमारी राय तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

i) बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क से संबंधित मामलों सहित लंबित मुकदमें जिनका खुलासा आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है – एकल वित्तीय विवरण के नोट 34 और 36 का संदर्भ लें । इसके प्रभाव का निर्धारण करना संभव नहीं है चूंकि मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।

ii) कंपनी ने डेरीवेटिव करारों सहित दीर्घावधि करारों पर अनुमान्य हानियों, यदि कोई है, के लिए लागू विधानों या लेखा मानकों के अंतर्गत प्रावधान कर लिए हैं ।

iii) भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा इन्वेस्टर्स एजुकेशंस एंड प्रोटेक्शन फंड में हस्तांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि के हस्तांतरण में कोई देरी नहीं हुई है ।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2020
यूडीआईएन : 20095584एएएएजेके3981

चार्टर्ड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक – 1

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143(3) (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे आडिट के साथ 31 मार्च 2020 से संबंधित एमएमटीसी लि.(कंपनी) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्व :

कंपनी द्वारा इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आडिट पर दिशा निर्देश नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इसमें इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाईन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय को सक्षम और सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सुनिश्चित करने के प्रभावी तरीके से परिचालित हो रहे थे। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और इसकी पहचान लेखा रिकार्डो की सटीकता और इसकी पूर्णता भी शामिल हैं।

आडिटरों का दायित्व :

हमारा दायित्व हमारे आडिट पर आधारित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट पर दिशा निर्देशों के अनुसार आडिट किया है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्धारित माना गया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट पर लागू है। हम उन मानकों और दिशा –निर्देशों का नीतिपरक अपेक्षाओं और योजनाओं के साथ अनुपालन करते हैं और पर्याप्त आश्वासन लेने के लिए आडिट करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रमाणित हो और इससे संबंधित सभी का प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण हो सके ।

हमारे आडिट में निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया है जिससे वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के आडिट प्रमाण मिल सके और उनकी संचालन प्रभावशीलता मिल सके। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ पैदा करने, मूर्त कमजोरी में जोखिम का पता लगाना और इसके जोखिम पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण के परिचालित प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया आडिट के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरण का ठोस गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो आडिट प्रमाण मिले हैं वे कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी आडिट राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्वांतों के अनुसार बाहय उददेश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में इन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है कि

(1) रिकार्ड के रख रखाव से संबद्व जो उचित विवरण में कंपनी की संपत्तियों के लेन देन, प्रकृति को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।

(2) उचित आश्वासन देता है कि लेन देन को आमतौर पर स्वीकार्य सिद्वांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए आवश्यक रूप में रिकार्ड किया गया है और कंपनी के प्रबंधन और निवेशकों के अधिकारों के अनुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

(3) रोकथाम या अनाधिकृत अधिग्रहण की समय पर खोज, उपयोग के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराता है या कंपनी की संपत्ति की प्रकृति जिसका वित्तीय विवरण पर ठोस प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्विहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतनिर्हित सीमाएं जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित तरीके से प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, ठोस गलत विवरण जो त्रृटि या धोखाधड़ी के कारण हो सकता है इसमें शामिल है, जिसका पता न लग सके।

भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरण के किसी मूल्यांकन के प्रोजेक्शन जोखिम पर निर्भर करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हो सकता है या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बदतर हो सकती है।

अन्य मामले

1. अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर अब तक चार संयुक्त उद्यमों से संबंधित भारत में शामिल कंपनियां, ऐसी भारत में शामिल कंपनियों के आडिटर्स रिपोर्ट पर आधारित हैं ।
2. हम अब तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यह दो संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जो भारत में निगमित है और ऐसी भारत में निगमित कंपनियों के ऑडिटर्स की सुसंगत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

उपरोक्त मामलों पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

राय :

हमारी राय में भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां के पास, सभी ठोस मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप में हैं और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 से प्रभावी रूप से संचालित है जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर मानदंड पर आधारित थे। इनकी स्थापना के समय इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आडिट पर दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रकों के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

कृते एम एल पुरी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ आर एन 002312 एन

चार्टड अकाउंटेंट आर सी गुप्ता
साझेदार
एम न.: 095584

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 31.07.2020

वर्ष 2019–20 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षक टिप्पणी पर प्रबंधन का उत्तर

पारा सं.	लेखापरीक्षक की टिप्पणियों	प्रबंधन का उत्तर
क्र. सं.	**प्रमुख लेखा परीक्षा मामला**	
1.	वर्तमान पुराने ईआरपी सिस्टम को समेकित एवं नवीनतम ईआरपी सिस्टम से बदलने की अवश्यकता के संबंध में नोट 36(बी) को देखें। किसी एक की अनुपस्थिति में कंपनी अधिनियम में मूल्यह्रास शैड्यूल जैसे नियमों में वर्तमान परिवर्तनों को सिस्टम में मजबूती से नहीं लिया जा सकता। **<u>लेखा परीक्षकों का उत्तर</u>** यह सुनिश्चित करने के लिए हमने विस्तृत रूप से निम्नलिखित परीक्षण किए हैं: कि विभिन्न एकाऊंटिंग पैकेजिंग / साफ्टवेयर में पास की गई सभी प्रविष्टियों को तुलन पत्र की तिथि को वित्तीय विवरण बनाने के लिए सही रूप से मैप किया गया है :– • कट ऑफ प्रक्रिया निष्पादित की • विभिन्न् प्लेटफार्म पर पास की गई प्रविष्टियों का रिकंसिलिएशन	स्टेंडालोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी के संबधं में उत्तर देखें।
2.	दावों पर नोट संख्यां 34 का संदर्भ लें जिसमें लम्बित विधिक मामलों के लिए इनमें सम्मिलित दावों को ऋण के रूप में नहीं पहचाना गया है। विभिन्न निर्णायक प्राधिकरणों के समक्ष बहुत अधिक संख्या में मामले लम्बित है। इन विधिक मामलों में विवादों के संभावित परिणामों का निर्धारण करने के लिए तथा स्वतंत्र विधिक निर्धारण हेतु मामलों की पूछताछ करना शामिल है। व्यापारिक कार्यकलापों के साथ–साथ विशेष कार्यकलापों की एकाउंटिंग के लिए कंपनी के 8 क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न प्रभाग हैं। तथापि, अनेक मामलों में विधिक मामले कारपोरेट कार्यालय स्तर पर देखे जाते हैं जबकि संबंधित वित्तीय सूचनाएं / लेन–देन क्षे.का. स्तर पर देखे जाते हैं। ऐसे लेनदेनों को व्यापक एवं सम्पूर्ण व्यवहार देने में कठिनाईयां होती हैं। **<u>लेखा परीक्षकों का उत्तर</u>** हमने दिनांक 31 मार्च 2020 को कारपोरेट कार्यालय के विधि प्रभाग द्वारा हैंडल किए जा रहे सभी लम्बित विधिक मामलों की सूची के साथ साथ विगत वर्ष की तुलना में मामलों की स्थिति में परिवर्तनों पर प्रबंधतंत्र से एक नोट भी प्राप्त किया है। प्रबंधतंत्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के प्रभाव पर हमने विचार किया है तथा कंपनी के वित्तीय दायित्वों के प्रभाव का भी विश्लेषण किया है। वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग की स्पष्टता लाने के लिए प्रबंधतंत्र को सुझाव दिया गया कि विधिक मामलों तथा वित्तीय दायित्वों, यदि कोई हो तो, को एक स्थान पर रखा जाए।	स्टेंडालोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी के संबधं में उत्तर देखें।

	मामलों पर जोर	
1.	हम मेसर्स नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) –एक संयुक्त उद्यम कंपनी के निधि आधारित और गैर–निधि आधारित निवेश के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 36 (सी) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ।	स्टेंडालोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी के संबधं में उत्तर देखें।

	स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–1	
1.	(iii) अचल परिसंपत्ति का स्वत्व विलेख निम्न रेखांकित मामलों को छोड़कर कंपनी के नाम है : **क्षेत्रीय कार्यालय** | **परिसंपत्ति वर्णन** | **कुल मूल्य (रूपये में)** | **क्षेत्र** कारपोरेट कार्यालय | पट्टे पर जमीन (स्कोप) कार्यालय भवन (स्कोप) | 1.04 करोड़ 5.74 करोड़ | – टिप्पणी : पट्टा विलेख स्कोप के नाम पर है जो कि कंपनी के पक्ष में कार्यान्वित होना है।	स्टेंडालोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी के संबधं में उत्तर देखें।
2.	**<u>पार्टी को दिए गए ऋण अनुच्छेद 189 के अंतर्गत कवर है – नोट सं. 36 (सी) उददृत</u>** कंपनी ने अपने एक संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को अरक्षित ऋण स्वीकृत किया है। (ii) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, बोर्ड के द्वारा अनुमोदित क्रेडिट सुविधा के विस्तरण और बढावा के द्वारा ऋण और व्याज के भुगतान शर्तें संशोधित किया गया जिसका ताजा करार प्रविष्ट होना है।	स्टेंडालोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी के संबधं में उत्तर देखें।

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 को	31.03.2019 को
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	3	**38.95**	42.86
संपत्ति,उपयोग का अधिकार	3	**5.14**	1.49
कार्यशील पूंजीगत	3	**-**	0.28
निवेश संपत्ति	4	**4.05**	3.99
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	**0.56**	0.80
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके शामिल निवेश	6A	**105.79**	128.19
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6B	**1.16**	18.38
व्यापार प्राप्य	7A	**-**	-
ऋण	8	**6.65**	7.82
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	**46.13**	42.08
स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	**230.84**	230.84
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11A	**25.00**	24.50
चालू परिसंपत्तियां			
इन्वेंट्रीज	12	**217.71**	279.91
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6C	**-**	-
व्यापार प्राप्य	7B	**2,046.99**	427.49
नगद तथा नगद समतुल्य	13	**74.65**	32.56
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	14	**152.20**	101.78
ऋण	8	**1.72**	2.25
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	**14.31**	8.32
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	**11.44**	22.22
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11B	**3,446.16**	3,004.06
बिक्री के लिए रोकी गई संपत्ति	6D	**7.86**	-
निपटान के लिए रोकी गई संपत्ति			
कुल परिसंपत्तियां		**6,437.31**	**4,379.82**
इक्विटी तथा देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16A	**150.00**	150.00
अन्य इक्विटी	16B	**760.53**	1,118.73
अनियंत्रित ब्याज		**-**	-
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	17A	**166.70**	-
अन्य वित्तीय देनदारी	19A	**6.49**	-
प्रावधान	20A	**44.84**	188.55
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	17B	**3,682.84**	961.49
व्यापार प्राप्य	18		
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम बकाया देय		**0.08**	6.79
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम से अलग बकाया		**665.52**	1,132.25
देय देनदारी	19B	**200.19**	180.62
अन्य वित्तीय देयताएं	21	**706.26**	560.71
प्रावधान	20B	**52.77**	50.28
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	22	**1.09**	30.40
कुल इक्विटी और देयता		**6,437.31**	**4,379.82**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफएआर सं.00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)	**(जी आनंदनारायणन)**	**(बीएन दास)**	**(कपिल कुमार गुप्ता)**
पार्टनर	कंपनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
एमनं. 095584	एसीएस–13691		डीआईएनः 08751137

दिनांक : 31.07.2020
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(संजय चड्डा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
आय			
परिचालन से राजस्व	23	**26,304.71**	29,439.69
अन्य आय	24	**36.25**	20.89
कुल आय (i)		**26,340.96**	**29,460.58**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	**177.46**	124.25
व्यापार में स्टॉक की खरीद	26	**25,060.51**	26,482.05
तैयार माल की इंवेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड और वर्कइन में परिवर्तन	27	**44.09**	1,452.79
कर्मचारी लाभ व्यय	28	**199.32**	224.56
वित्तीय लागत	29	**142.19**	66.70
मूल्यह्रास, हानि तथा अमोर्टाइजेशन व्यय	30	**6.50**	5.69
अन्य खर्च	31	**886.14**	973.86
कुल खर्च (ii)		**26,516.21**	**29,329.90**
असाधारण मदों तथा टैक्स (I-II) से पूर्व लाभ		**(175.25)**	130.68
असाधारण मदें –व्यय / (आय)	32	**44.32**	9.76
कर पूर्व लाभ और इक्विटी एकाउंटिड निवेशी		**(219.57)**	120.92
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए खाते में संयुक्त उपक्रमो लाभ का भाग(आयकर निकालकर)		**(53.24)**	24.96
करपूर्व लाभ		**(272.81)**	**145.88**
कर व्यय	33		
i) वर्तमान कर		**1.03**	33.00
ii) पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन		**(0.12)**	(0.61)
iii) आस्थगित कर		**-**	4.77
कुल कर व्यय		**0.91**	**37.16**
वर्ष के लिए लाभ (ए)		**(273.72)**	**108.72**
वर्ष के लिए उपारोप्य लाभः			
पैरेंट के मालिक		**(273.72)**	108.72
अनियंत्रित ब्याज		**-**	-
अन्य व्यापक आय		**(273.72)**	**108.72**
ऐसी मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगाः			
– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन		**(11.26)**	(7.79)
– अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूयूमेंट्स		**(9.38)**	(0.57)
– आयकर का प्रभाव		**-**	2.90
– संयुक्त उपकमों मे अन्य व्यापक आय का शेयर(कर रहित)		**(0.06)**	(0.17)
लाभ अथवा हानि के लिए पुनः वर्गीकृत मदें:			-
		8.28	5.19
– विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों को बदलने पर विनिमय अंतर		**(12.42)**	**(0.44)**
कुल अन्य व्यापक आय कर रहित (बी)		**(286.14)**	**108.28**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			
पैरेंट के मालिक		**(286.14)**	108.28
अनियंत्रित ब्याज		**-**	-
वर्ष के कुल व्यापक आय		**(286.14)**	**108.28**
प्रति इक्विटी भोयर से अर्जन			
बेसिक व डाइल्यूटेड (में)	46	**(1.82)**	**0.72**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफण्आर सं.00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 08751137

दिनांक : 31.07.2020
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(संजय चड्डा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
ए. प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ		(272.81)		145.88
के लिए समायोजन :–				
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	7.49		0.80	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	6.50		5.69	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ) / हानि	(5.80)		9.41	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(0.06)		0.02	
गैर चालू निवेश की मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	33.80		-	
ब्याज आय	(14.61)		(5.63)	
लाभांश आय	(12.41)		(5.40)	
वित लागत	141.87		66.70	
लीज पर ब्याज खर्च	0.32		-	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण / दावे	0.34		1.13	
सीएसआर व्यय	1.43		1.35	
संदिग्ध ऋणों / दावे व अग्रिमों के लिए भत्ता	0.49		15.96	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	(3.83)		(3.54)	
रिटन बैक देयताएं	4.91		2.23	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	0.04		0.03	
संयुक्त उपक्रमों के (लाभ) / हानि के शेयर में प्रयुक्त लेखों के लिए इक्विटी पद्यति(शुद्ध निवल आयकर)	53.24		(24.96)	
		213.72		63.79
कार्यगत पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ		**(59.09)**		**209.67**
के लिए समायोजन :–				
इन्वेंट्रीज	54.71		1,430.37	
व्यापार प्राप्ति योग्य	(1,617.30)		(89.66)	
ऋण व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	(8.34)		19.35	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	(484.74)		(580.34)	
व्यापार प्राप्य	(471.71)		66.61	
अन्य वित्तीय देयताएं	26.06		(63.44)	
अन्य चालू व गैर चालू देयताएं	145.55		(1,244.51)	
प्रावधान	(154.01)	(2,509.78)	(88.48)	(550.10)
		(2,568.87)		(340.43)
प्रदत्त कर		(19.44)		(26.15)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**(2,588.31)**		**(366.58)**
बी. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(6.41)		(2.63)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	0.69		0.30	
निवेश की बिक्री / खरीद	(79.42)		-	
प्राप्त किया गया ब्याज	14.61		5.63	
प्राप्त किया गया लाभांश	12.41	(58.12)	5.40	8.70
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**(58.12)**		**8.70**
सी. वित गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	2,888.05		442.23	
वित्त लागत	(141.87)		(66.70)	
लीज (ब्याज)	(3.41)		-	
प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर शामिल)	(54.25)	2,688.52	(36.17)	339.36
वित्तीय कार्यकलापों से निवल नगदी		**2,688.52**		**339.36**
डी . नगद व नगद समतुल्य में निवल परिवर्तन		42.09		(18.52)
ई. आरंभिक नगद व नगद समतुल्य (नोट संख्या 13)		**32.56**		**51.08**
एफ. अंतिम नगद व नगद समतुल्य (नोट संख्या 13)		**74.65**		**32.56**

टिप्पणी :

1. उपरोक्त नगद प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत जैसाकि नगद प्रवाह विवरण के विषय में इंड एएस–7 में बताया गया है के अनुसार तैयार किया गया है ।
2. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कारपोरेट कार्यालय में निश्चित एकूअल / डेफरल के लिए समायोजन
3. नगद तथा नगद समतुल्य में शामिल है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च, 2020 तक**	**31 मार्च, 2019 तक**
बैंकों में उपलब्ध शेष		
(ए) चालू खाते में	59.79	7.59
(बी) 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	-	0.73
(सी) कैश क्रेडिट खाते में डेबिट शेष	14.82	24.14
उपलब्ध चेक / ड्राफ्ट / स्टाम्प	-	-
उपलब्ध रोकड़	0.04	0.10
कुल	**74.65**	**32.56**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफण्आर सं.00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 08751137

दिनांक : 31.07.2020
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(संजय चड्डा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तनों का समेकित विवरण

1. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2019 तक शेष	1,500,000,000	150.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2020 को शेष	**1,500,000,000**	**150.00**

(₹ करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2018 तक शेष	1,000,000,000	100.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	500,000,000	50.00
31.03.2019 को शेष	**1,500,000,000**	**150.00**

(₹ करोड़ में)

	संचयी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी घटक	रिजर्व एवं सरप्लस				व्यापक आय की अन्य मदें			मूल कंपनी के मालिकों को रोप्य	कुल
		बांड रिडिंपशन रिजर्व	आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन	ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण बदलने पर विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स		
1.4.2019 को शेष	1.13	8.30	0.35	588.54	514.72	(0.62)	8.85	(2.54)	1,118.73	1,118.73
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	(273.72)	(9.38)	8.28	(11.32)	(286.14)	(286.14)
लाभांश तथा डीडीटी'	-	-	-	-	(54.25)	-	-	-	(54.25)	(54.25)
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	(2.89)	-	(0.20)	-	(3.09)	(3.09)
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	(0.35)	10.35	(24.72)	-	-	-	(14.72)	(14.72)
31.3.2020 को शेष	**1.13**	**8.30**	**-**	**598.89**	**159.14**	**(10.00)**	**16.93**	**(13.86)**	**760.53**	**760.53**

(₹ करोड़ में)

	संचयी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी घटक	रिजर्व एवं सरप्लस				व्यापक आय की अन्य मदें			मूल कंपनी के मालिकों को रोप्य	कुल
		बांड रिडिंपशन रिजर्व	आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन	ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण बदलने पर विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स		
1.4.2018 को शेष	1.13	8.30	0.35	628.54	459.68	(0.05)	3.66	1.09	1,102.70	1,102.70
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	108.72	(0.57)	5.19	(5.06)	108.28	108.28
लाभांश तथा डीडीटी'	-	-	-	-	(36.17)	-	-	-	(36.17)	(36.17)
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन	-	-	-	-	(1.43)	-	-	1.43	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	(40.00)	(16.08)	-	-	-	(56.08)	(56.08)
31.3.2019 को शेष	**1.13**	**8.30**	**0.35**	**588.54**	**514.72**	**(0.62)**	**8.85**	**(2.54)**	**1,118.73**	**1,118.73**

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर न पहचाना गया लाभांश

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
प्रस्तावित लाभांश	-	45.00
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	9.25

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफण्आर सं.00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 08751137

दिनांक : 31.07.2020
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोंधी)
निदेशक
डीआईएन : 02653076

(संजय चड्डा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00752363

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. सामान्य सूचना

1963 में स्थापित और भारत में अधिवासित कंपनी एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीटयूश्नल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर में है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियों में खनिजों का निर्यात और कीमती धातुओं, अलौह धातुओं के आयात, उर्वरक, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन आदिका व्यवसाय शामिल हैं। कंपनी की व्यापार गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में फैली हुई है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 क) अनुपालन का विवरण और वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) तथा इनमें बाद में हुए संशोधनों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी समयावधि के लिए लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है। वित्तीय विवरण एक्रुअल के आधार पर तैयार लेखा पुस्तिकाओं से ऐतिहासिक लागत समझौते के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय साधन, जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार होते हैं, इसके अपवाद हैं।

(ख) समेकन का आधार

एमएमटीसी लिमिटेड अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के साथ 'समूह' के रूप में जाना जाता है। कंपनी उन संस्थाओं को समेकित करती है, जो इंड ए एस–110 के प्रावधानों के अनुसार उसका स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। समूह की कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन–बाई–लाइन आधार पर समेकित किया जाता है और इस तरह के लेनदेन से अवास्तविक लाभ/हानि सहित इंट्रा–ग्रुप बैलेंस और लेनदेन को समेकन पर समाप्त कर दिया जाता है। ये वित्तीय विवरण 'समूह' में उपयोग में समान लेखा नीतियों को लागू करके तैयार किए जाते हैं। गैर–नियंत्रित हित जो कि समूह द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित नहीं की जाने वाली सहायक कंपनियों के शुद्ध लाभ या हानि और शुद्ध संपत्ति के हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, को निकाल दिया गया है।

एसोसिएट्स ऐसी इकाइयाँ हैं जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन नियंत्रण नहीं है। संयुक्ति उपक्रम ऐसी इकाइयाँ हैं जिनपर समूह का संयुक्त नियंत्रण होता है और इकाई की निवल संपत्ति पर अधिकार होता है। सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश का हिसाब इंड–एएस 28 के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए रखा जाता है। निवेश शुरू में लागत पर पहचाना जाता है, और अधिग्रहण की तारीख के बाद निवेशकर्ता के लाभ या हानि के निवेशक की हिस्सेदारी को पहचानने के लिए वहन राशि को बढ़ाया या घटाया जाता है।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रूप्ए में तैयार किया गया है । यह कंपनी की फंक्शनल करेंसी है। वित्तीय विवरणों में इक्विटी शेयरों की संख्या और प्रति शेयर डेटा को छोडकर सभी राशियों को भारतीय रूपयों में दर्शाया गया है तथा जंहा कही ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है।

2.3 अनुमान और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित की गई आकस्मिक देनदारियों तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर की पहचान उस अवधि में होती है जिसमें परिणाम ज्ञात/प्राप्त होते हैं।

2.4 राजस्व पहचान

i) ट्रेडिंग आय

माल की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व की गणना रिटर्न व भत्तों, व्यापार डिस्काउंट वाल्यूम छूट को घटाकर प्राप्त प्रतिफल अथवा प्राप्त होने वाले प्रतिफल के उचित मूल्य पर की जाती है। राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी वादा की गई सेवाओ और सामान को ग्राहक को ट्रांसफर करके निष्पादन दायित्व पर सहमत होता है और ग्राहक इसका इसपर अपना आधिकार ले लेता है और ऐसी संभावना है कंपनी ग्राहक को ट्रांसफर किए गए सामान और सेवाओं के बदले लाभ, जिसके हकदार है, कंपनी प्राप्त करेगी!

खरीद व बिक्री

ए. कंपनी के माध्यम से सरणीकृत किये गये कुछ वस्तुओं के आयात के मामले मे जो आयात भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत पत्र के द्वारा 'सरकारी खाते' में किये जाते हैं, वह क्रय/विक्रय कंपनी के नाम पर बुक होता है।

बी. वस्तुओं का व्यापार कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से भी होता है। व्यापार के संबंध में विभिन्न कमोडिटी एक्सचेंजों के माध्यम से क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है और इसके आधार पर माल की वास्तविक सुपुर्दगी होती है।

सी. सोने/चांदी को डिपोजिट के तहत रखा जाता हैः सोने/चांदी के आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवस्था के अनुसार धातु को आपूर्तिकर्ता द्वारा कंपनी के पास अनफिक्स्ड मूल्य आधार पर बाद में वापसी के लिए या आउटराईट क्रय के लिए रखा जाता है।

i) नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एक्जिम पॉलिसी की योजना के अनुसार, खरीद में आउटराईट खरीद के आधार पर आपूर्तिकार की जमा खेप से निकाला गया सोना/चांदी शामिल हैं।

ii) वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को सप्लायरों के जमा सोने/चांदी की खेप से निकासी पर और आपूर्तिकारों के साथ मूल्य निर्धारण पर शामिल किया जाता है। 'वर्ष के अंत में कंपनी में अंडर डिपॉजिट रखे गये स्टॉक को चालू परिसंपत्तियां स्टॉक के अंतर्गत 'बिना बीजक के खरीदारी के स्टाक के रूप में और चालू देयताओं के अंतर्गत वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन मूल्य पर बिना बीजक के खरीदारी के रूप में देय राशि में शामिल किया जाता है। हालांकि, जमा में शेष के संबंध में भुगतान सीमा शुल्क प्रीपेड खर्च में शामिल किया जाता है।

iii) सोने/चांदी अंडर डिपॉजिट से ऋण आधार पर वापस लिये गये सोना/चांदी ग्राहकों को दिए गए ऋण के रूप में बुक किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत समूहबद्ध किया जाता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक की देनदारी को सकल लेनदार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ऋण/सकल लेनदार का समायोजन खरीद/बिक्री बुक किए जाने पर होता है।

डी. जब सोने की खरीद घरेलू बाजार से की जाती है तथा मूल्य निर्धारण को आस्थगित रखा जाता है, इस स्थिति में आरंभ में खरीद को सप्लायर से प्राप्त इन्वायस के आधार पर रिकार्ड में लिखा जाता है। मूल्य फिक्स करने पर यदि कोई अंतर आता है तो इसे डेबिट/क्रेडिट नोट के माध्यम से हिसाब में लिया जाता है।

ई. भरपाई के आधार पर, मार्जिन धन देकर निर्यातक द्वारा बुक कराए गए सोने/चांदी खरीद विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत तय करने के बाद बुक की जाती है। हालांकि, बिक्री तब बुक की जाती है जब वास्तव में निर्यात पूरा होने के बाद माल की डिलीवरी की जाती है।

एफ. हाईसीज सेल

माल के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से आयात बिक्री के दौरान अर्थात हाई सीज बिक्री को माल के टाईटल के दस्तावेजों के हस्तातंरण पर खरीदार के पक्ष में माल बुक किया जाता है जिससे माल पर क्रेता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिक्री आय को लेने की हकदार हो जाती है। जिससे माल पर क्रेता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिक्री आय को लेने की हकदार हो जाती है इससे पहले माल भारत के कस्टम सीमाओं से बाहर हो जाता है।

ii) अन्य ऑपरेटिंग राजस्व

कंपनी की मुख्य गतिविधियों से संबंधित आय, जो बिक्री/सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में शामिल नहीं होती है, उदाहरण के लिए अर्जित डिस्पैच, सब्सिडी, व्यापार लेनदेन पर होने वाले नुकसान के दावें क्रेडिट बिक्री पर ब्याज और व्यापार संबंधी अग्रिम (ओवरडयू के अलावा) आदि, जो व्यापार सहयोगी या संबंधित व्यापार संबंधी योजनाओं के साथ संबंधित व्यापार समझौतों की शर्तों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं को 'अन्य ऑपरेटिंग राजस्व' के अंतर्गत रखा जाता है।

iii) दावें

दावों की पहचान लाभ और हानि (किसी भी देय को घटाकर) के विवरण में अक्रुअल आधार पर होती है, जिसमें सरकार से मिली प्राप्तियां, सब्सिडी, नकद प्रोत्साहन, हानियां आदि की प्रतिपूर्ति शामिल है जब अंतिम वसूली की संभावना होती है । दावों की पहचान की जाती है लेकिन बाद में संदिग्ध होने के कारण लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है। बीमा दावों को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने पर खातों में शामिल किया जाता है। कमी/क्षति जिसमें तरल क्षतियां/मात्रा/गुणवत्ता में कमी इत्यादि को संबद्व संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार खातों में शामिल किया जाता है। यदि वर्तमान संविदा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो संभावित दावा राशि की वसूली के अतिरिक्त पार्टी द्वारा स्वीकृति मिलने पर लेखों में शामिल किया जाता है। ऐसे दावों की पहचान होने पर उसी पार्टी को अग्रिम मिलने भुगतान योग्य दावे के एवज में वसूली की जाएगी/समंजन किया जाएगा।

iv) सेवा आय

कंपनी मुआवजे का हक देने के लिए सेवाओं में राजस्व बुक किया जाता है जब ग्राहक को वायदा की गई सेवाएं ट्रांसफर करने पर निष्पादन दायित्व पूरा हो जाए।

v) लाभांश और ब्याज आय

निवेश से लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है और यह संभव है कि लेनदेन से जुडे आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आय की राशि की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती है।

ब्याज आय की पहचान बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर होती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों पर छूट की दर है।

vi) वास्तविक वसूली पर राजस्व की पहचान

राजस्व की पहचान अक्रुअल आधार पर नीचे दी गई मदों को छोडकर, इंड एएस–115 के प्रावधानों के अनुसार होती है। जिनकी गणना वास्तविक वसूली पर होती है क्योंकि ऐसी मदों की वसूली अनिश्चित होती है :–

ए) ड्यूटी क्रेडिट/लागू विदेश व्यापार नीति की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत छूट, टैक्स क्रेडिट, सर्वेक्षण कमी के कारण कस्टम शुल्क की वापसी, और आयकर/सेवाकर/बिक्री–कर/ वैट/जीएसटी तथा इस पर लगने वाले ब्याज आदि की वापसी।

बी) निष्पादन/विवादित देय राशि और उन पर देय ब्याज के लिए लंबित डिक्री, यदि कोई हो तोः

सी) अतिदेय वसूली पर ब्याज जहां वसूली अनिश्चित हो।

डी) आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराईटरों को देय निर्णीत हर्जाना।

2.5 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत की पहचान परिसंपत्ति के रूप में होती है यदि, और केवल यदि ऐसी संभावना है कि मदों से संबंधित संभावी आर्थिक लाभ कंपनी के पक्ष में जाएंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पीपीई की मद की लागत पहचान तिथि को लागत के बराबर होती है। पीपीई की एक मद की लागत में शामिल हैः

(i) खरीद मूल्य जिसमें व्यापार छूट और कटौती को घटाकर आयात शुल्क और गैर–वापसी खरीद कर शामिल है।

(ii) लागत सीधे तौर पर पीपीई को उस स्थिति और स्थान पर लाने के लिए सहायक है जहां प्रबंधन द्वारा अपेक्षित तरीके से संचालन करने में सक्षम है।

(iii) वस्तु को विभाजित करने और हटाने की लागत का आरंभिक अनुमान और उस स्थान पर लौटाने के लिए जिस पर यह स्थित है, कंपनी जिस दायित्व के लिए खर्च करती है जब पीपीई लिया हो या विशेष अवधि के दौरान पीपीई के प्रयोग के परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान इंवेंट्री तैयार की गई हो।

कंपनी ने पहचान के लिए लागत माडल को चुना है और यह माडल पीपीई की पूरी श्रेणी पर लागू होता है। संपत्ति की पहचान के बाद पीपीई की एक मद इसकी लागत से कम किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि पर नुकसान होता है।

छोटे मूल्य की कुछ वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, दीवार घड़ी, रसोई के बर्तन, आदि जिनका उपयोगी जीवन बहुत ही सीमित है और लागत के रूप में इस तरह के आइटम के लिए 2000/– रूपये प्रत्येक मामले में खरीद के वर्ष में राजस्व के लिए सीधे शुल्क लिया जाता है। लागत के बावजूद मोबाइल हैंडसेट की कीमत भी राजस्व प्रभारित की जाती है चाहे लागत कुछ भी हो।

2.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

जब कंपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखती है तो पहचान योग्य अमूर्त संपत्तियों की पहचान की जाती है, ऐसी संभावना है कि परिसंपत्ति पर भविष्य में मिलने वाले आर्थिक लाभों का प्रवाह एक से अधिक आर्थिक अवधि में कंपनी के हित में होता है और संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पहली नजर में अमूर्त संपत्ति की पहचान लागत पर होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन सीधे तौर पर अनुमानित राशि पर उपयुक्त अवधि के लिए उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि से वे उपयोग के लिए उपलब्ध है। साफ्टवेयर्स को इनकी उपभोग अवधि में अमोर्टाइज किया जाता है । जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष अथवा लाइसेंस अवधि होती है, जैसा भी मान्य हो । प्रत्येक मामले में 2000/–रूपये तक अमूर्त परिसंपत्ति को सीधे राजस्व में चार्ज किया जाता है।

रिसर्च के द्वारा निकली अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती और खर्चे पर रिसर्च को सीधे लाभ व हानि खाते से कम किया जाता है, जब यह व्यय होता है विकास के द्वारा अर्जित अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान की जाती है यदि परिसंपत्ति इंडएएस के अनुसार पहचान के लिए कसौटी को पूरा करती है। अमूर्त परिसंपत्ति पर परिव्यय जिसकी पहचान शुरू में खर्चे के रूप में की गई थी वह अमूर्त संपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में बाद में की गई।

2.7 बिक्री के लिए गैर–उपयोगी परिसंपत्ति

कंपनी गैर–उपयोगी संपत्ति (या संपत्ति का निपटान समूह) जो बिक्री के लिए है यदि इसकी वर्तमान मूल्य की वसूली इसका उपयोग जारी रखने की बजाय बिक्री लेन–देन के माध्यम से इसकी वसूली सैद्धांतिक रूप से हुई हो तो उसका वर्गीकरण किया जाता है। गैर–उपयोगी संपत्ति को बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जिसको वर्तमान से कम और बिक्री से कम लागत के उचित मूल्य पर आंका जाता है।

2.8 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसची–II के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल्यह्रास के बराबर है। संपत्ति के उपयोगी जीवन के प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है। पीपीई की प्रत्येक ईकाई का प्रत्येक भाग लागत के साथ संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और यदि संपत्ति का उपयोगी जीवन संपत्ति के शेष भाग से अलग है, ऐसे महत्वपूर्ण भाग पर अलग से मूल्यह्रास लगाया जाता है। सभी वस्तुओं पर मूल्यह्रास उस तिथि से लगाया जाता है जिस तिथि को ''उपयोग के लिए उपलब्ध''है और बिक्री पर निपटान की तिथि तक लगाया जाता है। इसमें अमूर्त संपत्ति और लीजहोल्ड संपत्ति का परिशोधन शामिल है। फ्रीहोल्ड जमीन पर मूल्यह्रास नहीं निकाला जाता है। पीपीई की आइटम की पहचान नहीं की जाती जब या तो इसका निपटान किया गया है या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती।

परिसंपत्ति का नाम	अनुसूची II के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन :–
ए. सामान्य परिसंपत्ति	
फर्नीचर फिटिंग्स	10
दफ्तर के उपकरण	5
वाहन – स्कूटर	10
वाहन – कार	8
कंप्यूटर्स– सर्वर्स और नेटवर्क	6
कंप्यूटर्स – अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण	3
लीज–होल्ड भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार
वैगन रेक्स	एग्रीमेंट / वैगन निवेश
	योजना के अनुसार
पंखों को छोड़कर इलैक्ट्रिक इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
सडकें	
कारपेटिड सड़क – आरसीसी	10
गार्डेड सड़क – आरसीसी के अलावा	5
गैर कारपोटिड सड़कें	3
पुलिया	30
ठमारतें	
टारसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
आवासीय फ्लैट (तैयार)	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
अस्थायी संरचना और लकड़ी के पार्टिशन	3
वेयरहाउस / गोदाम	30
बी. विनिर्माण इकाई की परिसंपत्तियां	
फैक्टरी बिल्डिंग्स	30
पंखों को छोड़कर इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
मशीनरी एवं प्लांट	
एक शिफ्ट	15
दो शिफ्ट	10
तीन शिफ्ट	7.5
मशीनरी एवं संयंत्र – पवन उर्जा उत्पादन संयंत्र	22
सी. भूमि पर बनाई गई स्थायी परिसंपत्तियां तथा	
जो न ही स्थायी परिसंपत्तियां तथा न ही जमीन कंपनी की है	
डी. अमूर्त संपत्ति का परिशोधन (अमोर्टाजेशन)	
सॉफ्टवेयर	5 साल या लाइसेंस अवधि जैसी भी स्थिति हो

2.9 हानि

यदि किसी संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य (या नगद–जनरेटिंग ईकाई) का अनुमान संपत्ति की मूल राशि (या नगद–सृजित ईकाई) से वसूली योग्य मूल्य से कम पर लगाया जाता है। हानि को लाभ या हानि में तुरंत दिखाया जाता है जब तक कि संबंद्ध संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता जिस मामले में हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी माना गया है।

वसूली योग्य मूल्य उचित मूल्य में से निपटान लागत और इसका मूल्य घटाकर निकाला जाता है। उपयोग में मूल्य के आकलन के लिए अनुमानित भविष्य नगद–प्रवाह को उसके वर्तमान लागत में लाया जाता है इसके लिए कर से पूर्व छूट का उपयोग किया जाता है ताकि यह धन का सामयिक मूल्य का चालू बाजार आकलन और संपत्ति पर जोखिम विशेष प्रतिबिंबित कर सके जिसके लिए भविष्य नगद प्रवाह आकलन का समायोजन नहीं किया गया है।

जब इसके फलस्वरूप हानि रिवर्स होती है तो संपत्ति की मूल राशि इसकी वसूली योग्य मूल्य के संशोधित आकलन तक बढ जाती है (या एक नगद–जनरेटिंग ईकाई) ताकि बढी हुई मूल राशि इसकी मूल राशि से अधिक न हो और यह माना गया है कि पिछले वर्षों में संपत्ति के लिए कोई हानि नहीं दिखाई गई है (या नगद–जनरेटिंग ईकाई)। जब तक संबंधित संपत्ति की पुनर्मूल्यांकन राशि नहीं निकाली जाती, हानि के रिवर्स को तुरंत लाभ या हानि में दिखाया जाता है जिस मामले में हानि में रिवर्स को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि माना गया है।

मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों में हानि होने के किन्हीं संकेतों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कंपनी उनकी कैरिंग लागत की पुनरीक्षा करती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है ताकि हानि (यदि कोई हो तो) के परिमाण का निर्धारण किया जा सके। जब किसी एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता तो जिस रोकड़ अर्जन इकाई से परिसंपत्ति संबंधित है कंपनी उसकी वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। जब आबंटन के तर्कसंगत एवं एक समान आधार की पहचान की जा सकती है तो अनिश्चित उपयोगी समय के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों एवं उपयोग के लिए अभी अनुपयुक्त अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि के लिए जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि परिसंपत्ति में हानि हो सकती है तो वर्ष में न्यूनतम एक बार जांच की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्षति के सूचकों के लिए लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य(एफवीटीपीएल) के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक पहचान के पश्चात एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप निवेश के अनुमानित भविष्य में रोकड़ प्रवाह प्रभावित हुआ है तो ऐसे वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होने पर वित्तीय परिसंपत्ति में क्षति मानी जाती है। बिक्री हेतु उपलब्ध(एएफएस) इक्विटी निवेशों के लिए प्रतिभूति की लागत से कम पर फेयर मूल्य में महत्वपूर्ण अथवा दीर्घकालीन गिरावट को क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:–

- जारीकर्त्ता अथवा प्रतिपक्ष(काउंटर पार्टी) की महत्वूपर्ण वित्तीय समस्या
- ब्याज अथवा मूल भुगतान में डिफाल्ट अथवा चूक के कारण करार भंग
- ऋण लेने वाले की दिवालिया अथवा वित्तीय पुनर्गठन अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक्टिव बाजार गायब होने की संभावना।

व्यापारिक प्राप्य जैसी वित्तीय परिसंत्तियों के कुछ वर्गो के लिए क्षति हेतु परिसंपत्तियों का निर्धारण वैयक्तिक आधार पर किया जाता है। भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का विगत अनुभव तथा शून्य दिन की औसत क्रेडिट अवधि के पश्चात पोर्टफोलियो में विलंबित भुगतान की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ वसूली योग्य राशि में चूक से संबंधित राष्ट्रीय अथवा स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में दर्शनीय परिवर्तन वसूली योग्य राशि के पोर्टफोलियो में क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों में शामिल हो सकते हैं।

जिन वित्तीय परिसंपत्तियों को लागत पर लिया जाता है उनकी क्षति/हानि की राशि का आकलन उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्ति की वर्तमान मार्केट रेट आफ रिटर्न घटा कर अनुमानित भविष्य रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा परिसंपत्ति की कैरिंग लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है। ऐसी क्षति/हानि को तदंतर में रिवर्स नहीं किया जाएगा।

व्यापारिक प्राप्यों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति/हानि को सीधे ही वित्तीय परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि से कम कर दिया जाता है। संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए अलाउंस अकाउंट के प्रयोग द्वारा उक्त क्षति/हानि को कम किया जाता है। जब यह माना जाता है कि व्यापारिक प्राप्य संग्रहणीय नहीं है तो अलाउंस खाते के प्रति इसे बटटे खाते में डाला जाता है। पहले बटटे खाते में डाली गई राशि की वसूली को अलाउंस खाते के प्रति क्रेडिट किया जाता है। अलाउंस खाते की कैरिंग राशि की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है।

परिशोधित लागत पर आकलित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि तदंतर में क्षति/हानि के परिमाण में कमी आती है तथा क्षति की पहचान होने के पश्चात घटी घटना से कमी को निष्पक्षता से संबंधित किया जाता है तो विगत में पहचानी गई क्षति/हानि को लाभ अथवा हानि द्वारा रिवर्स किया जाता है। यह उस सीमा तक किया जाता है कि रिवर्स की गई क्षति की तिथि को निवेश की कैरिंग राशि, यदि क्षति की पहचान न की जाती तो जो परिशोधित लागत होती, उससे अधिक न हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों की डी–रिकग्नीशन

जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह के संविदात्मक अधिकार निरस्त होते हैं अथवा जब वित्तीय परिसंपत्ति तथा इसके पश्चात स्वामित्व के जोखिम एवं रिकार्डस का किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरण करती है तो कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को डी–रिकागनाईज कर देती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा रिवार्डस को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उन्हें अपने पास रखती है तथा हस्तांतरित परिसंपत्ति का नियंत्रण रखती है तो कंपनी परिसंपत्ति में अपने रिटेन्ड हितों की पहचान करती है तो राशि की संबंधित देयता का इसे वहन करना होगा। यदि हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के जोखिमों तथा रिकार्ड को काफी हद तक कंपनी अपने पास रखती है तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान करने के साथ–साथ प्राप्त मुनाफे के लिए कोलेटराइज्ड ऋण की भी पहचान करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति के पूर्णतः डी–रिकगनाईज होने पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि तथा प्राप्त हुए लाभ की राशि के अंतर को तथा वसूली योग्य एवं संचयी लाभ अथवा हानि जिसे अन्य आय में पहचाना गया है तथा इक्विटी में संचय किया गया है, को लाभ अथवा हानि में पहचाना जाता है।

2.10 ऋण लागत

कंपनी उस क्रय लागत को पूंजीगत बनाती है जो सीधे तौर पर अधिग्रहण, निर्माण या संपत्ति की लागत के भाग के रूप में क्वालिफाईंग संपत्ति के उत्पादन पर आरोप्य होता है।

कंपनी उस लागत की पहचान खर्चे के रूप में उस अवधि में करती है जिसमें यह खर्च की गई हो।

क्वालिफाइंग परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसको इसके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लगता है।

2.11 विदेशी मुद्रा विनिमय

क्रियात्मक मुद्रा से अलग मुद्रा में लेनःदेन की पहचान लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित मौद्रिक मदें उस तिथि को प्रचलित दर पर पुनः मूल्यांकित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्य–वर्गित गैर–मौद्रिक मदें उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकित की जाती है जिस दर पर उस तिथि को उचित मूल्य निर्धारित हुआ था। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित की गई गैर–मौद्रिक मदों का ऐतिहासिक लागत पर पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाता है।

विदेशी करेंसी मौद्रिक मदों (अतिदेय वसूली योग्य जहां विश्वसनीयता अनिश्चित हो, को छोड़कर) को इंड एएस–21 में परिभाषित अंतिम दर को प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेन–देन की तिथि को विनिमय दर का प्रयोग करके ही जाती है। विनियम अंतर लाभ/हानि को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा की देयता को अंतिम दर का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। विनिमय अंतर को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

2.12 इन्वेंट्री

इन्वेंट्री को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और कम लागत पर दर्शाया जाता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंट्री के अनुमानित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूर्व अनुमानित लागत जो बिक्री के लिए आवश्यक है, शामिल है। लागत और मूल्यांकन के निर्धारण की पद्धति नीचे दी गई हैः–

(ए) निर्यात :

I) प्रत्यक्ष खर्चे जो स्टॉक के रखने की जगह तक किए गए हैं, को शामिल करने के बाद निर्यात स्टाक निकाला गया है। इसी प्रकार बाजार मूल्य खर्चों को घटाकर वसूली योग्य मूल्य निकाला जाता है। इन खर्चों में वे खर्चे भी शामिल हैं जो उस स्थान से बिक्री स्थान तक किए गए हैं।

ii) खनिज अयस्क के संबंध में अयस्क के वसूली मूल्य की गणना निर्यात करार के अनुसार अयस्क के ग्रेड के न्यूनतम एफई/एमएन मात्रा पर की जाती है और इसकी तुलना अयस्क के वेटिड औसत एफई/एमएन मात्रा/वेटिड औसत नमी की मात्रा पर क्रेटिड औसत लागत से की जाती है।

(बी) आयात

i) आयातित स्टाक की लागत का मूल्यांकन वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत निकाल कर किया जाता है जिसमें अलौह धातु के लिए शामिल शेष स्टाक की वेटिड औसत लागत शामिल नहीं है। इसमें उन खर्चों को शामिल माना जाता हैं जो रखे गये माल के स्थान तक किये गये हैं, तथापि जहां स्टाक विशेष रूप से पहचान योग्य होता है, वहां माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए गए हैं जहां माल रखा गया माना जाता है।

ii) प्रतिपूर्ति विकल्प के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा बुकिंग करने पर विदेशी आपूर्तिकारों से सोना/चांदी खरीदा जाता है और वर्ष के अंत में सुपुर्द नहीं किए गए स्टाक को कंपनी के स्टाक में दिखाया जाता है और उसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(सी) घरेलू

I) सोने/चांदी के मेडालियन और चांदी के सामान की लागत की गणना प्रतिवर्ष स्थान–वार सामान की भारित औसत लागत और आरंभिक स्टाक की लागत की गणना करके की जाती है। लागत में विनिर्माण/फैबरिकेशन चार्जेज, वेस्टेज तथा अन्य लागत खर्च शामिल है ।

ii) कट और पालिश वाले पत्थरों और आभूषणों (तैयार, अर्ध–तैयार) के मामले में जहां स्टाक विशेष रूप से पहचाने जाने योग्य है, माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए जाते हैं जहां रखे गए माने जाते हैं। लागत में वेस्टेज और अन्य प्रत्यक्ष निर्माण लागत शामिल है।

(डी) पैकिंग मैटिरियल

पैकिंग मैटिरियल का मूल्यांकन कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर किया जाता है।

(ई) फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक

फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक को समायोजन होने तक कंपनी के स्टाक में लिया जाता है।

2.13 प्रावधान

पिछली घटना के फलस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) होने पर प्रावधानों की पहचान की जाती है, यह संभव है कि दायित्वों के समायोजन के लिए आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की आवश्यकता हो और दायित्वों की राशि से विश्वसनीय आकलन तैयार किया जा सके।

2.14 आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियां

<u>आकस्मिक देयताएं</u>

आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है बल्कि इनकी सूचना लेखों की टिप्पणियों में दी जाती है जब कंपनी का संभावित दायित्व पिछली घटना और दायित्वों की विद्यमानता भविष्य की घटनाओं की पुनरावृत्ति और गैर–पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते।

आकस्मिक देनदारियों का मुल्यांकन निरंतर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अधिक संसाधनों का आउटफ्लो संभाव्य हो जाता है। यदि आउटफ्लो संभव हो जाता है तो संबंधित प्रावधान की पहचान वित्तीय विवरण में की जाती है।

जहां एक ईकाई एक दायित्व के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी है, उस दायित्व का हिस्सा जिसे अन्य पार्टियों द्वारा मिले जाने की उम्मीद है, उसे एक आकस्मिक दायित्व माना जाता है। ईकाई दायित्वों के भाग के लिए प्रावधानों की पहचान करती है जिसके लिए आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का आउटफ्लो संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जहां विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, देयताओं के सामान्य टिप्पणियों के खातों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है।

<u>आकस्मिक परिसंपत्ति</u>

आकस्मिक परिसंपत्ति की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है। इस तरह की आकस्मिक संपत्ति का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव होने पर नोट्स में खुलासा किया जाता है। अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा तो ऐसी संपत्तियां और संबंधित आय की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है।

2.15 लीज

संपत्ति लीज के तहत होती है जिसमें जोखिम और स्वामित्व का महत्वपूर्ण दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है जो वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत होते हैं।

अन्य पट्टों को ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें जोखिम और स्वामित्व का दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदारों को स्थानांतरित किया जाता है।

कंपनी आमतौर पर ऑपरेटिंग पट्टों का निष्पादन करती है, जो निम्नानुसार हैः–

i) परिचालन पट्टों से किराए की आय की पहचान सीधी रेखा के आधार पर संबद्ध पट्टे की शर्तों पर की जाती है।

ii) जब कंपनी पटटाधारी हो तो आरंभ में संपत्ति के अधिकार की तिथि को लागत और पटटे को भुगतान के वर्तमान मूल्य पर दिखाया जाता है जिसको पटटे की देयता के रूप का भुगतान नहीं किया जता है तदंतर, संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन लागत माडल का उपयोग करते हुए पटटा देयता के पुर्नमूल्यांकन के लिए अपेक्षित किसी समायोजन के साथ किया जाता है और पटटा देयता का मूल्यांकन पटटा देयता पर ब्याज दर्शाने के लिए करेरिंग राषि की वृद्धि करके दिया जाता है कि जिससे भुगतान की गई पटटे की राशि की वृद्धि करके किया जाता है जिससे भुगतान की गई पटटे की राशि को दिखाने के लिए केरिंग राशि को कम किया जाता है और केरिंग राशि का पुनः मूल्यांकन किसी पुनःनिर्धारण या पटटे में संशोधन को दिखाने के लिए किया जाता है ।

iii) एक व्यावहारिक समीक्षक के रूप में, अल्पावधि के पट्टे और पट्टे , जिनके लिए अंतर्निहित संपत्ति 1,00000/– रूपये प्रति माह के कम मूल्य की है या 1,00000/– रूपये प्रति वर्ष, दिए गए प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं है इंडस्ट्रीज़ एएस–116 (पट्टों) के तहत और लीज़ अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर खच्र के रूप में पहचाने गये है।

2.16 कर्मचारी लाभ

I) ग्रेच्युटी, अवकाश मुआवजा और दीर्घ सेवा लाभ जैसे सेवा अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी, कर्मचारियों के लिए परिवार लाभ योजना तथा माईका प्रभाग के कर्मचारियों को विशेष लाभ का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और इसमें प्रोजेक्टिड ईकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है। पुनर्मूल्यांकन, बीमांकिक जिसमें लाभ और हानि, संपत्ति सीमा (यदि लागू हो) में परिवर्तन और योजना परिसंपत्तियों (ब्याज को छोडकर) पर लाभ, वित्तीय स्थिति विवरणों में चार्ज और उस अवधि में व्यय जिसमें वे होते हैं अन्य व्यापक आय क्रेडिट के साथ तुरंत दिखाई देते हैं, उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। अन्य व्यापक आय में पहचाने गये पुनर्मूल्यांकन रोकी गई आय में प्रतिबिंबित होते हैं और उन्हें फिर से लाभ या हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता। और किसी योजना संशोधन, कटौती और वर्तमान सेवा लागत, निवल ब्याज, पिछली सेवालागत या समझौते के लिए लाभ या हानि के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है।

ii) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान परिभाषित अंशदान आधार पर किया जाता है।

iii) प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को प्रोविडेंट फंड का अंशदान अक्रूअल आधार पर किया जाता है।

iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक्स–ग्रेशिया और नोटिस वेतन के भुगतान को उस वर्ष के राजस्व में लिया जाता है।

v) एक परिभाषित अंशदान योजना, अधिवर्षिता योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)द्वारा किया जाता है। कंपनी प्रत्येक पात्र कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर अंशदान देती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

लघु अवधि के कर्मचारी लाभ दायित्वों का आकलन बिना छूट आधार पर मापा जाता है और व्यय को संबंधित सेवा के रूप में दर्ज किया जाता है। पीएलआई/पीआरपी योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए दायित्व के रूप में पहचान की जाती है अगर कंपनी के कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सर्विस के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या तर्कसाध्य दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर की राशि को दर्शाता है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि विवरण और अन्य व्यापक आय/लाभ या हानि विवरण में दिखाये गए कर से पहले लाभ से भिन्न होता है क्योंकि आय या व्यय जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और जो आइटम कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है। कंपनी के चालू कर की गणना उस कर की दर से की जाती है जो लागू हो या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक में लागू हो।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की राशियों के बीच कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त वित्तीय विवरणों और संबंधित कर के बीच अस्थायी अंतर है। आस्थगित कर देनदारियों की पहचान आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान आमतौर पर उस सीमा तक की जाती है कि ऐसा संभव है कि कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उपलब्ध होंगे। इस तरह के आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों की लेनदेन में पहचान नहीं की जाती है यदि उस लेनदेन में संपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है (एक व्यापार संयोजन के अलावा) जो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा, आस्थगित कर देनदारियों की पहचान नहीं की जाती यदि गुडविल की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है।

आस्थगित करों की पहचान जहां कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम है, को छोड़कर सहायक और सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के हितों में देनदारियों में निवेश से संबंधित कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए की जाती है। और ऐसी संभवना है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर में रिवर्सल नहीं होगा। ऐसे निवेश और हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहां संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ का अस्थायी अंतरों के लिए लाभों का उपयोग हो सके और निकट भविष्य में इसका रिवर्सल होने की आशा हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियें की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम किया गया है कि यह अब संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से के लिए उपलब्ध होगा !

आस्थगित कर देयताएं और संपत्तियों का मूल्यांकन टैक्स दर से किया जाता है और ऐसी आशा की जाती है कि यह उस अवधि में लागू होगा जिसमें दायित्व का निर्वाह होता है या संपत्ति की वसूली होती है। यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू या मूल रूप से लागू कर दरों (और कर कानून) पर आधारित होता है।

वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर की पहचान लाभ या हानि में की जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संगत किय जाते हैं जब उनकी पहचान क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में की जाती है। जब वर्तमान कर या आस्थगित कर प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तो कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल होता है ।

लाभांश वितरण कर

कंपनी अन्य इक्विटी के अंतर्गत लाभांश के भुगतान पर देय लाभांश वितरण कर भी शामिल कर रही है क्योंकि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के फलस्वरूप भुगतान के देय लाभांश को अन्य इक्विटी के तहत भी प्रस्तुत किया जाता है।

आयकर ट्रीटमेंटस पर अनिश्चितता

ईंडएएस–12 के अंतर्गत जेब आयकर ट्रीटमेंट्स, पर अनिश्चितता हो तो कंपनी कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियां अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों पर विचार करते हुए, कंपनी आयकर प्राधिकारी द्वारा इसी ट्रीटमेंट को स्वीकार करने की संभाावना पर विचार करती है और तुलनात्मक समायोजन के बिना ही पहले निवेदन पर इक्विटी समायोजन के द्वारा संचयी प्रभाव के साथ पूर्व प्रभाव के समायोजन के कारण परिवर्तन पर भी विचार करती है!

2.18 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्ति हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी में बढोतरी (ऐसे उद्देश्य के लिए निर्माणाधीन संपत्ति शामिल हैं) के लिए होती हैं। निवेश संपत्ति का मूल्यांकन आरंभ में लागत दर पर किया जाता है जिसमें लेन–देन लागत शामिल है। कंपनी की सभी संपत्तियां आपरेटिंग लीज के अंतर्गत किराया कमाने या पूंजी का विस्तार करने के उद्देश्य के लिए निवेश संपत्तियों के रूप में लेखों में शामिल की जाती हैं। आरंभिक पहचान के पश्चात कंपनी निवेश का मूल्यांकन लागत पर करती है।

जब कर निपटान किया जाता है या निवेश संपत्ति पूरी तरह से उपयोग से हटा ली जाती है और उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने की कोई उम्मीद होती है तो ऐसी निवेश संपत्ति की पहचान समाप्त हो जाती है। संपत्ति के निपटान से किसी लाभ या हानि को उस वर्ष की अवधि में लाभ अथवा हानि में लिया जाता है जिस वर्ष इसका निपटान होता है। (इसकी गणना शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की मूल राशि के अंतर पर की जाती है)।

निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास संपत्ति की उस श्रेणी के अनुसार लगाया जाता है जिससे वह संबंध रखती है और संपत्ति की अवधि का अनुमान कंपनी की संपत्ति को उसी श्रेणी में लिया जाता है।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

इक्विटी धारकों पर आरोप्य सकल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर बेसिक प्रति शेयर अर्जन का आकलन किया जाता है। डाईल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन का आकलन कंपनी के इक्विटी धारकों पर अरोप्य लाभ को मूल(बेसिक) प्रति शेयर अर्जन ज्ञात करने के लिए उपयुक्त इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या के साथ साथ अगर सभी संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर यह शेयर जारी किए जाते तो उन इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यदि इक्विटी शेयरों को वास्वत में उचित मूल्य(अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किया जाता तो वसूली योग्य लाभ में संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है। जब तक शेयर बाद की तिथि को जारी नहीं किए जाते तो संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि के आरंभ में ही परिवर्तित माना जाता है। प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों का निर्धारण किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किए जाने से पूर्व किए गए प्रभावी परिवर्तनों सहित किसी शेयर विभाजन एवं जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए सभी अवधियों में प्रस्तुत किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या एवं संभावित डाईल्यूटिड इक्विटी शेयर्स को पूर्व प्रभावी रूप से समायोजित किया जाता है।

2.20 बंद किए गए प्रचालन

बंद किए गए प्रचालन कंपनी के व्यापार का एक घटक है जो अलग प्रकार के व्यापार को इंगित करता है जिसे बेचा जा रहा है अथवा बिक्री के लिए रखा गया है अथवा यह एक सहायक कंपनी है जिसे केवल पुनः बिक्री के उद्देश्य से अधिग्रहीत किया गया है। निपटान से पहले अथवा जब प्रचालन 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वगीकृत मापदण्ड को पूरा करता है तो 'बंद किए गए प्रचालन' के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है।

2.21 वित्तीय दस्तावेज

I) गैर अमौलिक (नान डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज

गैर अमौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- वित्तीय परिसंपत्तियां जिसमें रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, ट्रेड प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व, वित्त लीज प्राप्य, कर्मचारी एवं अन्य अग्रिम, इक्विटी में निवेश तथा ऋण प्रतिभूतियां एवं पात्र चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं।
- वित्तीय देयताएं जिसमें दीर्घ एवं लघु अवधि ऋण एवं उधार, बैंक ओवरड्राफट, ट्रेड देय, पात्र चालू एवं गैर चालू देयताएं शामिल हैं।
- वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं बराबर कर दी जाती हैं और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में रखा जाता है। यदि वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है जो शामिल राशि को बराबर कर देता है और निवल आधार पर सेटल करने की मंशा है। ताकि परिसंपत्ति की कानूनी और देयताओं का निपटान एक साथ हो सके।

  गैर मौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों की पहचान आरंभ में सीधे तौर पर आरोप्य ट्रांजेक्शन लागत के साथ–साथ उचित मूल्य पर की जाती है। जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्डस को अंतरित किया गया हो तब वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं (डि– रिकाग्नाईज) की जाती है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्ड को न ही ट्रांसफर अथवा न ही रिटेन किया गया है अथवा रोक कर नहीं रखा गया तथा कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का नियंत्रण बना कर नहीं रखा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती।

  आरंभिक पहचान के पश्चात गैर–मौलिक (नॉन–डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों का आकलन निम्नलिखित है:–

(ए) रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष

कैश फ्लो विवरण के उद्देश्य के लिए अपने पास(कैश इन हैंड), बैंकों में रोकड़ तथा बैंकों में डिमाण्ड डिपाजिट, मांग किए जाने पर पुनर्भुगतान योग्य बकाया बैंक ओवर ड्राफ्ट्स जिन्हें कंपनी के रोकड़ प्रबंधन सिस्टम का भाग माना जाता है आदि रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में शामिल हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में बैंक ओवरड्राफ्ट्स को चालू देयताओं के अधीन उधार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

(बी) लिक्विड म्यूचुअल फंडों, इक्विटी प्रतिभूतियों(सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम तथा एसोसिएट्स के अतिरिक्त) में निवेश का मूल्यांकन उनके फेयर मूल्य पर किया जाता है। इन निवेशों का आकलन फेयर मूल्य पर किया जाता है तथा इनमें क्षति/हानि के अतिरिक्त परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में दर्शाने के साथ–साथ कर घटाकर इक्विटी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। क्षति/हानि, यदि कोई हो तो, को इक्विटी से आय के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। जब कोई वित्तीय परिसंपत्ति बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तो इसे डी–रिकग्नाईज कर दिया जाता है तथा इक्विटी में पहचाने गए संबंधित संचयी लाभ या हानि को आय के विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

(सी) ऋण एवं प्राप्य

ऋण एवं प्राप्य स्थायी अथवा निर्धारण किए जाने योग्य वाली गैर मौलिक वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें सक्रिय बाजार में उदधृत नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात 12 माह से अधिक समय पर परिपक्व होने वाली जिन्हें गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, के अतिरिक्त इन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य के साथ–साथ आरोप्य किए जाने योग्य लेन देन लागत सहित पहचाना जाता है तथा बाद में किसी प्रकार की क्षति होने को कम करके प्रभावी ब्याज प्रक्रिया का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर आंका जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों में ट्रेड प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व तथा अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

ऐतिहासिक भुगतान तरीके, ग्राहकों पर ध्यान, ग्राहक की विश्वसनीयता तथा वर्तमान आर्थिक रूझानों का विश्लेषण करते हुए कंपनी वसूली योग्य खातों के संग्रह न किए जाने का अनुमान निर्धारित करती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति और खराब होती है तो अतिरिक्त भत्तों की आवश्यकता हो सकती है।

(डी) ट्रेड एवं अन्य प्राप्य

ट्रेड एवं अन्य प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है तथा इसके पश्चात प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है। वित्तीय दस्तावेजों की लघु अवधि परिपक्वता के कारण इनकी कैरिंग राशि उचित मूल्य के लगभग होती है।

(ई) सहायक कंपनी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रम में निवेश

सहायक कपनी एसोसिएटस में किए गए निवेश को निगम लागत पर खातों में लेता है।

कंपनी के नियंत्राधीन इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है।

भारत से बाहर की सहायक कंपनी में किए गए निवेश को अधिग्रहण की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता है।

जिन निवेश पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है उनका वर्गीकरण एसोसिएट्स के रूप में किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशकर्ता द्वारा वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी की शक्ति होती है परन्तु इन नीतियों पर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है ।

संयुक्त व्यवस्था जिसके द्वारा व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों का संयुक्त व्यवस्था की सकल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, उन्हें संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था की हिस्सेदारी के लिए संविदात्मक रूप से की गई सहमति है जिसमें प्रासंगिक कार्यकलापों के विषय में निर्णयों के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी वाले पक्षों की एक मत से सहमति आवश्यक होती है।

ii) अमौलिक (डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज

कंपनी को विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों, दायित्वों, विदेशी कार्यकलापों में शुद्ध निवेश तथा विदेशी मुद्रा में मौद्रिकृत पूर्वानुमित रोकड़ प्रवाह में विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है।

कंपनी डेरिवेटिव के प्रयोग तथा स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करते हुए विदेशी मुद्रा दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव को सीमित किया जाता है। जहां दूसरा पक्ष मुख्यतः बैंक होता है वहां कंपनी डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज बनाती है।

डेरिवेटिव की पहचान एवं मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। निश्चित लेन देन लागत की पहचान लागत की तरह आय के विवरण में की जाती है।

आरंभिक पहचान के पश्चात डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेजों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप से किया जाता है।

ए) रोकड़ प्रवाह हेजिज

रोकड़ प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव हेजिंग दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन की पहचान अन्य समेकित आय तथा रोकड़ प्रवाह हेजिंग अधिशेष, सकल कर एवं हेज के प्रभावी होने की सीमा तक इक्विटी के एक घटक के रूप में की जाती है। हेज के अप्रभावी होने की सीमा तक उचित मूल्य की पहचान आय के विवरण में की जाती है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ/(हानि) प्रचालन के कार्यकलापों से प्राप्त निवल राशि दी जाती है। यदि हेजिंग दस्तावेज हेज एकाउटिंग की प्रणाली के अनुरूप नहीं होता है तो हैज एकाउंटिंग को बंद कर दिया जाता है। विगत में रोकड़ हेजिंग अधिशेष में पहचाने गए संचयी लाभ अथवा हानि को संबंधित अनुमानित लेनदेन किए जाने पर लाभ व हानि विवरण में अंतरित किया जाता है। यदि अनुमानित लेनदेन होने की संभावना नहीं होती है तो उक्त संचयी शेष की पहचान त्तकाल रूप से लाभ तथा हानि के विवरण में की जाती है।

बी) अन्य

न तो रोकड़ प्रवाह हेजिज और न ही विदेशी प्रचालनों में किए गए निवल निवेश की हेजिज के रूप में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन को आय के विवरण में पहचाने जाने के साथ–साथ प्रचालन के कार्यकलापों के परिणामस्वरूप निवल विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ / (हानि) के अधीन सूचित किया जाता है।

उधार से संबंधित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंटस के निपटान पर अंकित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों तथा लाभ / (हानि), जिन्हें हेजिज नहीं माना गया है, को वित्तीय खर्चों में शामिल किया गया है ।

2.22 खण्डवार सूचना

जैसा कि इंड एएस–108 ' 'आपरेटिंग सेगमेंट्स' में परिभाषित किया गया है कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक(सीएमडी) की पहचान चीफ़ आपरेटिंग डिसीजन मेकर(सीओडीएम) के रूप में की जाती है। कंपनी के सीएमडी द्वारा ही राजस्व में वृद्धि तथा प्रचालन आय के आधार पर खंडों का मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने अपने आपरेटिंग सेगमेंट्स की पहचान खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला एवं हाईड्रोकार्बन, उर्वरक एवं सामान्य व्यापार / अन्य के रूप में की है।

कंपनी के व्यापार में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देयताओं जिन्हें किसी भी आपरेटिंग खण्ड में नहीं पहचाना गया है उन्हें आबंटन न की जाने वाली परिसंपत्तियों / देयताओं के रूप में दर्शाया गया है। प्रबंध तंत्र का यह विचार है कि उपलब्ध डाटा का अर्थपूर्ण विश्लेषण कठिन होने के कारण संपूर्ण परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित खंडवार प्रकटन उपलब्ध करवाना अभी व्यवहार्य नहीं है चूंकि कुल परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परस्पर परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2.23 पूर्वावधि चूकें

पूर्वावधि(यों) से संबंधित गंभीर चूकों का प्रकटन पूर्वावधि चूकों की प्रकृति तथा बाद में प्रस्तुत किए गए उक्त प्रत्येक पूर्वावधि चूक के लिए किए गए सुधारों के एक नोट द्वारा किया जाता है और यह बेसिक एवं कम हुए (डाईल्यूटिड) प्रतिशेयर अर्जन में परिवर्तन के साथ व्यवहार्य सीमा तक किया जाता है। तथापि किसी विशेष अवधि के लिए यदि अतीतलक्षीय पुनः विवरण व्यवहार्य नहीं होता है तो इस स्थिति के विद्यमान होने की परिस्थितियों एवं चूक को किस प्रकार एवं कहां से सुधारा गया है इसके विवरण का प्रकटन नोट्स टू एकाउंटस में किया जाता है। कंपनी के व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि एक साथ आय / व्यय (निवल) की मदें कंपनी की बिक्री टर्न ओवर के 0.5 प्रतिशत से अधिक होती है तो पूर्वावधि चूकों को गंभीर माना जाता है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का नोट

3. संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2020 को सकल कैरिंग मूल्य	1 अप्रैल, 2019 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि हानि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2020 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2020 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2019 को नेट कैरिंग मूल्य
फ्रीहोल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	0.37	-	-	0.37	-	-	-	-	0.37	0.37
– स्टॉफ क्वार्टर्स	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	0.13	0.13
लीज होल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	1.07	-	-	1.07	0.07	0.02	-	0.09	0.98	1.00
– स्टॉफ क्वार्टर्स	1.68	0.24	(0.08)	1.84	0.21	0.35	-	0.56	1.28	1.47
भवन										
– कार्यालय भवन	6.68	-	(0.14)	6.54	0.64	0.17	-	0.81	5.73	6.04
– स्टॉफ क्वार्टर्स/आवासीय फ्लैट्स	1.35	-	-	1.35	0.15	0.04	(0.01)	0.18	1.17	1.20
– जलापूर्ति, सीवरेज व ड्रेनेज	0.06	-	-	0.06	0.03	0.01	-	0.04	0.02	0.03
– विद्युत इंस्टॉलेशंस	3.02	0.05	-	3.07	1.84	0.06	-	1.90	1.17	1.18
– सड़कें व पुलियां	0.02	-	-	0.02	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01
– ऑडियो/फायर/एयरकंडिशिनिंग	0.11	0.01	-	0.12	0.09	0.02	-	0.11	0.01	0.02
प्लांट एवं उपकरण	41.29	-	(0.18)	41.11	12.66	2.91	(0.18)	15.39	25.72	28.63
फर्नीचर तथा फिक्स्चर्स										
– पार्टिशंस	1.18	-	0.09	1.27	0.80	0.17	-	0.97	0.30	0.38
– अन्य	1.39	0.23	0.01	1.63	0.49	0.16	-	0.65	0.98	0.90
वाहन	0.55	-	(0.04)	0.51	0.24	0.06	(0.06)	0.24	0.27	0.31
कार्यालय उपकरण	1.77	0.06	(0.04)	1.79	1.19	0.27	(0.04)	1.42	0.37	0.58
अन्य :	-	-	-		-	-	-			
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	2.46	0.10	(0.08)	2.48	1.85	0.24	(0.05)	2.04	0.44	0.61
कुल	**63.13**	**0.69**	**(0.46)**	**63.36**	**20.27**	**4.48**	**(0.34)**	**24.41**	**38.95**	**42.86**
गत वर्ष	**60.83**	**2.31**	**(0.01)**	**63.13**	**15.45**	**4.85**	**(0.03)**	**20.27**	**42.86**	
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	**1.62**	**5.78**	**-**	**7.40**	**0.13**	**2.13**	**-**	**2.26**	**5.14**	**1.49**
गत वर्ष	1.62	-	-	1.62	0.13			0.13	**1.49**	
कार्य प्रगति पर पूंजी	**0.28**	**-**	**(0.28)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.28**
गत वर्ष	-	0.28	-	0.28	-	-	-	-	**0.28**	**-**

दिल्ली स्थित स्टाफ क्वार्टर्स से संबंधित लीजहोल्ड भूमि, सडकें तथा पुलियां, सीवरेज, ड्रेनेज तथा जलापूर्ति में वह शामिल है जो पूर्व में कंपनी द्वारा 50:50 के आधार पर एसटीसी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से धारित थी। तथापि कंपनी ने वर्ष 2018–19 में डीडीए से अपने हिस्से की 16.16 एकड भूमि की अलग लीज डीड अपने नाम पर निष्पादित करा ली।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों में हुई हानि का निर्धारण कराया तथा तदनुसार पीपीई के मूल्य में वर्ष के दौरान हुई शून्य करोड रूपए (गत वर्ष 0.27 करोड रूपए) की हानि का प्रावधान किया गया है।

4. निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में सकल कैरिंग मूल्य	**4.66**	4.44
वृद्धि	**0.22**	-
निपटान/समायोजन	**-**	0.22
वर्ष के अंत में सकल कैरिंग मूल्य	**4.88**	**4.66**
वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास	**0.67**	0.51
वृद्धि	**0.16**	0.16
निपटान/समायोजन	**-**	-
वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास	**0.83**	0.67
वर्ष के अंत में नेट कैरिंग मूल्य	**4.05**	**3.99**

निवेश संपत्तियों के लिए राशि लाभ अथवा हानि में पहचान की गई राशियां हैं ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
किराया आय	**1.35**	1.86
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय अर्जित हुई।	**-**	-
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय अर्जित नहीं हुई।	**-**	-
मूल्यह्रास से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से लाभ	**1.35**	1.86
मूल्यह्रास	**0.08**	0.16
निवेश संपत्तियों से लाभ	**1.27**	1.70

लिजिंग व्यवस्था

कुछ निवेश परिसंपत्तियों को किराएदारों को दीर्घावृद्धि ओपरेटिंग लीज के तहत लीज पर दिया जाता है जिसके तहत मासिक आधार पर किराया देय होता है । निरस्त न की जाने वाली ओपरेटिंग लीज निवेश संपत्तियों से प्राप्त होने वाली न्यूनतम लीज राशि का विवरण नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष के अंदर	-	0.28
एक वर्ष के बाद परंतु पांच वर्ष तक	-	-
पांच वर्ष के बाद	-	-
कुल	**-**	**0.28**

उचित मूल्य का अनुमान

निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित लागत मॉडल के अनुसार किया गया है। स्वतंत्र वैल्यूअर द्वारा निर्धारित किया गया निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य रुपए 96.48 करोड़ (पिछले वर्ष 126.18 करोड़ रू) है।

5. अन्य अमूर्त संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	01 अप्रैल 2019 को सकल कैरिंग मूल्य	01 अप्रैल 2019 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	01 अप्रैल 2020 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2020 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2019 को नेट कैरिंग मूल्य
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	**3.39**	**0.64**	**0.08**	**4.11**	**2.59**	**0.78**	**0.18**	**3.55**	**0.56**	**0.80**
पिछले वर्ष	3.39	-	-	3.39	1.93	0.66	-	2.59	**0.80**	

6. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
ए. गैर चालू निवेश				
(ए). इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश – (इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए निवेश किया जाता है – संयुक्त उपकम) अनकोटिड				
नीलाचल इस्पात निगम लि. 368762744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 289342744) प्रत्येक 10 रूपये मूल्य	**-**		379.69	
	-	**-**	(379.69)	-
एमएमटीसी गीतांजलि प्रा. लि. प्रत्येक 10/–रूपये मूल्य के 2987400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर(गत वर्ष 2987400) ।	**-**		2.99	
	-	**-**	(2.99)	-
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 5000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5000) ।	**0.01**		0.01	
	(0.01)	**-**	(0.01)	-
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 17446000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 17446000) ।	**17.45**		17.45	
	88.34	**105.79**	76.96	94.41
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि. – प्रत्येक रु. 10/– मूल्य के 33800000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 33800000)	**-**		33.80	
	-	**-**	(0.02)	33.78
टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के शून्य पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 57200)	**-**		0.06	
	-	**-**	(0.06)	-
		105.79		**128.19**
(बी) इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (अन्य)				
ए) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
कोटिड				
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड 38961(गत वर्ष 38961) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर रुपए 2 प्रत्येक ।	**3.00**		3.00	
जमा/(कमी): अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित समायोजन	**(1.84)**	**1.16**	(0.62)	2.38
अनकोटिड				
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. – प्रत्येक 5/– मूल्य के 32000000 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 32000000) ।	**-**		16.00	
जमा/(कमी): अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित समायोजन	**-**	**-**	-	16.00
ख) अमोर्टाइज्ड लागत पर				
अनकोटिड				
इंडो फ्रेंच बायोटेक लिमिटेड प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 4750000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 4750000)	**4.75**		4.75	
कमीः निवेश के मूल्य में कमी	**(4.75)**	**0.00**	(4.75)	0.00
कुल (बी)		**1.16**		**18.38**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
कुल गैर चालू निवेश (सकल)		25.21		457.69
	सकल राशि	बाजार मूल्य	सकल राशि	बाजार मूल्य
कोटिड निवेश की सकल राशि तथा इसका बाजार मूल्य	3.00	1.16	3.00	2.95
अनकोटिड निवेश की सकल राशि	22.21	-	454.69	-
निवेश मूल्य में कमी की सकल राशि	4.75	-	7.74	-

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
सी) बिक्री के लिए रखे गए गैर–चालू निवेश	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
6. डी. बिक्री के लिए रखे गए गैर–चालू निवेश				
(क) अमोटाईज्ड लागत पर इक्विटी इस्ट्रूमेंट में निवेश संयुक्त उपक्रम				
अनकोटिड				
नीलाचल इस्पात निगम लि. 368762744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 289342744) प्रत्येक 10 रूपये मूल्य				
जमा/(कमी): अब तक संयुक्त उपक्रम से आय/(हानि)	**459.11**			
सिकॉल आयरन और टर्मिनल लि. – प्रत्येक रू. 10/– मूल्य के 33800000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (33800000 31 मार्च 2019 को)	**(459.11)**	**-**		-
जमा/(कमी): अब तक संयुक्त उपक्रम से	**-**			
आय/(हानि)	**-**	**-**		-
अन्य				
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
अनकोटिड				
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. – प्रत्येक 5/– मूल्य के 32000000 के पूण्र प्रदत्त इक्विटी शेयर 32000000 31 मार्च 2019 को)	**16.00**			
जमा/(कमी): अन्य आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**(8.16)**	**7.84**		-
बिक्री के लिए रखा गया कुल निवेश		**7.84**		-
(ख) बिक्री के लिए रखा पीपीई		**0.02**		-
कुल (क)+(ख)		**7.86**		-

i. सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के इक्विटी इंस्ट्रुयुमेंट्स में किए जाने वाले सभी गैर चालू निवेशों को लागत के आधार पर आगे लाया जाता है तथा निवेश मूल्य में आई कमी, यदि कोई है, तो इसमें से घटाया जाता है। अन्य के इक्विटी इंस्ट्रूयूमेंट्स में किए जाने वाले निवेश को उचित मूल्य पर आगे ले जाया जाता है।

ii. कंपनी ने कामराजार बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल को बनाने तथा प्रचालन हेतु सिकाल आयरन ओर टमिर्नल लिमिटेड (एसआईओटीएल) के साथ संयुक्त उपक्रम में 26 प्रतिशत इक्विटी के रूप में 33.80 करोड़ रुपए (गत वर्ष 33.80 करोड़ रुपए) का निवेश किया था। हालांकि नवंबर 2010 तक टर्मिनल का निर्माण पूरा हो गया था परन्तु लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर लगे प्रतिबंधों के कारण बंदरगाह को चालू नहीं किया गया। कामराजार पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) द्वारा कोयले की हैंडलिंग हेतु सुविधा में बदलाव के टेंडर प्रक्रिया के बाद स्वीकार कर लिया गया था। एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 14.09.16 को हुई अपनी 428वीं बैठक में एमएमटीसी को ओपन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से एमएमटीसी को जेवी से बाहर आने संबंधी अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार एमएमटीसी की इक्विटी की बिक्री के लिए इच्छुक पार्टियों से बोलियां आमंत्रित की। टेंडर प्रक्रिया में कोई आवेदन नही मिला। परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान अग्रणी प्रोमोटर (मै. सिकाल लॉजिस्टिक लि.) नें 34.26 करोड़ रू. के रिजर्व मूल्य पर एमएमटीसी की इक्विटी खरीदने के लिए सहमति दी है। तदनुसार, शेयर खरीद करार (एसपीए) हस्ताक्षरित किया गया है तथा करार के अनुसार मैसर्स सिकॉल लाजिस्टिक्स लिमिटेड ने करार के निष्पादन हेतु एमएमटीसी के पास रूपए 0.50 करोड की राशि जमा कराई है। एसपीए की शर्तो के अनुसार मैसर्स एसआईओटीएल ने एमएमटीसी के जेवी छोडने की एनओसी/अनुमति लेने के लिए मैसर्स कामराजार पोर्ट लिमिटेड को आवेदन कर दिया है। अक्टूबर 2019 में एनओसी मिल गई। तथापि शेष राशि का भुगतान अभी नही मिला है। मैसर्स सिकॉल लाजिस्टिक्स लिमिटेड से शेयर क्रय मूल्य की प्राप्ति में देरी और मैसर्स सिकॉल लाजिस्टिक्स लिमिटेड के वित्तीय संकट को देखते हुए एसआईओटीएल में निवेश के मूल्य में कमी के लिए 33.80 करोड़ रूपये सृजित करने का प्रावधान किया गया है तदनुसार निवेश को 'बिक्री के लिए रोक' के रूप में दिखाया गया है।

iii. भारत सरकार ने एनआईएनएल में एमएमटीसी की 100% इक्विटी के विनिवेश के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। डीआईपीएएम के माध्यम से विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। तदनुसार, निवेश को 'बिक्री के लिए आयोजित निवेश' के रूप में दिखाया गया है। मैं। पपप। भारत सरकार ने एनआईएनएल में एमएमटीसी की 100% इक्विटी के विभाजन के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। डीआईपीएएम के माध्यम से विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। तदनुसार निवेश को 'बिक्री के लिए रोक' के रूप में दिखाया गया है।

iv. भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) में 26.00 करोड़ रूप्ये मूल्य के 5 रू. प्रत्येक राशि के 5.20 करोड़ इक्विटी शेयरों के शुरुआती निवेश के की एवज में (आईसीएक्स में कंपनी की 26% हिस्सेदारी) कंपनी ने 2015–16 के दौरान 100% के प्रीमियम पर 2 करोड़ इक्विटी शेयर बांटे। फरवरी/मार्च 2016 में आईसीईएक्स द्वारा 100% प्रीमियम पर एक राइट इश्यू लाया गया जो पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, आईसीईएक्स द्वारा 100% प्रीमियम पर राइट फिर से इश्यू लाया गया जो पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। एमएमटीसी ने उपरोक्त राइट इश्यू में भाग नहीं लिया। 31.03.2020 तक एमएमटीसी की होल्डिंग 6% है। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी होल्डिंग आईसीईएक्स की बुक वैल्यू पर 31.3.2020 को 7.84 करोड़ रुपये (पि.वर्ष 16.00 करोड़) पर कीमत लगाई। आईसीईएक्स के इक्विटी शेयर 31.03.2020 तक भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में 6% इक्विटी के विनिवेश के लिए प्रस्ताव पर अनुरोध आमंत्रित किया है और तदनुसार 31.3.2020 को निवेश को 'बिक्री के लिए रोकने हेतु दिखाया गया है।

v. जांच एजेंसियों द्वारा की गई जांच संबंधी मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार मुख्य प्रमोटर द्वारा हाल ही में किए गए डिफाल्ट के मद्देनजर तथा जे वी कंपनी द्वारा अपनी व्यावसायिक गतिविधियां रोक देने के परिणामस्वरूप कंपनी को वर्ष 2017–18 के दौरान अपने संयुक्त उद्यम मैसर्स एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड इक्विटी में निवेश की गई 2.99 करोड़ रुपए की हानि हो गई। कंपनी ने जेवी कंपनी को छोड़ने का भी नोटिस दिया है। जेवी कंपनी से वित्तीय वर्ष 2018–19 के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इन्हे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया जा सका ।

vi. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उद्यम टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड की इक्विटी में निवेश की गई 0.06 करोड़ रुपए की राशि को बट्टे खाते में डाला । जेवी कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है तथा इस संबंध में एमसीए को आवेदन किया है ।

7. प्राप्य व्यापार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(I) अन्य व्यापार प्राप्य		
ए) अच्छे माने गये –सुरक्षित	-	-
बी) अच्छे माने गये –असुरक्षित	(0.06)	3.91
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	-	-
डी) क्रेडिट हानि	-	
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	-	-
अनुयोग–कुल	**(0.06)**	**3.91**
(i) अन्य व्यापार प्राप्य		
ए) अच्छे माने गये –सुरक्षित	**303.54**	178.56
बी) अच्छे माने गये –असुरक्षित	**1,743.51**	245.02
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	-	-
डी) क्रेडिट हानि	**388.97**	391.20
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	**388.97**	391.20
अनुयोग–कुल	**2,047.05**	**423.58**
कुल	**2,046.99**	**427.49**
गैर–चालू (ए)	-	-
चालू (बी)	**2,046.99**	**427.49**
कुल	**2,046.99**	**427.49**

उपरोक्त में से कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एकल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फर्म अथवा निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक भागीदार है अथवा निदेशक है अथवा सदस्य है से शून्य राशि देय है (पिछले वर्ष शून्य रू)।

अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता में चलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में शेष	**391.20**	391.64
वर्ष के दौरान वृद्धि	**1.33**	-
वर्ष के दौरान बटटे खाते में/रिवर्सल	**(3.56)**	(0.41)
वर्ष के दौरान उपयोग	-	(0.03)
वर्ष के अंत में शेष	**388.97**	**391.20**

8. ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
प्राप्ति योग्य– सुरक्षित				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	0.01	-	0.01
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	0.72	3.14	0.80	3.74
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	**0.72**	**3.15**	**0.80**	**3.75**
प्राप्ति योग्य – असुरक्षित				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	1.87	-	1.86
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	1.00	1.63	1.45	2.21
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	**1.00**	**3.50**	**1.45**	**4.07**
जिनमें क्रेडिट जोखिम अधिक है				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	-	-	-
संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	**-**	**-**	**-**	**-**
क्रेडिट में क्षति				
सिक्योरिटी जमा राशि	-	0.17	-	0.17
संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को ऋण	-	-	-	-
अन्य	0.03	0.14	0.03	0.08
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण	0.03	0.31	0.03	0.25
अनुयोग	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल	**1.72**	**6.65**	**2.25**	**7.82**

उपरोक्त में निदेशकों अथवा कंपनी के अन्य अधिकारियों अथवा उनमें से अन्य किसी व्यक्ति के साथ अलग से अथवा संयुक्त रूप से देय राशि अथवा ऐसी फर्मों अथवा निजी कंपनियों जिनमें कोई निदेशक पार्टनर अथवा निदेशक अथवा सदस्य हैं उनके द्वारा देय राशि रू 0.04 करोड़ है (पिछले वर्ष रू 0.01 करोड़ रू)।

09. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक जमा राशि	**-**	**0.03**	-	0.86
भुगतान नही किये गये लाभांश के लिए बैंक के पास शेष	**-**	**0.22**	-	0.17
एनएसईएल से प्राप्य ;पद्ध	**-**	**208.25**	-	208.25
प्राप्य डेमरेज तथा डिस्पैच	**5.82**	**6.41**	4.23	5.92
फारवार्ड संविदा प्राप्य	**-**	**-**	-	-
अन्य कंपनियों को दिए गए अग्रिम ;पपद्ध	**-**	**33.53**	-	33.46
अन्य अग्रिम	**1.40**	**8.71**	1.93	9.14
निम्नलिखित पर उत्पन्न देय ब्याज/अदेय ब्याज :				
– सावधिक जमा राशि	**2.75**	**-**	2.03	-
– कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.71**	**7.69**	0.95	9.25
– संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	**-**	**-**	-	-
– अन्य को दिए गए ऋण	**0.55**	**15.03**	0.07	0.83
अन्य	**4.21**	**11.27**	0.18	20.09
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध प्राप्यों में हानि/स्वीकार्यता	**1.13**	**245.01**	1.07	245.89
योग	**14.31**	**46.13**	**8.32**	**42.08**

(i) रूपए 208.25 करोड़ (गत वर्ष रूपए 208.25 करोड़) विभिन्न उधारकर्ताओं तथा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) से वसूल किए जाने हैं जो कि एनएसईएल द्वारा भुगतान देनदारी में डिफाल्ट करने के कारण उत्पन्न हुआ है। इसके लिए पूरा प्रावधान कर लिया गया हैं। कंपनी ने मुम्बई हाईकोर्ट में एनएसईएल तथा अन्य के विरूद्ध कानूनी वाद दायर किया है तथा इस मामले की सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने भी मामले की जांच की है। भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनएसईएल तथा एफटीआईएल के विलय आदेश को निरस्त कर दिया है।

(ii) वर्ष के दौरान प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एचएफटीडब्ल्यूपीएल तथा केएफटीडब्ल्यूपीएल को एडंवास देने के लिए 0.36 (पिछले वर्ष) 15.94 करोड़ रूपए (गत वर्ष रूपए 'शून्य' करोड) का प्रावधान किया गया है।

10. आस्थगित कर परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	**(8.70)**	(8.70)
अनुयोग	**(8.70)**	**(8.70)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**233.27**	233.27
डीडब्ल्यूए जोखिम	**0.01**	0.01
वीआरएस व्यय	**6.26**	6.26
अनुयोग	**239.54**	239.54
आस्थगित कर संपत्तिया (निवल)	**230.84**	**230.84**

कंपनी की संभावित भविष्य की कर योग्य आय के लिए संभावित अनुप्रयोग की सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को दिखाया गया है। तथापि कंपनी ने अनिश्चिताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों को नही दिखाया है।

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में गतिशीलता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को शेष	लाभ व हानि में शामिल	समायोजन	31 मार्च 2020 को शेष
आस्थगित कर देयता				
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(8.70)	-	-	(8.70)
अनुयोग	**(8.70)**	**-**	**-**	**(8.70)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	233.27	-	-	233.27
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	0.01	-	-	0.01
वीआरएस व्यय	6.26	-	-	6.26
सीएसआर प्रावधान	-	-	-	-
मुकदमों के निपटान के लिए प्रावधान	-	-	-	-
अनुयोग	**239.54**	**-**	**-**	**239.54**
कुल	**230.84**	**-**	**-**	**230.84**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अस्थाई कटौती योग्य अंतर राशि	**230.84**	230.84
कुल	**230.84**	**230.84**

आस्थगित कर संपत्तियों और आस्थगित कर दायित्वों को आफसेट कर दिया है क्योंकि वे एक ही कानून के अंर्तगत आते हैं।

11. अन्य संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
ए. गैर चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
–सिक्युरिटी डिपाजिट्स	**0.24**	0.04
–अन्य सप्लायर्स को अग्रिम	**4.67**	4.67
–अन्य अग्रिम	**17.12**	17.20
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	**(17.98)**	(18.06)
अन्य		
–वसूली योग्य प्रदत्त आयकर	**20.94**	20.64
–अन्य	**0.01**	0.01
कुल	**25.00**	**24.50**
बी. चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
–सिक्युरिटी डिपाजिट्स	**13.09**	7.48
–संबंधित पार्टियों को अग्रिम	**1,425.00**	1,425.01
–संबंधित पार्टियों को व्यापार संबंधित अग्रिम	**1,796.00**	1,169.56
–अर्जित ब्याज की वसूली अनिश्चित	**(252.18)**	-
–अन्य आपूर्तिकारों को अग्रिम	**5.75**	2.09
– अन्य प्राप्य दावे	**131.34**	49.58
–बिना बिलों के की गई गोल्ड/सिल्वर स्टॉक की खरीद	**238.18**	227.02
–अन्य अग्रिम	**23.68**	22.50
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	**(3.25)**	(3.25)
अन्य		
–देय बिक्री कर रिफंड	**13.82**	14.79
–देय एक्साइज/कस्टम ड्यूटी रिफंड	**4.64**	4.53
–देय सेवाकर रिफंड	**0.46**	0.05
–अन्य	**49.63**	84.70
कुल	**3,446.16**	**3,004.06**

12. इन्वेंट्रीज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कच्चा माल	**11.31**	26.90
तैयार माल	**43.38**	30.10
स्टॉक इन ट्रेड	**155.82**	222.76
रू 7.69 करोड. रूपये (पिछले वर्ष 139.74 करोड. रूपये) मूल्य के गुड्स इन ट्रॉजिट		
अन्य	**7.20**	0.15
योग	**217.71**	**279.91**

ए) जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया।

बी) गुडस इन ट्रांजिट सहित इन्वेंट्रीज का मूल्यांकन दिनांक 31 मार्च 2020 को लागत के निम्नतर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया गया। बाजार मूल्य पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से कम मूल्य पर करने के कारण 7.50 करोड. रूपये(पिछले वर्ष 0.80 करोड.) की हानि हुई।

सी) स्टॉक इन ट्रेड में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआरएस) 39936 यूनिट (पिछले वर्ष 20920 यूनिट) जिनका मूल्य 1 रूपये (पिछले वर्ष 0.07 करोड. रुपए) जो इंड एएस –2 'इन्वेंट्रीज' के अनुसार लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य से निम्नतर है।

(ii) प्रमाणन के अंतर्गत सीईआरएस की संख्या शून्य यूनिट है (गत वर्ष 39939 यूनिट)

(iii) मूल्यह्रास, एमिसन कटौती उपकरण की ओ एण्ड एम लागत के लिए 5.13 करोड़ रुपए की राशि (गत वर्ष रू 4.34 करोड़ रूपए) व्यय की गई।

(डी) प्याज का बफर स्टॉक बनाने के लिए भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत आयातित प्याज से संबंधित लागत पर मूल्यांकित 22.18 करोड़ रूपये(गत वर्ष शून्य करोड़ रूपये) की इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड में शामिल है (सदर्भ नोट 36(ई))।

13. नकद तथा नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
बैंक में उपलब्ध शेष		
ए) चालू खाते में	**59.79**	7.59
बी) सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने तक की है	**-**	0.73
सी) कैश क्रेडिट अकांउट में डेबिट शेष	**14.82**	24.14
चैक, ड्राफट ऑन हैंड	**-**	-
कैश ऑन हैंड	**0.04**	0.10
कुल	**74.65**	**32.56**

14. उपरोक्त के अलावा बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
भुगतान न किए गए लाभांश के लिए	**-**	-
मार्जिन मनी के रूप में/लियन पर	**140.04**	88.09
सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम है	**12.16**	13.69
कुल	**152.20**	**101.78**

15. वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	**11.44**	
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	**-**	22.21
वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	**-**	0.01
कुल	**11.44**	**22.22**

16. ए. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अधिकृत			
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर			
	संख्या	**2,000,000,000**	2,000,000,000
	राशि	**200.00**	200.00
निर्गत, खरीदे गए तथा पूर्ण प्रदत्त			
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर			
	संख्या	**1,500,000,000**	1,500,000,000
	राशि	**150.00**	150.00

शेयरों की संख्या जिनका मिलान किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आरंभिक इक्विटी शेयर	**1,500,000,000**	1,000,000,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी/खरीदे गए शेयरों की संख्या	**-**	500,000,000
घटाए : कटौती	**-**	-
अंतिम शेष	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**

कंपनी में ऐसे भोयर होल्डर के भोयरों की संख्या जिनकी 5 प्रतिशत से अधिक होल्डिंग है

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
– भारत के राष्ट्रपति	1,348,903,143	1,348,903,143

कंपनी में शेयर पूंजी की एक श्रेणी है, जिसमें रू 1/– प्रत्येक शेयर मूल्य के साधारण शेयर हैं। कंपनी के आर्टिकल्स आफ असोसिएशन तथा लागू कानून के तहत कंपनी के साधारण शेयर होल्डर को कंपनी की वार्षिक आम सभा का नोटिस तथा वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है, कंपनी के बंद होने की स्थिति में सरप्लस परिसंपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, साधारण शेयरों पर घोषित किए गए किसी भी लाभांश को प्राप्त करने की पात्रता प्रदान करता है।

इक्विटी शेयर पूंजी में गतिविधि :वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी शेयर की वापस खरीद नहीं की है।

कंपनी की कोई बोल्डिंग कंपनी नहीं है

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने पोस्टल बैलट के माध्यम से शेयरहोल्डर्स की सहमति प्राप्त कर पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में 50 करोड रूपए की फ्री रिजर्व राशि का पूंजीकरण करते हुए कंपनी ने 50 करोड इक्विटी शेयर 1:2 के अनुपात में पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित किए। तदनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी बढकर 150 करोड रूपए हो गई है जिसे रूपए 1/– प्रति इक्विटी शेयर पूर्णप्रदत्त की दर से 150 करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है।

बी. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
सामान्य रिजर्व	**598.89**	588.54
अनुसंधान व विकास रिजर्व	**-**	0.35
रिटेंड अर्जन	**159.14**	514.72
बांड रिडंपशन रिजर्व	**8.30**	8.30
अन्य रिजर्व	**(5.80)**	6.82
कुल	**760.53**	**1,118.73**

(i) सामान्य रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आरंभिक शेष	**588.54**	628.54
सरप्लस से अंतरण	**10.35**	10.00
सामान्य रिजर्व से अंतरण	**-**	(50.00)
अंतिम शेष	**598.89**	**588.54**

(ii) अनुसंधान एवं विकास रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आरंभिक शेष	**0.35**	0.35
सरप्लस से अंतरण	**-**	-
कटौती	**(0.35)**	-
अंतिम शेष	**-**	**0.35**

(iii) बांड रिडंपशन रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आरंभिक शेष	**8.30**	8.30
सरप्लस से अंतरण	**-**	-
कटौती	**-**	-
अंतिम शेष	**8.30**	**8.30**

(iv) रिटेंड रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आरंभिक शेष	**514.72**	459.68
वर्ष के लिए निवल लाभ	**(273.72)**	108.72
लाभांश लाभांश वितरण कर	**(54.25)**	(36.17)
अन्य समायोजन	**(37.61)**	(7.51)
विनियोजनः–		
सामान्य रिजर्व	**10.00**	(10.00)
अंतिम शेष	**159.14**	**514.72**

(v) अन्य रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचयी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स के इक्विटी घटक	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	नगद प्रवाह के प्रभावी भाग	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों को बदलने पर विनिमय अंतर	पुनर्मल्यांकन – पोस्ट कर्मचारी लाभ योजनाएं	कुल अन्य रिजर्व
01 अप्रैल 2018 को	1.13	(0.05)	-	3.66	1.09	5.83
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	-	-	-	(5.06)	(5.06)
अन्य समायोजन	-	-	-	-	1.43	1.43
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	-	(0.57)	-	-	-	(0.57)
जमा/(कटौती)	-	-	-	5.19	-	5.19
01 अप्रैल 2019 को	**1.13**	**(0.62)**	**-**	**8.85**	**(2.54)**	**6.82**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन	-	-	-	-	(11.32)	(11.32)
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	-	(9.38)	-	-	-	(9.38)
जमा/(कटौती)	-	-	-	8.08	-	8.08
31 मार्च, 2020 को	**1.13**	**(10.00)**	**-**	**16.93**	**(13.86)**	**(5.80)**

17. उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(क) गैर –चालू		
(I) मियादी ऋण		
(क) बैंकों से		
– सुरक्षित	**-**	-
– असुरक्षित	**166.70**	-
योग	**166.70**	**-**
(ख) चालू		
(i) मांग पर पुनर्भगतान योग्य ऋण		
(क) बैंकों से		
– सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	**581.07**	661.31
– असुरक्षित	**1,791.77**	300.18
अन्य ऋण–राष्ट्रीय लघु बचत फंड (एफएसएसएफ) से	**1,310.00**	-
योग	**3,682.84**	**961.49**

- किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है।
- बैंकों से कैश क्रेडिट/पैकिंग क्रेडिट खाते/अन्य के अंतर्गत ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर अदायगी योग्य हैं। मांग पर प्रतिदेय ऋण पर देय ब्याज एमसीएलआर तथा बैंकों के विस्तार पर आधारित है।
- कंपनी ने किसी भी ऋण तथा इस पर ब्याज की अदायगी में चूक नहीं की है।

18. व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
चालू		
व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लधु प्रतिष्ठानों का कुल देय बकाया	**0.08**	6.79
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**665.50**	1,132.23
संबंधित पार्टियों को व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स कुल देय बकाया	**-**	-
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**0.02**	0.02
कुल	**665.60**	**1,139.04**

19. अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
ए. गैर चालू		
लीज	**6.49**	
अन्य	**-**	-
कुल	**6.49**	**-**
बी –चालू		
देय – व्यापार के अलावा	**9.59**	13.24
देय डिस्पेच/डेमरेज	**5.18**	3.65
वसूली गई राशि – पेंडिंग रेमिटेंस	**0.59**	0.84
उधार पर उत्पन्न ब्याज	**13.40**	3.88
सिक्युरिटी डिपॉजिट व ईएमडी	**37.98**	34.81
भुगतान न किया गया लाभांश	**0.22**	0.17
देय दावे	**45.41**	43.73
फारवर्ड कांट्रैक्ट भुगतान योग्य	**0.27**	-
अन्य	**87.55**	80.30
कुल	**200.19**	**180.62**

20. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
ए. गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ए) अर्जित अवकाश	**11.68**	14.73
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.10**	0.10
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त	**4.25**	104.04
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त	**1.46**	40.92
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**18.26**	18.92
ई) सेवा अवार्ड	**3.88**	4.55
एफ) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**3.48**	3.38
जी) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	**1.73**	1.91
कुल	**44.84**	**188.55**

बी. चालू		
कर्मचारी लाभ		
ए) अर्जित अवकाश	**2.75**	3.30
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.06**	0.06
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी	**0.10**	2.53
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी	**0.27**	8.48
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**3.62**	4.40
ई) ग्रेच्युटी	**11.12**	6.39
एफ) सेवानिवृत्ति लाभ	**-**	-
जी) सेवा अवॉर्ड	**0.97**	1.15
एच) बोनस/कार्य निष्पादन से जुड़ा वेतन	**21.48**	22.92
आई) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**0.55**	0.62
जे) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	**0.43**	0.40
अनुयोग	**41.35**	**50.25**
अन्य		
गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	**0.04**	0.03
मुकदमेंबाजी के निपटान के लिए प्रावधान	**11.38**	-
अनुयोग	**11.42**	**0.03**
कुल	**52.77**	**50.28**

21. अन्य देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
चालू		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**455.74**	290.86
सांविधिक भुगतान योग्य देय	**11.07**	41.71
अनबिल्ड खरीदारी के लिए देय राशि	**238.18**	227.02
अन्य	**1.27**	1.12
कुल	**706.26**	**560.71**

22. वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार	31 मार्च 2019 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए देय आयकर	**1.09**	30.40
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए देय आयकर	-	-
कुल	**1.09**	**30.40**

23. प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	**26,216.74**	28,748.27
सेवाओं की बिक्री	**4.06**	4.55
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	**89.25**	462.68
–सब्सिडी	**-**	-
–अर्जित डिस्पैच	**4.98**	0.25
–अन्य व्यापार आय	**(10.32)**	223.94
कुल	**26,304.71**	**29,439.69**

24. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय		
– फिक्स्ड डिपोजिट से	**5.59**	3.54
– ग्राहकों की अतिदेय राशि से	**0.04**	0.05
– अन्य	**9.73**	2.96
लाभांश आय	**12.21**	5.23
– सहायक/संयुक्त उद्यमों से	**0.20**	0.17
– अन्य से		
अन्य गैर–प्रचालन राजस्व (ऐसी आय पर प्रत्यक्ष रूप से हुए खर्च को घटाकर)	**0.64**	0.72
– स्टाफ क्वार्टर्स किराया	**4.91**	2.23
– रिटन बैक देयताएं	**-**	-
– विविध प्राप्तियॉ	**2.93**	5.99
कुल	**36.25**	**20.89**

25. प्रयुक्त माल की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल का आरंभिक स्टॉक	**26.97**	4.28
जोड़ें : क्रय से अंतरण	**161.13**	146.97
घटाएं: कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	**10.64**	27.00
प्रयुक्त माल की लागत	**177.46**	**124.25**
उपभोग वस्तुएँ	**-**	**-**

26. स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय

(₹ करोड़ में)

क. क्रय		
बहुमूल्य धातुएं	**7,524.20**	11,862.48
धातुएं	**894.55**	2,068.57
उर्वरक	**11,058.11**	9,836.71
खनिज	**1,693.04**	849.42
कृषि उत्पाद	**2,336.43**	582.58
कोयला व हाईड्रोकार्बन	**1,542.78**	1,255.47
अन्य	**10.90**	27.00
ख. स्टॉक के रूप में प्राप्त/(जारी किया गया) बहुमूल्य धातुएं	**0.64**	-
कुल	**(0.14)**	(0.18)
	25,060.51	**26,482.05**

27. इन्वेंट्रीज में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क. तैयार माल		
आरंभिक शेष	**30.18**	34.19
अंतिम शेष	**46.53**	31.38
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**(16.35)**	**2.81**
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड		
आरंभिक शेष	**222.76**	1,672.62
अंतिम शेष	**162.32**	222.64
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**60.44**	**1,449.98**
निवल (वृद्धि)/कमी	**44.09**	**1,452.79**

28. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क) वेतन तथा पारिश्रमिक		
वेतन तथा भत्ते	**129.62**	135.30
छुट्टी नकदीकरण	**11.98**	8.90
बोनस	**0.40**	0.18
परफॉरमेंस से जुडा वेतन	**-**	10.51
चिकित्सा व्यय	**13.21**	20.98
ग्रुप बीमा	**0.12**	0.05
डीएलआईएस में अशंदान	**-**	0.14
वी आर खर्चे	**-**	0.12
ख) भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान	**22.87**	21.39
भविष्य निधि	**10.13**	11.80
ग्रेच्युटी निधि	**3.42**	6.94
परिवार पेंशन योजना	**1.02**	1.33
अधिवर्षिता लाभ	**5.12**	5.45
ग) स्टाफ कल्याण व्यय	**1.43**	1.47
कुल	**199.32**	**224.56**

29. वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क. ब्याज व्यय	**141.87**	66.56
ख. लीज पर व्याज व्यय	**0.32**	-
ग. फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट पर प्रीमियम	**-**	0.14
कुल	**142.19**	**66.70**

30. मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
पीपीई पर मूल्यह्रास	**5.56**	4.87
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	**0.16**	0.16
अमूर्त परिसंपत्तियों पर अमोर्टाइजेशन	**0.78**	0.66
कुल	**6.50**	**5.69**

31. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
ए. प्रचालन व्ययः		
भाड़ा	**110.30**	129.98
डेमरेज	**25.37**	1.00
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	**142.71**	29.64
एल/सी नेगोशिएशन एवं अन्य प्रभार	**4.99**	0.88
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	**(6.60)**	5.37
सीमा शुल्क	**546.41**	725.14
उत्पाद शुल्क	**-**	-
पैकिंग सामग्री	**1.25**	0.66
बीमा	**0.08**	0.27
गोदाम बीमा	**0.87**	1.46
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**2.86**	6.56
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**0.04**	0.03
अनुयोग (ए)	**828.28**	**900.99**
बी. प्रशासनिक व्यय :		
किराया	**2.22**	3.52
सुरक्षा खर्च	**3.62**	3.20
दरें एवं कर	**2.14**	1.51
बीमा	**0.25**	0.19
भवनों की मरम्मत	**5.11**	4.46
मशीनों की मरम्मत	**0.03**	0.04
मरम्मत एवं रखरखाव–कम्प्यूटर्स	**1.63**	2.05
मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	**0.67**	0.62
बिजली एव जल प्रभार	**3.14**	3.29
विज्ञापन एवं प्रचार	**0.90**	1.62
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	**0.51**	0.55
पोस्टेज एवं कुरियर	**0.17**	0.12
टेलीफोन	**1.09**	1.27
टेलीकम्युनिकेशन	**0.45**	0.43
यात्रा	**1.81**	3.63
वाहन	**1.48**	1.89
मनोरंजन	**0.52**	0.56
विधिक	**11.43**	7.20
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (i)	**0.72**	0.75
बैंक प्रभार	**1.88**	0.98
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.05**	0.06
ट्रेड/बिक्री प्रोमोशन	**0.83**	0.47
सब्सक्रिपशन	**0.62**	0.44
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**0.14**	0.28
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	**2.48**	1.83
सीएसआर व्यय (ii)	**1.43**	1.35
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	**0.80**	4.04
सेवा कर/जीएसटी	**0.82**	0.59
प्रदर्शनी एवं मेले	**0.76**	2.21
विविध व्यय	**9.33**	6.63
अनुयोग (बी)	**57.03**	**55.78**
सी. अन्य :		
अशाध्य ऋण/दावे/परिसंपत्तियाँ अपलिखितध निकासी	**0.49**	15.96
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/दावे/अग्रिम के लिए भत्ते	**0.34**	1.13
अनुयोग(सी)	**0.83**	**17.09**
कुल (एबी़सी)	**886.14**	**973.86**

32. अपवाद मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से इन्वैंट्रीज को राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल करना।	**7.49**	0.80
परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	**(0.06)**	0.02
गैर चालू निवेश के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान	**33.80**	-
मुकदमों का निपटान	**6.92**	12.48
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(3.83)**	(3.54)
कुल	**44.32**	**9.76**

(I) एसआईसीएएल आइरन ओर ट्रमिनल लिमिटेड में इक्विटी निवेश के प्रावधान

33. कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
वर्तमान वर्ष	**1.03**	33.00
पूर्वाधियों से संबंधित समायोजन	**(0.12)**	(0.61)
अनुयोग (ए)	**0.91**	**32.39**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थाई अंतर राशि का ओरिजिनेशन तथा रिवर्सल	**-**	4.77
अनुयोग (बी)	**-**	4.77
कुल (ए+बी)	**0.91**	**37.16**
अन्य व्यापक आय में माना गया कर		
विवरण	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**
परिभाषित लाभ योजना एक्चुरियल लाभ(हानि)	-	2.90
कुल	**-**	**2.90**
प्रभावी करों का मिलान		
विवरण	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**
कर पूर्व लाभ	**(272.80)**	145.87
अधिनियमित कर दर	**34.94**	34.94
गणना की गई अनुमानित कर खर्चे	**-**	50.97
होल्डिंग कंपनी से संबंद्ध समायोजन		
कटौती मुक्त खर्चे	**-**	10.30
कर मुक्त आय/अन्य कोई कटौती अथवा अनुमति योग्य खर्च	**-**	(18.74)
पूर्वावधि से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	**-**	(0.61)
आस्थगित कर	**-**	4.77
सहायक एवं संयुक्त उपक्रमों से संबंद्ध समायोजन	**-**	(9.53)
वर्ष के लिए कर व्यय	**-**	**37.16**
समायोजन : ओसीआई पर कर प्रभाव	**-**	(2.90)
वर्ष के लिए निवल कर व्यय	**-**	**34.26**

34. आकस्मिक देयताएं एवं प्रकटन

(i)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 को	31.03.2019 को
(I)			
ए)	विदेशी मुद्रा दावे सहित कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है।	202.35	207.87
बी)	विवादित आयकर मांग जिसके प्रति 19.64 करोड़ रू. (गत वर्ष 19.08 करोड़ रू.) जमा किए गए हैं।	40.59	50.40
सी)	विवादित टीडीएस मांग	-	-
डी)	विवादित बिक्री कर मांग जिसके विरूद्ध 12.36 करोड़ रू. (गत वर्ष 17.80 करोड़ रू.) जमा किए गए तथा बैंक गारंटी द्वारा 0.07 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.07 करोड़ रू.) कवर किए गए।	202.66	203.90
ई)	विवादित सेवा कर मांग	107.10	101.12
एफ)	विवादित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मांग	20.29	19.53
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.24	2.24
एच)	कस्टम्स बांड्स	267.08	186.77
आई)	बकाया जीआर–1 जिसके लिए 0.73 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.73 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी गई है।	1.60	1.60
जे)	कंपनी के विरूद्ध विदेशी सप्लायर की ओर से किए गए दावे को ऋण नही माना गया है।	-	551.19
	कुल (I)	**843.91**	**1324.61**
(II)	**अन्य बैंक टु बैंक आधार पर असोसिएट के अकाउंट में यदि कोई देयता बनती है**		
ए)	कस्टम्स डयूटी/ब्याज/पेनल्टी इत्यादि की अंतर राशि	166.92	166.86
	कुल (II)	**166.92**	**166.86**

क्रम संख्या (I) में दी गई मदों में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2019 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्ष 2019–20 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2020 को शेष
ए)	विदेशी मुद्रा के दावों सहित कंपनी के विरूद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	207.87	11.17	5.66	202.35
बी)	विवादित आयकर मांग	50.40	9.81	-	40.59
सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.00	-	0.00	0.00
डी)	विवादित बिक्री कर मांग	203.90	1.62	0.37	202.66
ई)	विवादित सेवाकर मांग	101.12	0.03	6.01	107.10
एफ)	विवादित केंद्रीय उत्पाद शुल्क मांग	19.53	-	0.76	20.29
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.24	-	-	2.24
एच)	कस्टम्स बांड्स	186.77	68.44	148.75	267.08
आई)	बकाया जीआर–1	1.60	-	-	1.60
जे)	विदेशी सप्लायर की ओर से कंपनी के विरूद्ध किए गए ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	551.19	551.19	-	-
	कुल	**1,324.61**	**642.26**	**161.55**	**843.91**

क्रम संख्या (II) में दी गई मदों में मूवमेंट

	विवरण	31 मार्च 2019 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्ष 2019–20 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2020 को शेष
ए)	कस्टम्स ड्यूटी/ब्याज/पेनल्टी आदि की अंतर राशि	166.86	-	0.05	166.92
	कुल	**166.86**	**-**	**0.05**	**166.92**

संयुक्त उपक्रमों की आस्मिक देयताओं में साझेदारी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संयुक्त उद्यम का नाम	31.03.2020 को	31.03.2019 को
1	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	7.68	2.25
2	एसआईसीएएल आइरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	NA	2.98
3	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	NA	252.42
4	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	NA	-

एनए – 2019–20 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

'एनआईएनएल (एक जेवी कंपनी) को सप्लाई करने के कोकिंग कोल आयात से संबंधित विदेशी सप्लायर का 7.872 करोड़ अमरीकी डालर का दावा है। इसके अलावा 0.098 करोड़ अमरीकी डालर की मध्यस्थता लागत तथा इस पर दिनांक 30.9.2009 से 12.5.2014 तक की अवधि के लिए उक्त राशि पर 7.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय ब्याज तथा 1 जून 2014 से भुगतान किए जाने की अवधि तक अवार्ड के बाद 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का दावा है। मध्यस्थता अवार्ड एमएमटीसी के विरूद्ध दिया गया । कंपनी द्वारा इस अंतिम निर्णय के विरूद्ध आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 34 के अंतर्गत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया। न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध कंपनी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बैंच के समक्ष अपील की गई ए जिसका निर्णय एकल न्यायधीश साथ ही अरबिटर्रेशन अवार्ड के आदेश, उद्धृत आदेश दि. 2 मार्च, 2020 के अनुसार कंपनी के पक्ष में रहा।

दावाकर्ता ने अपने पक्ष में मध्यस्थता अवार्ड डिक्री के निष्पादन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के समक्ष अलग से एक याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायलय के द्वारा जारी आदेश, दिनांक 22.05.2019 के अनुपालन में, कंपनी ने रजिस्ट्रार को अचल संपत्ति का स्वत्व विलेख जमा कर दिया है। कंपनी ने दावाकर्ता के द्वारा दायर की गई याचिका के कार्यान्वयन/प्रवर्तन की बर्खास्तगी के लिए आवेदन दिया है। दावाकर्ता माननीय उच्चतम न्यायलय के समक्ष विशेष अवकाश याचिका का वास्ता देते हुए आवेदन दिया है कि वे वर्तमान में खण्ड पीठ के निर्णय को चुनौती देने की प्रक्रिया में हैं। अदालत आदेश, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के अनुसार प्रवर्तन याचिका खारिज कर दिया, और आदेश दिया कि कंपनी के द्वारा जमा किए गए दिल्ली उच्च न्यायलय का महाराजिस्ट्रार के द्वारा आगे के 12 सप्ताह के लिए विलेख को रोका जाएगा और उसके बाद इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायलय के द्वारा जारी आदेश के अधीन कंपनी को जारी किया जाएगा। दावाकर्ता आज की तारीख में अभी तक कोई एसएलपी दर्ज नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा ली गई विधिक राय के अनुसार इस दावे के प्रति यदि कोई देयता बनेगी तो उसका वहन एनआईएनएल द्वारा किया जाएगा।

I) संविदा के निष्पादन के प्रति कंपनी की ओर से ग्राहक के पक्ष में बैंकों ने 3.87 करोड़ रु. (गत वर्ष 3.81 करोड़ रु.) की गारंटियां जारी हैं जिनकी एवज में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं से 0.59 करोड़ रुपए (गत वर्ष 0.59 करोड़ रुपए) की बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गईं हैं।

ii) कंपनी द्वारा खोली गई एल/सीज के तहत 100.54 करोड़ रु. की शेष बकाया है (गत वर्ष 99.57 करोड़ रु.)।

iii) कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी को वित्तीय संस्थानों/बैंकों से लिए गए ऋण तथा ब्याज को सुरक्षित रखने के प्रयोजन से संबंधित वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में 1345.82 करोड़ रूपए (गत वर्ष 1345.82 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटियां दी हैं।

iv) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के खाते में किए गए वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

v) यदि कर निर्धारण हो जाने पर बिक्री कर की मांग, कुछ कर्मचारियों के विवादित मामले, हैंडलिंग एजेंट्स/ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करना, विवादित किराया तथा आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी राशि के संबंध में ब्याज/दण्ड/विधिक लागत आदि के प्रति यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इसका निर्धारण करना संभव नही है। अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

35. वचनबद्धताएं :

पूंजीगत वचनबद्धताएं : विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित ऐसी संविदाओं की अग्रिम राशि घटाकर अनुमानित राशि जिनका निष्पादन कैपिटल अकाउंट में किया जाना है तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है ऐसी राशि 'शून्य' करोड़ रूपए है (गत वर्ष 'शून्य' करोड रु)।

संयुक्त उद्यम में पूंजीगत वचनबद्धताएं में शेयर : –

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संयुक्त उद्यम का नाम	31.03.2020 को	31.03.2019 को
1	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	8.08	0.63
2	एसआईसीएएल आइरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	NA	-
3	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	NA	60.57
4	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	NA	2.21

एन ए – 2019–20 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

36. सामान्य प्रकटन :

ए) (i) कंपनी ने बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को अपने पास रखा है जिसको अन्य चालू परिसंपत्तियों को (टिप्पणी संख्या 11(बी)) तथा अन्य चालू देयताओं को (टिप्पणी संख्या 21) में दिखाया गया है।

मदें	31.3.2020		31.3.2019	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
स्वर्ण (किलोग्राम)	467.00	181.98	515.00	147.80
स्वर्णाभूषण (ग्राम में)	-	-	-	-
चांदी (कि.ग्रा. में)	15,135.22	56.19	22,703.85	79.22
कुल	**15,602.22**	**238.18**	**23,218.85**	**227.02**

(ii) श्री माता वैष्णो देवी श्राईन बोर्ड की ओर से 31.03.2020 को दि.क्षे.का. में 7970.788 कि.ग्रा. अशोधित चाँदी लाया गया। चाँदी की शुद्धता मालूम न होने के कारण माल की कीमत सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

बी) हाल के वर्षों में आए व्यापार मॉडल में विभिन्न बदलावों के कारण और नवीनतम सांविधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्तमान ईआरपी पैकेज को बदलने का निणर्य लिया है।

सी) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) – संयुक्त उपक्रम कंपनी में निवेशः–

(i) कंपनी द्वारा उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर उड़ीसा में 1.1 मिलियन टन क्षमता का इंटिग्रेटेड इस्पात संयंत्र नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना। किए जाने के साथ–साथ इस एसोसिएट कंपनी में 49.78 प्रतिशत इक्विटी पूंजी के प्रति 459.11 करोड़ रुपए (गत वर्ष 379.69 करोड़ रुपए) का निवेश किया है। (नोट 6) भारत सरकार (सीसीईए) ने दिनांक 8 जनवरी 2020 को सैद्धांतिक रूप से एमएमटीसी और अन्य केन्द्रीय/ राज्य उपक्रमों को ईक्विटी निवेश के लिए नीतिबद्ध विनिवेश का अनुमोदन दिया है। विनिवेश की प्रक्रिया निवेश विभाग और लोक संपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) के द्वारा प्रक्रियाधीन है।

(ii) एनआईएनएल की दैनिक प्रचालन गतिविधियों के लिए निरंतर आधार पर कंपनी इसे 1425.00 करोड़ रूपये की सीमा तक लघु अवधि क्रेडिट सुविधा प्रदान करती रही है। इसके अलावा 1875.00 करोड़ रुपए की व्यापार से संबंधित वित्तीय सुविधा भी दी गई है। इसके लिए 2019–20 के लिए 252.18 करोड़ के व्याज को आय के रूप में न मान्य करते हुए दिनांक 31.03.2020 को कंपनी की 1184.15 करोड़ रूपए की नेटवर्थ के विरूद्ध अन्य परिसंपत्तियों (संबंधित पार्टियों को एडवांस) (नोट 11) के अंतर्गत बकाया राशि 3221.00 करोड़ रूपए (गत वर्ष 2594.57 करोड़ रूपए)।

(iii) एमएमटीसी और एनआईएनएल के विधिवत हस्ताक्षरित से दिनांक 31.12.2029 तक 3116.34 करोड़ बकाया राशि के साथ एनआईएनएल के साथ खाते का समाधान हो गया है। यद्यपि कोविड 19 महामारी और उड़ीसा में बंदी की वजह से एनआईएनएल से जनवरी–मार्च 2020 का लेखा–समाधान नहीं हो पाया है, हालांकि कंपनी ने एनआईएनएल को सभी दस्तावेज और सूचना दे दी है। दि. 31.03.2020 तक एनआईएनएल ने 3221.00 करोड़ शेष जमा लंबित की पुष्टि की है।

(iv) एनआईएनएल द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के लिए वित्तीय संस्थानों/बैंकों/अन्य के पक्ष में कंपनी ने 1345.82 करोड़ रुपए(गत वर्ष 1345.82 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटी भी दी है (नोट 34 (iii)) ।

(v) कंपनी ने पूर्व वर्षों के दौरान वृद्धि आधार पर व्यापार संबंधित व्याज की पहचान की है और शेष अग्रिम में जोड़ लिया जाता है। हालांकि, वर्ष 2019–20 के दौरान 252.18 करोड़ का व्याज एनआईएनएल से इसकी उगाही में अनिश्चितता के कारण जोड़ा नहीं गया था जैसा कि प्लांट बंद हो गया है और दीपम के द्वारा एनआईएनएल विनिवेश प्रक्रिया के अधीन है।

(vi) एनआईएनएल ने समय–समय पर क्रेडिट सुविधा के लिए कंपनी को 2800.00 करोड़ रुपए (गत वर्ष 1975.00 करोड़ रु.) की कारपोरेट गारंटी दी है।

(vii) तुलनपत्र की तारीख के बाद कंपनी ने दिनांक 04 मई 2018 को वाणिज्य मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद दिनांक 5. 4.2019 को अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के लिए 79.42 करोड़ रूपए की राशि जारी की है जिसके बाद कुल अतिरिक्त इक्विटी 149. 34 करोड़ रूपए हो गई है।

(viii) एनआईएनएल को गत 8 वर्षों से घाटा हो रहा है जिसके कारण इसकी नेट वर्थ नकारात्मक (–) 1625 करोड़ होकर दिनांक 31. 12.2019 को रुपए (–) 956.49 करोड़ (गत वर्ष 31.3.2019 को रुपए (–) 956.49 करोड़)। दिनांक 31.03.2020 को एनआईएनएल वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है, एनआईएनएल को 2019–20 के लिए अपना लेखा को अंतिम रूप देना शेष है।

(ix) एनआईएनएल के संभावित मूल्य निर्धारण और विनिवेश प्रक्रिया पर विचार करते हुए, प्रबंधन एनआईएनएल में निवेश और दिए गए अग्रिम को सही मानती है।

डी) मिंट बिक्री लेन देन के विषय में कंपनी ने मैसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 31.40 करोड़ रुपए(गत वर्ष 31.40 करोड़ रुपए), जिसमें 2.95 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2.95 करोड़ रुपए) का विलम्बित ब्याज भी शामिल है, की वसूली के लिए दावा किया है जिसका निर्णय कंपनी के पक्ष में आया है। मैसर्स एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध 167.20 करोड़ रू. (गत वर्ष 167.20 करोड़ रू.) की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया है जो कानूनी राय के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

ई) भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्याज का बफर स्टाक बनाने के लिए एमएमटीसी ने जुलाई 2019 से दिनांक 31.3.2020 तक प्याज का आयात किया। योजना के अनुसार एमएमटीसी के ट्रेडिंग मार्जिन को बिक्री के समय सी एण्ड एफ लागत पर 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया तथा आयात से संबंधित सभी व्ययों का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। बिक्री उगाही और एमएमटीसी के मार्जिन सहित सरकार से प्राप्त दावे के रूप में दिखाया गया है जो कि माल के परिसमापन के पश्चात डीओसीए में लेखा प्रस्तुत करने के बाद सरकार से प्राप्त अग्रिम के साथ समायोजित कर दिया जाएगा। माल को मुंबई में केन्द्रीय गोदामों/राजकीय गोदामों/ अन्य गोदामों में भंडारित किया गया है।

एफ) आयात्ति पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोशिएट के विरूद्ध 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य देयों को ध्यान में रखते हुए लेखों में 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम से इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लंबित है। एसोसिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर गया किया गया है।

जी) वर्ष 2011–12 के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल(तांबा) की आपूर्ति किए बिना 4.12 करोड़ रूपए (गत वर्ष 3.77 करोड़ रूपए) का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग चैनलों द्वारा जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए। तथापि भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने के वचन पत्र के साथ साख पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से भारतीय बैंक को रोके रखने के लिए कंपनी ने अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है । इसी आपूर्तिकर्ता ने धोखे से तांबे की एक अन्य खेप के मास्टर बिल ऑफ लैडिंग को अपने अधिकार में लिया हुआ है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई 8.60 करोड़ रूपए (गत वर्ष 8.60 करोड़ रूपए) मूल्य के माल की सुपुर्दगी तथा अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा ईएमडी एवं अन्य देयों के समायोजन के पश्चात् वर्ष 2014–15 के दौरान शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

एच) हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान बैकिंग चैनलों के माध्यम से 3.75 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.75 करोड़ रुपए) मूल्य के कॉपर की दो शिपमेंट्स के जाली बिल ऑफ लैडिंग प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया गया। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है। इस लेन–देन के संबंध में स्थानीय खरीदार से पूर्ण व अंतिम निपटान की 4.44 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो गई है। इस राशि में अन्य नॉन करंट देयताओं के तहत ग्राहक से प्राप्त एडवांस राशि भी शामिल है।

आई) माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को 39.62 करोड़ रुपए (गत वर्ष 39.62 करोड़ रुए) जमा करने के निर्देश दिए हैं । कोर्ट ने कहा है कि एक विदेशी पार्टी द्वारा दायर की गई डिक्री के निष्पादन पर कंपनी के एक कोल सप्लायर से उनकी लेखा बहियों के अनुसार एमएमटीसी से यह राशि प्राप्त होगी। एमएमटीसी ने एक आवेदन तथा काउंटर हलफनाम दायर किया है जिसमें कहा गया है कि सप्लायर को अभी संविदा संबंधी अपने दायित्व पूरे करने है तथा ऐसी स्थिति में एमएमटीसी इस राशि को जमा कराने में असमर्थ है। यदि सभी मुद्दों का समाधान हो जाने पर सप्लायर को कोई राशि देय होगी तो उसे सप्लायर को देने की बजाय कोर्ट में जमा कराया जाएगा इस मामले में सुनवाई चल रही है और सुनवाई की अगली तारीख 7.8.2020 है।

37. वित्तीय दस्तावेज – उचित मूल्य तथा जोखिम प्रबंधन

37.1 कैटगरीज के वित्तीय दस्तावेज

निम्नलिखित तालिका में कैटगरीज की वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की कैरिंग राशि तथा उचित मूल्य को दर्शाया गया है । यदि कैरिंग राशि उचित मूल्य का पर्याप्त अनुमान है तो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर नहीं आंका गया है तथा उचित मूल्य सूचना भी इसमें शामिल नहीं है।

(31 मार्च 2020 को करोड़ रुपये में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्याः 6)			1.16	1.16	1.16
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्याः 13)	74.65			74.65	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्याः 7)	2046.99			2046.99	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	6.49			6.49	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	0.00			0.00	
सुरक्षा जमा तथा अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	1.88			1.88	
सुरक्षा जमा (संदर्भ नोट संख्याः11)	13.33			13.33	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्याः 9)	14.31			14.31	
देयताएं					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्याः 18)	665.60			665.60	
उधार (संदर्भ नोट संख्याः 17)	3682.84			3682.84	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्याः 19)	200.19			200.19	

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्याः 6)	-	-	2.38	1.16	2.38
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्याः 13)	43.94			43.94	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्याः 7)	427.49			427.49	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	8.20			8.20	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	0.00			0.00	
सुरक्षा जमा तथा अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	2.04			2.04	
सुरक्षा जमा (संदर्भ नोट संख्याः11)	7.52			7.52	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्याः 9)	8.32			8.32	
देयताएं					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्याः 18)	1139.04			1139.04	
उधार (संदर्भ नोट संख्याः 17)	961.49			961.49	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्याः 19)	180.62			180.62	

37.2 उचित मूल्य वर्गीकरण

- स्तर 1. वर्गीकरण के स्तर 1 में सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित) का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है ।
- स्तर 2. वर्गीकरण के स्तर 2 में ऐसे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं जिनका मूल्यांकन कोटेड मूल्यों से इतर किया गया है। साथ ही इसमें ऐसी परिसंपत्तियां अथवा देयताएं भी शामिल हैं जो या तो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों के अनुसार) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) रूप में सुस्पष्ट हैं।
- स्तर 3. वर्गीकरण के स्तर 3 में सुस्पष्ट बाजार डाटा (अस्पष्ट इनपुट्स) पर अनाधारित इनपुट्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर आकलन की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य के वर्गीकरण को प्रस्तुत करती है।

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरणस्तर	1 स्तर	2 स्तर	3 कुल	योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	1.16			1.16		उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			7.84	7.84	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग	1.16	-	7.84	9.00		

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरणस्तर	1 स्तर	2 स्तर	3 स्तर	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	2.38			2.38		उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			16.00	16.00	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग	2.38	-	16.00	18.38		

37.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन, उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के कार्यकलापों में निम्नलिखित वित्तीय जोखिम शामिल हैं:–

–बाजार जोखिम

–क्रेडिट जोखिम तथा

–तरलता जोखिम

कंपनी ने ऐसे किसी फंड की व्यवस्था नहीं की जिसमें ब्याज दर जोखिम शामिल हो ।

क) बाजार जोखिम

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का आयात व निर्यात का व्यापार है जिसके कारण इसे मुख्यतः अमरीकी डालर के संबंध में विदेशी मुद्रा का जोखिम है। कंपनी ने दीर्घावधि उधार द्वारा निधियों की व्यवस्था नहीं की है। बैंकों से लिए गए लघु अवधि विदेशी मुद्रा ऋण (क्रेता के क्रेडिट) स्थिर ब्याज दर के ऋण होते हैं। परिणामस्वरूप कंपनी को किसी प्रकार का ब्याज दर जोखिम नहीं है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचाव (हेज) के लिए हेजिंग दस्तावेजों को प्रयोग करने की है ।

अपने विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा में फारवर्ड कांट्रेक्ट्स का प्रयोग करती है। संबंधित स्पॉट माक्रिट विनिमय दर के संदर्भ में कंपनी द्वारा फारवर्ड कांट्रेक्ट्स के स्पॉट घटक को विनिर्दिष्ट किया जाता है। कांट्रेक्ट्स फारवर्ड तथा स्पॉट मार्केट विनिमय दर के बीच के अंतर को फारवर्ड घटक कहते हैं। हेजिंग दस्तावेज की स्पॉट विनिमय दर में परिवर्तनों, जो कि हेज की गई मद से संबंधित होते हैं, को रोकड़ प्रवाह हेज अधिशेष में स्थगित किया जाता है तथा इसकी पहचान तब की जाती है जब संबंधित हेज किए गए लेनदेन की श्रेणी में आ जाता है। फारवर्ड विनिमय दर कांट्रेक्ट के फारवर्ड घटक को हैजिंग अधिशेष की लागत में स्थगित किया जाता है तथा जब लेन–देन किया जाता है तो उस समय फारवर्ड घटक में परिवर्तन की सीमा तक इसकी पहचान की जाती है।

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय दस्तावेजों से कंपनी को होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के मात्रात्मक डाटा का सारांश रुपयों में दर्शाया गया है ।

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर में)	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	110.20	-	110.20
ट्रेड प्राप्य	121.64	-	121.64
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	5.17	-	5.17
अन्य प्राप्य	13.40	-	13.40
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**250.41**	**-**	**250.41**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	344.91	-	344.91
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	1.30	-	1.30
ट्रेड देय	45.28	-	45.28
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	16.88	-	16.88
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	-	-	-
अन्य	0.46	-	0.46
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**408.83**	**-**	**408.83**

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है चूंकि हानि/लाभ एसोसिएट आपूर्तिकर्ता/ग्राहक के खाते में होगा । इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं ।

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर में)	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	79.13	-	79.13
ट्रेड प्राप्य	307.74	-	307.74
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	4.78	-	4.78
अन्य प्राप्य	1.62	-	1.62
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**393.27**	**-**	**393.27**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	320.70	-	320.70
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	3.24	-	3.24
ट्रेड देय	542.39	-	542.39
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	26.02	-	26.02
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	0.42	-	0.42
अन्य	5.84	-	5.84
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**898.61**	**-**	**898.61**

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है। इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं ।

संवेदनशीलताः

31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को हमारी फंक्शनल मुद्रा की तुलना में संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हमारे कर पूर्व लाभ पर क्रमशः शून्य रूपये एवं शून्य रूपये का प्रभाव डालेगी।

(i) मूल्य जोखिम

कंपनी के इक्विटी प्रतिभूतियों के मूल्य जोखिम कंपनी द्वारा किए गए निवेश से होते है तथा इसे तुलन पत्र में अन्य समेकित आय द्वारा उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी द्वारा दो प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में एक एनएसई पर सूचीबद्ध है तथा दूसरा (आईसीईएक्स) सूचीबद्ध नहीं है ।

31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को संबंधित इक्विटी मूल्यों में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी इक्विटी के अन्य घटकों पर क्रमशः लगभग 0.12 करोड़ रुपये एवं 0.18 करोड़ रुपये का प्रभाव डालेगी। इसका लाभ व हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अभिप्राय दूसरे पक्ष (काउंटर पार्टी)द्वारा अपने दायित्वों में की गई चूक, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है, के जोखिम से है । रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ट्रेड प्राप्यों से होता है। तदनुसार, ट्रेड प्राप्यों से होने वाले क्रेडिट जोखिम का अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों से अलग निम्नलिखित पैराग्राफ में मूल्यांकन किया गया है।

ट्रेड प्राप्य

संयुक्त उपक्रमों तथा भारत सरकार को छोड़कर कंपनी के बकाया ट्रेड प्राप्य अधिकांशतः साख पत्र/बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है ।

इंड एएस – 109 के प्रावधानों के अनुरूप ट्रेड प्राप्यों में हानि की पहचान संभावित क्रेडिट हानि के आधार पर की जाती है । संभावित क्रेडिट हानि के उद्देश्य से कंपनी के ग्राहकों का ऐतिहासिक अनुभव, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों एवं ग्राहकों के वर्तमान निष्पादन, इंडस्ट्री के भावी परिदृश्य को ध्यान में रखा जाता है ।

क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ट्रेड प्राप्यों की समयावधि के विश्लेषण को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है :–

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	Gross amount	Impairment	Carrying Value
देय नही	176.54	-	176.54
एक महीने से कम अवधि से ओवरड्यू	261.77	-	261.77
एक महीने से अधिक तथा दो महीने की अवधि तक ओवरड्यू	498.91	-	498.91
दो महीने से अधिक तथा तीन महीने की अवधि तक ओवरड्यू	859.38	-	859.38
तीन महीने से अधिक तथा छह महीने की अवधि तक ओवरड्यू	114.45	-	114.45
छह महीने की अवधि से अधिक ओवरड्यू	524.91	388.97	135.94
कुल योग	**2,435.96**	**388.97**	**2,046.99**

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

Particulars	Gross amount	Impairment	Carrying Value
देय नही	331.34	-	331.34
एक महीने से कम अवधि से ओवरड्यू	11.54	-	11.54
एक महीने से अधिक तथा दो महीने की अवधि तक ओवरड्यू	7.18	-	7.18
दो महीने से अधिक तथा तीन महीने की अवधि तक ओवरड्यू	15.28	-	15.28
तीन महीने से अधिक तथा छह महीने की अवधि तक ओवरड्यू	6.98	-	6.98
छह महीने की अवधि से अधिक ओवरड्यू	446.37	391.20	55.17
कुल योग	**818.69**	**391.20**	**427.49**

प्रत्येक ट्रेड प्राप्यों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर जब वसूली को संदिग्ध माना जाता है तथा राशि को वसूली योग्य माने जाने तक देय तिथि (सरकारी देयों के अतिरिक्त) के तीन वर्षों के पश्चात ट्रेड प्राप्यों में सामान्यतः क्रेडिट हानि मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों जिनमें हानि नहीं हुई है परंतु ओवरडयू है, वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं।

कुछ लेन–देनों के ट्रेड प्राप्यों के संबंध में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी द्वारा समकक्ष ट्रेड देय भी है जो ट्रेड प्राप्यों की वसूली के पश्चात देय होंगे । उक्त ट्रेड प्राप्यों को देय तिथि के पश्चात इम्पेयर्ड नहीं माना जाता है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

चूंकि हमारा दूसरा पक्ष बैंक है इसलिए रोकड़ व रोकड़ समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना गया है। अनुसूचित बैंकों के पास साविध जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक की निगरानी में है, अतः इसे हम गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं तथा ऑनगोईंग आधार पर हम इन बैंकिंग संबंधों की पुनरीक्षा करते हैं। चूंकि कर्मचारियों को दिए गए गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण आदि सम्पत्ति के प्रति सुरक्षित हैं इसलिए कर्मचारियों के ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को हम नगण्य मानते हैं। अन्य कर्मचारी ऋणों को संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक गारंटी के साथ साथ अन्य सेवारत कर्मचारी के जमानत बाण्ड द्वारा कवर किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किसी प्रकार की हानि का प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि को हम अच्छी गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं ।

ग) तरलता जोखिम

हमारी तरलता आवश्यकताओं को मासिक एवं वार्षिक अनुमानों के आधार पर मानीटर किया जाता है। रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, प्रचालनों से अर्जित रोकड़ तथा देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि द्वारा वित्तपोषण की उपलब्धता कंपनी का मुख्य तरलता स्रोत है।

आधारभूत व्यापार की सक्रिय प्रकृति के कारण प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस के अंतर्गत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण के लिए कंपनी द्वारा लचीलापन अपनाया जाता है ।

लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की मुख्यतः विविध लेनदार, देय व्यय, सामान्य व्यापार के दौरान होने वाले कर्मचारी देय शामिल हैं। लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में पर्याप्त शेष बनाकर रखती है।

कंपनी द्वारा दीर्घावधि की तरलता आवश्यकताओं का नियतकालिक आधार पर आकलन किया जाता है तथा आंतरिक संग्रहण एवं प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता से संबंधित विवरणों को दर्शाती है। जब कंपनी को भुगतान करना आवश्यक है तो उस अतिशीघ्र तारीख पर आधारित वित्तीय देयताओं के प्रकटन न किए गए रोकड़ प्रवाह के आधार पर यह तालिका बनाई गई है। इस तालिका में मूल एवं ब्याज रोकड़ प्रवाह दोनों शामिल किए गए हैं :–

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	कुल योग
ट्रेड देय	665.60					665.60
लघु अवधि उधार	3682.84					3682.84
अन्य वित्तीय देयताएं	200.19					200.19
कुल योग	**4548.63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4548.63**

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	कुल योग
ट्रेड देय	1139.04					1139.04
लघु अवधि उधार	961.49					961.49
अन्य वित्तीय देयताएं	180.62					180.62
कुल योग	**2281.15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2281.15**

38. हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

38.1 कैश फ्लो हेज

31 मार्च 2020 को कंपनी का कोई भी हेजिंग इंस्ट्रूयूमेंट बकाया नहीं था।

38.2 उचित मूल्य हेज

जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, कंपनी सोने और चांदी की इंवेंट्री की कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव के प्रति हेज करने के लिए कमोडिटी एक्सचेंजों के साथ फारवर्ड कांट्रेक्ट करती है। हेजिंग इंस्ट्रूयूमेंट पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि माना जाता है। हेज किए गए आइटम पर होने वाले हेजिंग लाभ अथवा हानि को समायोजित करते हुए हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि ली जाती है तथा उसे लाभ अथवा हानि माना जाता है।

ए) हेजिंग इंस्ट्रूयूमेंट के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रूयूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रूयूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रूयूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट				176	51.35

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट				120	41.55

बी.) हेज्ड आइटम्स के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंडःएएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेट्री	-	-	-	इंवेट्रीज	-	-

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंडःएएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेट्री	-	-	-	इंवेट्रीज	-	-

39 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–36 के संबंध में प्रकटीकरण "परिसंपत्तियों की हानि"

वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति की हानि/क्षति का निर्धारण किया तथा तदनुसार वर्ष के दौरान पीपीई के मूल्य में 'शून्य' करोड़ (गत वर्ष 0.27 करोड़ रू) की हानि का प्रावधान किया गया है।

40 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–19 के संबंध में प्रकटीकरण "कर्मचारी लाभ"

40.1 विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं के सामान्य विवरण इस प्रकार हैं :

ए) ग्रेच्युटी :

ग्रेच्युटी का भुगतान सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर सेवानिवृत्ति/सेप्रेशन पर सभी कर्मचारियों को किया जाता है। योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका संचालन एलआईसी के माध्यम से एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों के लिए कंपनी इस योजना का संचालन सीधे एलआईसी के माध्यम से करती है। कंपनी इस योजना का वित पोषण करती है तथा इसमें देयता का निर्धारण इंश्योरर को दिए जाने वाले अंशदान के आधार पर किया जाता है अर्थात भारतीय बीमा निगम, हालांकि, इंड एएस–19 के अधीन अपेक्षित सूचना का खुलासा एक्चुएरल मूल्यांकन के अनुसार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के ग्रेच्युटी फंड अंशदान का एक्चुएरल मूल्यांकन का अनुमान रूपए 4.29 करोड़ है (गत वर्ष 4.88 करोड़ रुपए)। हालांकि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की जाने वाली मांग के अनुसार फंड में योगदान करती है।

बी) अवकाश मुआवजा :

सेप्रेशन पर पात्र कर्मचारियों को उनके द्वारा संचित किए गए अर्जित तथा अर्ध वेतन अवकाश का मुआवजा देय होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है जो वर्ष के दौरान दो बार कराया जा सकता है बशर्ते कर्मचारी के खाते में नकदीकरण के बाद कम से कम 15 अवकाश शेष रहने चाहिए।

इस खाते में देयता का निर्धारण एक्चुएरल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

सी) लंबे सेवाकाल का लाभ : कर्मचारियों को देय लबी अवधि सेवाकाल के लाभ का विवरण निम्नानुसार है :

(i) सेवा पुरस्कार

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पूरे किए गए सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपए 3500/– के हिसाब से सेवा पुरस्कार की राशि देय होती है।

(ii) अनुकंपा ग्रेच्युटी

सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 50000/– रू की एक–मुश्त राशि अनुकंपा ग्रेच्युटी के रूप में देय होती है।

(iii) कर्मचारी परिवार लाभ योजना

यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है तो उसके आश्रितों को कर्मचारी परिवार लाभ योजना के तहत भुगतान उस तारीख तक देय होता है जो उसकी सेवानिवृत्ति की नोशनल तारीख है। यदि कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के समय तक 20 वर्षों से कम अवधि की सेवा की है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 40 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है तथा यदि कर्मचारी ने 20 वर्ष अथवा इससे अधिक का सेवाकाल पूरा कर लिया है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 50 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है।

(iv) अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों को विशेष लाभ : सेवानिवृत्ति पर अधिकारी को 5,00,000/– रू, स्टाफ को 4,00,000/– तथा कामगार को 3,00,000/– रूपए की राशि देय होती है।

लाभ व हानि, अन्य कम्प्रीहेंसिव इनकम(ओसीआई) तथा तुलनपत्र तथा अन्य प्रकटन में दिए गए विभिन्न लाभों की संक्षेप स्थिति निम्नानुसार है :

नेट परिभाषित लाभ देयता (₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ देयता	सी.वाई	98.90	14.44	21.89	4.85	2.15	0.16	4.02
	पी.वाई	105.48	18.03	23.32	5.70	2.30	0.16	4.00
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	सी.वाई	87.78	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई	99.20	-	-	-	-	-	-
वित्त पोषित स्थिति/ {अधिशेष/(घाटा)}	सी.वाई		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई		-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	सी.वाई		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई		-	-	-	-	-	-
नेट परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयताएं)	सी.वाई	(11.12)	(14.44)	(21.89)	(4.85)	(2.15)	(0.16)	(4.02)
	पी.वाई	(6.28)	(18.03)	(23.32)	(5.70)	(2.30)	(0.16)	(4.00)

परिभाषित लाभ देयता का चलन (₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के शुरू में	सी.वाई	105.48	18.03	23.32	5.70	2.30	0.16	4.00
	पी.वाई	111.61	16.53	26.01	6.88	2.65	0.16	4.61
चालू सेवा लागत	सी.वाई	2.97	0.71	0.95	0.17	0.06		
	पी.वाई	3.20	0.76	0.99	0.19	0.07		
विगत सेवा लागत	सी.वाई	0.00	-					
	पी.वाई	0.00	-					
ब्याज लागत	सी.वाई	7.90	1.37	1.78	0.43	0.18		
	पी.वाई	8.36	1.26	1.98	0.52	0.20		
प्रदत्त लाभ	सी.वाई	(28.42)	(12.47)	(4.35)	(1.73)	(0.42)		
	पी.वाई	(27.43)	(6.01)	(4.08)	(1.74)	(0.54)		
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएल हानि/(लाभ)	सी.वाई	10.97	6.79	0.19	0.27	0.03	0.00	0.02
	पी.वाई	9.74	5.49	(1.58)	(0.16)	(0.08)	(0.00)	(0.61)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के अंत में	सी.वाई	98.90	14.44	21.89	4.85	2.15	0.16	4.02
	पी.वाई	105.48	18.03	23.32	5.70	2.30	0.16	4.00

योजना परिसंपत्ति का चलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोशित)	
	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	99.20	67.64
ब्याज आय	7.50	5.06
नियोक्ता अंशदान	9.51	52.28
प्रदत्त लाभ	(28.42)	(27.43)
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएयल हानि/(लाभ)	(0.00)	1.65
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	87.78	99.20

लाभ व हानि विवरण में शामिल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
वर्तमान सेवा लागत	सी.वाई	2.97	0.71	0.95	0.17	0.06		
	पी.वाई	3.20	0.76	0.99	0.19	0.07		
पूर्व सेवा लागत–प्लान संशोधन	सी.वाई	0.00	-	-	-	-		
	पी.वाई		-	-	-	-		
सेवा लागत (ए)	सी.वाई	2.97	0.71	0.95	0.17	0.06		
	पी.वाई	3.20	0.76	0.99	0.19	0.07		
नेट परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) (बी)	सी.वाई	0.42	1.37	1.78	0.43	0.18		
	पी.वाई	3.30	1.26	1.98	0.52	0.20		
अवधि में माने गए नेट एक्चुरियअल (लाभ)/हानि	सी.वाई	-	6.79	0.19	-	-	0.00	0.02
	पी.वाई	-	5.49	(1.58)	-		(0.00)	(0.61)
पी एण्ड एल में मानी गई लागत (ए. बी)	सी.वाई	3.39	8.87	2.92	0.60	0.24	0.00	0.02
	पी.वाई	6.49	7.51	1.40	0.72	0.27	(0.00)	(0.61)

लाभ व हानि विवरण में शामिल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डीबीओ अनुभव के कारण एक्चुरिएयल लाभ/(हानि)	सी.वाई	10.97			0.09	(0.08)		
	पी.वाई	9.74	-	-	0.15	0.08	-	-
अनुमानित परिवर्तनों के कारण एक्चुएरियल लाभ/(हानि)	सी.वाई	-	-	-	0.18	0.11	- -	
	पी.वाई	-	-	-	0.00	0.00	-	-
अवधि के दौरान हुए एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए)	सी.वाई	10.97	-	-	0.27	0.03	-	-
	पी.वाई	9.74	-	-	0.15	0.08	-	-
प्लान परिसंपत्ति पर रिर्टन जो डिस्काउंट रेट से (अधिक)/कम है (बी)	सी.वाई	(0.01)	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई	(1.65)	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में मानी गई एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए. बी)	सी.वाई	10.96	-	-	0.27	0.03	-	-
	पी.वाई	8.09	-	-	0.15	0.08	-	-

संवेदनशील विश्लेशण

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

अनुमान		अनुमान में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
			(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट		0.50%	(2.28)	(0.37)	(0.50)	(0.09)	(0.05)	-	-
		-0.50%	2.40	0.39	0.53	0.10	0.05	-	-
वेतनवृद्धि दर		0.50%	2.40	0.39	0.53	-	-	-	-
		-0.50%	(2.30)	(0.37)	(0.51)	-	-	-	-

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

अनुमान		ग्रेच्युटी		अनुमान में परिवर्तन	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		अनुमान में परिवर्तन	(वित्त पोषित)		(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट		1.00%	(4.32)	0.50%	(0.43)	(0.50)	(0.11)	(0.05)	-	
		-1.00%	4.69	-0.50%	0.45	0.53	0.11	0.06	-	
वेतनवृद्धि दर		1.00%	4.11	0.50%	0.46	0.53	-		-	
		1.00%	(3.83)	-0.50%	(0.43)	(0.51)	-		-	

एक्चुएरियल अनुमान

अनुमान		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
प्रयोग में लाई गई पद्धति	सी.वाई	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट
	पी.वाई	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट	संभावित यूनिट क्रेडिट
डिस्काउंट रेट	सी.वाई	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%	6.60%
	पी.वाई	7.00%	7.62%	7.62%	7.62%	7.62%	7.62%	7.62%
वेतनवृद्धि दर	सी.वाई	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
	पी.वाई	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
मृत्यु दर	सी.वाई	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)
	पी.वाई	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)

संभावित लाभ भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	भुगतान वर्ष		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
			(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
1	0 से 1 साल		15.05	2.75	3.62	0.97	0.43	-	-
2	1 से 2 साल		14.59	2.22	3.69	0.80	0.34	-	-
3	2 से 3 साल		10.89	1.64	2.43	0.57	0.38	-	-
4	3 से 4 साल		11.09	1.24	2.74	0.55	0.26	-	-
5	4 से 5 साल		8.16	1.15	1.60	0.39	0.22	-	-
6	5 से 6 साल		6.25	0.74	1.35	0.27	0.32	-	-
7	6 साल से उपर		32.86	4.70	6.45	1.30	0.21	-	-

प्लान परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत
बीमाकृत लाभ	100%

डी) **भविष्य निधि :** कंपनी का योगदान देय वर्ष के दौरान भविष्य निधि और देयताओं के लिए भुगतान किए गए/भुगतान योग्य राशि की पहचान अक्रुएल आधार पर की जाती है। कंपनी का भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान एक्ट, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। जिन शर्तों के तहत छूट दी गई है उनमें प्रावधान है कि नियोक्ता ट्रस्ट द्वारा घोषित की गई ब्याज दर तथा वैधानिक दर में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति में उसकी पूर्ति करेगा। फंड की परिसंपत्तियों तथा किए गए निवेश पर आने वाले रिटर्न को देखते हुए कंपनी को लगता है कि निकट भविष्य में किसी और देयता के उत्पन्न होने की आशा नहीं है।

ई) **सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ** – कंपनी ने वर्ष के दौरान परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए रू 5.09 करोड़ (गत वर्ष रू 5.43 करोड़) लाभ व हानि विवरण में शामिल किए हैं।

एफ) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ : 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इनपेशंट इलाज तथा आपीडी इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

ए. वर्ष 2019–20 के लिए देयता की गणना परिभाषित अंशदान योजना के अनुसार दिनांक 1.1.2007 से पूर्व सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए पीबीटी की 1.50 प्रतिशत की दर से तथा दिनांक 1.1.2007 के बाद सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए उनको भुगतान किए गए मूल वेतन. डीए की 4.50 प्रतिशत की दर से की गई है।

बी. वर्ष के दौरान, कंपनी ने फंड के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाया है और योजना के लिए कंपनी देयता के मद्देनजर रूपये 150.00 करोड़ का भुगतान किया है। फंड के संचालन के लिए ट्रस्ट बनने तक के लिए, चालू वर्ष तथा दिनांक 31.3.2020 तक की अवधि के लिए 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत कंपनी की देयता 3.70 प्रतिशत की दर से (गत वर्ष 6.75 प्रतिशत की दर से) अतिरिक्त अंशदान जोडा गया है जो वर्तमान देयता बनती है चूंकि इस वर्ष सेटलमेंट होने वाला है।

सी. वर्ष के दौरान कुल रु 8.90 करोड़ (गत वर्ष रु. 15.91 करोड़) लाभ व हानि लेखे में चार्ज किए गए हैं।

41. सामूहिक जानकारी

1. सहायक कंपनी के नाम

समूह की सहायता नीचे दिया गया है। उनके पास शेयर पूंजी है जिसमें केवल इक्विटी शेयर होते हैं जो सीधे समूह के पास होते हैं और स्वामित्व के हितों का अनुपात समूह द्वारा रखे गए मतदान के अधिकारों के बराबर होता है। समावेशन या पंजीकरण का देश उनके व्यवसाय के भी मुख्य स्थान होते हैं।

क्र. सं	सहायक कंपनी नाम	प्रमुख गतिविधियाँ	समावेशन का स्थान	समूह के द्वारा आयोजित स्वामित्व में रूचि	
				31.03.2020	31.03.2019
1	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड	खनिजों, धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोल और हाइड्रोकार्बन्स, बुलियन, आभूषण और अन्य वस्तुओं में व्यापार	सिंगापुर	100% (गैर – नियंत्रित व्याज शून्य)	100% (गैर – नियंत्रित व्याज शून्य)

2 संयुक्त उद्यमों

समूह की सहायता नीचे दिया गया है। उनके पास शेयर पूंजी है जिसमें केवल इक्विटी शेयर होते हैं जो सीधे समूह के पास होते हैं और स्वामित्व के हितों का अनुपात समूह द्वारा रखे गए मतदान के अधिकारों के बराबर होता है। समावेशन या पंजीकरण का देश उनके व्यवसाय के भी मुख्य स्थान होते हैं।

क्र. सं	संयुक्त उद्यमों के नाम	प्रमुख गतिविधियाँ	समावेशन का स्थान	समूह के द्वारा आयोजित स्वामित्व में रूचि		लेखा–पद्धति
				30.03.2020	30.03.2019	
1	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड (i)	सोने और चाँदी के सिक्के, सोने के आभूषम, हीरा जड़ित आभूषण, जीवनशैली आभूषण	भारत	26%	26%	ईक्विटी विधि
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सोने और चाँदी के बार, सिक्के और संबंधित वस्तुएँ और सोने और चाँदी के डोर्स में व्यापार	भारत	26%	26%	ईक्विटी विधि
3	एसआईसीएएल लौह अयस्क टर्मिनल लिमिटेड (ii)	कंपनी ने अपने लौह अयस्क टर्मिनल सुविधा की स्थापना की है	भारत	26%	26%	ईक्विटी विधि
4	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड (iii)	अन्वेषण, खोज, पूर्वेक्षण, विकास, निकर्षण, खनिज ब्लॉक्स/डिपोजिट्स के दोहन में संलग्न	भारत	26%	26%	ईक्विटी विधि
5	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	कैप्टिव प्वार प्लान्ट के साथ लौह और स्टील उद्योग	भारत	49.78%	49.78%	ईक्विटी विधि
6	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	भारत में फ्री व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्रों के विकास	भारत	50%	50%	ईक्विटी विधि

(i) कंपनी ने मुख्य प्रवर्तक द्वारा की गई चूक की रिपोर्ट के मद्देनजर वर्ष 2017–18 के दौरान अपने संयुक्त उद्यम मेसर्स एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड में 2.99 करोड़ के इक्विटी निवेश को पूरी तरह से निकाल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके विरूद्ध जाँच एजेंसी के द्वारा जाँच शुरू कर दी गई है और तथ्यों पर विचार करके संयुक्त उद्यम कंपनी अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को निलंबित कर दी है। कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी से बाहर निकलने की सूचना भी दे दी है। वर्ष 2019–20 के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः समेकन के लिए उक्त पर विचार नहीं किया गया है।

(ii) कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम मेसर्स सीकल लौह अयस्क टर्मिनल लिमिटेड में 33.80 करोड़े की इक्विटी निवेश निकालने का 100 : प्रावधान किया है। वर्तमान वर्ष में भुगतान में हुई देर को ध्यान में रखते हुए मुख्य प्रवर्तक के द्वारा विचार किया गया। संयुक्त उद्यम से वर्ष 2019–20 के वित्तीय विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः समेकन के लिए उस पर विचार नहीं किया गया है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उद्यम टी.एम. माईनिंग कं.लिमिटेड में 0.06 करोड़ के अपने ईक्विटी निवेश बट्टे खाते में डाला। संयुक्त उद्यम कंपनी बंद करने की प्रक्रिया में है और एमसीए के साथ आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

(iv) निर्दिष्ट उचित मूल्य : सभी उपर्युक्त संयुक्त उद्यम सूची से बाहर हैं अतः निर्दिष्ट मूल्य उपलब्ध नहीं है। रखाव राशि का विवरण नोट सं. 6 पर दिया गया है।

3. समेकित ईकाइयां

निम्न ईकाइयां समेकन के लिए विचारार्थ है –

क्र. सं	इकाई के नाम	दर्जा	अपनाए गए वित्तीय विवरण
1	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड	सहायक कंपनी	लेखा परीक्षित
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	लेखा परीक्षित
3	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	*

* 2019–20 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं। यद्यपि 31.12.2019 तक सीमित समीक्षित वित्तीय परिणाम समेकन के लिए विचारार्थ है।

निवेश पूर्ण रूप से हानि होने के कारण निम्न इकाईयां समेकन के लिए विचारार्थ नहीं है।

क्र.सं.	इकाईयों के नाम	दर्जा	समेकन नहीं होने के कारण
1	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	रेफर नोट सं. 41.2 (i) उपर्युक्त
2	टी.एम. माइनिंग कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	रेफर नोट सं. 41.2 (ii) उपर्युक्त
3	सीकल आइरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	रेफर नोट सं. 41.2 (iii) उपर्युक्त
4	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं

4. संयुक्त उद्यम के नुकसान की नहीं पहचानी गई शेयर, क्योंकि समूह ने संयुक्त उद्यम के अपने शेयर नुकसान को पहचानना बंद कर दिया है, निवेश के वहन मूल्य को इक्विटी पद्धति को लागू करते हुए नीचे दिया गया है –

क्र. सं	संयुक्त उद्यम के नाम	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
1	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	807.94	332.92*	200.90	186.89	87.22
2	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	3.83	प्राप्त नहीं	1.45	1.38	1.00

*सीमित समीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर 9 महीनों की अवधि के लिए 31.12.2019 तक जैसा कि 2019–20 के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

42. संयुक्त उद्यम से संबंधित जानकारी (₹ करोड़ में)

संक्षेपित तुलन पत्र	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	
	31 मार्च 20	31 मार्च 19	31 मार्च 20*	31 मार्च 19	31 मार्च 20*	31 मार्च 19
चालू परिसंपत्तियां						
नकद और नकद आस्तियां	555.95	89.37		55.87		0.19
अन्य परिसंपत्तियां	1,125.57	618.78	-	490.11	-	-
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	1,681.52	708.15	-	545.98	-	0.19
कुल गैर चालू परिसंपत्तियाँ	198.91	187.14		3,475.44		66.86
चालू देनदारियाँ						
वत्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय और प्रावधानों को छोड़कर)	325.28	183.75		1,881.72		4.02
अन्य देनदारियाँ	1,114.07	320.07	-	1,506.60	-	5.26
कुल चालू देनदारियाँ	1,439.35	503.82	-	3,388.32	-	9.28
गैर चालू देनदारियाँ						
वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय और प्रावधानों को छोड़कर)	4.32	-		1,397.82	-	-
अन्य देनदारियाँ	29.87	28.39	-	191.77		65.42
कुल गैर चालू देनदारियाँ	34.19	28.39	-	1,589.59	-	65.42
निवल परिसंपत्तियाँ	406.89	363.08	-	(956.49)	-	(7.65)

विवरण	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	
	31 मार्च 20	31 मार्च 19	31 मार्च 20*	31 मार्च 19	31 मार्च 20*	31 मार्च 19
राजस्व	34,512.63	47,639.41		2,005.43		0.53
ब्याज आय	18.23	18.26		7.47		0.00
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति	26.22	26.09		150.53		0.90
ब्याज व्यय	8.90	29.75		231.52		0.33
आयकर व्यय	34.77	53.85		(197.54)		0.09
जारी प्रचालन से लाभ	100.64	95.99		(402.19)		(2.89)
बंद प्रचालन से लाभ (कर के बाद)	-	-		-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	100.64	95.99	-	(402.19)	-	(2.89)
अन्य व्यापक आय	(0.22)	(0.64)		(1.39)	-	-
कुल व्यापक आय	100.42	95.35	-	(403.58)	-	(2.89)

विवरण	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	
	31 मार्च 20	31 मार्च 19	31 मार्च 20*	31 मार्च 19	31 मार्च 20*	31 मार्च 19
आरंभिक निवल परिसंपत्ति	363.08	292.00	(956.49)	(552.05)	(7.65)	(4.76)
वर्ष के लिए लाभ	100.64	95.99	-	(402.19)	-	(2.89)
अन्य समेकित आय	(0.22)	(0.64)	-	(1.39)	-	-
अन्य समायोजन	(56.61)	(24.27)		(0.86)	-	-
ईक्विटी के समानक अग्रिम	-	-	-	-	-	
समापन निवल परिसंपत्ति	406.89	363.08	(956.49)	(956.49)	(7.65)	(7.65)
प्रतिशत में समूह के शेयर	26%	26%	49.78%	49.78%	50%	50%
आईएनआर में ग्रुप के शेयर	105.79	94.40	(476.14)	(476.14)	(3.83)	(3.83)
गुडविल / (आरक्षित पूंजी)	-	-	-	-	-	-
कैरिंग राशि**	105.79	94.40	-	-	-	-

* 31.03.2020 को वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुआ

संयुक्त उद्यम कंपनी एनआईएनएल और एफटीडब्ल्यूपीएल के मामले में निवेश की कैरिंग राशि शून्य है, क्योंकि संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनी से संबंधित निवेश की कैरिंग राशि अधिक हो गया है। संयुक्त उद्यम कंपनी टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड के निवेश की कैरिंग राशि बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

43. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–108 के संबंध में प्रकटन : ''ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स''

जैसाकि इंड एएस–108 में परिभाषित किया गया है ''मैनेजमेंट अप्रोच'' के आधार पर चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है तथा बिजनेस सेग्मेंट्स के विभिन्न कार्यनिष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन करता है। तदनुसार प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट के बारे में सूचना दी गई है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों को प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट का राजस्व तथा व्यय रिकार्ड करने के लिए निरंतर इस्तेमाल किया गया है तथा इन्हें महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों में भी शामिल किया गया है। कंपनी के बिजनेस सेग्मेंट हैं :– बहुमूल्य धातुएं, धातुएं, खनिज, कोल तथा हाइड्रोकार्बन, कृषि उत्पाद, उर्वरक तथा अन्य।

सेग्मेंट राजस्व तथा व्यय

सेग्मेंट परिसंपत्तियों में सभी ओपरेटिंग परिसंत्तियां शामिल हैं जिसमें नेट स्थिर परिसंपत्तियां तथा वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम इत्यादि शामिल हैं। कारेपोरेट तथा निर्माण से संबंधित परिसंपत्तियों को अनअलोकेटिड सेग्मेंट्स में शामिल किया गया है। सेग्मेंट देयताओं में संबंधित सेग्मेंट की देयताएं तथा प्रावधान शामिल हैं।

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	8,304.82	719.26	29.47	1,341.83	831.23	11,100.10	6.04	22,332.75
भारत से बाहर	0.15	250.73	1,694.54	325.62	1,693.76	(0.02)	7.18	3,971.96
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	**8304.97**	**969.99**	**1724.01**	**1667.45**	**2524.99**	**11100.08**	**13.22**	**26304.71**
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	49.60	17.09	7.31	25.57	(6.88)	37.02	0.82	130.53
भारत से बाहर	0.01	3.58	48.12	1.77	8.06	-	0.22	61.76
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	**49.61**	**20.67**	**55.43**	**27.34**	**1.18**	**37.02**	**1.04**	**192.29**
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट)								126.83
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								285.03
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								**(219.57)**

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	12,788.18	1,889.24	149.94	1,470.71	1,432.99	10,132.43	5.23	27,868.72
भारत से बाहर	0.00	427.88	735.81	60.80	237.38	81.38	27.71	1,570.97
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								-
कुल सेग्मेंट राजस्व	12,788.18	2,317.12	885.75	1,531.51	1,670.37	10,213.81	32.94	29,439.69
सेग्मेंट परिणाम								-
भारत में	65.03	255.59	16.73	49.86	17.19	29.83	3.79	438.02
भारत से बाहर	-	12.90	23.78	0.90	1.85	0.09	0.69	40.21
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	65.03	268.49	40.51	50.76	19.04	29.92	4.48	478.23
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट)								60.15
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								297.16
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								120.92

परिसंपत्तियों व देयताओं का सेग्मेंट

(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए. 01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां:								
परिसंपत्तियां	267.73	(211.61)	173.36	3550.38	313.82	1560.86	503.90	6158.42
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								278.87
कुल परिसंपत्तियां								**6437.31**
ए. 02 सेग्मेंट देयताएं:								
देयताएं	188.05	93.77	218.47	507.87	397.91	1353.68	27.77	2787.54
अनअलोकेटिड देयताएं								2739.26
कुल देयताएं								**5526.78**

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए. 01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां:								
परिसंपत्तियां	323.18	2495.55	245.70	438.48	129.83	63.97	451.89	4148.61
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								231.21
कुल परिसंपत्तियां								**4379.82**
ए. 02 सेग्मेंट देयताएं:								
देयताएं	256.61	161.14	254.12	821.21	84.35	326.55	18.89	1922.89
अनअलोकेटिड देयताएं								1188.20
कुल देयताएं								**3111.09**

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

बाहरी एकल ऐसे ग्राहकों, जिनके साथ हुए लेनदेन में कंपनी को कुल राजस्व का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, के बारे में सूचना नीचे दी गई है।

प्रमुख ग्राहक (ग्राहक जिसका 10 प्रति ात से अधिक राजस्व है)	2019-20	2018-19
कुल राजस्व	11076.02	10096.53
ग्राहकों की संख्या	1	1
कुल राजस्व का प्रतिशत	42.11%	34.84%
उत्पाद सेग्मेंट	उर्वरक	उर्वरक

44. भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पार्टी प्रकटन" के संबंध में प्रकटन

44.1 गैर–सरकारी संबंधी संगठन के लिए प्रकटन

ए. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों की सूची

(₹ करोड़ में)

नाम	पदनाम
1. श्री वेद प्रकाश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक (29.02.2020 तक)
2. श्री सुधांशु पांडे	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (01.03.2020 से 13.05.2020 तक)
3 श्री संजय चड्ढा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (14.05.2020 से)
3. श्री उमेश शर्मा	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी) (31.05.2020 तक)
4. श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी) (01.06.2020 से)
5. श्री अश्वनी सोंधी	निदेशक
6. श्री जे. रवि शंकर	निदेशक
8. श्री आर. आर. सिन्हा	निदेशक(कार्मिक), (19.06.2019 से)
9. श्री टी. एस. राव	प्रबंधक निदेशक, एमटीपीएल
10. श्री देवाशीष नायक	निदेशक (वित्त), एमटीपीएल

बी) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

सी) संयुक्त उद्यम

1. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
2. फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
3. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
4. एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
5. सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड

डी. सरकार तथा इससे संबंधित संगठन

1. भारत सरकार के पास कंपनी के 89.93 प्रतिशत इक्विटी शेयर्स हैं तथा उसका कंपनी पर नियंत्रण है।
2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण है।

ई. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान

1. एमएमटीसी लिमिटेड सीपीएफ ट्रस्ट
2. एमएमटीसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट
3. एमएमटीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति ट्रस्ट
4. एमएमटीसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट

एफ. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों के लिए मुआवजा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ	4.67	3.96
रोजगारोपरांत लाभ	0.58	0.47
अन्य दीर्घावधि लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
ट्रमिनेशन लाभ	-	-
कुल	**5.26**	**4.44**
वर्ष के दौरान ऋणों व अग्रिमों की वसूली	0.01	0.01
वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम	-	-
31.03.2020 को ऋणों व अग्रिमों का अंतिम शेष	0.00	0.01

जी. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		अन्य	
	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19
माल एवं सेवाओं की बिक्री	-	-	13.56	1.07	-	-	837.75	1319.46	-	-	-	-
कच्चे माल/वस्तु तथा सेवाओं की खरीद	-	-	78.98	213.91	-	-	935.48	2012.71	-	-	-	-
कंपनी की ओर से भुगतान	-	-	-	-	-	-			-	-	109.18	105.33
अन्य लेन–देन	-	-	-	-	-	-	0.00	216.67	-	-	179.96	23.99

एच. वस्तु/सेवाओं की बिक्री/खरीद से उत्पन्न बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		एमटीपीएल. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19
देय व्यापार	0.02	0.02	-	-	-	-	1.59	1.46	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	(1.05)	-	-	-	-	-	-	-
अन्य देय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

आई. संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		एमटीपीएल. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम में दिया गया ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त /समायोजित अदायगी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जे. संयुक्त उद्यमों को दिए गए अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		एमटीपीएल. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		कांडला फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	
	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 19
दिए गए अग्रिम	-	-	-	-	-	-	3,221.00	2,594.56		- -	-	-	-	-

के. केएमपी को ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 20	मार्च 19
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	0.01	0.02
अग्रिम ऋण	-	-
पुनर्भुगतान प्राप्त	-	-
लगाया गया व्याज	-	-
प्राप्त व्याज	0.01	0.01
व्याज सहित वर्ष की समाप्ति पर शेष	0.01	0.01

एल. संबंधित पार्टीज को ऋण अल्प अवधि के लिए है और केएमपी की प्रकृति कल्याण अग्रिम की है। समय–समय पर बाजार दरों पर व्याज लगाया जाता है।

एम. सरकार और सरकार इंटाइटिज के साथ प्रविष्टि लेन–देन का प्रकटन

क्र.सं.	सरकार का नाम/ सरकार इंटाइटिज	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	मूल्य (रू.)	बकाया शेष	
					प्राप्त योग्य	भुगतान योग्य
1.	उर्वरक विभाग भारत सरकार	वृहत स्वामी	वस्तु बिक्री	11076.02	1534.52	0.00
2.	उपभोक्ता मामले का विभाग, भारत सरकार (नेफेड)	वृहत स्वामी	दाल का आयात	92.99	94.54	0.56
3.	भारत सरकार के अन्य विभाग	वृहत स्वामी	क्रय ध्वस्तु की बिक्री	917.81	1.08	8.13
4.	सीपीएसईएस	भारत सरकार से संबंधित	क्रय ध्वस्तु की बिक्री	1732.89	21.97	186.56

45 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–116 "लीज" के संबंध में प्रकटन

45.1 पट्टेदार के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति के उपयोग के लिए मूल्यह्रास प्रभार	1.06	0.05
पट्टे देनदारी पर ब्याज खर्च	0.58	0.18
अल्पावधि पट्टे पर खर्च	-	
कम मूल्य संपत्ति पर खर्च	-	
पट्टा देनदारी के माप खर्च रहित विभिन्न पट्टा भुगतान से संबंधित खर्च	-	
संपत्ति उपयोग के पट्टा उधार अधिकार से प्राप्त आय	-	
पट्टे के लिए नकद का कुल बर्हिगमन	1.55	0.21
संपत्ति के उपयोग के अधिकार के अलावा	3.96	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति के उपयोग के अधिकार के कैरिंग राशि	5.10	0.94

पट्टे देनदारी की परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	1.35	0.97
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	2.99	3.08
5 वर्षों के बाद	28.47	3.81

सी) कंपनी अपने व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए संपत्ति के उपयोग के अधिकार का प्रयोग कर रही है।

आईएण्डडी एएस–116 (पट्टे) के प्रावधान के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से, कम अवधि वाले पट्टे (12 महीने या उससे कम समय के लिए) और पट्टे जिसकी परिसंपत्ति कम मूल्य रू. 1,00,000/– प्रति महीने और रूपये 12,00,000/– प्रति वर्ष तक के हैं मान्य नहीं किए जाते हैं।

45.2 पट्टादाता के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़

- **रद्द न किए जाने वाले आपरेटिंग पट्टों के तहत भावी न्यूनतम लीज़ प्राप्य**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	1.50	0.08
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	5.39	0.03
5 वर्षों के बाद	-	-

46. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–33 "प्रति भोयर अर्जन(ईपीएस)" के संबंध में प्रकटन बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस

बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस तथा बेसिक ईपीएस की गणना में साधारण शेयरों की संख्या में निम्नलिखित औसत आय व अधिमान अपनाया गया :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के स्वामियों को वर्ष के दौरान हुए लाभ (हानि)	(273.72)	108.72
प्रतिशेयर बेसिक आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की वेटिड औसत	1,500,000,000	1,500,000,000
बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस	(1.82)	0.72

47. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

प्रावधान के विवरण	01.04.19 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	31.03.20 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	0.03	0.03	0.04	0.04
बोनस/पीआरपी	22.92	1.84	0.40	21.48
मुकदमेबाजी निपटान के लिए प्रावधान	-	(4.46)	6.92	11.38

48. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–115 'ग्राहकों के साथ हुई संविदा से राजस्व' के बारे में प्रकटन

प्रकटन

ए(1) ग्राहकों के साथ संविदाएं

ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से निम्नलिखित को प्राप्त राजस्व माना है: –

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	26,216.74	28,748.27
सेवाओं की बिक्री	4.06	4.55
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	89.25	462.68
–सब्सिडी	-	-
–अर्जित डिस्पैच	4.98	0.25
–अन्य व्यापार आय	(10.32)	223.94
कुल	**26,304.71**	**29,439.69**

बी. कंपनी ने ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि अथवा ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली संविदा परिसंपत्तियों के विरूद्ध होने वाली हानि की राशि माना गया है, जो निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
हानि	-	0.03

(ii) राजस्व का विभाजन

कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट की खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, कृषि उत्पादों, कोल व हाईड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार/अन्य के रूप मे पहचान की है। ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से अर्जित हुए सेग्मेंटवाइज राजस्व तथा उसका कुल राजस्व में अनुपात निम्नानुसार हैः–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	कुल राजस्व के % के रूप में	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	कुल राजस्व के % के रूप में
बहुमूल्य धातुए	8,304.97	31.57	12,788.18	43.44
धातुएं	969.99	3.69	2,317.12	7.87
खनिज	1,724.01	6.55	885.75	3.01
कोल व हाइड्रोकार्बन	1,667.45	6.34	1,531.51	5.20
कृषि उत्पाद	2,524.99	9.60	1,670.37	5.67
उर्वरक	11,100.08	42.20	10,213.81	34.69
अन्य	13.22	0.05	32.94	0.11
कुल	**26,304.71**	**100.00**	**29,439.69**	**100.00**

(ii) संविदा शेष

(a) प्राप्य

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आरंभिक शेष	818.69	747.05
वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी	1,617.27	71.64
अंतिम शेष	**2,435.96**	**818.69**

बी) संविदा परिसंपत्तियां

कंपनी संविदा परिसंपत्तियों की पहचान तब करती है जब इसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि इसने ग्राहक को माल अथवा सेवाओं के ट्रांसफर करने के दायित्व को पूरा कर दिया है तथा प्रतिफल के प्राप्त होने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है। इसके लिए कंपनी को प्रतिफल प्राप्त होने से पूर्व कुछ शर्ते पूरी करनी होती है। एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी को अपने ग्राहकों को उस माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करना होता है जिसके लिए इसने अपनी वचनबद्धता दी है। कंपनी की ऐसी कोई देयता नहीं है जिसको इसने पूरा नहीं किया है।

सी) संविदा देयताएं

ग्राहकों के साथ संविदा हो जाने के बाद कंपनी को ग्राहकों से प्राप्त होने वाली ईएमडी, सिक्युरिटी डिपोजिट, मार्जिन राशि, कस्टम डयूटी इत्यादि के भुगतान के लिए एडवांस को 'अन्य वित्तीय देयताएं तथा अन्य देनदारियों के अंतर्गत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आरंभिक शेष	361.95	288.44
जोड़ें :वर्ष के दौरान वृद्धि	132.83	146.39
घटाएंः कटौती (रिफंड/समायोजन)	188.70	14.39
घटाएंः राजस्व जिसे वर्ष के दौरान आरंभिक शेष का हिस्सा माना गया है	93.85	58.49
अंतिम शेष	**212.24**	**361.95**

वर्ष के दौरान पूर्व अवधि से संबंधित ग्राहकों को डेबिट/क्रेडिट नोट्स बनाकर कार्यनिष्पादन की देयता को पूरा किया हुआ दिखाकर राजस्व की प्राप्ति 'शून्य' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रूपए) दर्शाया गया है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान डिस्काउंट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य छूट, कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन बोनस इत्यादि की राशि राजस्व में शून्य'' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) माना है जिसके लिए संविदा राजस्व के विरूद्ध शून्य'' करोड़' रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) का समायोजन किया है।

(डी) व्यावहारिक उपाय

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ कुछ ऐसी बिक्री संविदाएं की है जिनके कुछ हिस्से का निष्पादन किया जाना शेष है, इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार की संविदा की अवधि एक वर्ष से कम है अथवा प्रतिफल की प्राप्ति का अधिकार कंपनी द्वारा परफार्मेस पूरी करने के बाद उत्पन्न होगा।

(बी) इस मानक के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण निर्णय

(i) कंपनी द्वारा राजस्व की पहचान उस स्थिति में की जाती है जब कंपनी अपने ग्राहकों के साथ किए गए वादे के अनुसार माल अथवा सेवा देने के कार्य को पूरा करती है। परिसंपत्ति/माल सेवाओं को तब ट्रांसफर किया हुआ माना जाता है जब ग्राहक संबंधित परिसंपत्ति/माल/सेवाओं पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

(ii) कंपनी अपने लेन देन के मूल्य का निर्धारण अनुबंध की शर्तों तथा परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार करती है। लेन देन का मूल्य वह प्रतिफल होता है जो एक कंपनी ग्राहक को वादे के अनुसार माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करने के बाद अधिकार प्राप्त करती है। इस मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से प्राप्त की गई राशि(उदाहरणार्थ जीएसटी इत्यादि) शामिल नहीं होती है ।

(iii) ग्राहक के साथ तय की गई संविदा में तय किए गए प्रतिफल की राशि निश्चित अथवा परिवर्तनशील अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि इसमें किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए ग्राहक के नाम पर डेबिट/क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिफल की स्थिति में लेनदेन मूल्य पर पडने वाले प्रभाव का निर्धारण करते समय परिवर्तनशील प्रतिफल के अनुमान संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय कम्पोनेंट, गैर नकदी प्रतिफल तथा ग्राहक को देय प्रतिफल पर भी विचार किया जाता है।

(iv) वर्ष के दौरान संविदा के मूल्य में कुछेक समायोजन किए गए हैं जो राशि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष महत्व के नहीं है।

सी. ग्राहक के साथ की गई संविदा को प्राप्त करने अथवा उसे पूरा करने की लागत को परिसंपत्ति माना गया।

एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि निश्चित प्रकृति की होती है अतः ग्राहक के साथ की जाने वाली संविदा अथवा संविदा के दायित्व को पूरा करने में इस राशि में कोई बढोत्तरी नहीं होती है। इस स्थिति में एक प्रेक्टिकल दृष्टिकोण के तहत लाभ तथा हानि विवरण में शमिल किया जाता है।

49. कुछ व्यापार प्राप्यों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार तथा अन्य देयों के शेष के बारे में पुष्टि/रिकंसिलिएशन किया जाना है तथा इनके पड़ने वाले प्रभाव को समायोजित किया जाना है। रिकंसिलिएशन ऑन–गोइंग आधार पर की जाती हैं। जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है प्रावधान किए गए हैं। तथापि मैनेजमेंट को लगता है कि इस प्रकार की लंबित पुष्टि/रिकंसिलिएशन का कोई विशेष वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

50. लोक उद्यम विभाग (भारत सरकार) के दिशानिर्देशों के अनुसार रूपए 2000/– प्रतिमाह का भुगतान करने पर पूर्ण–कालीन निदेशकों को 1,000 किलो मीटर प्रतिमाह तक निजी प्रयोग के लिए स्टाफ कार का प्रयोग करने की अनुमति है।

51. कंपनी के व्यवसाय पर कोविड – 19 का भौतिक प्रभाव –

कोविड – 19 महामारी के कारण भारत सरकार कोविड – 19 के संक्रमण को रोकने के लिए समय–समय पर बंदी की घोषणा करती रही। यह महामारी कंपनी के व्यवसाय को प्रभावित किया है जो कि कंपनी के लाभ साथ ही नकदी को प्रभावित किया है। इसके कारण कंपनी अधिनियम, 2013 और एलओडीआर 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के पालन में देरी हुई है। एमएमटीसी लिमिटेड सात व्यवसाय भागों में बहुमूल्य धातुएँ, खनिजों, कोल और हाइड्रोकार्बन, कृषि उत्पादों, उर्वरकों और सामान्य व्यापारध् अन्य व्यापार कर रहा है। कोविड – 19 के कारण निम्न व्यापार प्रभावित हुए हैं –

(i) कोविड – 19 की वजह से उत्पन्न परिस्तिथियों के कारण आदमी और खनिज की गतिविधि बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस महामारी के कारण कुछ इंटाइटिज जो कि बहुत कम क्षमता पर कार्य किया जो कि इन कंपनियों में लौह अयस्क निर्यात को प्रभावित किया है। मैगनजी अयस्क जैसे कुछ वस्तुएँ के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में भारी गिरावट आई जिससे इनके निर्यात अलाभकारी हो गया।

(ii) इस परिस्थिति और कीमत में निरंतर उतार–चढ़ाव के कारण ग्राहक आयात सामग्री बुक करने के अनिच्छुक है। नामिकागत आपूर्तिकर्ता प्रतिबद्ध परेषण को भेजने में सक्षम नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है।

(iii) बहुमूल्य धातुओं में डीटीए और एसईजेड में सोना और चाँदी की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई है।

(iv) अन्य व्यापार कीमत में उतार – चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से प्रभावित होने के कारण नये ऑडर्स प्राप्त नहीं हो पाया। नये बाजार का अन्वेषण किया जा रहा है।

52. संलग्न लेखा नीतियां तथा नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है ।

53. कंपनी ने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कुछ परिवर्तन किए हैं जो निम्नानुसार हैं :

(I) लेखांकन नीति संख्या 2.1 वर्ड ''वित्तीय विवरण के विवरण का पालन और तैयार करने के आधार'' को ''वित्तीय विवरण ऑन गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किया गया है'' जोड़ने के लिएे बदल दिया गया है।

(ii) लेखांकन नीति संख्या 2.2 ''कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा'' वर्ड ''वित्तीय विवरण भारतीय रूपये (2 डिसीमल तक) के करोड़ में रिपोर्ट किए जाते हैं'' जोड़ने के लिए बदल दिया गया है।

(iii) लेखांकन नीति सं. 2.5 ''संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों'' के अनुसार क्रय के वर्ष में सीधे राजस्व वसूलने के लिए प्रत्येक कम कीमत वस्तुओं वाले के लिए 2000ध्– मुद्रा तक निश्चित करने के लिए बदल दिया गया है। यद्यपि इसके कारण कंपनी के वित्त पर वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iv) लेखांकन नीति सं. 2.6 ''परिसंपत्तियां'' परिसंपत्तियों के कम कीमत वाली वस्तुओं के 2000/– प्रत्येक के मुद्रागत सीमा तक निश्चित करने के लिए बदल दिया गया है और शोध और विकास से परिसंपत्तियों की बढ़ोत्तरी की पहचान होगी। यद्यपि इसके कारण कंपनी के वित्त पर वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

(v) लेंखांकन नीति सं. 2.8 ''मूल्यह्रास'' मूल्यह्रास से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कम कीमत वाली वस्तुओं के खाता ट्रीटमेंट में बदल दिया गया है।

(vi) लेखांकन खाता सं. 2.15 ''पट्टे'' आईएण्ड एएस 116 ''पट्टे'' को अपनाने से 01.04.2019 के प्रभाव से बदल गया है। कंपनी ने अथ प्रतिधारित आय के समायोजन के संचयी प्रभाव के साथ मानक भूतलक्षतापूर्वक अपनाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, अथ प्रतिधारित आय से 3.09 करोड़ रूपये की राशि समायोजित किया गया है।

(vii) लेखांकन नीति सं. 2.16 ''कर्मचारी लाभ'' योजना संशोधन, कर्टलमेंट और समायोजन के लिए लेखांकन के लिए आईएंड एएस – 19 ''कर्मचारी लाभों'' में संशोधन को सम्मिलित करने के लिए बदल दिया गया है।

(viii) लेखा खाता सं. 2.17 ''कर–निर्धारण'' लाभांश वितरण कर और आयकर की लेखा अनिश्चित्ता में सुधार के लिए आईएण्डडी एस – 12 ''आयकरों'' को सम्मिलित करने के लिए बदल दिया गया है।

(ix) लेखा खाता सं. 2.21 ''वित्तीय साधन'' वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं जहाँ कंपनी को ऑफसेट का कानूनी अधिकार है और नेट आधार पर समायोजित करने की इच्छा है के ऑफसेटिंग नियमों को शामिल करने के लिए बदल दिया गया है।

ऊपरोक्त बदलाव उद्धृत उपरोक्त के अलावा कंपनी के वित्तीय पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं डाला है।

54. वित्तीय विवरणों में प्रति शेयर डेटा को छोड़कर सभी राशियों को करोड़ रूपए में (दो दशमलव तक) में दर्शाया गया है तथा जंहा कही ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है। संभव है कि कुछ राशियों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में न किया गया हो चूंकि उन्हें करोड़ रूपए में राउंड ऑफ किया गया है। जहां आवश्यक समझा गया वहां पर गत वर्ष के आंकड़ों को रिग्रुप/रिअरेंज्ड किया गया है।

55. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 129 (3) के सहायकध सहयोगी कंपनीध संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों के प्रमुख विशेषताओं का विवरण अनुलगन्क – ए में निर्धारित प्रपत्र एओसी–ए में संलग्न है।

56. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इन्हें दिनांक 31.07.2020 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफण्आर सं.00002312 एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)	**(जी आनंदनारायणन)**	**(बीएन दास)**	**(कपिल कुमार गुप्ता)**
पार्टनर	कंपनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
एमनं. 095584	एसीएस–13691		डीआईएनः 08751137

दिनांक : 31.07.2020
स्थान : नई दिल्ली

(अश्विनी सोंधी)	**(संजय चड्डा)**
निदेशक	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02653076	डीआईएन : 00752363

अनुलग्नक क

एओसी – ।

सहायक/सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों के प्रमुख विशेषताओं का विवरण

(अधिनियम, 2013 के अनुभाग 129 (3) के अनुसरण में)

भाग ''ए'' : सहायक

		(₹ करोड़ में)
1	क्र. सं	1
2	सहायक के नाम	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
3	संबंधित सहायक की रिपोर्टिंग अवधि, यदि नियंत्रक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अंतर हो	लागू नहीं
4	विदेश सहायकों के मामले में संगत वित्त वर्ष की अंतिम तिथि को विनिमय दर और रिपोर्टिंग मुद्रा	यूएस डॉलर्स विनिमय दर रू. (औसत दर)
5	साझा पूंजी	3.14
6	आरक्षित निधियां और अधिशेष	97.17
7	कुल परिसंपत्ति	247.43
8	कुल देयता	147.43
9	निवेश	–
10	कारोबार	2,370.99
11	कर से पूर्व लाभ	7.67
12	कर के प्रावधान	1.03
13	कर के बाद लाभ	6.64
14	प्रस्तावित लाभांश	लागू नहीं
15	शेयरधारिता का :	100
ए	सहायकों के नाम जिसका ऑपरेशन होना शेष है	लागू नहीं
बी	सहायकों के नाम जिसका परिसमापन कर दिया गया है या बिक्री कर दिया गया है।	लागू नहीं

एओसी – I भाग "बी" : सहायक और संयुक्त उद्यमों					
					(₹ करोड़ में)
सहायक और संयुक्त उद्यमों के नाम	**नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड**	**फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड**	**एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**	**सिकल लौह अयस्क टर्मिनल लिमिटेड**	**एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड**
1 अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र दिनांक	31.03.2019*	31.03.2019*	31.3.2020	31.03.2019*	31.03.2017**
2 वर्ष के अंत में कंपनी के द्वारा आयोजित सहायक/ संयुक्त उद्यमों के शेयर					
संख्या	368762744	5000	17446000	33800000	2987400
सहायकों/ संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि	459.11	0.01	17.45	33.80	2.99
होल्डिंग का विस्तार %	49.78%	50%	26%	26%	26%
3 विवरण दें, इसका कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव है					
4 कारण दें, क्यों सहायक/ संयुक्त उद्यम समेकित नहीं है					
5 अद्यतन परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारक के नेटवर्थ एट्रीट्युबेल	(476.14)	(3.83)	105.79	33.78	1.82
6 वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)					
I. समेकित पर विचार	(79.42)		26.12	0.02	-
ii. समेकित पर विचार नहीं करना	(332.92)	-			
ए सहायकों के नाम जिसका ऑपरेशन होना शेष है					
बी सहायकों के नाम जिसका परिसमापन कर दिया गया है या बिक्री कर दिया गया है।					

*31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों से वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हैं। वर्ष 31.03.2029 को समाप्त वर्ष के लिए जेवी कंपनी के लिए अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र। नोट सं. 41 पर विवरण दिए गए हैं। '' 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों से वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हैं। वर्ष 31.03.2029 को समाप्त वर्ष के लिए जेवी कंपनी के लिए अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र। नोट सं. 41 पर विवरण दिए गए हैं।

भाग–3 के अनुसार अतिरिक्त सूचना – समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सामान्य सूचना

क्रम सं.	कंपनी का नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियों में से देयताएं घटाकर		लाभ अथवा हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी		कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी	
		समेकित निवल परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड. रूपये)	समेकित लाभ अथवा हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड. रूपये)	अन्य समेकित व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड. रूपये)	कुल व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड. रूपये)
मूल कंपनी									
एमएमटीसी लिमिटेड		130.05	1184.15	82.98	(227.12)	166.15	(20.65)	86.59	(247.76)
सहायक विदेश कंपनी									
1.	एमएमटीसी ट्रासनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर	10.67	97.14	(2.43)	6.65	(66.60)	8.28	(5.22)	14.92
2.	अनियंत्रित हित	-	-						
संयुक्त उद्यम भारतीय (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)									
1.	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	(0.00)	(0.01)	-	-	-	-	-	-
2.	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लि.	9.70	88.34	(9.56)	26.18	0.46	(0.06)	(9.13)	26.12
3.	सिकाल आयरन और टर्मिनल लि.								
4.	नीलाचल इस्पात निगत लि.	(50.42)	(459.11)						
5.	एमएमटीसी गीतांजलि लि.								
6.	टीएम माइनिंग कंपनी लि.								-
	कुल	100.00	910.52	70.99	(194.30)	100.00	(12.43)	72.25	(206.72)

लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने अपने पत्र संख्याः सीए.वी/सीओवाई/केन्द्र सरकार एमएमटीसी (12)/137 दिनांक 01 अगस्त, 2019 ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूचना दी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

सांविधिक लेखा परीक्षक	**क्षेत्र**
एमएल पुरी एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	– क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली तथा इसके उप क्षेत्रीय कार्यालय – कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली (विदेश कार्यालयों सहित), माइका प्रभाग के कार्यालयों की सभी शाखाओं के लेखों का समेकन व विलय

शाखा लेखा परीक्षक

पटनायक एंड कंपनी कटक	– भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र
जे.पी.शाह एंड कंपनी अहमदाबाद	– अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र
जयेश संघराजका एंड कं. एलएलपी मुंबई	– मुबई क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र
एसआरआई एसोसिएट्स, कोलकाता	– कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र कोलकाता, अभ्रक नगर, झुमरीतलैया एवं गिरिडिह के माइका प्रभाग
वेणुगोपाल एंड चेनॉय हैदराबाद	– हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र
आर.एम.के. एंड कं. जयपुर	– जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय
बी थ्यागराजन एंड कं. चेन्नै	– चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद – गुडुर में माइका प्रभाग
राव एंड मनोज एसोसिएट्स विशाखापटनम	– विशाखापटनम तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र

एमएमटीसी बैंकर्स

1) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

2) एचडीएफसी बैंक

3) बैंक ऑफ महाराष्ट्र

4) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

5) पंजाब नेशनल बैंक

6) इंडियन ओवरसीज बैंक

7) आईडीबीआई बैंक

8) इंडसइंड बैंक

9) एक्सिस बैंक

10) आईसीआईसीआई बैंक

11) कोटक महिंद्रा बैंक

12) कर्नाटक बैंक लिमिटेड

13) बैंक ऑफ बड़ौदा

एमएमटीसी कार्यालय

कारपोरेट कार्यालय
एमएमटीसी लिमिटेड, कोर 1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूस्नल एरिया, लोदी रोड,
नई दिल्ली–110 003
फोन : 91–11–24362200, **ईमेल** : mmtc@mmtclimited.com
वेबसाइट : www.mmtclimited.com

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तरी क्षेत्र	**दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय** एफ 8–11, झंडेवालान फ्लेटिड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055 फोन : 011–23623950, 23623952, 23670408, फैक्स : 011–23633175 ईमेल : head_jjc@mmtclimited.com **उक्षेका/फीका: जयपुर**
दक्षिणी क्षेत्र	**चेन्नै** चेन्नै एस्सार हाउस, एस्प्लानेड, चेन्नै–600108 (तमिलनाडु) फोन : 044-25341942, 25341938; फैक्स : 044-25340544, 25340317 ईमेल : head_chennai@mmtclimited.com **उक्षेका/फीका: बेंग्लुरू, बनिहट्टी**
	विज़ाग एमएमटीसी भवन, पोर्ट एरिया, पी.बी. सं. 132, विशाखापट्टनम–530035 (आन्ध्र प्रदेश) फोन : पीबीएक्स : 0891–2562356, 2562771, फैक्स : 0891–2562611 ईमेल : mmtcvizag@mmtclimited.com
	हैदराबाद 9–1–76 से 77/1/बी, तीसरा तल, एस.डी. रोड, सिकंदराबाद–500003 फोन : 040–27804033, फैक्स: 040–27804038, 27725401 ईमेल : mmtchyd@mmtclimited.com
पूर्वी क्षेत्र	**भुवनेश्वर (उप–क्षेत्रीय कार्यालय)** आलोक भारती कॉम्प्लेक्स, सातवां तल, सईद नगर, भुवनेश्वर–751007 (ओडिशा) फोन : 0674–2546848, 2518517, 2503336, 2544783, फैक्स : 0674.2546847, 2512832 ईमेल : head_bhubaneswar@mmtclimited.com, mmtcbbsr@mmtclimited.com **उक्षेका/फीका: भुवनेश्वर**
पश्चिमी क्षेत्र	**मुम्बई** एमएमटीसी हाउस, सी–22, ई–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई–400 051 फोन : 022–26572437, 26594100, 26573193, 61214500, फैक्स : 022–26572541, 26572807 ईमेल : head_mumbai@mmtclimited.com, mmtcmumbai@mmtclimited.com **उक्षेका/फीका: अहमदाबाद**
प्रोन्नत	नीलांचल इस्पात निगम लि., पहला तल एनेक्स, आईपीआईसीओएल हाउस प्रोजेक्ट जनपद, भुवनेश्वर–751022 फोन : 0674–2543231, फैक्स : 0674–2541763
विदेशी	**सिंगापुर** ऑफिशेस एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि. 3 राफेल्स प्लेस, #08–01, भारत बिल्डिंग सिंगापुर – 048617 फोन : (65) 65385313, फैक्स : (65) 65385316, ईमेल : info@mtpl.com.sg

Concept Design & Printed by Dot Communications

कारपोरेट कार्यालय
नई दिल्ली
एमएमटीसी लिमिटेड की ओर से
कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त)
द्वारा प्रकाशित
कारपोरेट कम्युनिकेशन्स प्रभाग
द्वारा निर्मित एवं मुद्रित

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

CORPORATE OFFICE
Published by
Kapil Kumar Gupta (Finance)
on behalf of **MMTC Limited**
Produced & Printed by
Corporate Communications Division